राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का १० वां दिवस { संख्या ८

बुधवार, दिनांक ९ दिसम्बर, १९५९

———

विधान सभा की बैठक प्रातः म० पू० ११ बजकर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

———

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, गृह, स्वास्थ्य, कृषि बन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, सहकारी, विद्युत, यातायात तथा पंचायत)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदार सिंह।

प्रश्न

पीने के पानी की पूर्ति की योजना

२२०. **रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में परमानेन्ट सोल्यूशन आॅफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की स्कीम थी ? अगर हां, तो क्या यह स्कीम लागू कर दी गई ? इसमें अब तक क्या प्रगति हुई व क्या सर्फा अब तक हुआ ?

(२) इस स्कीम के अन्तर्गत जिला टोंक की किस-किस तहसील में, किस-किस ग्राम में यह कार्य किया गया और क्या सर्फा हुआ ?

(३) इस स्कीम में कौन सी तहसील बाकी रही और इन रही हुई जगहों पर कार्य पूरा करने का सरकार का कब तक इरादा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : राजस्थान में परमानेन्ट सोल्यूशन आॅफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का सवाल हल करने के लिए एक कमेटी सरकार ने बनाई है और कमेटी की रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई ?

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, हैल्थ इसके इन्चार्ज हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : चेयरमैन कौन हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वे ही चेयरमैन हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे ही मेम्बर और वे ही चेयरमैन हैं या और भी मेम्बर हैं।

श्री अध्यक्ष : इस कमेटी में नॉन ऑफिशियल्स भी शामिल हैं या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट आ गई है विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नॉन ऑफिशियल्स कमेटी में कौन-कौन हैं ? ड्रिन्किंग वाटर का सवाल है इसलिए उस एरिया के एम. पी. और एम. एल. एज़ को भी शामिल करना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिपोर्ट उन्होंने सारे राजस्थान की दिक्कत दूर करने के लिए दी है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या यह सही है कि इस कमेटी के चेयरमैन श्री हरिश्चन्द्र माथुर एम. पी. हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, शायद वे ही हैं।

प्रश्न संख्या २२१

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल

रावराजा : श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

नगरपालिका निवाई के चुनाव के विरुद्ध पेश याचिका में निर्णय के पूर्व चुनाव

२२२. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा): क्या मंत्री स्वायत्त शासन निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यही सही है कि नगरपालिका निवाई के चुनाव के विरुद्ध ज़िला जज की अदालत में कोई याचिका पेश की गई थी ?

(२) क्या यही सही है कि स्टे ऑर्डर के लिए नोटिस सरकार के नाम जारी हो चुका था और सुनवाई के लिए तारीख २६-सितम्बर मुकर्रर थी ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त नोटिस की तामील हो चुकी थी ?

(४) क्या यही सही है कि तारीख २५ सितम्बर को उपरोक्त नगरपालिका का चुनाव करवा कर चेयरमैन को चार्ज भी सम्भला दिया गया है ? अगर हां, तो याचिका के निर्णय के पूर्व चुनाव कराये जाने के क्या कारण थे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी हां।

(२) स्टे ऑर्डर का नोटिस सरकार को नहीं मिला।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां।

Page No.3

चुनाव की कार्यवाही स्थगित करने के लिए सरकार के पास कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर का नोटिस नहीं मिला।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि मैंने स्टे ऑर्डर मिलने के लिए नहीं कहा था, मेरा कहना था कि जब स्टे ऑर्डर का नोटिस दे दिया था और २६ तारीख मुकर्रर थी, और सरकार के पास इत्तला आ चुकी थी तो २५ को सरपंच का इलेक्शन क्यों कराया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जाब्ते में कलेक्टर चुनाव कराता है। हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता है तो चुनाव नहीं कराता।

रावराजा श्री सरदार सिंह : जाब्ते में हो गया, लेकिन अगर चुनाव सरपंच का अवैध घोषित हो गया तो उसने जो भाग लिया है पंचायत समितियों में, उसका क्या होगा ? क्या फिर से पंचायत समिति का चुनाव करा दिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं एम. एल. ए. हूँ, मेरे खिलाफ पिटीशन है, अगर उसका फैसला दो तीन साल में हो, तो हो जायेगा। अगर उसका हाई कोर्ट से चुनाव अवैध घोषित हो जायेगा तो वह घर चला जायेगा।

रावराजा श्री सरदार सिंह : जब २६ तारीख स्टे ऑर्डर की सुनवाई की तारीख २६ थी तो २५ तारीख को चुनाव करा दिया, यह क्या न्यायसंगत है ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता : हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर नहीं हुआ, इसलिए जो इलेक्शन होना था, वह हो गया। इसमें कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामधन।

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। रेवेन्यू मिनिस्टर उपस्थित नहीं है। उसका जवाब अगले टर्न पर दे दिया जायेगा।

प्रश्न इस प्रकार है:—

जयपुर में जागीरदारों को व्यक्तिगत भूमि बेचने व मकान बनाने से रोका जाना

२२३. **श्री रामधन** (दौसा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जागीरदारों को व्यक्तिगत भूमि को बेचने व मकान बनाने से रोका गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इनसे जिन व्यक्तियों ने मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी थी उनको इनसे काफी परेशानी उठानी पड़ रही है ?

(३) क्या सरकार इसको पेन्डिंग न रख कर किसी भी तरह का निर्णय शीघ्र लेगी ?

(४) क्या यह भी सही है कि कुछ जागीरदारों को भूमि बेचने व मकान बनाने की आज्ञा दे दी गई है ?

श्री अध्यक्ष : श्री हुकम सिंह।

प्रश्न संख्या २२४

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

ट्रैक्टरों और कृषि के औजारों के हेतु स्वीकृत धनराशि में अनियमितता

२२५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उणियारा) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या सन् १९५८ व सन् १९५९ में ट्रैक्टरों और कृषि औजारों के लिये सरकार ने कोई धनराशि स्वीकृत की है ? अगर हां, तो कितनी कितनी धनराशि डिस्ट्रिक्ट और तहसीलवाइज स्वीकृत की है ?

(२) क्या उपरोक्त स्वीकृत धनराशि देते समय खुद खेती करने वालों का ध्यान नहीं रखा जाता व जो दूसरों से खेती कराते हैं, उनको तरजीह दी जाती है ?

(३) क्या कोई उपरोक्त कार्य हेतु टौंक डिस्ट्रिक्ट में धनराशि दी गई है ? अगर हां, तो किस तहसील और किस ग्राम में किस किस को, किन किन आधारों पर दी गई है ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): (क) जी हां। स्वीकृत धनराशि कृषि धनराशि कृषि विभाग से तहसीलवार निर्धारित न की जाकर जिलावार की जाती है। सन् १९५७–५८ व ५८–५९ में जो धनराशि जिलावार स्वीकृत की गई थी उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ऋण उन्हीं काश्तकारों को दिया जाता है जिनकी खुद की भूमि होती है।

(ग) जिला टौंक में जिन व्यक्तियों को १९५७-५८ व ५८-५९ में ट्रैक्टर व कृषि औजार खरीदने हेतु ऋण दिया गया है उनकी सूचना सूची में उपलब्ध है। ऋण तकावी नियमानुसार दिया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि सूची में है। टौंक में कृषि के लिए, औजारों के लिये, ट्रैक्टर के लिए जो धनराशि दी है, उसके क्या ट्रैक्टर और कृषि औजार खरीद लिये, इसकी तस्दीक की है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : खरीदे हैं या नहीं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : जी हां।

श्री दौलतराम सारण : इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री अध्यक्ष : टौंक में ट्रैक्टर के लिए कुछ मिला नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप कह रहे थे....

श्री अध्यक्ष : इस लिस्ट में नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप कह रहे थे कि इस लिस्ट में है।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो सूचना चाही है, वह सूचना मैंने दे दी है। कृषि के लिये जो भी औजार दिये गए उसकी लिस्ट मैंने दे दी है अलग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अलग से पूछिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने चला कर पूछा, यह लिस्ट में नहीं था। आप कहते हैं कि सूची में दिया है। तो मैंने इसलिए पूछा कि मालूम हो जायेगा कि दिया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

Page No.5

गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, उदयपुर को मान्यता देना [Recognition)

२२६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Will the Medical and Public Health Minister be please to state:—

1. Is it correct that the Government Ayurvedic College, Udaipur, has not yet been recognised by the Registrar, Departmental Examinations, Jaipur ? If so, what action the Principal of College has taken so far to get it recognised ?

2. Does the Government recognise the Diploma Certificates etc. granted by the College ? If so, on what basis ?

उप-मन्त्री. स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : 1. No Sir. As the Director Ayurvedic Department is authorised to grant recognition to Ayurvedic Institutions, he has recognised Ayurvedic College, Udaipur for Bhisagwar and Bhisagacharya Examinations. The question of taking action therefore, does not arise.

2. Yes Sir. Diplomas are granted by the Government.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह आपके डिपार्टमेंटल आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन किसी दूसरी सरकार से मान्यता प्राप्त है राजस्थान के बाहर ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्री प्रसाद गुप्ता) : अलग से प्रश्न है ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह रूल्स में नहीं है कि आयुर्वेदिक एग्जामिनेशन को डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, जयपुर द्वारा रिकॉग्नाइज करना चाहिये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिकॉग्नाइज हो गया है ?

श्री पी. के. चौधरी : कब हो गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख नहीं है लेकिन यह हो गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : किसने रिकॉग्नाइज किया है, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रार ने इसको रिकॉग्नाइज किया है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The Director of Education has also intimated that they have also recognised it.

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

कोटड़ा रेन्ज से ऊंट तथा गाय चराई की आय

२२७. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : क्या वन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:

उदयपुर जिले के रेन्ज कोटड़ा से ऊंट तथा गाय चराई की सन् ५७ से ५६ तक कितनी आय हुई ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सन् १६५७–५८ व १६५८–५६ में कोटड़ा रेन्ज में ऊंट व गाय की चराई से निम्नलिखित आय हुई :—

Page No.6

(श्री नाथूराम मिर्धा)

	आय ऊंट चराने की
सन् १६५७–५८	रु० २१२४. ००
सन् १६५८–५६	रु० १६०८. ००

	आय गाय की चराने
सन् १६५७–५८	रु० १४४३. ६० नया पैसा
सन् १६५८–५६	रु० १६४२. ८६ नया पैसा

श्री लक्ष्मण हीरात : गाय तथा ऊंट रखने वाले व्यक्ति वहीं के निवासी हैं, तो उनसे चराई क्यों ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निवासी वहीं के हैं और चराई वही देते हैं। बाहर से जो चराई के लिए आते हैं, उनसे चराई ली जाती है। ऊंट कहीं के हों उनसे चराई ली जाती है।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : ऊंट और गाय की चराई राजस्थान में अलग-अलग है या एक है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चराई दर अलग-अलग है।

श्री शंकरलाल : यह भिन्न-भिन्न क्यों है राजस्थान में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वही है जो पहले से चली आ रही है।

श्री शंकरलाल : सरकार ने इसका कारण ढूंढा कि इसकी वजह से असमानता है, चराई की अलग-अलग दर होती है जब कि जानवर एक प्रकार के हैं, कहीं चराई कम है कहीं ज़्यादा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो स्टेट्स थीं, उनमें अलग-अलग तरीके के फील्ड्स थे उनकी अलग-अलग केपेसिटी थी कहीं अच्छी घास और कहीं खराब घास होती थी, इसलिए अलग-अलग रहना वाजिब है। उसके अलावा पुरानी स्टेट अलग-अलग थी, इसलिए भी अलग-अलग रेट्स हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात : ऊंट की चराई मुफ्त कराने के लिए क्या स्थानीय व्यक्तियों के लिए सरकार विचार कर रही है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, कतई नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचौर) : क्या सरकार राजस्थान में एक किस्म की रेट कायम करने का विचार रखती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य

२२८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे।

(१) क्या राजस्थान में ग्राम पंचायत की इकाई एक हजार से दो हजार तक की आबादी को रखने व उनका क्षेत्र पटवार सर्किल व ग्राम सेवक सर्किल के अनुरूप रखने की दृष्टि से विभाग की तरफ से परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो उक्त परिसीमन पूरे राजस्थान में कब तक पूरा कर लिया जावेगा ?

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : (१) राज्य सरकार ने निम्न-

Page No.7

(श्री दौलतराम सारण)

लिखित आधार पर पुरानी पंचायतों का पुर्नगठन एवं नई पंचायतों का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

जिन गांवों की जनसंख्या १५०० या इससे अधिक हो वहां एक अलग पंचायत स्थापित की जावे। जिन गांवों की जनसंख्या १५०० से कम होगी उनका गठन इस प्रकार से किया जावेगा जिससे कि वहां एक पंचायत कायम की जा सके। इस प्रकार की निर्मित पंचायत की जनसंख्या साधारणतया २००० से अधिक नहीं हो व १५०० से कम नहीं हो।

गठन करते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखी जावे कि ऐसे समस्त गठित ग्राम एक ही पंचायत समिति के क्षेत्र में पड़ें एवं यथा-सम्भव एक पटवार सर्किल में भी रहें।

(२) मार्च १६६०, के अन्त तक यह कार्य सम्पूर्ण हो जायेगा, ऐसी आशा की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : किसी गांव की जनसंख्या ६ हजार के करीब है, तो वहां एक पंचायत होगी या दो तीन पंचायतें होंगी ?

श्री दौलतराम सारण : एक सर्किल होगा, और एक पंचायत होगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या छोटी-छोटी पंचायत आर्थिक दृष्टि से अपना खर्चा निभा सकती हैं ?

श्री दौलतराम सारण : आशा की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : एक पंचायत के पास ६०, ७० रुपये का क्लर्क होगा, और उसका ऑफिस चलेगा, तो क्या यह पंचायतों के लिये सम्भव होगा कि इतना बड़ा खर्चा उठा सके ?

श्री दौलतराम सारण : आर्थिक दृष्टि से पंचायतों को टैक्स लगाने के अधिकार हैं, वे अपने सोर्स इकठ्ठी करेंगी और उसके अनुसार इन्कम बढ़ायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

कस्बा लूणकरणसर में तहसील भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

२२६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) कस्बा लूणकरणसर, जिला बीकानेर में तहसील भवन तथा स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण के लिये चालू साल में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

(२) क्या सरकार चालू वर्ष में उपरोक्त कार्य सम्पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) तहसील भवन के लिये १७,००० रुपये तथा स्टाफ क्वार्टर्स के लिए १६,६०० रुपये।

(२) जी नहीं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सारी तहसीलों से स्टाफ क्वार्टरस बनाये जाते हैं ?

Page No.8

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां हम देखते हैं कि वहां जगह छोटी है और आम तौर से किराये पर मकान मिलना मुश्किल होता है, तो वहां क्वार्टर बनाने की बात होती है।

श्री भीमसेन : क्या इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन दी जा चुकी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, अभी आई है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील उणियारा का गलवानिया बांध

२३०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील उणियारा में गलवानिया नाम का बांध तैयार हो रहा है ? अगर हां, तो उसकी क्या प्रगति है ?

(२) क्या यह सही है कि उस बांध में बहुत से ग्राम और ग्रामवासियों की ज़मीन व मकानात डूब में आ गये हैं ? अगर हां, तो सरकार ने उनको किस जगह आबाद किया और क्या-क्या सुविधाएं व मुआवजा दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। गांव व मुख्य नहरों का काम सम्पूर्ण हो चुका है और माइनर नहरों का काम चालू है।

(२) जिन गांवों के मकान व जमीनें डूब में आई उनकी सूची मुआवजे के विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या वह तालाब भर गया है ? आपने कहा कि नहरों का काम जारी है तो क्या तालाब बन कर सम्पूर्ण हो चुका है या नहीं ?

श्री भीखाभाई : मैंने अर्ज किया कि दरअसल में मुख्य नहरों का काम सम्पूर्ण हो चुका है। कुछ माइनर नहरों का काम चालू है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसका मतलब यह है कि तालाब भर गया है। तो जो ज़मीन और मकानात डूबे हैं, उनको मुआवजा दिया है, वे उसके पट्टे पर ही आबाद हैं या दूसरी जगह आबाद हो गये हैं ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : आप सीधा सवाल पूछिये, आप क्या चाहते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : जिनको मुआवजा देना था, उनको मुआवजा मिला है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : दे दिया है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपको दे दिया है।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनकी ज़मीन या मकान डूबे, वे दूसरी जगह आबाद कर दिये हैं या वहीं आबाद हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुआवजा ५८ में अदा हो चुका है। कुछ लोग ज़मीन के बदले ज़मीन चाहते हैं, उनके लिये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिख दिया है।

डॉ० बहादुरसिंह : बड़े काश्तकारों से लेकर दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

बीकानेर लूणकरणसर रोड एवं डाक बंगला व सीड स्टोर, लूणकरणसर का निर्माण कार्य

२३१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) बीकानेर लूणकरणसर रोड का कितना काम हुआ है ? प्रोग्राम के मुताबिक इस सड़क का काम कब तक समाप्त हो जाना चाहिये था ?

(२) डाक बंगला व सीड स्टोर (लूणकरणसर) कब तक बन कर तैयार हो जाने चाहिये था ? अब तक तैयार न होने के क्या कारण हैं ? उपरोक्त कार्य समय पर पूरे किये जा सकें, इसके लिए सरकार क्या सावधानी बरत रही है ?

(३) तहसील भवन लूणकरणसर व स्टाफ क्वार्टर के निर्माण का कार्य कब से शुरू किया जा रहा है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) इस सड़क की २०॥ मील की कुटाई हो चुकी है । दूसरे १३ मील में कंकर संग्रह का काम भी लगभग समाप्त हो चुका है । बीकानेर की तरफ से १० मील का कारपेट कार्य भी हो चुका है । वर्ष १९६०–६१ के अन्त तक समाप्त की जाने की योजना है ।

(२) मई १९५९ तक । ठेकेदार की ओर से सुस्ती । नोटिस ठेकेदारों को दिये जा रहे हैं ।

(३) आशा है माह फरवरी १९६० तक ।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि १६ से ३५ मील तक बिल्कुल काम नहीं हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं यह तो सही नहीं है कि १६ से २४ मील तक बिलकुल काम नहीं हुआ है ।

श्री भीमसेन : मेरा प्रश्न यह है कि १६ से ३५ मील तक बिलकुल काम नहीं हुआ है, वहां पर अर्थ-वर्क भी नहीं हुआ है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी ऐसी सूचना है कि अर्थ-वर्क हो गया है ।

श्री भीमसेन : आपको गलत सूचना है, मैं तो अभी दौरे से आया हूँ ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि इतना काम हो गया है, पूरा करने की तारीख भी बता दी ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : वे तो कहते हैं कि दौरे से अभी आये है, कुछ भी काम नहीं हुआ है; क्या आप समझते हैं, कि वे गलत कहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने कितना कहां से देखा है मैं नहीं कह सकता ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

डूंगला पंचायत का चुनाव एवं चार्ज दिया जाना

२३२. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

डूंगला (चित्तौड़गढ) पंचायत का चुनाव कब हुआ तथा क्या नई पंचायत को चार्ज दे दिया गया है ?

उप-मंत्री स्वायत्त शासन : (श्री दौलतराम सारण) : डूंगला पंचायत का चुनाव दिनांक १०–१२–५९ को हुआ व चार्ज नहीं दिया गया ?

श्री मुरलीधर व्यास : चार्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : भूतपूर्व सरपंच ने चार्ज दिया नहीं और मामला हाई कोर्ट में चल रहा है

श्री मुरलीधर व्यास : हाई कोर्ट में किस तरह का मामला चल रहा है । जब कि शपथ ले ली तो चार्ज क्यों नहीं दिलाया गया । चीफ पंचायत ऑफिसर ने भी ऑर्डर दे दिया और दूसरों ने भी ऑर्डर दे दिये तो फिर साल भर से चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा हैं ? इसका कारण क्या है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : हमने तो कलेक्टर को हिदायत कर दी है कि चार्ज दिला दिया जावे, यह तो देने वाले और लेने वाले की सुस्ती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने हिदायत दे दी इसके बावजूद भी चार्ज नहीं दे रहे हैं । सरकार इसके लिए कोई न कोई कदम उठायेगी तब ही तो चार्ज दिया जायेगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास इस तरह की सूचना आते ही कि चार्ज नहीं दे रहा है, फौरन कलेक्टर को लिख दिया कि चार्ज दिला दिया जाय ।

श्री मुरलीधर व्यास : फिर भी चार्ज नहीं दिया है इसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाया है ?

बद्रीप्रसाद गुप्ता : चार्ज देने के लिए कानून में कुछ खामी रह गई है, उस खामी को ठीक करने के लिए अमेंडमेंट लाने की कार्यवाही कर रहे हैं । सरपंच हिदायत के बावजूद भी चार्ज नहीं देता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कानूनी खामी है । डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज तो नहीं होनी चाहिये कि एक साल हो गया चार्ज नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए तो आपको फौरन रास्ता निकालना चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास ज्यों ही इत्तला आई कि चार्ज नहीं दे रहा है, तो फौरन कलेक्टर को हिदायत की गई कि चार्ज दिला दिया जाय । पता नहीं शायद हाई कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है और हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया हो ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है । चित्तौड़ में एकमात्र यही तो विरोधी पंचायत बनी थी, उसको साल भर से चार्ज नहीं दे रहे हैं, यह बड़ी विचित्र बात है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने कहा कि एक ही विरोधी पंचायत है इसके लिए मुझे हमदर्दी है और इसको मैं देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चार्ज नहीं देने की सूरत में कौन काम कर रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई भी काम नहीं कर रहा है, यही समझना चाहिये जब कि चार्ज ही नहीं दिया जा रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि चार्ज नये सरपंच ने ले लिया था पर पुलिस की इमदाद से इस नई पंचायत का ताला तुड़वा कर भूतपूर्व सरपंच को चार्ज दिलाया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी जानकारी मेरे पास नहीं है और न आपने यह पूछा है।

श्री मुरलीधर व्यास : पुलिस की मदद से ताला तोड़ा गया है और भूतपूर्व सरपंच को चार्ज दे दिया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो चार्ज नहीं दिलाने की आपकी शिकायत थी वह तो नहीं रही। चार्ज तो दिला दिया गया, दुबारा चार्ज ले लिया यह अलग बात है, मैं इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : पंचायत विभाग ऐसे पंचों, सरपंचों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेता है, जब कि नियम यह है कि शपथ लेते ही चार्ज देना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने निवेदन किया कि कानून में खामी, कानून में चार्ज दिलाने का कोई प्रोविजन ही नहीं है, उसको अमेंड कर के ठीक करना है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट हो गया कि शपथ लेते ही फौरन चार्ज देना चाहिये तो फिर कानून में खामी क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रोविजन नहीं है इसीलिए तो अमेंडमेंट लाने की बात है।

श्री किशनलाल शाह (नावां) : बिना किसी अधिकार के किसी पद का उपयोग करना यह क्रिमिनल केस नहीं बनता क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पद का उपयोग भी तो नहीं हुआ है, वह तो चार्ज नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : आपको यह कह देना चाहिये कि बिना चार्ज लिये ही वे अपना कार्य शुरू कर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर को हमने लिखा है पर शायद यह केस हाई कोर्ट में चला गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : कलेक्टर तो उल्टे उनकी मदद करता है जो चार्ज नहीं दे रहे हैं। डेमोक्रेसी में इस तरह की बातें होती हैं यह बड़ी विचित्र बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं इस तरह की शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जयपुर नगरपालिका के वर्तमान कमिश्नर

२३३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

Page No.12

(श्री मुरलीधर व्यास)

(१) जयपुर नगरपालिका के वर्तमान कमिश्नर की नियुक्ति इस पद पर कब की गई है ?

(२) उक्त कमिश्नर इस पद से पूर्व कहां और किन किन पदों पर कार्य कर चुके हैं ?

(३) कमिश्नर जयपुर नगरपालिका की शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) तारीख ३१ – १२–५८ को।

(२) इससे पहले उन्होंने कई पदों पर काम किया है जैसे के. ए. कमिश्नर खुदकाश्त, एस. डी. ओ. टौंक, भीम, छाबड़ा, राजगढ़, रेन्ट कन्ट्रोलर, जयपुर। उन्होंने सेटिलमेंट कमिश्नर (आयुक्त) व रेवेन्यू सचिव के पदवी पर कार्य किया है।

(३) वे बी. ए. एल. एल. बी. सेटलमेंट ट्रेन्ड व आर, ए. एस. हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : योग्यता क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बी.ए. एल.एल. बी. सेटलमेंट ट्रेन्ड और आर. ए. एस. ऑफिसर हैं।

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या २३४

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर से उप-संचालक, भेड़ व ऊन विभाग को हटाये जाने का कारण

२३५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :–

(१) क्या यह सत्य है कि संचालन भेड़ व ऊन विभाग ने बीकानेर से भेड़ व ऊन के उप संचालन विभाग को वहां से न हटाने के सम्बन्ध में अपनी लिखित राय दी थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस राय के थोड़े महीने बाद ही इस कार्यालय को जयपुर लाने की सिफारिश कर दी गई ?

(३) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

उप-मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां सन् १६५७ (अगस्त) में।

(२) जी हां, सन् १६५८ के अंत में।

(३) विशेषज्ञों की राय पर।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि पहले इस प्रकार से डाइरेक्टर ने इस प्रकार की सिफारिश की थी कि डिप्टी डाइ–रेक्टर तो बीकानेर में ही रहना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : मैं उत्तर दे चुका हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर दे चुके तो बाद में क्या कारण हुआ कि दूसरी सिफारिश की ?

श्री दौलतराम सारण : मैं इसका भी उत्तर दे चुका।

श्री मुरलीधर व्यास : वे कारण क्या हैं ?

श्री दौलतराम सारण : विशेषज्ञों की राय से यहां लाया गया।

Page No.13

श्री मुरलीधर व्यास : क्या राय थी विशेषज्ञों की ?

श्री दौलतराम सारण : विशेषज्ञों की राय थी कि राजधानी, हैड क्वार्टर स्पेशलिस्ट्स और दूसरे अन्य साधनों के कारण बीकानेर में न रख कर यहां रखा जाय । इसलिए यहां लाया गया ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पहले कौन से विशेषज्ञ की राय से बीकानेर ले जाया गया था ?

कृषि-मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): अभी जैसे आपको बताया डिप्टी डाइरेक्टर शीप एन्ड वूल को जिस वक्त बीकानेर में रखा गया उस वक्त डाइरेक्टर इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट के साथ डिप्टी डाइरेक्टर शिप एण्ड वूल का ऑफिस जुड़ा हुआ था । पर जब एनिमल हस्बेन्ड्री डिपार्टमेंट का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, एनिमल हस्बेन्ड्री के जितने स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने कहा कि डिप्टी डाइरेक्टर को ओवरहाल चार्ज दे दिया और जितने स्पेशलिस्ट हैं वे यहां रहें जिससे उनकी राय सारे राजस्थान को उपलब्ध हो सके तो उन्होंने शीप एण्ड वूल के डिप्टी डाइरेक्टर जो कि स्पेशलिस्ट हैं, उनका ऑफिस सारे राजस्थान के हित को दृष्टि में रखते हुए, सारे राजस्थान को उनका फायदा मिले, या सारे राजस्थान के लिए सूट करने वाली बात थी इस लिए यहां लाया गया ।

श्री भीमसेन : क्या डाइरेक्टर स्पेशलिस्ट नहीं हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे तो सब के स्पेशलिस्ट हैं। पर शीप एण्ड वूल के स्पेशलिस्ट डिप्टी डायरेक्टर हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : वे डायरेक्टर जिन्होंने अपने एक पत्र में सिफारिश की, कि डेजर्ट एरिया है बीकानेर का और सबसे ज्यादा शीप बीकानेर में हैं इसलिए, डिप्टी डायरेक्टर शीप एन्ड वुल का ऑफिस बीकानेर में रहना चाहिये । फिर हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट और स्पेशलिस्ट कहते हैं तो फिर बाद में इस तरह का परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने समझा तो दिया है आपको। बीकानेर में रहने से ही बीकानेर को ज्यादा लाभ मिल जायेगा ऐसी बात नहीं है । यहां रहने से सारे राजस्थान को लाभ हो सकता है । बीकानेर में बैठ कर विशेष हित कर सकते हों, या आपका यह ख्याल हो कि ४-५ अहलकार ज्यादा बीकानेर में रहते हैं, इससे बीकानेर का हित होता है तो मैं इस चीज को नहीं मानता ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि मैसूरी कॉन्फ्रेन्स में इस विभाग के जितने स्पेशलिस्ट थे उनकी एक सूची बनाई गई थी और डिप्टी डायरेक्टर शीप एन्ड वूल उस लिस्ट में नहीं आते हैं । स्पेशलिस्ट रिसर्च ऑफिसर ही शामिल हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे लोग भी इसमें आते हैं और वे स्पेशलिस्ट हैं । इसके अलावा अभी आबू कॉनफ्रेन्स हुई थी उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से शीप एण्ड वूल के हैड क्वार्टर को जयपुर में रखा ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनमें डिप्टी डाइरेक्टर नहीं आता ?

Page No.14

श्री नाथूराम मिर्धा : ये सब स्पेशलिस्ट हैं और आते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या यह सही है कि एकमात्र ७५ प्रतिशत भेड़ें बीकानेर जिले में हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आपकी सूचना गलत है।

श्री भैरोंसिंह : ये ऑर्डर्स कैबिनेट से हुए या गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट ने स्वयं ने ऑर्डर दिये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ये ऑर्डर बीकानेर के कैंप से ही इश्यू किये गये थे और गवर्नमेंट को इस मामले में कन्सल्ट नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सारा गवर्नमेंट को पूछ कर किया गया था ?

श्री भैरोंसिंह : क्या मनमाने तरीके से बगैर कैबिनेट को पूछे इस प्रकार के ऑर्डर हुए हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ये ऑर्डर जिस लेवल पर होने चाहिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २३६

श्री भैरोंसिंह।

भोपालसागर कोऑपरेटिव सोसाइटी

२३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) भोपालसागर कोऑपरेटिव सोसाइटी कब से रजिस्टर्ड है और इसके कितने कितने रुपये के हिस्सों के कितने-कितने सदस्य हैं ?

(२) इस समिति को सरकार से तथा अन्य बैंकों से कब-कब, किस-किस काम के लिये कितना-कितना कर्जा मिला हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि इस समिति के अकाउन्ट्स का ऑडिट एवं विभागीय निरीक्षण भी हुआ है ?

(४) क्या यह सही है कि समिति के रेकॉर्ड के अनुसार जिन लोगों को रुपये दिये जाने का उल्लेख है, वास्तव में ऐसे अधिकांश व्यक्तियों को यह रुपया नहीं मिला है ?

(५) इस समिति को अब सरकार तथा बैंकों को कितनी-कितनी रकम अदा करनी है ?

(६) क्या यह सही है कि सरकार ने इन सारी अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस को लिखा है ? यदि हां, तो कब, और किस-किस के विरुद्ध ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री दौलतराम सारण) : (१) भोपाल सागर कोऑपरेटिव सोसाइटी दिनांक १३–६–५३ से रजिस्टर्ड है और इसके १२०) का १ सदस्य, ११०) रु० का १ सदस्य, १००) रु० के ८५ सदस्य, ६०) रु० का १ सदस्य, ८०) रु० के ३ सदस्य, ६०) रु० के २ सदस्य, ५०) रु० के ७ सदस्य, ४०) रु० के ८ सदस्य, ३०) रु० के ७ सदस्य, २०) रु० के २४ सदस्य और १०) रु० के २८ सदस्य हैं।

(२) इस समिति को कृषि कार्य हेतु निम्न प्रकार ऋण मिला है:—

(श्री दौलतराम सारण)

१. दिनांक ६–७–५३ २१५० रु० सेन्ट्रल को० बैंक, उदयपुर से।

२. दिनांक १६–१२–५४ ३२७७ रु० राजस्थान स्टेट को० बैंक, उदयपुर से।

३. दिनांक १६–७–५५ ६८६० रु० राजस्थान स्टेट को० बैंक उदयपुर से।

४. दिनांक १७–१२–५५ ६००० रु० राजस्थान स्टेट को० बैंक उदयपुर से।

५. दिनांक १६–७–५६ ३४११२) रु० राजस्थान स्टेट को० बैंक, उदयपुर से।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर को ३४११३) रु०।

(६) जी हां! श्री हरिप्रसाद यादव भूत-पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध दिनांक २५-६-५८ को।

श्री भैरोंसिंह : क्या कार्यवाही की है ?

श्री दौलतराम सारण : पुलिस के सुपुर्द मामला किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या हरिप्रसादजी वे ही हैं जो विधान सभा के सदस्य हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वे ही हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे ही हो सकते हैं यह नहीं चाहता। वे ही हैं या नहीं।

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : वे ही हैं।

श्री भैरोंसिंह : आपने यहां पर यह बताया कि इस समिति में जिन लोगों को वास्तव में रुपये देने का जिक्र आया है उनको रुपया नहीं दिया गया ?

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-जु.) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह सही है कि केस चल रहा है। इसमें भूतपूर्व मन्त्री थे उनके पास २८५४–१२–० जमा, जमा कराया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूँगा कि पहले भी मेरे नाम के खिलाफ चार्जेज लगाये गये जब कि मेरे पर कोई चार्जेज नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा है वे पहले अपने आप को खुद को देख लें। मैं एक किसान हूँ, गरीब हूँ, गरीब घर से आता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिये मेरे पर मुकद्दमा करे, जबकि गवर्नमेंट के पचासों ऑफिसर्स जाते हैं और लोन लेते हैं और वह लोन जमा करा देते हैं। मैं भी गरीब किसान हूँ लोन लेता था और जमा करा देता था। अब यहां पर कहा जाता है कि हरिप्रसाद यादव के खिलाफ केस हुआ है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इसमें राजनैतिक स्टन्ट खेला गया है। मेरे से सीट खाली करने के लिए कहा गया था। मेरे से सीट खाली कराना चाहते थे दूसरे के लिए और इसी वजह से मेरे खिलाफ यह कार्यवाही हो रही है क्योंकि मैंने सीट खाली नहीं की। न मालूम और भी कितने मेरे खिलाफ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिप्रसाद ही इस

Page No.16

(श्री भैरोंसिंह)

मामले में कसूरवार हैं या और भी ऑफिसर और अधिकारी या अन्य लोग भी कसूरवार हैं।

श्री अध्यक्ष : केस चल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो इस समिति के अकाउन्ट्स का ऑडिट समय समय पर हुआ उनमें कुछ गड़बड़ियां पाई गई और कुछ जिन लोगों को ऋण दिया गया कुछ को उतना नहीं दिया गया और कुछ कहते हैं कि दिया नहीं गया और कुछ कहते हैं कि उनको दिया गया तो कम दिया गया। कितना कम दिया गया इसका पता लगाने के लिये पुलिस को दिया गया है। पुलिस सारी बातों की जांच करके बतावेगी कि कितनी किसकी गलती है। इसमें करीब ३० हजार रुपया गड़बड़ में है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जिस प्रकार से श्री हरिप्रसाद का नाम केवल यहां पर लिया है उसमें दूसरे भी हो सकते हैं उनके नाम भी बता सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बताया कि यह उस समय अध्यक्ष थे। सारा कामकाज उनके जिम्मे ही है। अब पुलिस जांच करेगी और छान-बीन करेगी कि रिअली कौन कसूरवार है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : आपके डिपार्टमेंट ने किन-किन के नाम बताये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने तो केवल उन्हीं का नाम बताया है।

श्री भैरोंसिंह : श्री हरिप्रसाद ने बताया कि उनके साथ और भी इन्सपेक्टर और दूसरे व्यक्ति भी थे। उनका व्यू पॉइन्ट इस प्रकार का है कि उनके साथ मंत्री और दूसरे लोग भी जिम्मेदार थे। क्या यह सही है कि रिपोर्ट में केवल श्री हरिप्रसाद का नाम है और दूसरे लोगों का नाम नहीं जिन्होंने गड़बड़ी की है जैसे सेक्रेट्री आदि।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें सारे लोगों का यही कहना है कि श्री हरिप्रसाद हैं। वे सब श्री हरिप्रसाद का नाम ही बताते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस ने किस दफा में उसको रजिस्टर किया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ४०९ या ४०८ में।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) क्या यह सही है कि पुलिस ने उनको निर्दोष पाया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अभी तक इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।
श्री मुरलीधर व्यास।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब कल पेश किया जावेगा।

[प्रश्न इस प्रकार है:—

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत् विकास कार्यों का पूरा होना

२३७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या विद्युत् मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

Page No.17

(मुरलीधर व्यास)

(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस वर्ष के निर्धारित विद्युत विकास कार्यों में से कौन कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन कौन से कार्य बाकी हैं ?

(२) क्या ये कार्य निश्चित समय के भीतर पूरे हो जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?]

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह ।

जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में हुए गबन से सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

२३८. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में जो २०,०००) रु० के लगभग की राशि का गबन हुआ, उसमें अब तक सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): २०,००० रु)० के गबन के मामले की रिपोर्ट पुलिस में करने पर संबंधित व्यक्ति को बंदी करके पुलिस ने न्यायालय में चालान कर दिया है जिसका अन्तिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । विभागीय जांच के लिए इस विभाग के संयुक्त संचालक को नियुक्त कर दिया है जिनके जांच का विवरण प्राप्त होने पर आगे उचित कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह नियुक्ति कब की गई ?

श्री दौलतराम सारण : तारीख तो इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : इन्क्वायरी किन-किन लोगों के खिलाफ चल रही है ?

श्री दौलतराम सारण : यह जो घटना हुई उसकी इन्क्वायरी करने के लिये । इसमें एक ही व्यक्ति है या और भी जिनकी गलती से यह हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : जिनके खिलाफ इन्क्वायरी के ऑर्डर किये उनके टर्म ऑफ रेफरेन्स के अनुसार या घटना के मामले में ....

श्री दौलतराम सारण : घटना के मामले में व्यक्तियों के नाम नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर ऑफिसर की नैग्लीजेन्स है और उसकी जांच करने के लिये आपने संयुक्त संचालक को नियुक्त किया है ।

श्री दौलतराम सारण : जांच होने पर पता चलेगा और जांच में जो भी आवेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अध्यक्ष : घटना के बारे में जांच के आदेश हो चुके हैं और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भैरोंसिंह : आपने डिप्टी डायरेक्टर का नाम बताया है कि वह उसकी जांच करने के लिये मुकर्रर किया गया है ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हमने जोइन्ट डाइरेक्टर का कहा है ।

Page No.18

श्री भैरोंसिंह : जहां हैड ऑफ डिपार्टमेंट के खिलाफ जांच हो और उसकी जांच जोइन्ट डाइरेक्टर को सुपुर्द करें तो यह उचित नहीं होगा। इसके लिये तो आपको उससे ऊंचे अधिकारी को जांच के लिये मुकर्रर करना चाहिये था ताकि वह उसकी नेग्लीजेएन्स पर प्रकाश बिना किसी दबाव के डालता।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोइन्ट डाइरेक्टर सारे राजस्थान का है।

श्री भानसिंह (बयाना): आपको उनसे जांच नहीं करानी चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो क्या मैं करूं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। २३६।

श्री अनोपसिंह।

पोस्ट-ग्रेजुएट डाक्टरों को अलाउन्स नहीं दिया जाना

२३६. **श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या ऐसे कोई पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, जिनको पोस्ट-ग्रेजुएट अलाउन्स नहीं दिया जाता है ? यदि हां तो ऐसे डॉक्टर कितने हैं व अलाउन्स न देने का क्या कारण है ?

(२) क्या ऐसे भी कोई उदाहरण हैं जहां किसी डॉक्टर को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से यह अलाउन्स दिया गया है ? अगर हां, तो किस आधार पर ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) फिलहाल केवल दो डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट अलाउन्स १-५-५७ से दिया गया है। बाकी किसी भी डॉक्टर को यह अलाउन्स नहीं दिया जाता है। इस प्रकार का अलाउन्स केवल १६ डॉक्टरों को देने का प्रावधान है।

(२) १८ डॉक्टरों को पोस्ट ग्रेजुएट अलाउन्स १-४-५० से अथवा स्पेशिलिटी में काम करने की तारीख से लेकर ३०-४-५७ तक दिया गया था। यह अलाउन्स पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को स्पेशेलिटी में काम करने पर प्रावधान के आधार पर दिया जाता है।

श्री अनोपसिंह : ऐसा कौनसा क्राइटेरिया है जिसके आधार पर यह अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्लॉज़ २ में जितने डॉक्टर्स हैं और जो पोस्ट-ग्रेजुएट्स हैं एवं जिनके पास डिग्रियां हैं उनको दिया जाता है और हॉस्पिटल्स में जहां पोस्ट्स मुकर्रर हैं और वहां काम करते हैं तो उनको दिया जाता है।

श्री अनोपसिंह : रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का क्या आधार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस पोस्ट पर जिस दिन से काम किया है ऐसे डॉक्टर्स को उसी दिन से मिला है। कोटा, ब्यावर, उदयपुर, भरतपुर आदि जहां स्पेशियेली काम करते हैं उनको दिया जाता है। जिस दिन से काम किया उसी दिन से अलाउन्स मिला।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टौंक जिले में चम्बल प्रोजेक्ट से बिजली देने की योजना

२४०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उणियारा) : क्या विद्युत मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) टौंक जिले के कौन कौन से कस्बों में चम्बल प्रोजेक्ट से बिजली लगाने की सरकार की योजना है ?

(२) यह योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी ?

उप–मन्त्री, विद्युत् (श्री भीखाभाई) : निवाई और टौंक।

(२) यह अनुमान किया जाता है कि यह कार्य सन् १६६१ के अन्त तक पूरा हो जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टौंक को जो बिजली दी जावेगी तो उसके खम्भे किधर से होकर लाये जावेंगे ?

श्री भीखाभाई सवाई माधोपुर।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या इन्द्रगढ़ को भी बिजली दी जावेगी ?

विद्युत् मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): अभी योजना सवाई माधोपुर से निवाई और निवाई से टौंक है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इन्द्रगढ़ से सवाई माधोपुर जावेगी क्या यह सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सवाई माधोपुर से निवाई और निवाई से टौंक।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

भरतपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों में बकाया रकमों की वसूली

२४१. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state :-

Did the audit reports of 1956, 1957 & 1958 of Bharatpur Municipal Board point out certain dues against the members ? If so, against whom, and what action has been taken by the Government to recover the same ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Yes. Against the following Members. They are 25.

1. Shri Gopal Das.
2. „ Laxmi Chand.
3. „ Banney Singh.
4. „ Shiv Charan Lal
5. „ Bhim Singh.
6. „ Suresh Kumar.
7. „ Dharam Pal.
8. „ Karan Singh.
9. „ Tulsi Ram Mittal.
10. „ Shyam Lal.
11. „ Ram Chandra.
12. „ Shyam Lal Advocate.
13. „ Laxman Singh.
14. Shrimati Shanti Devi
15. „ Yamuna Devi.
16. Shri Bhim Singh.
17. „ Mahesh Chandra.
18. „ Sunder Lal

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

19. Shri Kapoor Chand.
20. „ Sita Ram
21. „ Hari Singh.
22. „ Nand Ram.
23. „ Bhim Singh Tiwari.
24. „ Kanahiya Lal.
25. „ Chiranji Lal Poddar.

Action is being taken against them under law to recover the dues.

श्री श्रीभानसिंह : इतने आदमियों का बोर्ड है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भरतपुर का बोर्ड है।

श्री श्रीभानसिंह : आपके नीचे है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Notice was served on 10th August, 1957 to explain why action should not be taken under Section 188 of the Act and again on 12th Nov. 1959.

श्री श्रीभानसिंह : Whether these dues were pointed out by the Audit Report in 56-57 ? Then why a notice was not served earlier ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We sent a copy of the Report to the Municipal Board to take action but they did not take any action.

श्री श्रीभानसिंह : Why did not the Government or the Department take action and allowed those very persons to contest elections ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Because they were not disqualified. We can not take action.

श्री श्रीभानसिंह : Is it not under the Municipal Act that these persons will have either to clear their dues before elections or they will be debarred.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That objection could have been taken at the time of filing their nominations for election or that objection should have been raised in the petition.

श्री श्रीभानसिंह : How could an objection be taken when this report was secret ? Why did not the Department or the Government issue them a notice before contesting elections.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Objection should have been raised. There is no other way out.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Did the Government bring it to the notice of the Returning Officer that these dues are against them ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : That could amount to interference.

श्री पी० के० चौधरी : They should have brought to it to the notice...

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : ड्यूज रिकवरी के लिए क्या व्यवस्था की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : १२. ११. ५६ को नोटिस दिया है ।

श्री श्रीभानसिंह : Now when it is within the knowledge of the Government that these dues are pending, why these members are not debarred?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : We have served notice and a reply of 11 is awaited. We shall take action...

श्री श्रीभानसिंह : Is he certain that dues are on all those Members...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Under Section 188 we have issued notices and after their reply is received, action will be taken.

श्री श्रीभानसिंह : Suppose they don't give any reply ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : It will be taken that they have nothing to say and they.........

श्री श्रीभानसिंह : Does it not amount to one of the disabilities for a Member of the Municipal Board.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I don't emphasis......... Notice has been served on them.

श्री अध्यक्ष : He says he cannot take action unless he has received the replies.

श्री श्रीभानसिंह : No. So far as I remember the Municipal Act says that if a member has dues and it is within the knowledge of the Government, automatically it developes a disqualification Why not the Government say that since the dues are pending, since 1956, they are disqualified for being a Member of the Board.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Prior to its coming into force, It was. Now a notice will have to be served and after that the Government will have to pass an order.........

श्री अध्यक्ष : Next.

पंचायत समिति, रानी के लिए स्वीकृत बजट

२५२. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति, रानी, जिला पाली का बजट केवल बीस हजार रुपये का ही स्वीकृत करने के क्या कारण हैं ? जबकि पाली जिले की अन्य पंचायत समितियों के बजट अधिक धनराशि के हैं ।

उप-मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री संपतराम) : पंचायत समिति, रानी के लिए पहले जो बजट स्वीकृत किया गया था उसमें ग्रान्ट-इन-एड की रकम शामिल नहीं थी । अब कुल १,४८,२२० रुपए के बजट की स्वीकृति दे दी गई है ।

श्री शंकरलाल : पहले रकम नहीं बढ़ाने का क्या कारण था ?

श्री सम्पतराम : मिस्टेक हो गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरणदास।

भोजाकोट, थाना देवगढ़ की चौकी पर मारा जाने वाला सिपाही

२४३. **शिवचरणदास** (मांडल) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भोजाकोट, थाना देवगढ़ की चौकी पर कोई सिपाही इसी साल मारा गया था ?

(२) यदि हां, तो वह कब व कैसे मारा गया और उसका क्या नाम व नम्बर है ?

गृह-मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उपस्थित होता।

श्री शिवचरणदास : क्या चौकी पर कोई नहीं मरा ?

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : प्रश्न ही कमजोर रहता है।

(हंसी)

श्री शिवचरणदास : अध्यक्ष महोदय, मरने वाला सिपाही तिलोकसिंह और मारने वाले का नाम हीरका रावत है जिसकी तैनाती थाने पर है। वह उस दिन बिना छुट्टी गया था और उसकी हाथ की गोली से वह सिपाही मारा गया था। जवाब जो दे रहे हैं वह गलत है।

श्री रामकिशोर व्यास : जवाब दे रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। आपने पूछा कि चौकी पर कोई सिपाही मारा गया ? मैंने जवाब दिया कि नहीं मारा गया।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : चौकी के ईर्द-गिर्द मारा गया होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : ईर्द-गिर्द भी नहीं।

श्री शिवचरणदास : क्या चौकी का कोई सिपाही मर गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मर जाते हैं।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि तिलोकसिंह सिपाही मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, यह सही है।

श्री शिवचरणदास : किसके द्वारा मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : किसी के द्वारा नहीं।

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि हीरका रावत को गोली से मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : तहकीकात से यह सही नहीं मालूम होता।

श्री भैरोंसिंह : क्या पोस्टमार्टम कराया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, कराया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या कारण निकला ?

Page No.23

श्री रामकिशोर व्यास : No injury on the body and no gunshot.

श्री शिवचरणदास : क्या यह सही है कि हीरका रावत जो थाना भीम पर है उस रोज कोट गया हुआ था ?

श्री रामकिशोर व्यास : गया हुआ होगा ।

श्री शिवचरणदास : क्या वह छुट्टी पर गया हुआ था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रायसिंह नगर तहबाजारी के प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार

२४४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : स्वायत्त शासन मंत्री क्या निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या १६ अप्रेल, १६५६ की रात को ११ बजे रायसिंह नगर तहबाजारी का प्रतिनिधि मण्डल स्वायत्त शासन मन्त्री से मिलने के लिये करणपुर से रायसिंह नगर अपनी कुछ मांगों व बोर्ड के खिलाफ शिकायत लेकर आया था ?

(२) क्या यह सत्य है कि जिस समय प्रतिनिधि मण्डल मिलने आया उस समय मन्त्री महोदय के साथ उस क्षेत्र के एम० एल० ए० श्री चुन्नीलाल भी थे, जिन्होंने उन प्रतिनिधियों को गोलियां दी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इस प्रकार की शिकायत आई थी कि हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जब रायसिंह नगर गया था उस समय कुछ लोग स्टेशन पर खड़े हुये थे और नारे लगा रहे थे । रात्रि का समय था इसलिये कौन कौन लीडर थे यह मैं पहचान नहीं सका मुझसे कोई मिलने नहीं आया ।

श्री मुरलीधर व्यास : नारे क्या लगा रहे थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मुझे याद नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि आपके पधारने के बाद दूसरे दिन वहां हड़ताल हुई थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रायसिंह नगर में कोई हड़ताल नहीं हुई थी ।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे दिन मैं वहीं था और मैं कह सकता हूँ कि वहां हड़ताल हुई थी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरे दिन मैं भी वहीं था मेरे पास नारे लगाने वाले लीडर आये थे और उन्होंने मेरे से माफी मांगी थी और वे मेरे साथ दो घन्टे तक बैठे रहे ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं और निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि उस दिन हड़ताल थी, मैं भी वहां मौजूद था और मैंने शाम को ६ बजे हड़ताल खुलवाई थी ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तब तो हड़ताल कराने वाले भी वहीं मौजूद थे ?

श्री मुरलीधर व्यास : आपने पहले तो यह कहा था कि कोई बातचीत नहीं हुई और बाद में आपने कह दिया कि इस प्रकार से उन लोगों ने माफी भी मांगी।

श्री अध्यक्ष : दूसरे रोज की बात कह रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जिस रोज रायसिंह नगर गया था ट्रेन से उतरा तो स्टेशन पर लोग नारे लगा रहे थे और वे डिप्टी मिनिस्टर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उसके बाद वे लोग वहां से चले गये। दूसरे दिन मैंने इन्टेन्शली देखा सब बजार खुला हुआ था ?

श्री भैरोंसिंह : इसकी जांच की जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटपुतली मार्ग पर चलने वाली आर० जे० एल० ५६८७ नम्बर की बस

२४५. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या कोटपुतली मार्ग पर आर० जे० एल० ५९८७ नम्बर की बस चलती है ? यदि हां, तो किस नाम पर ?

(२) क्या यह सही है कि इसका मालिक एक राज्य कर्मचारी है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सत्य का भंडाफोड़ होने पर उक्त मालिक इस पर्मिट को अपनी पत्नी के नाम पर करवाने का यत्न कर रहा है ?

(४) सरकार के ध्यान में जब धोखाधड़ी आई तो सरकार ने तुरन्त उक्त बस मालिक का पर्मिट क्यों नहीं कैन्सिल किया ?

यातायात मन्त्री : (श्री नाथूराम मिर्धा)

(१) जी हां, श्री सत्यनारायण के नाम पर।

(२) प्रार्थना-पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

(३) भंडाफोड़ होने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु पर्मिट पत्नी के नाम करने की दर्ख्वास्त आई है जो विचाराधीन है।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री दयाकृष्ण विजय : पत्नी के नाम इसलिये करा रहे हैं कि श्री सत्यनारायण राज्य कर्मचारी हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : श्री सत्यनारायण कोटपुतली स्कूल में टेम्प्रेरी टीचर रहे हैं और अब उनकी नौकरी खत्म हो गई है उन्होंने उस पार्मिट को अपनी धर्मपत्नी के नाम करवाने की दर्ख्वास्त दी है उसकी जांच हो रही है कि उक्त नाम पर कर देना वाजिब है या नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : जिस समय पर्मिट दिया गया था क्या उस समय श्री सत्यनारायण राज्य कर्मचारी थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : टेम्प्रेरी टीचर थे कोटपुतली स्कूल में।

श्री दयाकृष्ण विजय : टेम्प्रेरी टीचर थे, लेकिन थे तो राज्यकर्मचारी, क्या आपके नियमों में आते नहीं क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अर्जी दी हुई होगी उस समय वे राज्य कर्मचारी नहीं थे उसके बाद उनका रुट कन्सीडरेशन में आ गया तो वे टेम्प्रेरी टीचर हो गये। लेकिन जब टेम्प्रेरी पीरियड उनका खत्म हो गया वे टीचरशिप से अलग हो गये अब भी उनके नाम का पर्मिट है लेकिन वे टीचर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है जिस समय पर्मिट के लिये उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था वह पत्नी के नाम से था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं, उनके स्वयं के नाम का था।

श्री भैरोंसिह : जब खुद ने एप्लीकेशन दी तो उनको पत्नी के नाम से पर्मिट क्यों मिला ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्मिट श्री सत्य-नारायण के नाम से है। अब उन्होंने अपने पत्नी के नाम करने की दर्ख्वास्त दी है। जिस पर विचार हो रहा है।

श्री दलपतसिंह (आबू) : कोई सरकारी नौकर है तो, उसकी पत्नी दूसरा बिजनेस नहीं कर सकती है क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिजनेस कर सकते हैं वे थोड़े महीने ही रहे थे आठ या सात महीने करीब रहे थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हाई पावर वन जांच समिति को पेश किये गये मेमोरेन्डम पर कार्यवाही

२४६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या मन्त्री, वन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बारां में हाई पॉवर वन जांच समिति ने १३ मार्च को जाकर कुछ जांच की थी ?

(२) क्या उक्त समिति से एक शिष्ट मंडल भी मिला था तथा उसने एक मेमो-रेन्डम भी दिया था ?

(३) क्या सरकार ने उक्त शिष्ट मंडल के सुझावों व आरोपों की जांच करवाई है ? यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं। कोई जांच नहीं की। जनता के प्रतिनिधियों से केवल बातचीत की थी।

(२) जी हां। स्थानीय जन संघ का एक शिष्ट मंडल मिला था और मेमोरेन्डम भी दिया था।

(३) जी हां। जांच की जा रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उस मेमोरेन्डम में क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आरोप, जैसी कि उनकी आदत है वैसे लगाया करते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप तो यह बतलाइये कि क्या-क्या आरोप लगाये गये थे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : There were some requisitions against Shri Gupta, the then Divisional Forest Officer, Bara. डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता किन्तु श्री गुप्ता के खिलाफ कुछ लिखा हुआ था।

सामूजा ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था करना

२५७. श्री अनोपसिंह (जालोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि तहसील सिवाना (जिला बाड़मेर) के सामूजा ग्राम में पीने के पानी की भयंकर कमी है ;

(२) क्या यह सही है कि डि० बोर्ड कमेटी, बाड़मेर ने एक नल योजना के लिये सुझाव को मान लिया अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की यद्यपि ग्रामवासी इस नल योजना के लिये १/३ हिस्सा योजना की लागत का देने को तैयार हैं ?

(३) क्या सरकार इस योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा कराने के लिये व्यवस्था करेगी ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) यह स्कीम एप्रूवल के बाद डी० डी० ओ० के पास भेज दी गई है।

(२) वाटर सप्लाई का सारा काम पंचायतों के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री अनोपसिंह : क्या इस प्रकार की प्रस्तावित डि० बोर्ड कमेटी ने सेंक्शन कर दी थी, वह रिकमन्डेशन आपके पास आयी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तो पैसा ही नहीं रहा, पैसा भी ट्रान्सफर कर दिया और स्कीम भी ट्रान्सफर कर दी।

कोलायत में बेची गई भूमि

२५८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या मंत्री, पंचायत विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) १-१२-५७ के बाद अब तक कोलायत में कुल कितनी भूमि किस-किस को किस-किस रेट पर बेची गई है, सूची सदन की मेज पर रखें ;

(२) जो भूमि बेची गई, उसके आस-पास की भूमि किस भाव में बिक चुकी है ?

(३) क्या यह सही है कि पास की भूमि १० रु० गज व अभी जो भूमि बिकी वह १ नया पैसा व एक आना गज में बेची गई है ?

उपमंत्री पंचायत (श्री दौलतराम सारण) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ९ आने से १५ रुपया प्रति गज तक।

(३) जी हां। १ न० पै०, ६ न० पै० वर्ग गज तक बेची गई है जब कि किसी जमीन के पास की भूमि ९ आने से १५ रुपये प्रति गज से बिकी है।

(कृपया, परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : पास की भूमि १० रुपया प्रति गज से बिकी है तो वहां की भूमि को एक नया पैसा गज से देने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : पंचायतों ने बेची है। पंचायत ऑक्शन करके बेचती है। पंचायतों ने जैसा उचित समझा वैसा किया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या पंचायतों द्वारा भूमि बेचने के कोई नियम बने हुए हैं या वे अपनी मर्जी से जैसा चाहें बेच सकती हैं?

श्री दौलतराम सारण : भूमि बिक्री के नियम बने हुए हैं उसी के अनुसार की जाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो लिस्ट दी है उसमें लक्ष्मीचन्द सरपंच कोलायत को ५०० गज जमीन बेची गई जो दो नये पैसे गज के हिसाब से मिली है जब कि पास की जमीन १० रुपया गज है।

पंचायत मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो हमने लिस्ट दी है वह पंचायतों द्वारा बेची गई जमीन की सूची है। आप जिसके लिए पूछ रहे हैं उसका उस जमीन पर पुराना कब्जा है या नहीं यह हमारे पास सूचना नहीं। इस पंचायत (कोलायत) रिपोर्ट के बारे में लिखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : जो लिस्ट आपने दी है उसमें ऐसे सरपंच भी हैं जिन्होंने अपने नाम से या अपने कुटुम्बी के नाम से जमीन अलॉट करवाली है। इस तरह से उन्होंने अपने पॉवर का मिसयूज किया है। दूसरी बात यह है कि जो जमीन उन्होंने ली है। उसके लिए न तो पंचायत की मीटिंग ही की गई न उसका फैसला ही है। जमीन पहले ले ली जाती है और नक्शा बाद में बनता है—इस प्रकार की शिकायत आपके पास भी भेजी है इसलिए सरकार ने जो जवाब दिया है वह कहां तक ठीक है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो जवाब दिया गया है वह बिलकुल ठीक है। लेकिन आप जिस पंचायत के सरपंच के लिए कह रहे हैं अब तो वहां नई पंचायत बन चुकी है फिर भी हमने उनसे रिपोर्ट मांगी है कि क्या उनका उस पर पुराना कब्जा था। उनकी रिपोर्ट आ जाने पर अगर किसी ने गलत तरीके से जमीन ली होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : पुराना कब्जा न है, न था। जब वे सरपंच बने तब तो जमीन ली और लेने के साथ ही साथ सब परिवार के लोगों ने भी ले ली। इसकी शिकायत भी लोगों ने की। इसके बाद में आपने क्या जांच की?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत मेरे पास नहीं आई।

श्री मुरलीधर व्यास : शिकायत की नकल मेरे पास है। आपको शिकायत भेजी गई। आप कहते हैं नहीं की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शिकायत पर क्या कार्यवाही... यह तो अलग से पूछते तो मैं जवाब दे देता पर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी, कम्पलीट दे दी है। बाकी रहा सवाल एन्क्वायरी का; वह कर रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने एन्क्वायरी कराई तो क्या यह वाकया ठीक हुआ है? अगर ऐसा हुआ है तो?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह आपका प्रिजम्पटिव सवाल है। जांच से पहले हम कुछ नहीं कह सकते कि गलत है या सही है, क्या है। आखिर जांच करके जैसा होगा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस तरीके की जमीन ली गई और वह जमीन का अलॉटमेन्ट भी पांचवें महीने का है और नक्शा ११ वें महीने में बना। फिर नक्शा बनाने से पहले जमीन कैसे ले ली?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

भारत सेवक समाज को लघु सिंचाई योजनाओं के निमित्त प्रदत्त धनराशि का ऑडिट

२४९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** : [(जौहरी बाजार जयपुर) श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सन् १९५८-५९ में भारत सेवक समाज को लघु सिंचाई योजनाओं के निमित्त कितनी धनराशि सरकार द्वारा प्रदत्त की गई?

(२) क्या उक्त संस्था के सम्बन्धित हिसाब-किताब का ऑडिट हो गया है? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) सन् १९५८-५९ में और कितनी धनराशि किस-किस मद में इस संस्था को दी गई? उसके हिसाब-किताब के ऑडिट की रिपोर्ट भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भीखाभाई) : (१) सन् १९५८-५९ में भारत सेवक समाज को लघु सिंचाई योजनाओं के निमित्त कोई धनराशि नहीं दी गई।

(२) इस विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(३) सन् १९५८-५९ में इस संस्था को सिंचाई विभाग से किसी भी मद में कोई धनराशि नहीं दी गई। इस संस्था के हिसाब की ऑडिट रिपोर्ट की इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

टौंक शहर में पानी के नल लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि एवं इस कार्य में प्रगति

२५०. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि टौंक शहर में पानी के नल लगाने की स्वीकृति दे दी गई थी? यदि हां, तो वह कब, और उसके लिये कितनी धनराशि स्वीकृति की गई थी?

(२) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसमें कितनी धनराशि खर्च हुई?

स्वायत्त शासन मन्त्री, (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, सन् १६५५ में अनुमानिक धनराशि १४,७७,०००) रू० ।

(२) बिजली के अलावा करीब-करीब सम्पूर्ण है। अब तक व्यय १३,०२,६५४) हो चुका है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने जब सभी काम करीब-करीब खत्म कर लिये और इतना अर्सा इसको हो गया तो कब तक सम्पूर्ण हो जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिजली का काम है। हमारा तो सब सम्पूर्ण हो चुका ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बिजली क्या जयपुर से जावेगी या चम्बल से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जयपुर से जाने का सवाल तो नहीं है। स्पेशल सैंक्शन हो गई है। बिजली वहां के पावर हाउस से दी जावेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक बिजली नहीं थी। दो इन्जिन इस काम से लगाये हैं। इसका काम पूरा हो जाने पर बिजली दे दी जावेगी ।

जैतारण के भूतपूर्व पुलिस थानेदार, श्री फतेहसिंह के विरुद्ध कार्यवाही

२२१. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:

क्या जैतारण, जिला पाली के भूतपूर्व पुलिस थानेदार, श्री फतेहसिंह के विरुद्ध गांव निम्बोल के श्री लूणकरण की उस शिकायत पर, कि उक्त थानेदार ने उसके बिना वजह हथकड़ी लगाकर ४००) रुपये एंठ लिये, जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जी हां। श्री फतेसिंह, सब-इन्सपेक्टर मुअत्तिल है और उसके विरुद्ध विभागीय जांच इस आरोप में हो रही है कि उसने श्री लूणकरण को अनुचित रोका और फिर उससे ५००) घूस लेकर छोड़ा ।

श्री शंकरलाल : यह जांच कब से और कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : एस० पी० पाली ।

श्री शंकरलाल : क्या वह सब-इन्सपेक्टर इस मामले में सस्पेन्ड किया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

जवाहर अस्पताल, जैसलमेर के स्टाफ व मोदियों के बिलों का पेमेन्ट समय पर न होना

२२४. **श्री हुक्मसिंह** (जैसलमेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जवाहर अस्पताल, जैसलमेर के स्टाफ व सामान देने वाले मोदियों के बिलों का पेमेन्ट समय पर नही होता है ? यदि हां, तो क्यों ?—

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : स्टाफ को समय पर वेतन न मिलने का कारण यह है कि जैसलमेर के मैडिकल ऑफिसर को सीधी रकम उठाने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

जैसलमेर के अस्पताल के मोदी श्री तुलसीदास के बिलों का भुगतान समय पर ही होता है। मई, जून व जुलाई १९५९ के गलत पेश किये गये बिल वापस लौटा दिये गये थे जिनको दुरुस्त करके आने पर अविलम्ब ही भुगतान कर दिया जावेगा।

झुंझनू नगर में आबादी भीतर स्थित कब्रिस्तानों को हटाया जाना

२३४. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मन्त्री स्वायत्त शासन निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झुंझनू नगर में आबादी के भीतर स्थित कब्रिस्तानों को हटाये जाने के लिये झुंझनू नगरपालिका ने अगस्त, सन् १९५४ में तथा उसके पश्चात् भी प्रस्ताव पास कर सरकार के पास भेजे थे ? यदि हां, तो कितने कब्रिस्तानों के बाबत ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त कब्रस्तानों का डिस्ट्रिक्ट मैडिकल एण्ड हैल्थ ऑफीसर झुंझनू ने दिनांक २३-५-५९ को मौका देखकर जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक बताते हुए, हटाये जाने की सिफारिश की थी ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर ने इन कब्रिस्तानों का मौका देखकर हटाये जाने व नगर से कुछ दूरी पर खसरा नम्बर ५ और ३ में ६ बीघा जमीन को कब्रिस्तानों के प्रयोग के लिये सिफारिश की है ? यदि हां तो सरकार उस सिफारिश पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां, पांच कब्रिस्तानों के लिये।

(२) जी हां।

(३) जी हां। खसरा नम्बर ५४३ में। यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं। आखिर में आपने क्या फरमाया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : यह कब से विचाराधीन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास तो अभी आया २८—४—५९ को।

श्री भैरोंसिंह : उस पर अब तक निर्णय क्यों नहीं ले सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डेलीकेट मामला था। हमने पार्टीज को बुलाने के लिये कहा है। लोगों के ऑब्जेक्शन आये। और मामला बहुत डेलीकेट समझा इसलिये हम इसको कम्प्रोमाइज से हल करना चाहते हैं। और पार्टियों को बुलाया है।

श्री भैरोंसिंह : बुलाने के लिये उनको नोटिस जारी किये या कलक्टर को लिखा पार्टियों को बुलाने के लिये ?

Page No.31

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तारीख लगा रक्खी है ११—१२—५९ । फाइल पर लगा रक्खी है।

श्री भैरोंसिंह : उस दिन पार्टियां आवेंगी या क्या होगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सुनवाई की तारीख ११—१२—५९ है।

श्री भैरोंसिंह : वे लोग इस दिन हाजिर होंगे क्या ? नोटिस सर्व किया गया या क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिटेल मेरे पास है नहीं। डिटेल तो दफ्तर में है। डिप्टी मिनिस्टर साहब डील कर रहे हैं इसको। डिटेल मेरे पास है नहीं। ११—१२—५९ इस पर लगी है, और बुलाया है उनको।

श्री भानसिंह (बयाना) : डिप्टी मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं इसलिये जानकारी सदन में नहीं दी जा सकती, यह कैसे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जानकारी मुझे नहीं है। सदन के सामने नहीं देने का सवाल नहीं है। सदन चाहे तो सदन के सामने तो फाइल रख दूंगा सारी।

श्री भानसिंह : आप डिप्टी मिनिस्टर साहब को कहें कि जवाब दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं दे रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं नहीं वहां के मैडिकल ऑफीसर, कलक्टर ने स्वास्थ्य की दृष्टि से हटाने की सिफारिश की है तो उसी हैल्थ के पोइन्ट ऑफ व्यू से जल्दी से जल्दी आदेश जारी करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा, सारी बातें जेर तजवीज हैं। उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आपको सूचना मिल गई होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : जवाब इस प्रकार है कि इसका सम्बन्ध सरकार से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने कल भी निवेदन किया कि अगर आपको इस सम्बन्ध में कुछ कहना है तो आप मुझ से मेरे चेम्बर में मिलें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। किस मुद्दे को लेकर जवाब दिया जाता है कि सरकार से सम्बन्ध नहीं है। सरकार से सम्बन्ध होता है तभी तो........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैंने निर्णय दिया है। आप उसे मानें। प्राइवेट पेपर में हड़ताल चल रही है, इसका सरकार से क्या सम्बन्ध है ? फिर भी यहां पर बहस उस सम्बन्ध में नहीं होगी। मेरे रूलिंग पर आपको कुछ कहना है तो चेम्बर में मुझ से कह सकते हैं। सदन में बिना नोटिस दिये, बिना मेरी अनुमति लिये प्रश्न न उठाएं इस सम्बन्ध में।

Page No.32

श्री मुरलीधर व्यास : तीन दिन पहले नोटिस दिया जाता है ...

श्री अध्यक्ष : मैं जो कहता हूँ, आप सब समझ गये होंगे। किसी चीज पर रूलिंग देने के बाद आप मेरे चेम्बर में मिल कर स्पष्टीकरण करा सकते हैं अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो। परन्तु बिना मेरे को पूछे हर रोज स्थगन प्रस्ताव के बारे में यहां कहते रहना उचित नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं यह तो मानता हूँ। परन्तु यह तो इतना स्पष्ट है कि इसके अन्दर सरकार कानूनी तरीके से जिम्मेदार है। सरकार कैसे कह सकती है कि इससे उसका सम्बन्ध नहीं जब कि वेजेज एक्ट ....

श्री अध्यक्ष : वह तो फिर बहस की गई न। मैंने कहा कि आप मेरे रूलिंग को चैलेन्ज करके फिर बहस करने लग गये। जो मैंने कहा उसको आपने स्वीकार नहीं किया। मैंने इसमें इत्तला दे दी है कि सरकार का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हैं चूंकि हड़ताल हो रही है एक जगह जो प्राइवेट है।

श्री मुरलीधर व्यास :इसी के लिए....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आप सदन में न करें। सदन का समय व्यर्थ न लें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं मानता हूँ ...

श्री अध्यक्ष : आप मानते हैं फिर आप कहना क्यों नहीं मानते ?

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह मान लेता हूँ। पर इसका जब इस प्रकार से संबंध है सरकार से तो इसको यहा कहा जाता है ...

श्री अध्यक्ष : फिर भी आप यहां पर बहस नहीं उठा सकते। आप अगर नहीं मानते तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है इसके लिये। मैं आपसे कह चुका। अपनी व्यवस्था दे चुका।

श्री मुरलीधर व्यास :महीने से पेमेन्ट नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठ जावें।

श्री मुरलीधर व्यास : यह सरकारी कृपा पात्र पत्र है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। आप हमेशा हर रोज इसी तरह से झगड़ा करते है। मैं हर हालत से निवेदन कर चुका हूँ कि आप मेरी व्यवस्था पर आपत्ति न उठावें। आपको अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिये तो मुझसे चेम्बर में मिल लें। मैं आपको सन्तोष कराने की कोशिश करूंगा। यहां आपको मेरी व्यवस्था माननी पड़ेगी। आप अगर व्यवस्था पर गौर नहीं करेंगे तो सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी व्यवस्था को मैंने इन्कार थोड़े ही किया है।

श्री अध्यक्ष : यही तो कर रहे हैं। आप मुझसे जवाब तलब कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैंने जो व्यवस्था दी है उसके बाद में कोई लाभ नहीं है कि सदन का समय लेकर यहां इस प्रकार के प्रश्न उठायें। मेरा आपसे यही निवेदन है।

Page No.33

१२.१० म. प.

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खंडश : विचार-विमर्श)

धारा ३० आई

श्री अध्यक्ष : सेक्शन ३० आई पर बहस हो रही थी। इस क्लॉज को याने यों कहिये कि सैकिण्ड रीडिंग जो इस बिल की है उसे आज समाप्त करना है। और ३० आई पर जो और काफी संशोधन बाकी हैं उसके बाद में दूसरे क्लॉजेज पर विचार होगा और इस बिल का तृतीय वाचन भी आज शुरू किया जायेगा। इसलिये सदन की अनुमति हो तो ३० आई पर बहस आज २॥ बजे समाप्त कर दी जाये।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : फिर इसके बाद दो डेफर्ड क्लॉज भी तो हैं।

श्री अध्यक्ष : उनको भी आज ही ले लें। जो माननीय सदस्य अमेन्डमेंट रखेंगे वे रख देंगे और २॥ बजे तक इस ३० आई पर बहस समाप्त कर मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। और जो डेफर्ड क्लॉज हैं उनका भी उत्तर दे देंगे और उसके बाद में दूसरे क्लॉजेज को डिस्पोज ऑफ करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : डेफर्ड क्लॉजेज में कुछ संशोधन सर्कुलेट हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जब जवाब दें उस समय आप उनको प्रस्तुत कर दें।

श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I don't want to continue, Sir. Other Hon'ble Members may be asked to speak.

श्री अध्यक्ष : Thank you. Shri P.K. Chaudhary.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे तीन-चार अमेन्डमेन्ट्स हैं। आइटम नम्बर २६ का जो अमेन्डमेंट है उसमें एक तो यह है कि ३० आई (डी) में 'हार्स ब्रीडिंग' को डिलीट कर दिया जाय। [In clause (d), delete the words "horse breeding"] दूसरा अमेन्डमेंट ३० आई (ई) में 'मेकेनाइज्ड' शब्द 'मेनेज्ड' एण्ड 'फार्म्स' के बीच में जोड़ने का है। [In clause (e), insert the word "mechanised" between the words "managed" and farms.] और तीसरा है : (1) In the first proviso, replace the word and figures May, 1959 by the word and figures "January, 1957' and

(2) at the end of the 'explanation' add the words "and doing intensive cultivation."

चौथा अमेन्डमेंट इस तरह है : Delete sub-section (2) of section 30-I.

अध्यक्ष महोदय, हमने सीलिंग इम्पोज किया है और सदन ने एक इन्डीविजुअल का अपर लिमिट का लैण्ड होल्डिंग क्या होना चाहिये इसको भी तय किया है। और किन्हीं उसूलों के आधार पर हमने इसको तय किया है कि हम अपर लिमिट कितनी रखना चाहते हैं। तो इसके बाद में स्वाभाविक ही यह सवाल पैदा होता है कि जब एक दफा अपर लिमिट, मैग्जीमम होल्डिंग एक इन्डीविजुअल की क्या होनी चाहिये, यह तय कर ली

(श्री पी० के० चौधरी)

और यह तय कर लिया कि इससे ज्यादा होल्डिंग नहीं रहनी चाहिये तो फिर यह सवाल क्यों पैदा होता है कि उसके ऊपर हम एग्जम्पशन्स भी रखें। यह स्वाभाविक ही अपने दिमाग में बात आती है और सब यह पूछ सकते हैं कि अपर लिमिट जब हम तय कर देते हैं और सदन को वह मान्य हो जाती है तो फिर उसके बाद में एग्जम्पशन्स का सवाल क्यों रखना चाहते हैं। यह सवाल इसीलिये ही उठता है कि हमारी फर्स्ट प्लान में भी जो हमारी लैण्ड पॉलिसी है उसमें सोशियल आस्पेक्ट का जरूर डिस्ट्रिब्यूशन रखा है। लेकिन साथ ही साथ हमने हाइएस्ट प्रायोरिटी इन्क्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर दी थी और वही आर्ग्यूमेंट हमने हमारे सेकिण्ड प्लान में भी एक्सेप्ट किया है कि इन्क्रीज्ड सोशियल जस्टिस के साथ-साथ हमारी लैण्ड पॉलिसी में इन्क्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो, उसका दृष्टिकोण हमारे सामने रहेगा।

दूसरी बात, जो हम सीलिंग तय कर रहे हैं तो सिर्फ सैकिन्ड प्लान ही नहीं बल्कि थर्ड प्लान का भी नकशा हमारे सामने है कि थर्ड प्लान में भी हम हिन्दुस्तान का क्या नकशा चाहते हैं। और जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार कहा है कि हम हैवी इन्डस्ट्रीज के ऊपर ज्यादा जोर देंगे; जो हमारा इन्डस्ट्रियल सेक्टर है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देंगे। एक मानी हुई बात है कि इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टीविटी की इन्क्रीज के सिवाय हो नहीं सकता है। Increased industrial development depends upon increased agricultural productivity. वह इसलिए है कि इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट जो है वह सामने रखते हैं एग्रीकल्चरल डवेलपमेंट के साथ क्योंकि इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट बगैर मैटीरियल के नहीं हो सकता है। इन्डस्ट्रियल डवेलपमेंट के साथ-साथ जो हमारी इकोनोमिक इन्कम बढ़ती है और बढ़ने के साथ-साथ लिविंग स्टेन्डर्ड बढ़ता है और जो कन्ज्यूमर्स गुड्स चाहते हैं उसका भी प्रोडक्शन बढ़ता है। इसीलिए हमारे सामने सवाल आता है कि जब लैण्ड पॉलिसी तय करते हैं, जब अपर लिमिट ऑफ दी होल्डिंग तय कर देते हैं तो उसके बाद में भी उसका असर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टीविटी के ऊपर कम पड़ता है। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आ जावे इसके ऊपर ख्याल रखते हैं और यही वजह है कि जिसकी वजह से हम एग्जम्पशन का प्रोविजन रख लेते हैं। अब एग्जम्पशन का जो प्रोविजन रखा है उसके लिए मैं सहमत हूँ और इसीलिए ही सहमत हूँ कि एग्जम्पशन नहीं रखने से हो सकता है और मानी हुई बात है कि कुछ सरकमस्टा-सेज में हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ सकता है और इसलिए ही उसका माना है। अब एग्जम्पशन का क्या क्राइटेरिया होना चाहिये। इसके लिए सेकिण्ड प्लान में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि उनको सामने रखते हुए हम क्राइटेरिया तय करेंगे और वह क्राइटेरिया कहां-कहां देना चाहिये और साथ ही साथ यह भी तय कर दें कि इस केटेगरी में एग्जम्पशन देना चाहिये। एग्जम्पशन देने का एक क्राइटेरिया तो यह है कि जहां इन्टीग्रेटेड नेचर ऑफ प्रोडक्शन है वहां एग्जम्पशन दे सकते हैं। इन्टीग्रेटेड नेचर ऑफ प्रोडक्शन यह होता है कि जहां इन्ड-

(श्री पी० के० चौधरी)

स्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एक कम्पोजिट नेचर का हो, एक दूसरे यूनिट के ऊपर डिपेन्ड करता हो। जैसे कि मिसाल के तौर पर शुगर फैक्ट्री फण्ड जो है वह इन्टीग्रेटेड में आता है। इसमें डेयरी वगैरह आ सकती है या वूल, ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग होती है वह आ सकती है स्पेशेलाइज्ड करेक्टर में। थर्ड केटेगरी में वह आती है जिनको एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म्स कहा गया है। अगर हम फार्म्स के टुकड़े कर देते हैं तो उनकी प्रोडक्टीविटी के ऊपर असर होता है, उसका प्रोडक्शन गिर जाता है। इन तीनों फैक्ट्स को सामने रखते हुए हमको केटेगरी ड्रा करनी चाहिये फार्म्स की। कोई इन्डीविजुअल या व्यक्ति के ऊपर नहीं। इस तरह केटेगरी ऑफ फार्म्स हैं जिनको हम एग्जम्पशन्स दे सकते हैं। तो यह जो सेक्शन ३० आई है उसका जो सब-सेक्शन बना है उसमें जरूर इस बात की कोशिश की गई है— फार्म्स की केटेगरी तय करने की, कि किन-किन केटेगरी के फार्म्स को एग्जम्पशन देना चाहिये.... और उसमें मैं more or less एग्रीएब्ल हूँ। सिर्फ मैंने जो एक अमेंडमेंट रखा है एफिशियन्टली मेनेज्ड फार्म्स के लिए, मेकेनाइज्ड फार्म के लिये उसके सिवाय मैं समझता हूँ वह ठीक है। लेकिन जहां तक सब-क्लॉज (२) है, जिसको मैंने डिलीट करने को दिया है उसकी तरफ, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

यह सब-क्लॉज (२) जो है इसको मंजूर करते हैं तो इसका मतलब यह हो जाता है कि यह सारा सीलिंग बिल हमने जो पेश किया है वह नल एण्ड वायड हो जाता है। सब-क्लॉज़ (२) में लिया गया है : "(2) The State Government may, by notification in the official Gazette, exempt from the operation of Section 30 E......."

३० ई का मतलब होता है—taking over of the land by Government ३० ई है :

"......any person, land or holding or class of persons, lands or holdings if it considers such exemption to be necessary in view of the integrated or specialised character of operations or where industrial and agricultural operations are undertaken as a composite enterprise or on other reasonable grounds."

यानी सारे सीलिंग बिल को नलीफाइड करने के लिये, नल एण्ड वायड करने के लिये सब-क्लॉज़ (२) काफी है। जहां तक प्लानिंग कमीशन का सवाल है, उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने ३ फेक्टर्स दिये थे, "(1) Integrated nature of operations, especially where industrial and agricultural work are undertaken as a composite enterprise, (2) specialised character of operations, and (3) efficiently managed farms which fulfil certain conditions......"

जो एक दूसरे पर डिपेन्ड करते हों उन इण्डस्ट्रियल फार्म्स की केटेगरी बना दें। शुगर केन के फार्म्स हैं या इस तरह के और फार्म्स हैं उनको केटेगराइज्ड कर लेना चाहिये। लेकिन कहीं भी प्लानिंग कमीशन या किसी की भी सिफारिश नहीं थी कि इन्डिविजुअल पर्सन्स और पीस ऑफ लैण्ड का एग्जम्पशन

(श्री पी० के० चौधरी)

एक्जीक्यूटिव पर छोड़ दें जो मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को एग्जेमप्शन दे दें किसी पीस ऑफ लैण्ड को एग्जेम्प्शन दे दें, किसी पर्टिक्युलर होल्डिंग को दे दें या क्लास ऑफ परसन्स को दे दें। क्लास ऑफ परसन्स को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है जब कि हम सिर्फ एग्जेम्प्शन की बात इसीलिये सोचते हैं कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी पर उसका असर नहीं पड़े। उसका खयाल रखकर यह सोचते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह सब-क्लॉज़ (२), जिसके डिलीशन के लिये मैंने रखा है, इस सब-क्लॉज (२) को पास कर देंगे तो इसका मतलब तो यह रहेगा कि इसको पास करना और सारे सीलिंग बिल को नलीफाइड करार देना दोनों एक ही बात होती है। हम एक वाइड डिस्क्रीशन एग्जीक्यूटिव के हाथ में देते हैं जिसके ज़रिये without drawing reason they can allow exemptions to any person. They can allow exemption for any land, to any holding. यह सारा डिस्क्रीशन उनको देते हैं और आगे उसमें रखते हैं कि 'Other reasonable grounds', अब रीजनेबल ग्राउन्ड्स क्या हो सकते हैं ? वह मन्त्री महोदय ही बता सकते हैं कि अदर रीज़नेबल ग्राउन्ड्स क्या हो सकते हैं। What are these reasonable grounds ?

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय यह है कि सब-क्लॉज (२) की जो लैंग्वेज है, except the phrase 'other reasonable grounds' वह प्लानिंग कमीशन ने जो मेन फेक्टर्स जिनके बेसिस पर सीलिंग में एग्जेम्प्शन तय करना चाहिये उसी लैंग्वेज का फार्मुलेशन और कॉम्प्यूटेशन करके क्लॉज २ में जोड़ दिया गया है। सैकिण्ड प्लान के पेज १९६ पर आप देखेंगे तो सारे ग्राउन्ड्स सैकिन्ड फाइव इअर प्लान में दिये हुये हैं under the heading 'Exemptions from the ceiling' the factors which should be taken into consideration for deciding exemptions. उसके बाद में उन फेक्टर्स के बेसिस पर किस-किस केटेगरी के फार्म्स को एग्जेम्प्शन देना चाहिये उसके ऊपर लिस्ट दी हुई है। किस-किस केटेगरी को देना चाहिये वह more or less सब-क्लॉज (१) में आ गया है और जो प्रिन्सिपल्स, फैक्टर्स जिनके बेसिस पर केटेगरी बननी चाहिये वे सब क्लॉज (२) में हैं। लेकिन उसके साथ-साथ उन्होंने एनी पर्सन, लैण्ड आदि की सारी बातें जोड़ दी हैं। और मैं समझता हूँ ... सब-क्लॉज (१) में केटेगरी ऑफ फार्म्स तय कर दें What categories of farms should be given exemptions इस बात को तय करने के बाद सब-क्लॉज (२) में सिर्फ एग्जीक्यूटिव को वाइड डिस्क्रीशन दें कि अपने मनमाने ढंग से चाहे किसी को खुश करना हो, चाहे किसी को ऑब्लाइज करना हो, और ऑब्लाइज करने के लिये अपने डिस्क्रीशन को मिसयूज कर लें, इस तरह का वाइड डिस्क्रीशन देते हैं कि they can give exemption to any person on any reasonable ground...... तो यही करना चाहिये था कि सीलिंग बिल ही को पास नहीं करके दो लाइन का कानून पास करना चाहिये था कि the executive may impose ceiling on any person whom they like and they may exempt any person they like......

यह कानून पास करके लिमिट आदि सब का सवाल एग्ज़ीक्टिव के हाथ में छोड़ देते

(श्री पी० के० चौधरी)

तो ज्यादा अच्छा था। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि माननीय मन्त्री महोदय मैकिंग्ड प्लान को खोलकर पढ़ लें कि जिन फैक्टर्स के बेसिस पर फार्म्स की केटेगरीज़ बनानी है उनको नम्बर (२) में डाला है और जो केटेगरीज़ बनाई हैं उसको सब-क्लॉज (१) में डाला है। जब कि क्लॉज (१) में केटेगरी तय कर ली है जिन प्रिन्सिपल्स के बेसिस पर उन्हीं प्रिन्सिपल्स का नाम देकर 'एनी पर्सन, लैण्ड, होल्डिंग' का घुसेड़ना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं है। It will be giving very wide powers to the xecutive

मेरा यह निवेदन है कि यह सब-क्लॉज (२) को डिलीट कर दिया जाय नहीं तो उसका मिसयूज़ होने का, एब्यूज़ होने की काफी गुन्जायश है। बस इतना ही मेरा उसमें कहना है।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ३ के सब-सेक्शन ३० आई पर मेरा एक अमेंडमेंट है जो इस प्रकार है : Add the following new clause after clause (e):—

"(f) the land in possession of or tobe possessed in future by a Gaushala managed by a public body for public good."

अध्यक्ष महोदय, आज हम एक तरफ तो यह नारा लगाते है कि देश की उन्नति में गौशालाएं सबसे ज्यादा भाग ले रही है, और हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने २ तारीख को गौशालाओं को पुरस्कार वितरित करते हुए घोषणा की है कि राष्ट्र के निर्माण में गौशालाएं सबसे बड़ा कदम उठा रही है! जब हम एक तरफ इस प्रकार की घोषणा करते हैं और दूसरी तरफ जब सीलिंग का बिल बनाते हैं और उसके अन्दर इस प्रकार का किसी जगह हम एग्जेम्पशन नहीं रखते हैं गौशालाओं के लिए। गौशालाओं की अगर आपको फीगर्स दी जाय, अध्यक्ष महोदय, तो कई ऐसी गौशालाएं हैं जिनके पास चार चार हजार बीघा जमीन है, और हम सीलिंग बिल को जिस रूप में ले रहे हैं अगर इसी रूप में यह पास हो जाता है तो मुझे यह शंका रहती है, अध्यक्ष महोदय, कि गौशालाओं के लिए भूमि कतई नहीं रहेगी, और जब भूमि नहीं रहेगी तो यह सम्भव नहीं है कि गौशालाएं जिनमें हजारों की तादाद में गायें पनप रही हैं वे चल सकें। उनके चलाने में कमी आ जाय। उस कमी का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। उस परिणाम के साथ साथ उसका परिणाम इन गौशालाओं पर यह होगा कि उनमें अच्छी नस्ल के सांड रहते हैं, बैल रहते हैं जिनके जरिये हम को खेती करने को बैल भी उपलब्ध होते हैं। एक तरफ काश्त में उपज पैदा करने के सिलसिले में हम औजार दे रहे हैं और दूसरी तरफ काश्त के जितने साधन हैं, जो काश्त करने के लिए साधन होने चाहिए उनको हम सुरक्षित नहीं रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज सिरोही की गौशाला को देखें तो उसके पास ४२४० बीघा जमीन है, जैसलमेर में ४२८० बीघा, सुजानगढ़ में २५०० बीघा, बीकानेर की गौशाला को ३५६२ बीघा, सीकर की गौशाला के पास ५०० बीघा, रामगढ़ की गौशाला के पास २००० बीघा, नाडोल के पास ५०० बीघा, सूरतगढ़ के पास ८७० बीघा, बस्सी के पास २१०० बीघा,

(श्री लक्ष्मीचन्द)

नवलगढ़ के पास १५०० बीघा, उदयपुरवाटी के पास २००० बीघा जमीन है यानी हमारी गौशालाओं के पास इतनी-इतनी जमीन है जब हम उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो मुझे संभावना नहीं है कि उन गायों के चरने के लिए इस प्रकार से जमीन सुरक्षित रख सकेंगे। एक तरफ तो मेकेनाइज्ड फार्म या एस्टेब्लिशड फार्म को एग्जम्पट करने जा रहे हैं, घोड़ों और भेड़ों के लिए हम भूमि छोड़ने जा रहे हैं, केटल-ब्रीडिंग फार्म्स के लिए हम भूमि छोड़ने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम गौशालाओं के लिए भूमि नहीं छोड़ें यह न्यायसंगत बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज देश के अन्दर हम गायों को माता की तरह पूजते हैं और उनकी रक्षा, सुरक्षा और सुप्रबन्ध के लिये हम गौशालाओं का प्रबन्ध करते रहे। आज जो हमारे यहां गौशालाएं हैं उनके पास इतनी जमीन है कि यदि आपने एग्जेम्पशन का प्रोविजन नहीं रखा तो मुझे शंका है कि उनके पास भूमि नहीं रहेगी और भूमि नहीं रहेगी तो जो गायें वहां रहती हैं उनकी व्यवस्था ठीक तरह से नहीं हो सकेगी। आज हमारे गौशालाओं के पास इतना चारा नहीं है कि वे अपनी गायों को खिला सकें और न उनके पास इतना फंड ही है जिससे चारा खरीद सकें। इसलिये गौशालाओं के पास जो भूमि है उसको उनके पास सुरक्षित नहीं रखा तो मुझे भय है कि गायों का देश में रहना मुश्किल हो जायेगा। गायों का हमारे यहां बड़ा महत्व है इसलिये गौशालाओं को एग्जेम्पशन देना चाहिये और मुख्य मन्त्रीजी के भाषण की कद्र करनी चाहिये जो उन्होंने पब्लिक प्लेटफार्म पर पुरस्कार वितरण करते समय दिया था और कहा था कि गायों का देश के निर्माण के लिये बड़ा हिस्सा समझते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि राजस्व मंत्री जी को मुख्य मन्त्रीजी के भाषण की कद्र करनी चाहिये और इस तरह से गौशालाओं को एग्जेम्पशन मिलना चाहिये।

इसी प्रकार से जो वैल एस्टैब्लिशड फार्म्स हैं उनको भी एग्जम्पशन देना चाहिये। कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के फिगर्स बताये और कहा कि हमारे फार्म्स घाटे में चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि कौन से फार्म्स घाटे में चल रहे हैं। सरकार के पज़ेशन में जो फार्म्स हैं वे घाटे से भले ही चलते हों। लेकिन प्राइवेट लोगों के जो फार्म्स हैं वे घाटे में नहीं होंगे बल्कि वे अच्छी तरह से चल रहे होंगे। यदि उनको एग्जेम्पशन नहीं दिया गया तो मैं स्पष्ट कहता हूँ कि लाखों मन की तादाद में जो धान आता है वह इन्हीं फार्म्स के जरिये से आता है। यदि इन्डिविज्युअल फार्म्स से जमीन ले ली गई तो जो लाखों मन अनाज पैदा होता है वह मुश्किल से ही पैदा होगा। वैल एस्टब्लिशड फार्म्स प्रोडक्शन बढ़ाते है इसलिये उनको एग्जेम्पशन देना चाहिये। आपने जिस प्रकार की नीति बनाई है कि सोसाइटीज को देंगे तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ये सोसाइटीज कितने समय में जाकर सक्सेफुल होंगी इसका अन्दाजा नहीं है इसलिये वैल एस्टेब्लिशड फार्म्स को को एग्जेम्पशन नहीं दिया तो प्रोडक्शन में काफी नुकसान होगा। अच्छे खेत में एक काश्तकार कई मन उपज करता है और साधारण खेत में एक काश्तकार उसके मुकाबले में बहुत कम उपज करता है। कहावत भी है :

(श्री लक्ष्मीचन्द)

ऊंचा खेत ओछला मांय बालू रेत
मण वावै मण नीपजे वे खलड़भजारा खेत।

जब मन अनाज बोने पर एक मन की ही उपज होती है तो उसको वेल एस्टेब्लिशड नहीं कहा जा सकता। इसलिये जो वेल एस्टब्लिशड खेत हैं उनको एग्जेम्पशन देकर चलाना चाहिये। जिन लोगों को आप जमीन दे रहे हैं वे इतना अनाज उपजा सकते हैं या नहीं इसका पता लगाने के बाद भी आप उनको एग्जेम्पशन नहीं देते हैं तो खाद्य की प्रोब्लम हमारे सामने खड़ी हो जायेगी। इन शब्दों के साथ में एग्जेम्पशन के प्रोविजन का समर्थन करता हूँ। और मैंने जो छोटा सा सुझाव गौशालाओं के लिये दिया है उसके बारे में निवेदन करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य उसे अच्छा मान कर स्वीकार करें और माननीय राजस्व मन्त्री जी को उसे स्वीकार करने की प्रेरणा दें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन जो है वह मेकेनाइज्ड फार्म्स जो हैं उनके लिए जो छूट रखी है वह छूट व्यक्तिगत रूप में नहीं होनी चाहिये और मिकेनाइज्ड फार्म्स हो तो सहकारी समितियों के होने चाहिये ऐसा मेरा संशोधन है।

श्री होतीलाल (भरतपुर) I think there is no exemption for mechanised farms in the Bill.

श्री अध्यक्ष : संशोधन है Delet clauses (a),(b) add (d).

श्री होतीलाल : That is not the 'mechanised farm'. That is 'efficiently managed farm'. They are different things.

श्री मुरलीधर व्यास : एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म्स रखते हैं तो मैकेनाइज्ड भी उसमें आ सकते हैं, इस बात को कह कर सारी बात को अलग टाल देना चाहते हैं।

श्री होतीलाल : अध्यक्ष महोदय, I think, I am not clear to the Hon'ble Member. An efficiently managed farm may be a non-mechanised farm also. So efficiently managed farm does not include only mechanised farm. It may be a non-mechanised farm also.

श्री मुरलीधर व्यास : एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म्स हैं वे भी अगर व्यक्तिगत रूप में रहते हैं तो मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षपाती हूं कि इस प्रकार के फार्म्स कोऑपरेटिव बेसिस पर होने चाहिये। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर हमने जो सबसे बड़ा उद्देश्य लिया था कि हम इस सीलिंग बिल के द्वारा अधिक से अधिक भूमि निकालकर भूमिहीनों को दे सकें, और उसमें हमने जो नाना प्रकार की बातें रखीं और उसमें कई ऐसे आधार निकाल रहे हैं कि जिससे जमीन नहीं निकल सके। यदि हम एफिशियेन्टली मैनेज्ड को छूट देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रयत्न होगा कि जितनी जमीन निकलनी चाहिये उतनी नहीं निकलेगी और दूसरों के पास इस नाम से जायेगी। खैर जाय, लेकिन समाज की दृष्टि से सीलिंग निर्धारित कर रहे हैं तो एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिये कि वह मैकेनाइज्ड फार्म

(श्री मुरलीधर व्यास)

रखता है इसलिये ज्यादा से ज्यादा उसके पास रखने की छूट उसे देते हैं और दूसरे के लिये ३० एकड़ की सीमा बांधते हैं तो यह स्वाभाविक बात है कि एक व्यक्ति के लिये इतनी सीमा बांध दी और दूसरे के लिये एफिशियेन्टली मैनेज्ड के नाम से ज्यादा आमदनी करने की छूट दे दी तो सामाजिक दृष्टि से एक को अधिक कमाई करने की छूट देते हैं और दूसरे पर सीमा लगाते हैं तो यह सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से ठीक बात नहीं है और जो सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो उसे यदि सहकारिता के तरीके से करते हैं तो उसमें हर्ज नहीं है और सबके लिये समानता का जो रूप रेखा है वह आ सकता है और यदि कोई इस प्रकार की दलील दे कि एफिशियेन्टली मैनेज्ड का नाम देने से प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब तो मैं मानता कि लाभ होना चाहिये लेकिन वही लाभ यदि सहकारिता के जरिये से होता है तो उसमें नुकसान क्या है क्योंकि लाभ और प्रोडक्शन तो फिर भी रहेगा, यदि वह सहकारिता के जरिये से होगा वह उसी प्रकार से मिलता रहेगा। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत तरीके से छूट देते हैं या पर्सनल छूट देते हैं और आगे जाकर परिवर्तन लाना चाहते हैं और सहकारिता को हमने ऐसा माना है कि सहकारिता के तरीके से हम जो आपस में कम्पीटिशन होता है और जो उसका असर देश की आर्थिक नीति पर होता है उसको समाप्त करना चाहते हैं वह आप यदि एक व्यक्ति को इस प्रकार छूट देते हैं तो नतीजा यह होगा भूमि के द्वारा जो इकोनोमिक समानता लाना चाहते हैं उसमें बाधा होगी और वह भेद दोनों ही क्षेत्रों में लाना चाहते हैं, कृषि के क्षेत्र में भी और उद्योग के क्षेत्र में भी। यदि किसी के पास एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म है और उसके पास गन्ने का कारखाना भी है तो वह रख सकता है और गन्ने बो सकता है और गन्ने के विकास की दृष्टि से उसके पास रहने दें लेकिन इन्डस्ट्रीज में क्या होगया। एक व्यक्ति को कारखाने के लिये गन्ना पैदा करने के लिये छूट देते हैं तो वह अधिक से अधिक जमीन रखकर किसान के साथ कम्पीटिशन करेगा क्योंकि उसकी फैक्ट्री है वह अपना फायदा कर सकता है लेकिन दूसरे किसानों को नुकसान पहुँचायेगा तो किसानों की भी आर्थिक स्थिति को इस प्रकार से मौका देते हैं। जो किसान गन्ना बोता है, वह अच्छी रेट चाहता है। वहां पर मालिक को किसी प्रकार से भूमि की छूट सरकार दे देगी, तो नतीजा यह होगा कि अधिक से अधिक गन्ना पैदा करके कम्पीटिशन में किसान को वह दबायेगा। एक व्यक्ति आदमी को, चाहे कृषि के क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में किसान को दबाने और सहकारिता के विकास में बाधा पहुंचाने की छूट दे देते हैं तो मूल उद्देश्य है, और जिस उद्देश्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसमें बाधा पड़ेगी। हमने एक समाजवादी समाज की स्थापना में सहकारिता को समाजवाद से अलग नहीं रखा है। तो या तो स्पष्ट कर देना चाहिये इस मामले को जिस प्रकार लोग सहकारिता का विरोध करते हैं कि सहकारिता की नीति खराब है, यह देश के लिए अच्छी नहीं होगी, इस नीति के आधार पर चलेंगे तो देश में उन्नति नहीं कर सकेंगे, एक और इस नीति को मान्य करते हैं और हमारे देश की जो

(श्री मुरलीधर व्यास)

आर्थिक नीति है उसको इस ढांचे में ढालना चाहते हैं, दूसरी ओर इस प्रकार के कानून बनते हैं और उसमें इस प्रकार छूट दे देते हैं तो कोआॅपरेटिव में और एक व्यक्ति में संघर्ष होता है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में जो नया परिवर्तन लाना चाहते हैं; जिसको हमने मान्य किया है, उसमें हम सफल नहीं हो सकते। इसके लिए तो हमको बहुत कटोर होकर अपने निर्णय पर गहराई से सोचना चाहिये और सोच कर जो नीति हमने निर्धारित की है, उस पर दृढ़ होना चाहिये। मैं समझता हूं कि ये तीन, चार, पांच बातें इस प्रकार की हैं कि इन बातों के ऊपर हमारे भविष्य की नीति निर्भर है और भविष्य की नीति में नाना प्रकार की बातें आ रही हैं। आज सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि एक व्यक्तिगत आदमी के लिए छूट हम किस सीमा तक रखें, किस प्रकार रखें जिससे कि वह समाज की व्यवस्था में किसी प्रकार से बाधक न हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे कारखाने के अन्दर हो, चाहे भूमि के मामले में हो। आपका दृष्टिकोण बिलकुल साफ नहीं होगा और जिस प्रकार ज़मीन के लिये सरकार ने रखा है कि जो जमीन बचेगी सीलिंग के बाद, वह भूमिहीनों को देंगे, और भूमिहीनों की सहकारी समिति को प्रिफरेन्स देंगे क्योंकि आप यदि लैंड किसी आदमी को देंगे, तो भूमिहीनों के पास साधन नहीं हैं, सुविधायें नहीं हैं और वह अकेला इतने साधन जुटा नहीं सकता। उसे सहकारी समिति से मदद मिलेगी, लोन मिलेगा, उस मदद के जरिये वह प्रोडक्शन कर सकेगा और जमीन बोयेगा, उससे लाभ उठाया जा सकेगा। तो सहकारी तरीके से भूमि देने के लिए वापिस सोचना पड़ेगा, उस हालत में सहकारी समिति बनेंगी। सरकार ने यह निश्चय किया है कि सहकारी समितियों के मुकाबले में एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म को छूट देगी, अगर देगी तो दोनों में कम्पीटिशन होगा और किसान उसके सामने टिक नहीं सकेंगे। इस तरह के मामले में, मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये। अगर नीति स्पष्ट नहीं होगी तो सारे मामले, उदाहरण के तौर पर स्टेट ट्रेडिंग को ले लें। मैं स्टेट ट्रेडिंग से सहकारिता को अच्छा समझता हूँ क्योंकि इसमें दखल होता है नौकरशाही का, नौकरशाही के हाथ में काम चला जाता है और डमोक्रेटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं होता है तो उसके मुकाबले में हमें कोआपरेटिव बेसिस पर सारे काम आगे चलाने चाहिये और उसके आधार पर आपको उस नीति को बहुत दृढ़ता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा और उसके मुकाबले में कोई योजना आती है तो हर हालत से उसको अलग करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। बीकानेर के अन्दर सरकार ने अनाज के मामले में कोआपरेटिव्ज रखीं और उसके मुकाबले में पर्सनल दुकानें भी रखीं ...

श्री अध्यक्ष : इस क्लॉज के अमेंडमेंट पर आप बोलें। आप बहुत लम्बा भाषण न दें। पहले आप अमेंडमेंट पर बोले, फिर कोआपरेटिव पर आ गये और अब धान पर आ गये। आप इस अमेंडमेंट पर ही बोलें।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा दृष्टिकोण यह है कि इस प्रकार की जो चीजें रखी जाती हैं, इनसे सहकारी संस्थाओं को बहुत नुकसान होता है, वे टिक नहीं सकते। बीकानेर का उदाहरण मैंने इसलिये दिया कि अनाज

(श्री मुरलीधर व्यास)

के मामले में कोआपरेटिव सोसाइटी बनाई और सरकारी अनाज के वितरण का भी इन्तजाम रखा। नतीजा यह हुआ कि उसमें एक व्यक्ति मुनाफा कमाता है और दूसरी ओर जो उसमें शेयर होल्डर्स है, वे शेयर होल्डर्स, जो फायदा होता है, उसको बांट कर ले लेते हैं। मुकाबला यह होता है कि वे उसके मुकाबले में टिक नहीं पाते हैं और काम ठीक तरह से हो नहीं हो पाता है। तो ऐसे मामलों में, जहां दोनों को रखते हैं, तो नतीजा बुरा होता है। तो इस जमीन के मामले में, एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म....मैं मानता हूँ इसके अन्दर जो मशीनरी होगी उसके जरिये प्रोडक्शन बढ़ सकता है और उसके साथ ही साथ दूसरे धन्धों में लोगों को लगा कर मदद ले सकते हैं। मशीन को उससे अलग नही रखते। परन्तु उसके साथ ही साथ यह कह कर कि यह व्यक्तिगत है, इस प्रकार इसका उपयोग किया जाय, मैं इसका पक्षपाती नहीं हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश की जो आर्थिक नीति है और हम जिस ढांचे में समाज को ढालना चाहते हैं, उसके मुकाबले में व्यक्तिगत एफीशयेन्टली मैनेज्ड फार्म को छूट देंगे तो वह हमारे लिए ठीक नहीं होगा, सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के अनुसार, अन्य दृष्टि-कोण के अनुसार और भावी विकास के दृष्टि-कोण के अनुसार। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे संशोधन मान्य किए जायं तो सह-कारिता के आधार पर एफीशियेन्टली मैनेजा-इज्ड फार्म देश के लिए हितकर होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज ३, सेक्शन ३० आई, सब-सेक्शन (१) है, इसमें मेरे संशो-धन इस प्रकार है : Delete clauses (a), (b), (d) and (e). यह जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है, इसमें जिन भूमियों पर सीमा निर्धारण नहीं करना है, उसके सम्बन्ध में कुछ अपवाद रखे हैं, वे अपवाद ५ हैं, इनमें से मैं केवल एक जो (सी) कोऑ-परेटिव एग्रीकल्चरल फार्म एफीशियेन्टली मैनेज्ड, इसको छोड़ कर बाकी चारों का विरोध करता हूँ, कि इन चारों का प्रावधान इसमें न रखा जाय और इसका कारण बहुत स्पष्ट है। यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, वह कोई साधारण कोटि का नहीं है। बल्कि मेरा विश्वास है कि स्वतन्त्रता के प्राप्त होते ही, हमारे देश के अन्दर एक नई आर्थिक क्रान्ति, एक सामाजिक न्याय और विशेषतः एक भू क्रान्ति लाने का जो कदम हमारी सरकारें उठा रही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह कदम है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तभी है जब कि जिस उद्देश्य को लेकर इसका निर्माण किया गया है, इसका प्रचार व प्रसार किया गया है, लोगों को आशा बंधाई गई थी, अगर उसकी पूर्ति हो जाती है, तो यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम है अन्यथा जिस प्रकार से यह विधेयक हमारे सामने प्रवर-समिति की रिपोर्ट की शक्ल में आया है, उसको देखते हुए मुझे आशंका है, भय है कि शायद जिस मंशा से यह कानून बनाया जा रहा है, उसके शायद १० प्रतिशत भी उद्देश्य की पूर्ति इससे नहीं होती है।

यह सीलिंग का, भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य है, खास

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

तौर से वह यह है, कि जो भूमि आवश्यकता से अधिक किन्हीं लोगों के पास है, जिसके कारण न तो वे उससे उतना उत्पादन कर सकते हैं, और उससे भी अधिक यह कि जो लोग उससे उत्पादन करने की योग्यता रखते हैं, और उत्पादन करने का जिनका नैतिक अधिकार है, उनको वह भूम दी जाय। इस उद्देश्य को ले कर ही, क्या हमारी राष्ट्रीय योजना की दृष्टि से और क्या हमारे कांग्रेस संगठन की दृष्टि से, यह आवश्यक समझा गया है, कि देश में इस प्रकार का कानून बनाया जाय कि जो भूमि अधिक है जिन लोगों के पास उनके उपयोग या आवश्यकता से अधिक भूमि है, उनसे वह भूमि लेकर जरूरतमन्द लोगों को दी जाय।

आज से ६ वर्ष पहले इस बात का निर्णय लिया गया, कि हम हमारे राज्य में सीलिंग का कानून लायें। तब से अब तक निरन्तर प्रयास होते रहे। एक कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट निकली, इसके बाद इस विधान सभा में वह किसी रूप में आया, इस पर प्रवर समिति बनी, उसकी रिपोर्ट बनी और हमारे सामने आया है और मैं समझता हूँ अब शायद दो तीन दिनों के अन्दर ही अन्दर इस विधेयक को पास करके, इसको कानून का रूप दे देंगे। लेकिन जहां इसके सम्बन्ध में गर्व समझते हैं, हम इस पर बड़ा फक्र करते हैं कि इस प्रकार का कानून ला रहे हैं, पर इसमें जो भी प्रावधान रखे हुए हैं, उनको देखते हुए हमारा वह उत्साह और आशा सब निराशा में परिवर्तित हो जाते हैं।

एक तरफ हम सीलिंग कानून के द्वारा संसार के सामने यह घोषणा करते हैं कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है, उसको ले रहे हैं और जो लोग भूमिहीन है और वास्तव में जो भूमि के अधिकारी हैं, उनको दे रहे हैं। यह हमारी घोषणा शब्दों में और अखबारों के द्वारा हुई और मैं समझता हूँ हमारे मिनिस्टरों और दूसरे लोगों ने इसका काफी प्रचार किया। पर आज यह कानून जिस रूप में हमारे सामने चल रहा है उसको देखते हुए आशा नहीं होती कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति इस कानून से कर रहे हैं। हमें कहा कि हम भूमि उन लोगों से लेंगे, जिन्होंने उस भूमि को इस रूप में रख रखा है कि उस भूमि की उपयोगिता नहीं बढ़ी, उन लोगों से भूमि लेकर भूमिहीनों को देंगे। पर अब तक इसमें जितने प्रावधान रखे हैं, उनसे ऐसा लगता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति होना असम्भव है। उनमें से अब तक हम ऐसे तीन प्रावधानों पर विचार कर चुके हैं, एक यह है कि अधिकतम भूमि की सीमा ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मानी है, दूसरा हमने समय निर्धारित किया है कि १६५७ के बाद में किए गये हस्तान्तरण अवैध माने जायेंगे और तीसरा प्रावधान है, जिस पर कल हम बहस कर चुके हैं कि मार्केट वेल्यू के अनुसार उन जमीनों की कीमतें चुकाई जायेंगी।

ये तीनों प्रावधान इसमें रखे हैं। मेरा तो विश्वास है कि इन तीनों प्रावधानों के होते हुए भूमि बहुत कम ऐसी होगी, जिसको कि हम ले सकेंगे और उसका ठीक तरह से वैसा ही उपयोग करा सकेंगे, जिसके लिये कि हम यह कानून पास कर रहे हैं।

इन सबके साथ-साथ एक सबसे बड़ा सवाल आया है, वह सवाल है एग्जेम्पशन्स का कि किन-किन सूरतों में भूमि नहीं ली

Page No.44

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जाय । तो इससे मेरा ख्याल है कि सीलिंग का उद्देश्य सर्वथा व्यर्थ हो जाता है । इससे तो हमने ठीक वही नीति अपनाई है कि किसी आदमी को कहें कि लो हम तुम्हें १०० रुपया देते हैं और फिर साथ ही साथ कहते हैं कि २५ रुपये तो यों, ३० रुपये यों और १५ रुपये यों, ये रुपये वापिस लिए जाते हैं। एक ओर तो हम कहते हैं कि जितनी भूमि आवश्यकता से अधिक जिन जिन लोगों के पास है, वह उनसे लेकर भूमिहीनों को देंगे, और भूमिहीन लोग भूखे प्यासों की तरह हमारी ओर टकटकी लगाये देखते हैं कि जब मैं और हमारे और भाई अपने-अपने क्षेत्रों में जाते हैं, तो भूमिहीन जाट, सांसी, कंजर, बावरिया और दूसरे लोग हैं, वे मिलते ही कहते हैं कि जो आप ऐलान करते थे कि भूमिहीनों को भूमि मिलेगी, वह कब मिलेगी । मैं उनको विश्वास दिलाता था, आश्वासन देता था कि राजस्थान विधान सभा में विधेयक आ रहा है और उससे आपको भूमि दी जायेगी। पर अब तो शायद उन लोगों के लिए मेरे पास कोई उत्तर नही होगा, कम से कम जिस जिले से मैं आ रहा हूं, उस जिले में यदि ये तीनों चीजें इस कानून में रख दी जाती है, तो कोई भूमि नहीं रहेगी । अव्वल तो पहले से ही वहां भूमि बहुत कम थी, फिर ये तीनों चीजें रख देते हैं, तो वह भी भूमि नहीं रहेगी। तो सीलिंग से हम उन्हें आशा दिला रहे थे, कि भूमि देंगे, उनको हम कुछ नहीं दे सकेंगे और अब उनको कुछ नहीं कह सकेंगे यदि ये चार चीजें और कम कर दी जाती हैं। वे चारों चीजें ये हैं, जिन पर सीलिंग लागू नहीं होगा, एक यह सीलिंग इस पर लागू नहीं होगा : 1. Groves constituting contiguous and compact areas.

2. Sugar cane farms.

3. Efficiently managed specialised farms.

4. Other efficiently menaged farms.

एक तो यह भूमि ग्रोव्स के नाम पर रख ली जायेगी, उस पर सीलिंग लागू नहीं होगा। यह कहां पर कितनी है, यह मुझे पता नहीं। मैं समझता हूँ सरकार राजस्व विभाग इन सब बातों की पहले जांच कर लेता जैसे सीलिंग कमेटी सब जगह घूमी थी और जांच की थी, कि कितनी भूमि है कहां कितनी पैदा होती है, उसी तरह से राजस्व विभाग पूरी तरह से जांच कर लेता कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ छोड़ रहे हैं, ऐसा करने से कितनी भूमि उपलब्ध हो सकेगी और राजस्व विभाग यह भी जांच कर लेता कि ५७ के बाद के हस्तान्तरण को अवैध करार दे रहे हैं, तो ५७ तक किये गये हस्तान्तरणों के बाद कितनी भूमि बच गई है और कितनी भूमि हम दे सकेंगे ।

इसके साथ ये चार चीजें रखी हैं तो ग्रोव्स को निकाल देने के बाद, शुगर केन फार्म्स को निकाल देने के बाद, एफिशियेन्टली मैनेज्ड स्पेशलिस्टेड फार्म्स और अदर एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म्स, इन सबको एग्जेम्प्ट करने के बाद भी भूमि रहती है क्या, रहती है तो कितनी रहती है । मैं समझता हूँ वह भूमि जैसलमेर में बच सकती है, बीकानेर में बच सकती है, जोधपुर के कुछ इलाकों में और सीकर झूंझनूं के इलाकों में कुछ रह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सकती है जहां रेगिस्तान है, मरुभूमि हैं, वहां रह सकती है पर दूसरी जगहों पर नहीं बच सकती ।

मैं समझता हूँ इस कानून के बनाने वालों ने पूरे तौर पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि यह कानून बना तो रहे हैं, पर इस तरह की छूट दे देते हैं, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की छूट दे देते हैं, और दूसरी छूट दे देते हैं तो फिर कोई भूमि बचेगी भी कि नहीं। हम जिस आर्थिक भूक्रान्ति का नारा बुलन्द करते थे, उनकी दृष्टि से भी यह सर्वथा अनुचित और अवांछनीय है ।

महात्मा गांधी जिन्होंने देश के पीड़ितों और शोषितों के लिये आवाज उठाई, वे किसानों के सबसे ज्यादा हिमायती थे, वे भूखे नंगे किसान की कल्पना करते थे, वे किसानों की हालत सुधारना चाहते थे, पर उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि गांवों में मशीनों ट्रैक्टर्स और जो दूसरे आधुनिक अच्छे-अच्छे साधन कहे जाते हैं, उनको इस्तेमाल करके गांवों की हालत को सुधारा जाय । मूल में पहले मैकेनाइज्ड फार्म थे । आज आपने एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म किये हैं । एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म किसी गरीब किसान के तो हो नहीं सकते वे तो किसी न किसी जागीरदार या जमींदार के ही होंगे....

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में ही बोलें । अमेन्डमेंट बहुत है, और समय कम है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : चार हैं, इन पर मुझे बोलना है ।

मैं यह कहूँगा, कि जितना भी इसमें रखा और जिस हिसाब से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए रखा है, वह आपका दृष्टिकोण पूरा नहीं हो सकेगा और किसानों का जिस के जरिये आप हित करना चाहते हैं, नहीं कर सकेंगे । कमसे कम गरीब किसानों का तो इससे कोई हित नहीं होगा और कम से कम वे लोग, जिनके नाम अब जमींदारी और जागीरदारी नहीं रही है, और उसके पास ज्यादा जमीन है, ऐसे लोग इससे फायदा उठा पायेंगे और जिन लोगों के फायदे के लिए यह कानून बनाया जा रहा है, उन गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं होगा । इसलिए मेरा तो यह विश्वास है कि इस प्रकार की छूट देकर हमने उन गरीब लोगों का कोई उद्धार नहीं किया है । आज संत-विनोबा भावे इस क्रांति के अग्रदूत बने हैं । आज से दो चार दिन पहले उन्होंने कहा है और अखबारों में आया, कि जो यह सीलिंग के नाम से कानून आ रहा है, वह केवल लोगों के आंसू पोंछने मात्र के लिए है ।

१. १०म. प.

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसके द्वारा किसानों का कोई हित नहीं होगा

राजा श्री मानसिंह (बैर): We should, therefore, scrap the legislation.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : No. We should have these amendments which I have suggested.

यदि वास्तव में ही हमको सीलिंग को सार्थक बनाना है, तो मैं राज्य सरकार से जोरदार शब्दों में कहूँगा, कि वे इस प्रकार

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

से उन लोगों के हितों की तरफ ज्यादा ध्यान न दे, जिनके हितों को राजा-महाराजा पोषण करते आये हैं, और जिनके हितों को विदेशी हुकूमत ने भी पोषण किया था। जब हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, कि हमारी कांग्रेस सरकार ने समाजवाद को अपना लिया है, तो सच्चे अर्थों में समाजवाद के अनुसार ही, हमारे कानून होने चाहिये।

हिअर, हिअर।

जब हम एक तरफ हम यह आवाज लगा रहे हैं कि हम कानून गरीब किसानों के लिये बना रहे हैं, तो हमें गरीब किसानों की हालत पर ध्यान देना होगा। लेकिन हम गरीब किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम इन कानूनों द्वारा उन लोगों को छूट देते हैं, जिन्होंने आज तक राजा-महाराजाओं के समय से, ज्यादा फायदा उठाया है। ग्रोव्ज और फार्म रखनेवाले sugar cane farms operated by sugar factories. यह और भी अजीब तरीका है। उद्योग और फैक्ट्री का मालिक एक पूंजीपति ही हो सकता है जो लाखों रुपया फैक्ट्री से कमाता है। शुगर-फैक्ट्री के साथ साथ वह हजार या ५०० एकड़ जमीन रख कर वहां शुगर केन पैदा कर सकता है, और उससे भी लाभ उठा सकता। यह समझ में नहीं आता, कि यह कौन सा सामाजिक न्याय है। इस तरह से एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म वे ही लोग रख सकते हैं, जो पूंजीपति हो या मालदार हों। इस तरह से जिन लोगों के पास दो-दो हजार चार-चार हजार, और पांच-पांच हजार बीघा जमीन है, उन्होंने उस जमीन का नाम फार्म रख दिया, जिसमें वे मशीनों से खेती करते हैं। फार्म का मतलब खेत होता है। फार्म से ही फारमर शब्द बना होगा। इसके लफ्जी मायने खेती ही है। यह २० या ३० या ४० बीघा हो सकती है। लेकिन विदेशी लोगों ने, अंग्रेजों ने हजार-हजार बीघों के फार्म बनाये और जिस प्रकार वहां पर फार्म रखते थे यहां भी रख कर उन जमीनों का उपभोग करने लगे, जिस प्रकार इंग्लैंड में करते रहे हैं। हमने उनके फार्म की नकल की रूस के फार्म की दूसरी कल्पना है। वहां किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत फार्म नहीं होता तो सामूहिक फार्म होता हैं। हमारे यहां व्यक्तिगत संपत्ति थी। अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर हमारे देश का शोषण किया। गरीब किसानों को भूमिहीन बनाया। क्या हम उन्हों लोगों को आज इस कानून के द्वारा फायदा पहुंचाने की चेष्टा से ये चार चीजें रखी हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने सीलिंग को जिस उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ किया है वह पर्पज पूरा यही होगा। सरकार ने इन चार चीजों को छूट दी है, इसका असर गरीब लोगों पर पड़ेगा। इसलिए सरकार को यदि छूट देनी है, तो केवल उन्हीं को देनी है जो (सी) में रखा है "(c) co-operative agricultural farms efficiently managed.

इसके आगे अगर और बढ़ा दें, तो वह अलग चीज है, बाकी उससे भी उद्देश्य पूरा हो सकता है। आप ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की बात कह रहे हैं। अगर वह सीलिंग जो आप कायम करते हैं, उससे भी ज्यादा रखें और कोऑपरेटिव में काम करते हैं तो कोई बुरा नहीं है। अगर व्यक्तिगत संपत्ति से चलते हैं, अगर उनको आप छूट देते हैं, तो यह

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

उचित नहीं है । हमने बंदिश लगा दी है कि, वे तो इस हालत में No members share shall exceed the Ceiling area applicable to him. उन पर तो एक तरह का प्रतिबन्ध लगा दिया है, No members share in any such farm shall exceed the ceiling area. जब कि न्याय यह चाहता है, कि उनको थोड़ी बहुत जमीन ज्यादा दी जावे बड़े-बड़े फार्म आपकी तरफ हो सकते हैं, या गंगानगर में या उदयपुर या जोधपुर में हो सकते हैं, मगर इधर के क्षेत्र में इतनी जमीन नहीं है कि आप उनके नाम पर कानून बनावें । कोई एक फार्म हो सकता है । एक सूरतगढ़ फार्म हो सकता है, या कोई फार्म गवर्नमेंट चला सकती है या नेशनेलाइज करके कोई फार्म चलाया जा सकता है । मगर एक व्यक्ति को इसके लिए छूट देना तो सीलिंग के सिद्धान्त के ही खिलाफ है । मैं चाहूँगा कि सीलिंग के जो मूल उद्देश्य हैं, वह यह कि जिनके पास अधिक भूमि है, उनसे लेकर गरीब किसानों को जो भूमिहीन हैं, भूमि दे दी जावे और यह तभी हो सकता है, जब कि हम यह छूट (३) या (४) उप-धाराओं में देना चाहते हैं केवल उन्हीं लोगों को दें, जो कोऑपरेटिव के आधार पर, सहकारिता के आधार पर खेती करते हैं, यदि उन पर जारी करें तो उचित होगा । ग्रोव्ज और एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म या शुगर-केन के फार्म भी जो लोग बनाते हैं, उनको भी कोऑपरेटिव बेसिस पर चलाने के लिए बाध्य किया जावे तो अपने दोनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है । आज जो भूमिहीन हैं, उनको सहकारिता के बेसिस पर ही भूमि मिलेगी लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भूमि दबा रखी है, उनके लिए यह हो कि नये सिरे से अगर कोई चाहे तो वह कोऑपरेटिव बेसिस पर रख सकता है । इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि या तो ग्रोव्ज और बड़े-बड़े फार्म को रखा नहीं जावे, और यदि रखते हैं उनके लिए भी तो उनको बाध्य किया जावे कि वे कोऑपरेटिव के आधार पर रखे जावें । अगर वे कोऑपरेटिव कमेटी कायम करते हैं और अगर कोऑपरेटिव कमेटी कायम नहीं करते हैं तो उनको यह छूट नहीं दी जावे कि वे व्यक्तिगत हैसियत से रख सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन पेश करता हूँ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अमेन्डमेंट इस प्रकार है : delete the words "provided no members share in any such farm shall exceed the ceiling area applicable to him" from clause (c) of sub-section (1). उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कोऑपरेटिव फार्मिंग का प्रश्न है, जरूर उसको प्रोत्साहन देना चाहिये । लेकिन कोऑपरेटिव फार्मिंग है इसलिए यह बंदिश लगाना कि सीलिंग एरिया प्रेसक्राइब्ड किया है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग बनावे । लेकिन मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का आन्दोलन चला आ रहा है और सभी जगह सरकार ने एलान किया है कि धीरे-धीरे सब इसको सहकारी खेती के रूप में ले आवेंगे । इसलिये तहसीलों में फार्मिंग के लिए कमेटियां बनी हैं । वहां यह धारणा हो रही है कि सहकारी कमेटी या समिति बनाई जावेगी उसको कोई हक नहीं रहेगा और ३० एकड़ जमीन जिनको दे दी और अगर सहकारी समिति नहीं बनी और बन कर भंग हो गई

Page No.48

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

तो जो जमीन के मालिक हैं, किसानों में यह भ्रम हो रहा है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर की है वह भी उनसे छीन ली जावेगी। मैं यह निवेदन करूं कि यह जो सीलिंग का उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाया जाता है वह अनुचित है। जितने-जितने सहकारी समिति में हैं उनको यदि चाहे सौ बीघा चाहे दो बीघा हो जमीन देदी जावेगी तो वे लोग उसमें धन लगावेंगे और सीलिंग का प्रतिबन्ध उन पर नहीं रखेंगे तो वे ज्यादा रखेंगे। अपने पैसे को उस जमीन पर और उस जमीन को जो कि पड़त है, उपजाऊ बनायेंगे। वर्ना तो यह देखने में आ रहा है कि लोग कहते हैं कि यह तो पंच खेती है। तुम पचास आदमी लगाओ तो हम भी पचास लगावेंगे। मान लीजिये कि एक आदमी ने पचास आदमी नहीं लगाये तो दूसरे भी नहीं लगायेंगे और किसानों में आपस में लड़ाई हो जाती है। इसलिए सहकारी समिति भी नहीं बनती और खेती में कोई इम्प्रूवमेन्ट नहीं होता।

दूसरा मेरा अमेन्डमेन्ट यह है [add the following new clause (f) in sub-section (1) :—'(f) Shikargah and the lands appertenant thereto'] कि जो एक्जम्प्शन दिया है उसमें यह और एड कर दिया जाय कि : "Shikargah and the lands appertennat thereto."

उपाध्यक्ष महोदय, आप यह जानते हैं कि सरकार का यह अभिप्राय है कि जो राजस्थान में दर्शनीय और पुरानी चीजें हैं उनको ज्यादा तरजीह दी जाय और उनको नहीं बिगाड़ा जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे नहीं मालूम है।

(हंसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : १२ वर्ष पहले उदयपुर में भी सुअरों का बाड़ा था और वहां पर उनको सैकड़ों मन मक्का पड़ती थी। विलायत से उनको देखने के लिए दर्शक आते थे। उनके फोटो भी वे लोग बाहर ले जाते थे। और आज राजस्थान के शहरों में सिवाय मेहतरां के सुअरों के और कोई सुअर नहीं दिखाई देते। सरकार भी आज यह समझती है कि जैसे कैटल ब्रीडिंग है, पोल्ट्री है तो यह भी जानवरों का ब्रीडिंग है। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं कि मध्यप्रदेश में महाराजा रीवां हैं वे व्हाइट टायगर के लिए १५ वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड में ये कहीं नहीं होते इसलिए उन्होंने खर्चा करके व्हाइट टाइगर ब्रीड किये हैं। उनको देखने के लिए आइजनहोवर आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पैदल पैदल आये हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हिन्दुस्तान की यह शान है फिर यदि ऐसा नहीं करेंगे तो राजस्थान की ये दर्शनीय चीजें मिट जावेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तीसरा अमेंडमेंट यह है : Delete the word "or on other reasonable grounds" from sub-secotion (2). इसमें 'other on reasonable ground' ऐसे शब्द रखे हैं। यह मर्जी पर है। जिनको रीज़नेबल समझा गया उसको तो छूट दे दी और जिनको अनरीजनेबल समझा उनको तो छूट नहीं दी। यह तो केवल मतलब के लिए है। इससे कोई मतलब पूरा नहीं होगा जो होना चाहिये।

Page No.49

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

वाकई कोई फार्म चला रहे हैं तो उनका दस, पन्द्रह वर्ष के खर्चे का हिसाब देख लिया जाय कि कितना खर्चा कर दिया है, इन्वेस्टमेन्ट कर दिया है, यह वहां तक तो ठीक है। मैं समझता हूँ कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने ३० ई विचारार्थ प्रस्तुत है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण क्लॉज है जो सारे बिल की जान कहा जा सकता है। यदि हम इस क्लॉज पर माननीय राजस्व मंत्री की अनुपस्थिति में विचार करते हैं तो यहां माननीय सदस्य क्या बोलते हैं मैं समझता हूँ, उनके सामने उनके ये विचार नहीं पहुंच सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : The Government is rightly reperesented here.

श्री दयाकृष्ण विजय : ठीक है, उनके स्थानापन्न यहां मौजूद हैं। इस प्रकार की महत्वपूर्ण धारा पर यहां विचार हो....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसे फिर क्यों प्रेस करते हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): राजस्व मंत्री को ही सुनाना चाहते हैं, स्थानापन्न को नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): सुनाइये साहब।

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस क्लॉज पर पांच सात संशोधन हैं।

[(1) Delete clause (b) and (c).

(2) add the following new class (cc) :—"(cc) Joint agricultural farms, provided that no member's share in any such farm or farms shall exceed the ceiling area applicable to him,":

(3) replace the words "State Government" by the word "Collector" in the second proviso;

(4) add the third proviso, as follows :—

"Provided also that nothing under this sub-section shall authorise any person to enjoy more than one exemption at a time and such person shall not be allowed to have more land to cultivate, under this Act;"

(5) delete sub-section (2).

(i) Add the following words after clause (a) of sub-section (1) :-

"not exceeding the ceiling area applicaple to him"

(ii)delete clause (e);

(iii) delete the first proviso.]

सबसे पहली आपत्ति इन आपवादों पर हैं और वे है शुगर केन फार्म्स। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शुगर केन फार्म्स जिन लोगों के द्वारा चलाये जाते हैं, जो कि कैपिटलिस्ट हैं, पूंजीवादी लोग हैं और वे लोग जब एक उद्योग के मालिक हैं और यदि उनको उद्योग में काम आने वाला रॉमेटिरियल

(श्री दयाकृष्ण विजय)

भी पैदा करने का हक दे दिया तो जो काश्तकार इस प्रकार का रॉ मेटिरियल पैदा करते हैं वे बेकार हो जावेंगे । यदि इस प्रकार का प्रोत्साहन देते हैं और वह गन्ने की खेती भी करता है तो चूंकि उसके पास पैसा है, पूंजी है, वह वहां पर शुगर की फैक्ट्री लगाता है तो आस-पास के गन्ना पैदा करने वाले व्यक्ति होंगे वे बेकार हो जावेंगे, उनके गन्ने का शुगर के लिए उपयोग नहीं होगा और वह रस पीने या गुड़ बनाने के ही काम में आ सकता है । उनको जो गन्ने का पैसा मिलना चाहिये वह भी उनको नहीं मिल सकेगा । जो गन्ना पैदा करने वाले काश्तकार हैं उनके प्रोडक्शन की कीमत गिर जायेगी, उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा । इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान में गन्ने की पैदावार बढ़े जो कि बहुत कम होती है और संभावना है कि जब चम्बल से नहरें निकल जावेंगी तो पानी की बहुतायत हो जावेगी और गन्ने की खेती अधिक होने लगेगी । लेकिन बड़े फार्म्स वाले जिनके पास हजार हजार बीघा जमीन कब्जे में है और उन्होंने उस पानी से यदि गन्ना पैदा किया और वहां पर शुगर फैक्ट्री लगा ली तो दूसरे लोग जो गन्ने से अपनी आजीविका चलाते हैं अथवा जो बढ़ना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकेंगे और आजीविका कैसे बनाये रख सकेंगे । एक ओर कृषि और दूसरी ओर उद्योग दोनों बढ़े । दोनों को समानान्तर होकर चलना है । दोनों को ही एक दिशा में, पूर्व में चलना है । लेकिन यदि दोनों ही चीजें एक जगह केन्द्रित हो गईं तो फिर काश्तकार बेकार हो जावेगा और पूंजीपति को इतनी छूट दे देंगे कि वे काश्तकारों पर निर्भर नहीं रहेंगे । यदि काश्तकारों को मजबूर होकर अपना गन्ना देना ही है तो उनको सस्ते भाव में देना होगा । किसानों पर दुख आवेगा वह यह है कि चम्बल नहर के बाद किसानों की आजीविका बढ़ने की गुन्जाइश दिखाई देती है तो जो पैदावार उसके पास होगी उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलेगा । मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की नीति यह रही है कि कभी सरकार खेती और छोटे उद्योग और बड़े उद्योगों के बढ़ाने की बात करती है और कभी यह दुहाई देती है कि खेती और उद्योग दोनों को मिलाने की बात चल रही है । यदि राजस्थान का सर्वे किया होता और हिन्दुस्तान की परिस्थितियों का विश्लेषण किया होता तो मैं समझता कि राजस्थान में काफी रेतीली जमीन है जो पैदावार के काम में या अरावली के पहाड़ी क्षेत्र में जो खेती के काम में नहीं आते हैं.... बहुत से आंकड़े उन्होंने बताये—१० लाख एकड़ खेती के करीब होती है । इसको हमारे यहां के चार लाख लैन्डलैस टिनेन्ट्स में बांटना चाहें और इस तरह से जिन भूमिहीन किसानों को भूमि मिलने वाली है उस बारे में ध्यान न देकर बड़ी-बड़ी फैक्ट्री वालों को जमीन दे देंगे तो लैन्डलैस की समस्या हमेशा के लिये बनी रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vijaya, your amendments are identical so far as (b) and (e) are concerned, with those of Shri Jugal Kishore. There is only one amendment which you can stress otherwise.

श्री दयाकृष्ण विजय : My reasons may be different.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, but at the same time I hope to have very sketchy observations from you.

श्री दयाकृष्ण विजय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि शुगर फेक्ट्रीज के साथ-साथ जिन लोगों ने बड़े-बड़े फॉर्म्स बना रखे हैं उसमें से लैंन्डलैस पर्सन्स को दी जाय। काश्तकारी उद्योग चलाने वाले जो सेठ और मैनेजर हैं वे कभी भी खेत में श्रम नहीं करते। श्रम करने वाले तो मजदूर हैं। कई ऐसे भूमिपतियों को जमीन दे रखी है जो वास्तव में श्रम नहीं करते उनसे छीनकर यदि लैण्डलैस को जमीन दी जाती है तो हमारे सीलिंग के जो सिद्धान्त हैं उसमें कामयाबी होगी। लेकिन जैसा कि विनोबाजी ने कहा ये तो सिर्फ आंसू पोंछने वाली बात है इसके अलावा कुछ नहीं है।

इसके अलावा मेरा दूसरा संशोधन 'ई' पर है "other efficiently managed farms which consist of compact blocks and whose break up is likely to lead to a fall in production.,, मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर सन् ५३ से सिलिंग का मसला चल रहा है। जिन लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन थी उन्होंने इन अपवादों के आधार पर कुछ तो कम्पेक्ट ब्लॉक्स के रूप में रख ली है और कुछ सरपंचों ने अपने पदों का दुरुपयोग करके जमीन को इधर उधर कर लिया है। इन्तकाल तसदीक करने का अधिकार उनको था उसको हस्तान्तरण कराकर अपने पास कम्पेक्ट ब्लॉक बना लिया है उनको तो किसी प्रकार का खतरा है नहीं उसके अलावा सरकार उन लोगों के पीठ पर हाथ रखे हुए हैं।

जब हमारे सामने इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो जहां हम अधिकतम लोगों को जमीन देना चाहते हैं वहां इस तरह से हमारा मकसद बेकार हो जाता है। जितनी जमीन हमने सिलिंग के बाद रखी है वह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है जो एक पांच आदमी के परिवार के लिये पर्याप्त होती है उसके बाद उसको और अधिक जमीन रखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके बाद भी ऐसे अपवाद देखने में आते हैं जिनमें हजारों बीघा जमीन रख सकते हैं तो यह न्यायोचित नहीं होगा। इसमें यह भी कहा गया कि जो कोम्पेक्ट ब्लॉक्स एफीशियेन्टली मैनेज्ड हों। मेरा निवेदन यह है कि एफीशियेन्टली मैनेज्ड की कहीं पर भी परिभाषा नहीं की गई है। यह राजस्थान सरकार के हाथ में अधिकार दिया है कि वे इसको चाहे जैसा डिजाइन कर सकते हैं। पहले तो यहां मैकेनाइज्ड फॉर्म था उसकी जगह एफीशियेन्टली मैनेज्ड ये शब्द बाद में लिये गये हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो बैलों से खेती करते हैं दिन भर परिश्रम करते हैं, अपने पास जो कुछ पैसा है या इसके अलावा जो भी जेवरात आदि हैं उनको गिरवी रखकर उधार रकम लाते हैं और वह केवल इसलिये कि किसी न किसी तरह से अपने खेत कि पैदावार को बढ़ावे इस पैदावार को बढ़ाने के लिये इतना कष्ट उठाते हैं इतना परिश्रम करने पर भी आप उनके खेतों को एफीशियेन्टली मैनेज्ड नहीं कहते। यह हो सकता है कि उनके पास साधनों की कमी हो और वह है भी, इस बिना पर हमारे सारे काश्तकारों को यह कह देना कि वे आलसी हैं और जो मशीन से जो खेती करते हैं वे ज्यादा एफीशियेन्ट हैं यह उचित नहीं है। इस तरह से

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आप हमारे काश्तकारों को आइडल होने का आरोप लगाते हैं। आज मशीनरी के साधन जो खेती में लगाते हैं उनका केवल मतलब यह रहता है कि कम श्रम से ज्यादा उत्पादन किया जाय। वे स्वयं तो परिश्रम करना नहीं चाहते और श्रमिकों को वे रखना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिये उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है इसलिये वे मशीन का उपयोग करते हैं। मेरा तो यह मानना है कि आज जो बैलों से खेती करते हैं वे ज्यादा एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म हैं। मशीन का प्रयोग जो लोग करते हैं उनको मजदूर मिलते नहीं क्योंकि उसका उचित पैसा देना नहीं चाहते और उसके अलावा मजदूरों के लिये अनेक कानून बने हुए हैं इनका पालन उनसे होता नहीं इसलिये वे मशीन की शरण लेते हैं। मशीन का आविष्कार ही इसलिये हुआ कि लोग यह चाहने लगे कि लार्ज स्केल प्रोड्क्शन बढ़ाया जाय और उसके रिटर्न इतने ज्यादा मिल सके जिससे जल्दी से जल्दी वे कैपिटलिस्ट हो जायं।। जब भूमिपतियों ने सोचा कि मजदूर नहीं मिलते तो वे ट्रेक्टर ले आये जिस जगह पहले दस परिवार अपना भरण-पोषण कर सकते थे वहां उनकी श्रम की की प्रतिष्टा न कर उनको अलग करके उनके गले पर छुरी चलाकर के टैक्टर को खेती के लिये प्रयोग किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question.

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उसी पर कह रहा हूँ। एफीशियेन्टली मेनेज्ड फॉर्म पर। यानि जिस खेती में स्विफ्ट साधन हो और स्विफ्ट साधन मशीनरी से ही प्राप्त हो सकते हैं। राजस्व मंत्री महोदय कह दें कि बैलों की खेती को भी एफीशियेन्टली मेनेज्ड मानते हैं तो मैं इस पर निवेदन नहीं करूंगा। जब कि इस बिल के अन्दर एफीशियेन्टली मैनेज्ड की व्याख्या नहीं की है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): मैं जब जवाब दूंगा वह भी बता दूंगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : अभी बता दीजिये ताकि मैं इस पर ज्यादा न बोलूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पहले बता चुका हूँ आप उस वक्त थे नहीं तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि आप एफीशियेन्टली मैनेज्ड को डिफाइन कर देते तो सब का समाधान हो जाता।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वह यह कि कोम्पेक्ट ब्लॉक जो इसमें रखे गये हैं जिसके पास ज्यादा जमीन हैं तो वह नेचुरली ज्यादा पैदावार दे सकता है। कोम्पेक्ट ब्लॉक्स बनाकर ही पैदावार बढ़ सकती है यह जो आपकी मान्यता है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने भी बताया था, कि कितना पर्सेन्टेज उनकी उपज का निकलता है। आज आप देखिये इस बारे में बड़ी-बड़ी किताबें निकल चुकी है जिसमें यह लिखा हुआ है जहां अमेरिका में बड़े-बड़े फॉर्म्स थे उनका भी प्रोडक्शन घटने लगा है। जहां जमीन पर मजदूर खुद काम करते हैं वहां उनका जमीन के प्रति लगाव होता है, प्रेम होता है, वे दिलचस्पी से काम करते हैं तो उस भूमि का उत्पादन बढ़ता है अधिक रुचि और प्रेम से काम

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करते हैं, उसका परिणाम यह होता है कि पैदावार बढ़ती है। अगर हम कोम्पेक्ट ब्लॉक्स में जहां जमीन बहुत ज्यादा है उनको देखे तो हमें पता चलेगा काफी जमीन उनके पास बिना पैदावार के पड़ी रहती है और उस पर वे घास-फूस पैदा करते हैं उसको उत्पादन के काम में नहीं लेते। आज जबकि ज्यादा उत्पादन का नारा लगाते हैं ग्रो मोर फुड के अन्तर्गत लाखों रुपया सरकार खर्च कर रही है वैसी हालत में भी कोम्पेक्ट ब्लॉक्स के रूप में काफी जमीन खाली पड़ी रहती है।

राजस्थान की जनसंख्या ज्यादा है और जो जमीन है उस पर जो उत्पादन है वह कम है। तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि जहां हमारे यहां एक एकड़ में जितनी पैदावार होती है उसको अधिक बढ़ाने की कोशिश करें और वह उसी से हो सकता है जबकि भूमि का जो मालिक है वह प्रेम के साथ उस जमीन पर काम करे, रुचि के साथ काम करे तभी उत्पादन बढ़ सकता है। यह ठीक है कि जिनके पास कोम्पेक्ट ब्लॉक्स हैं वे रसायनिक खाद खरीदकर उपज बढ़ा सकते हैं और गरीब किसान के पास इतने साधन नहीं कि वह खेती में रसायनिक खाद का उपयोग कर सके। सरकार को चाहिये कि उन लोगों को अच्छा बीज मुहैया करे, अच्छा खाद दे, सुधरे हुए औजार दे लेकिन इस बात की ओर सरकार ध्यान नहीं देती। कारण यह है कि इसमें वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोगों का स्वार्थ उलझा हुआ है जिन्होंने बड़े-बड़े फार्म बनाकर बोर्ड लगा लिये हैं अपने फार्म्स पर। उनको बचाने के लिये यह रक्खा है। मैं समझता हूँ कि और एग्जम्पशनों को रख लिया जावे पर इस एग्जम्पशन को रखना तो सारे बिल को ही खत्म करना है। यदि इसे नहीं हटाते हैं तो सीलिंग का मकसद ही समाप्त है। मुझे याद है बड़े-बड़े लोगों के पास खेती के लिये कोम्पेक्ट ब्लॉक हैं। वे अलग नहीं किये जावेंगे। आप चाहते हैं कि इस प्रकार के कोम्पेक्ट ब्लॉक बनें जिन्हें आगे जाकर राष्ट्रीयकरण कर दिया जावे। इसका मैं विरोधी हूँ कि सारी जमीन सरकारी बनाकर उस पर काम करने वाले लोगों को मजदूर बना दिया जावे। इस तरह से कम्पेक्ट ब्लॉक्स का मॉडल फॉर्म बनाये जाने का मैं विरोधी हूँ। मैं तो इस बात का हामी हूँ कि अधिक हाथों को आप जमीन दें। इस प्रकार के कॉम्पेक्ट ब्लॉक्स को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के टुकड़ों में बांटकर उनको दीजिये। वे अपना मन लगावेंगे उसमें अपना तन लगावेंगे, मन से काम करेंगे, अच्छा खाद देंगे, अच्छा बीज देंगे आप अच्छे बीज में खाद में बैल देने में उनकी मदद करें। जब उसका प्रेम, उसका मन उसके साथ लगेगा तो उत्पादन बढ़ेगा।

कुछ लोग कहते हैं मशीनों से खेती बढ़ेगी। मैं इसे नहीं मानता। पैदावार तो जमीन की कैपेसिटी पर निर्भर है। आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ाइये। अच्छा खाद दीजिये, बीज दीजिये, बैल और हल दीजिये। इसके साथ जब किसान का मन और प्रेम उसके साथ लगेगा तो उत्पादन बढ़ेगा। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि मशीनों के मोह में आप न फंसे। कुछ पूंजीवादी लोगों के चक्कर में न आवें। खून-पसीना एक करने वाले को जमीन दी जावे।

इसके बाद मेरा एक सुझाव और है। इन एग्जम्पशनों के साथ एक एग्जम्पशन

Page No.54

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और बढाया जावे कि जो जोइन्ट फेमिली एग्रीकल्चर फार्म्स रखते हैं उनको उनके शेयर के हिसाब से केलकुलेट करके प्रोवाइड कर दिया जावे। उन सबके शेयर मिलाकर सीलिंग एरिया से ज्यादा वह न रख सकें प्रति परिवार के माने गये सदस्य के हिसाब से। उदाहरण के लिये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिये एक पिता के मर जाने के बाद तीन या चार नाबालिग बच्चे हैं और उनकी माता है। अब आगे जाकर वे जब बड़े होंगे और परिवार वाले होंगे तो उन चार या तीन के हिस्से में सीलिंग के सहहिसाब से जितना-जितना हिस्सा आता है उसको कुल को मिलाकर एक जोइन्ट एग्रीकल्चर फार्म रखने की अनुमति दी जानी चाहिये आपकी डेफीनेशन ऑफ फेमिली के अनुसार। इस तरह परिवार के सीगे में आ जाते हैं तो जो बच्चे भविष्य के ग्रहस्थ नागरिक बनने वाले हैं जिनके पास उस समय बड़ी-बड़ी फेमिलीज होगी तो उनका शेयर रिड्यूस न हो जावे यह सरकार देखे। इस प्रकार जोइन्ट फेमिली बचपन में ही बंट न जावे। कौटुम्बिक प्रणाली समाप्त न हो जावे। अगर इसको मेन्टेन रखना चाहते हैं तो जोइन्ट एग्रीकल्चर फार्म को मेन्टेन करिये।

कोऑपरेटिव सोसाइटी का विरोध मैं इसलिये करता हूँ कि इसमें मालिकाना हक नहीं रहता। इसमें मालिकाना हक निश्चित रूप से रहेगा। इस तरह उसको भी रखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस क्लॉज में माननीय सदस्य को कौनसी बात ऐसी पाई गई कि जहां जोइन्ट एग्रीकल्चर फार्म मना है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मना है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां है। Which is that provision of law ?

श्री दयाकृष्ण विजय : फेमिली डेफिनेशन में आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We are discussing the exemption of the Ceiling law. You mean to say that if a joint family has got a farm that will not be exempted. This is not so.

श्री दयाकृष्ण विजय : जोइन्ट फेमिली जो होगी उसमें एक मेम्बर बढ़ता है तो पांच एकड़ ही जमीन आप ज्यादा देंगे ? तीस कहां देंगे ? It is notso.

श्री दामोदरलाल व्यास : पांच एकड़ देंगे। Any farm which is efficiently managed will be......

श्री दयाकृष्ण विजय : Now I come to my amendment in which I have added that......जोइन्ट एग्रीकल्चर फार्म भी एग्जेम्पशन प्रोवाइड करें।

श्री मोतीलाल (डीडवाना): What do you mean by joint agricultural farm ?

श्री दयाकृष्ण विजय : एक फेमिली है। उनके बच्चों के नाम पर हिस्से के अनुसार जमीन जोइन्ट फार्मिंग में है तो उन सबके हिस्से का ख्याल रखते हुए सीलिंग सप्लाई होना चाहिये यह मेरा आशय है। जैसे चार भाई है उनकी जोइन्ट फार्मिंग है तो आपके ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से १२० स्टेन्डर्ड एकड़ तक की उनको छूट होनी चाहिये। यह मेरा आशय है।

श्री उपाध्यक्ष : Proceed on.

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि आप इसको समझ गये हैं तो ठीक है।

इसके अतिरिक्त मेरा और संशोधन है। आपने लिखा है फर्स्ट प्रोविजों में : nothing under this sub-section shall apply to any land comprised in any such farm or grove which may have been acquired in any way on or after the first day of May, 1959. मेरा ऑब्जेक्शन है, इसको हटा देना चाहिये। जिन लोगों ने इससे पहले या बाद में कभी भी ट्रांसफर किया हो, उनको हक होना चाहिये। आपको रखना है तो फिर १९५३ रखना चाहिये जब से कि लोगों के दिमाग में यह बात आई। अगर आपको इससे ऐतराज है तो यह भी हटा दीजिये। जिस दिन से यह कानून लागू हो तब से रख दीजिये। क्योंकि दो बातें एक साथ नहीं चल सकती कि एक को तो आप छूट दे दें और दूसरे को नहीं। मेरा संशोधन यह है कि इसको हटा देना चाहिये।

इसके बाद मेरा एक और संशोधन है सैकन्ड क्लॉज में, और वह स्टेट-गवर्नमेंट की जगह कलेक्टर चढ़ा दिया जावे। पर जैसा सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि गवर्नमेन्ट की जगह रेवेन्यू बोर्ड रख दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : Not the collector ?

श्री दयाकृष्ण विजय : I may support.

श्री उपाध्यक्ष : Having contradiction in your own statement. Your amendment is "substitute the State Government by the word Collector."

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं खुद ही मान लेता हूँ कि रेवेन्यू बोर्ड ज्यादा वाजिब है। यह लीगल कोर्ट है और डेफिनेट प्रोसीजर है ऊपर जाने का। तहसीलदार, एस. डी. ओ., कलेक्टर और रेवेन्यू बोर्ड। ऐसी स्थिति में मैं अपना संशोधन वापिस लेकर इसका समर्थन करता हूँ।

इसके बाद सैकन्ड जो है उसका विरोध करता हूँ। सैक्शन ३० ई में जिनको सरेन्डर करने का अधिकार दिया है, मैग्जीमम लैंड रखने का और उनमें कौन कितना रखे इसका। यदि यह अधिकार सरकार को दे दिया तो हर एक सरकार की कृपा पर निर्भर रहने वाला और जिनकी पहुंच है सरकार तक उनको लाभ होगा। वह कह देगा कि मैंने बोर्ड लगा रखा है, मेरा एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म है। अगर तहसीलदार नहीं भी चाहे उसे छोड़ना तो कह दिया जावेगा—यह हमारी पार्टी का मेम्बर है इसको तुरन्त छोड़ दिया जावे। इस तरह से कृपापात्र लोग सरकार को धोखा दे सकते हैं। अब अगर अपने कृपापात्रों के हित सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसे रखिये वर्ना इसकी जरूरत नहीं है।

आगे आपने चार बातें रखी हैं। ये सभी पहले आ गई हैं। पहला यह है इन्टीग्रेटेड कैरेक्टर। यह कम्पेक्ट ब्लॉक में आ गया। स्पेशेलाइज्ड कैरेक्टर सब क्लॉज़ 'डी' में आ गया है। इतनी बातें स्पेशेलाइज्ड फार्म में डिफाइन कर दी हैं तो फिर इसको अलग से रखने का क्या मतलब है। इसी तरह एग्रीकल्चर ऑपरेशन भी आ गया। इन्डस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग भी आ गया।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

तो ये यहां ऐसी चीजें हैं जो दुबारा आई हैं और निरर्थक हैं। इनका महत्व नहीं है। चार कैरेक्टर के आधार पर आप जो चीजें रखना चाहते हैं वे पांच अपवादों में आई गई हैं। बची खुची कोई बात इनमें नहीं है। अगर कोई रह भी गई हो तो उनको अपवाद में ले सकते हैं। अपवाद पांच की बजाय छ: कर दीजिये, सात कर दीजिये।

पर इनको यहां अलग से देना केवल कुछ लोगों को पोषण देना मात्र है, उनको नाजायज अधिकार देना मात्र है। इसलिये इनका मैं विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि इनको यहां से हटा देना चाहिये। इसकी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैग्जीमम लैंड ३० ई में घोषित कर दी गई उसके बाद में फिर सरकार के पास मेग्जीमम लैंड घोषित करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। अगर है तो एग्जेम्पशन के अन्दर उसको रखना चाहिए। उसको छिपाकर रखने की क्या आवश्यकता है। अगर आप उसको छिपाकर रखते हैं तो आपके मन में काला है। अगर आपके मन में काला नहीं है तो आप उसको अपवाद में रखिये। जब आप ५ अपवाद रख सकते हैं तो ६ भी रख सकते हैं, ७ भी रख सकते हैं और आवश्यकता हो तो ८ भी रख सकते हैं। जो करेक्टर्स आपने इन्टीग्रेटेड स्पेशेलाइज्ड एग्रीकल्चर, ऑपरेशन्स एण्ड इन्डस्ट्रियल यह सारे के सारे इसमें आ चुके हैं कोई इससे अलग रहता है फिर आपने इसको क्यों रखा है? इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ, इसको हटा देना चाहिए। सरकार के हाथ में नाजायज़ दूसरे लोगों को गला घोंट कर....

श्री उपाध्यक्ष : We have too much accustomed to impute motives...

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उसके बाद में एक बात और रखना चाहता हूँ। सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो क्लॉज़ (ई) के बाद एक नया क्लॉज़ रखवाने की बात रखी है उसका मैं समर्थन करता हूँ गौशालाओं के साथ में जो फार्म्स रखे हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए, उनको भी एग्जेम्पशन्स में शामिल किया जाना चाहिए ताकि गौशालाएं ठीक तरह से रन करती रहें क्योंकि हमारा जो कृषि का प्रावधान व्यवसाय है गौशाला उसकी मूलाधार हैं और उसका बेसिक पॉइन्ट है। यदि हमारे पास अच्छे बैल होंगे और जब हमारे पास अच्छे बैल होंगे तो अच्छी खेती होगी अगर अच्छी खाद होगी तो पैदावर बढ़ेगी। अच्छे बैल होंगे तो हमारी खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छे बैलों के लिए, अच्छे खाद के लिए गौशालाओं के प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत है....

श्री मोतीलाल : Point of order, Sir. राजस्थान में कितनी गौशालाएं हैं जिनमें बैल पैदा होते हैं?

श्री दयाकृष्ण विजय : वह तो एक लम्बी लिस्ट है उसमें २५ नाम गिनाये हैं।

श्री मोतीलाल : एक ही गौशाला नहीं है जहां कि बैल पैदा होते हों।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों गौशालाओं में बैल पैदा हो ही नहीं सकते हैं?

श्री मोतीलाल : कृषि के लिए बैल उपयुक्त होते हैं तो भी कौन सी गौशाला है जहां बैल पैदा होते हैं?

श्री दयाकृष्ण विजय : आपके जयपुर की गौशाला है जिसने ये बैल दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बछड़े पैदा होते हैं बैल कहां पैदा होते हैं। आपने आगे की स्टेज ले ली इसलिए ऑब्जेक्शन हो गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : तो मैं यह निवेदन करता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां कृषि की पैदावार बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि आपके यहां दूध का प्रोडक्शन बढ़े तो उसके लिए गौशालाओं को रखना बहुत जरूरी है और जो इन गोशालाओं के साथ जमीन है उसको एग्जेम्पशन में लिया जाना चाहिये इसके बाद में मैं निवेदन करूंगा कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाये। एक तो फर्स्ट प्रोविजो और क्लॉज़ (ई) को डिलीट कर दिया जाये और इसके साथ ही साथ जो गौशालाओं के लिए एग्जम्पशन वाला संशोधन माननीय श्री लक्ष्मीचन्दजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने इस बिल की बहुत महत्वपूर्ण धारा ३० आई पेश है और उसके ऊपर कल से वादविवाद चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इसमें जो संशोधन हैं वे इस प्रकार हैं :

"Delete the words 'provided that no member's share...to him" उसके आगे जो प्रोविजो है provided that no member's share in any such farm or farms shall exceed ceiling area applicable to him.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने डिलीशन के लिए इसमें संशोधन रखा है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब हम कोऑपरेटिव मूवमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको एन्करेज करना चाहते हैं फिर अगर किसी ने अपनी कुछ जमीन कोऑपरेटिव फार्म में रख दी है और कुछ जमीन अपने नाम से अलग जोतता है तो उसमें ऐतराज क्या हुआ? अगर सबके साथ मिल कर वह कुछ काम करना चाहता है वह उनकी मन्शा के पीछे–पीछे भी काम करना चाहता है और कुछ हिस्सा ऐसा रखना चाहता है जो अपनी मन्शा से, अपने तरीके से जिस पर काम करना चाहता है मैं यह अर्ज करूंगा कि वह दोनों चीजें अपनाना चाहता है एक तरफ तो कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे चलाकर उसके साथ अपना साझा रख कर अपनी खेती करता है और एक तरफ अपना थोड़ा सा हिस्सा अलग रखता है तो मैं यही अर्ज करने वाला था कि जो हिस्सा उसने कोऑपरेटिव मूवमेंट को सौंप दिया है वह लैंड जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हाथ में है उसको भी एग्जम्पट नहीं करेंगे तो कोऑपरेटिव फार्मिंग से क्या मतलब है?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : दोनों ही हाथ में लड्डू लेना चाहता है।

श्री अनोपसिंह : दोनों लड्डू हमें दे दिये जायें; हमारा काम चल जायेगा। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के साथ अपनी जमीन जोड़ देता है उसके साथ यह प्रोविजो लगाना—provided that no member's share in any such farm or farms shall exceed the ceiling area applicable to him. तब फिर वह अपनी जमीन कोऑपरेटिव फार्म में क्यों रखेगा। अपने हिसाब से जैसे

(श्री अनोपसिंह)

करना चाहता है उसी तरह से करेगा। वह कोऑपरेटिव मूवमेंट के साथ क्यों जाये ? आपके जो बढ़ावा देने की चीज है और जो देश के हित में जाती है और हमारे बड़े–बड़े नेता जिसके ऊपर जोर देते हैं कि हमें कोऑपरेटिव मूवमेंट बढ़ाना है और जिसमें कोई मिलना चाहता है उसी को आप कहते हैं कि यदि तुमने अपनी जमीन सोसाइटी के साथ रख दी तो भी उसको एग्जम्प्ट नहीं करेंगे। तो फिर अगर आप किसी को एग्जेम्पशन नहीं देना चाहते तो फिर कोई अपनी जमीन को क्यों कोऑपरेटिव फार्म में रखेगा ? फिर कोऑपरेटिव फार्म के कैसे कानून हैं उसके अनुसार तो उसको बहुत दिक्कतें आ जायेंगी और नतीजा यह होगा कि आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग फेल हो जायेगा। वह इसलिए होगा कि एक आदमी अपने तरीके से करना चाहता है, दूसरा आदमी दूसरे तरीके से करना चाहता है। एक आदमी के पास हजार रुपये के बैलों की जोड़ी है तो दूसरे के पास ५०० रुपये के बैल की जोड़ी है, एक कहेगा कि तुम जल्दी उठकर नहीं आते हो और दूसरा कहेगा कि तुम जल्दी उठकर नहीं आते हो। इस तरह के जो आपस में नहीं बैठने की चीजें हैं वे होंगी। फिर भी अगर कोई अपना हिस्सा कोऑपरेटिव फार्म में रखता है और चाहे उसके बाद में उसके पास और जमीन रहती है या नहीं रहती है और अगर रहती है तब भी उसको रखने दी जाये और जो जमीन वह कोऑपरेटिव फार्म में रख देता है वह सीलिंग से एग्जम्पट होनी चाहिए। अगर यह हुआ तो आप कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देते हैं, अन्यथा नहीं। आप कहेंगे कि अगर कोऑपरेटिव में रखी हुई जमीन को एग्जम्पशन दे देंगे तो उसके पास ज्यादा जमीन हो जायेगी तो आखिर वह जमीन तो आपके पास ही रहेगी फिर इसमें ऐसी कौन से चक्कर की बात रही कि आप उसे मौका नहीं देना चाहते कि वह कोऑपरेटिव फार्म को बढ़ावा देने के साथ–साथ जमीन को रख सके।

इसके सिवाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा अमेंडमेंट था इन क्लॉज (डी) efficiently managed specialised farms registered in the prescribed manner for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying and'... इसमें In clause (d), insert the words 'or not registerd' between the words 'manner' and 'for' occuring in the second line, and at the end edd the words "and farms machenically worked" after the word 'dairying'.

आखिर उसके साथ और वर्डस जोड़ दिये जायं। मेरा यह सुझाव है कि 'फार्म्स मैकेनिकली वर्क्ड'। अब इसका पूरा और यह होगा ?

'efficiently managed specialised farms registered in the prescribed manner or not registered for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying and farms machanically worked.'

अब इसमें मुझे जो कुछ भी खास अर्ज करने की बात थी वह यह है। ऐसे एफिशियन्टली मैनेज्ड फार्म्स की हालत पर मेरे कई माननीय मित्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि 'ऐफिशियेन्टली मैनेज्ड' को निकाल दिया जाय, मैकेनाइज्ड वर्ड को ही निकाल दिया

(श्री अनोपसिंह)

जाय। 'मैकेनाइज्ड' वर्ड तो ही है, उस के ऊपर चर्चा नहीं आई। मैं अर्ज करूंगा कि 'एफिशियन्टली मैनेज्ड' फार्म्स' वह फार्म्स हो जो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हों। उनके लिये रखा जाय, उसका कारण मैं अर्ज करूंगा। ऐसे बहुत से फार्म्स हैं unregistered cattle breeding horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying farms... के अन्दर लिखा हुआ है। ऐसे बहुत से फार्म्स हैं। उनके एग्जेम्पशन के लिये मैं क्यों अर्ज कर रहा हूँ ? क्या मैं ख्वामख्वाह आपका और मेरा वक्त खराब करने के लिए तो आया ही नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह हम नहीं मानते हैं।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : मैं मानता हूँ कि यह जिस पक्ष से आया है उसमें चश्मा दूसरा लग जाता है, उपाध्यक्ष महोदय। इसमें मेरे को खास अर्ज करने का मतलब यह था कि असल में ऐसे फार्म्स जो कि बहुत दूर देश के अन्दर पड़े हुए हैं जो रेगिस्तान के एरिया से पार होकर दूसरी तरफ चलते हैं वे ऐसे आदमियों के फार्म्स हैं, ऐसे कृषकों के फार्म्स हैं जिन्होंने सभ्यता का कोई रूप ही नहीं देखा है। आपके किसी तहसीलदार को ही नहीं देखा। जिन्होंने किसी कलेक्टर या तहसीलदार को नहीं देखा है, और जिनके पास में ४००, ५०० या हजार, हजार भेड़ें हैं, २००, ३०० गायें हैं, हजार हजार के टोले हैं, हम टोले कहते हैं, उधर केमल्स को, गायें हैं, आजकल हौर्स ब्रीडिंग भी हो रहा है। वे अपनी तरफ से अच्छे घोड़े रखते हैं। बहुतों के पास मैं अर्ज करता हूँ, कि हर एक के पास २०, २५ घोड़ियां मिलेंगी। वे अपने ढंग के साइन्टिफिक तरीके से होर्स ब्रीडिंग करते हैं। वे अपने हिसाब से चल रहे हैं। आज तक पेडीग्री के हिसाब से उनकी रेप्युटेशन है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि ऐसे आदमी जो कि किसी तरह से रजिस्टर्ड करा ही नहीं सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के उनको तरीके मालूम नहीं हैं, उनको रजिस्ट्रेशन का दफ्तर मालूम नहीं है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है यह नहीं मालूम है। मैं अर्ज करूंगा कि रजिस्ट्रेशन को शर्त रख देते हैं वे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करायेंगे ? जो आज तक ४००, ५०० और हजार, हजार तक भेड़ें रखते थे, आज दिन तक उन्होंने वह काम किया है वह छोड़ दें क्या ? आयन्दा रजिस्ट्रेशन करायेंगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा। एग्जेम्पशन कब मिलेगा जब कि registration in the prescribed manner जो वर्ड्स हैं उनको मैं थोड़ा और एनेलाइज करना चाहूँगा, उपाध्यक्ष महोदय। वह इस तरह से रखा गया है कि अगर फार्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि अमुक टाइप की गायें रखता है, अमुक तरीके से रखता है, और उस तरह का बैल है, उस तरह का सांड है भेड़ों के लिये, उस तरह का सांड है गायों के लिये जो कि प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया है, उसको और वह प्रेस्क्राइब्ड मेनर में रखा जाता है, और प्रेस्क्राइब्ड नम्बर का है, उसके रखने का जो तरीका है, उसके दवा दारू करने के सारे साधन जुटा कर रखता है। तो आप कह सकते हैं कि वह रजिस्टर्ड फार्म के लायक है। तब उसको कहा जा सकता है कि वह मॉडल केटल फार्मर है, केटल ब्रीडर है, या केमलब्रीडर है, या होर्स ब्रीडर है। मैं अर्ज करूंगा कि इस राजस्थान में ऐसे कितने

(श्री अनोपसिंह)

मिलेंगे जो कि प्रेस्काइब्ड कन्डीशन्स को पूरी कर सकते हों। हम को यह नहीं देखना है कि कहां पर क्या हो रहा है। हर जगह की दुहाई देने से या एग्ज़ाम्पल देने से वह पूरा नहीं हो सकता है। उससे यह ले सकते हैं कि जितनी कन्डीशन्स पूरी कर सकते हैं वे पूरी करें। साथ ही पहले यह भी खयाल था कि शीप ब्रीडिंग के लिये या केटल ब्रीडिंग के लिये कानून नहीं है और जो रूल्स हैं वे नलीफाइड कर दिये गये हैं, कोई तरीका नहीं था कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करायेंगे, तो किस तरह से करायें। उस हालत में अगर कन्डीशन्स रख दें कि रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाता है तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां पर तरीका नहीं है, रूल्स और रेग्यूलेशन्स नहीं हैं, कोई हिसाब-किताब नहीं हैं, कोई खाका नहीं है, वहां पर आप कहते हैं कि फलां चीज करनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो नहीं मानते हैं कि तुम एक मॉडल शीप फार्मर हो, नहीं मानते हैं कि तुम एक मॉडल केटल ब्रीडर हो। उपाध्यक्ष महोदय, उस हालत में, मैं अर्ज करूंगा कि आज दिन तक जो ५०, ५० गायें, हजार हजार भेड़ें रखते हैं अपने तरीके से जिस तरीके से आज दिन तक रख पाये हैं, यह नहीं है कि आस्ट्रेलिया का ब्रीड आया है तो अपने तरीके को छोड़ देंगे वह बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आस्ट्रेलिया में तो भेड़ें बाड़मेर से गई हैं।

श्री अनोपसिंह : बहुत खूब मैं मानता हूँ कि आस्ट्रेलिया को यहां से गई हैं, लेकिन वह हर जगह नहीं पहुंची हैं और सारे आस्ट्रेलिया में बाड़मेर की ही नहीं पहुंची हैं और भी टाइप की रखी गई हैं, लेकिन आस्ट्रेलिया से हमारे यहां भी आई हैं। मैं मानता हूँ इसमें कोई दो राय नहीं हैं। पर मैं अर्ज करूंगा कि अगर उनको नहीं मालूम है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होता है तो आज दिन तक जो धन्धा करते थे उससे वे महरूम रह जाते हैं। एक्जेम्पशन नहीं होने से उनका धन्धा खत्म हो जायेगा जिनकी जिन्दगी यही है। जैसलमेर, बाड़मेर, शेरगढ़, फलौदी, जालोर यह एरिया माननीय कृषि मन्त्री जी से छिपा हुआ नहीं है। आप उसको अच्छी तरह से जानते हैं और इस बात की ताईद करेंगे कि उनके पास हजारों की तादाद में इस तरह से भेड़ और बकरियां हैं कि राजस्थान हिन्दुस्तान की टोटल प्रोडक्शन है ऊन की उसका ४५ प्रतिशत देता है। इसका मतलब है कि करीब-करीब आधा देता है, और राजस्थान में भी मैं अर्ज करूंगा कि यह एरिया है जो कि मेजर पोर्शन देता है। और आप फर्मायें तो मैं बेसिस स्टेटिस्टिक्स जो कि अपने यहां भेजी गई हैं उससे इस बात को प्रूव कर सकता हूँ। खैर, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि यह एग्जेम्पशन रखें उसमें यह कन्डीशन रखें कि यह नहीं होगा तो नहीं मानेंगे तो वह बहुत बड़ा इस धन्धे पर कुठाराघात होगा। वैसे आप की इन्डस्ट्री के लिये कहते है कि बढ़ावा देना चाहते हैं, पर मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह से एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और रजिस्ट्रेशन उनके लिये जरूरी और लाजिमी होगा तो इस तरह से उनके धन्धे को बहुत धक्का लगेगा। यह उद्योग, मैं अर्ज करूंगा, बहुत पिछड़ा हुआ हो

(श्री अनोपसिंह)

जायेगा जो आज तक इस धन्धे को करने वाले लोग हैं उनको और मेरे खयाल में यह एजेम्पशन नहीं देंगे तो बिल्कुल खत्म हो जायेगा। उनका धन्धा यही है। उनके पास कोई खेती नहीं है, क्योंकि बरसात वहीं होती नहीं है। उनका मेन धन्धा यही है केटल फार्मिंग का, शीप ब्रीडिंग का और उससे अपना काम चलाते हैं।

उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं उन गौशालाओं के लिये कहता हूँ कि जहां पर धार्मिक सेन्टीमेंट से, धार्मिक विचारों से गायें रखी जाती थीं, गायें चरती थीं उनकी हिफाजत की जाती थी और उनके पीछे जमीन छोड़ी जाती थी यानी उनके पीछे जमीन खेती के लिये रखते थे। जिसमें उनके लिये फोडर पैदा कर सकें और गौशाला का काम उस फोडर से चल सके। मैं समझता हूँ कि वे एक पब्लिक ट्रस्ट की चीज है जो कि किसी के घर में आने को नहीं है। यह पब्लिक के लिये रखी गई हैं सिर्फ इसी सिद्धान्त के लिये कि गौ की रक्षा करना है, गौ की सेवा करना है। मैं समझता हूँ कि उनको एजेम्पशन जरूर मिलना चाहिये। इसमें, मेरे खयाल से, इस सदन के माननीय सदस्यों की दो राय नहीं हो सकती हैं।

अब आगे मुझे यह अर्ज करना था कि मैंने जो संशोधन रखा है कि मैकेनाइज्ड फार्म को एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिये। अगर मैकेनाइज्ड वर्ड यहां नहीं लिया गया है तो वह लगाया जाय।

२ म. प.

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में बहुत बार कहा गया है और कल व आज अच्छी तरह से हमने इस बात को सुना है, शायद एक, दो या दो चार सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने मैकेनाइज्ड फार्म का सपोर्ट किया होगा अन्यथा जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं और अपने विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं उनसे मालूम होता है कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के हमारी कैन्सेस ऑफ ओपिनियन खिलाफ है।

अब मैं इस बात का विस्तार न करता हुआ अर्ज करूंगा कि हम क्या अपने खेतों को उसी ढंग से और उसी ढांचे पर चलाना चाहते हैं जिस ढंग से ५० वर्ष पहले या सौ दो सौ वर्ष पहले था। क्या वह गाड़ी टूटी-फूटी, हिलती--डुलती, वही गाड़ी, वही बैल, वही प्लाऊ जिसको हम हल बड़े फख्र के साथ कहते हैं, अब भी रखना चाहते? जिसके बारे में हमें मालूम हो गया है कि इस हल में अब वह ताकत नहीं रही। और आज हम उस कंडीशन को देखें जो आज से २०० वर्ष पहले थी........

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : टूटी-फूटी गाड़ी से आपका क्या मतलब है? जरा समझावें।

श्री अनोपसिंह : आपके पास टूटी-फूटी गाड़ी नहीं होगी, अच्छी खासी ट्रोली होगी। आपने किसान का घर देखा है, वकील साहब होने के नाते और आप जानते हैं कि किसान का घर कैसा होता है.... ...

श्री मूलचन्द डागा : किसान का घर तो आपने अन्दर से देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : घर को भी देखा है और भावना भी जानते हैं।

Page No.62

श्री अनोपसिंह : इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हम यदि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दुनिया से कम्पीटिशन करना चाहते हैं, और बाहर से अनाज नहीं मंगाना चाहते हैं, और अमेरिका और आस्ट्रेलिया के गेहूँ के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं तो हमें मैकेनाइज्ड फार्मिङ्ग करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप इससे सहमत न हों लेकिन मैं मानता हूँ कि हिन्दुस्तान में आज कंडीशन मैकेनाइज्ड की नहीं आई है। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि २०० वर्ष पहले की हालत भी आज हिन्दुस्तान में नहीं चल सकती। आज हिन्दुस्तान को भी कम्पीटिशन करना पड़ता है। कल माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हैवी इन्डस्ट्री को बार लेवल पर चलाना पड़ेगा। उनके हिसाब से लार्ज स्केल पर हैवी इन्डस्ट्री को बार लेवल पर चालू करना है। आप जानते हैं कि हमारा देश इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। हम पंचशील और शान्ति की बात करते हैं........

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question, that is the amendment. Now not the foreign policy or the Panchsheel.

श्री अनोपसिंह : मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : I apprehended you will exceed it.

श्री अनोपसिंह : जो हमने आज तक मैकेनाइजेशन के बारे में माना है–इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमें कम्पलसरिली, लाचार होकर मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। आज हिन्दुस्तान के बड़े बड़े आदमी इसको मानने लगे हैं। बिना मैकेनाइजेशन के काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि हमारे यहां मशीनें कहां हैं, ट्रैक्टर कहां है, उसके पुर्जे कहां है, खराब हो गये तो कहां से आयेंगे? वे बाहर से विलायत से नहीं आयेंगे बल्कि अपने यहीं के मिस्त्री उन्हें ठीक करने वाले होंगे, बाहर से ट्रेनिंग लेकर आये हुए वे अपने यहीं के लोग होंगे, इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि ऐसी स्थिति में अपने को मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आप अमेरिका को देखिये। वहां पर ४४ मिलियन फेमिलीज़ ऐसी हैं जिनके पास घर हैं, टेलिविजन सैट है, कार है, खुद का मकान है। जिनको आप वेज अरनर करते हैं वैसी ६७ मिलियम फेमिलीज हैं और हरएक वेज अरनर की करीब–करीब १५०० रु० तनख्वाह है ....

श्री उपाध्यक्ष : That is a very prosperous country. Let us come to our country-India.

श्री अनोपसिंह : जब तक मैं ये बातें अर्ज नहीं करूंगा तब तक अपनी बात की पुष्टि नहीं कर सकूंगा। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर जो इस तरह की हालत पैदा हुई, वह क्या इस हल और गाड़ी व बैल के भरोसे हुई। मैं यह बताना चाहूँगा कि वहां का ऑर्डिनेरी एग्रीकल्चर लेबर १ डालर पर ऑवर लेता है। वन डालर मीन्स फोर रूपीज एक घंटे के। अगर वह ८ घंटे काम करता है तो ३२ रुपये पर डे यानि महीने के कई हजार रुपये एक एग्रीकल्चरल लेबरर कमाता है। आप कहेंगे कि लेबर की क्या वेल्यू है। वहां पर ६७ मिलियन लेबरर्स हैं, क्या वे सभी मास्टर्स हैं? डेमोक्रेसी के

(श्री अनोपसिंह)

लिहाज़ से सभी मास्टर हैं लेकिन काम करने के लिए सभी लेबरर हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमको लेबरर नहीं चाहिये। मैं मानता हूँ कि लेबरर कोई नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष : Should I request Mr. Anoop singh that we are to conclude our debate at 2. 30.

श्री अनोपसिंह : मेरी जमीन पर तो सीलिंग आयेगा लेकिन मेरे बोलने पर भी सीलिंग आ जायेगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : We have decided to close the debate at 2. 30 and that is with the concurrence of the House. We have now to adjust the time.

श्री अनोपसिंह : इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जब तक हाइली मैकेनाइज्ड होने की स्थिति हमारे यहां नहीं आती तब तक उन्नति नहीं हो सकती। आज १२ वर्ष हो गये हमें आजाद हुए, लेकिन आज दिन तक ट्रैक्टर्स के पार्ट्स हमारे यहां नहीं बन सके। दूसरी मशीनरी हम बनाने लगे हैं लेकिन ट्रैक्टर आज तक नहीं बना सके और इस पर भी हम चाहते हैं कि नये ढग से खेती की जाय, हरी खाद दी जाय, कटाई और बुवाई नये ढंग से की जाय, जमीन पहले साफ की जाय, ज़मीन साफ की जाय। यह यदि अब तक शुरू हो गया होता तो २०० वर्ष पुराने टीबे आज तक साफ हो गये होते और धान की कमी पूरी हो गई होती। लेकिन यह सब कुछ नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि हमने उन चीज़ों को अपनाया नहीं और इसके लिये गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ही नहीं। जब तक इन्डस्ट्री और एग्रीकल्चर का समन्वय नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चर में जो कमियां हैं उनको सप्लीमेंट इन्डस्ट्री कर सकती है। इन्डस्ट्री के बिना एग्रीकल्चर को सप्लीमेन्ट नहीं किया जा सकता। यदि आप को हल या ट्रैक्टर चाहिये तो इसके लिये फैक्ट्री भी चाहिये। एग्रीकल्चर और मैकेनाइज़ेशन साथ साथ चलेंगे तभी प्रोग्रेस कर सकते हैं अन्यथा नहीं कर सकते। बड़े दुःख की बात है कि हमारे यहां एग्रीकल्चर पॉलिसी नाम की कोई चीज़ रही नहीं और इन्डस्ट्री एग्रीकल्चर के साथ चली नहीं और इसी कारण से उसी पुराने हल, गाड़ी तरीके की दुहाई देते हैं। छोटा सा इन्सान है, छोटा सा काम कर लेगा उससे अधिक न कुछ लेना है और न कुछ देना। क्या वही तरीका जो अमेरिका आज मज़े से चलता है, हमारे यहां नहीं चलाया जा सकता। क्या नेहरूजी ने जो ख्वाब टिनेन्सी का देखा, वह हमारे यहां पूरा नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके पर चले तो सौ दो सौ वर्ष तक भी पूरा नहीं हो सकता। हमारे यहां उसकी मखौल उड़ाई जाती है और कहा जाता है कि हम हमारे ही साधन काम में ला सकते हैं लेकिन आप इससे नेहरूजी के स्वप्न पूरे नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं........

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद क्या रह जाता है ?

श्री अनोपसिंह : इसके बाद भी बहुत कुछ रह जाता है। मैंने यह सुना है कि एक्सटेन्सिव फार्मिंग से प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा सकता और भुखमरी नहीं जा सकती।

(श्री अनोपसिंह)

बढ़ी हुई, जमी हुई, चीज को ब्रेक करने में ऐतराज नहीं है और छोटी चीज जो जमी नहीं है, जिसका खाका नहीं है, उसको जमाया जाय। जिसके लिये कोई प्लान नहीं, जिसके लिये खाद नहीं, इम्पलीमेन्ट्स का पता नहीं, आपके जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हैं वे गावों में लोगों को सलाह देने नहीं जाते, फिर कहां से होगा ? क्या होगा ? आप इस बात को मानते हैं कि छोटे छोटे काश्तकारों को बढ़वा दिया जाय, लेकिन कहां से दिया जाय ?

अब मैं अर्ज यह करूंगा, क्योंकि अर्ज करूंगा कि मैकेनाइज्ड फार्म रखे जांय, ट्रेक्टर और मशीन लगाई है उनके लिये एग्जेम्पशन रखा जाय। वह इसलिये अर्ज करूंगा कि मुझे अपने एरिया का अनुभव है, एक दिन में एक हल से सात बीघा जमीन बोई जा सकती है और एक पूरे सीजन में एक काश्तकार को २० दिन मिल सकते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): Sir, I want to know whether there is any restriction in this clause regarding mechanised farming. All that we have stated is well managed farming. Where does he find that mechanical farm is excluded ?

श्री अनोपसिंह : मैं आपके एक्स्प्लेनेशन को मानता हूं और मानते हुए यह अर्ज करूंगा, क्योंकि इस बिल में यह नहीं है कि वे क्या कन्डीशन्स हैं, जिनका होना शायद जरूरी है। मैंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखी है और उसको आपके साथ डिस्कस भी किया है, हल होगा, फर्टीलाइजर से वह काम लेता होगा, इम्प्रूव्ड सीड वह काम में लेता होगा, रोडवेज का फायदा उठाता होगा, ये सारी चेनल्स हैं, जिनकी वजह से एक एफीशियेन्टली मैकेनाइज्ड फार्म अच्छी तरह काम कर सकता है....

श्री उपाध्यक्ष : Efficiently managed.

श्री अनोपसिंह : ऐसी कौन-कौन सी चीजें कहां कहां है। अगर किसी ने मैकेनाइजेशन अपने पैसे से कर दिया है तो उसको बढ़ावा देना है, चाहे और दूसरी कन्डीशन्स सेटिसफाई हो सकती हो या नहीं, अगर आधी कन्डीशन्स सेटिसफाई होती हो, पौन कन्डीशन्स सेटिसफाई होती हों, तो कम से कम यह रखना चाहिए था कि इतनी कन्डीशन्स सेटिसफाई कर सकता है तो वह मैकेनाइज्ड फार्म एक्जेम्पशन का अधिकारी है, तब तो मैं मान सकता हूं। इसलिये मुझे यह अर्ज करना पड़ा कि अगर किसी ने अपने पैसे से मैकेनाइजेशन कर दिया है, कई जगह ऐसा हुआ भी है, अपने यहां हुआ है और दूसरी कन्ट्रीज में हुआ है कि ५० हजार रुपया और लाखों रुपये की तकावी देकर मैकेनाइजेशन को प्रोत्साहन दिया गया है। कुछ दिनों पहले यह पॉलिसी राजस्थान में भी थी। अब वह पॉलिसी न मालुम किस कारण छोड़ना चाहते हैं। किसी कमीशन ने बैठकर कह दिया कि मैकेनाइजेशन अपने यहां सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ चन्द स्टेट में ये फार्म फेल्योर रह गया है, क्योंकि टोप हेवी एक्सपेन्डीचर होगया, प्रोडक्शन नहीं हो सका, खर्चा ज्यादा होगया, जिसे पूरा नहीं कर सके। इस कारण ही कह दिया कि मैकेनाइ-

(श्री अनोपसिंह)

जेशन किसी काम का नहीं है। मैं अर्ज करूंगा कि इसी जगह खड़े होकर ही कल मैकेनाइजेशन किया है, कल ट्रेक्टर खरीदे हैं, १२०० और ३४२ पम्पिंग सेट्स खरीदे हैं, इसको ही क्या मैकेनाइजेशन समझेंगे, कितने हैं ट्रेक्टर और कितनी हैं मशीन ? एक दिन में आप वरडिक्ट दे देना चाहते हैं कि आज के बाद मैकेनाइजेशन नहीं होना चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष : You have enough dealt with on this issue. We have to conclude the debate at 2.30.

श्री अनोपसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जल्दी निवेदन कर दूंगा । 'फार्म्स-मैकेनिकली वर्क्ड' रखा है, मैं समझता हूं कि इसे माननीय राजस्व मन्त्री स्वीकार करेंगे ।

उसके बाद मैंने अर्ज किया है, Delete the first proviso. फर्स्ट प्रोविजो यह है :

"Provided that nothing under this sub-section shall apply to any land comprised in any such farm or grove which may have been acquired in any way on or after the first day of May, 1959."

१६५५ के बाद ग्रोव लैंड कर दिया है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं है फिर ऐतराज कब होगा । एक तरफ आप बान करना चाहते हैं तब से, किसी ने इधर या उधर जमीन खरीदी है तो वह नहीं हो सकता है, गलत है । एक तरफ हक देना चाहते हैं, १६५५ मई के बाद किसी ने किसी तरह जमीन एक्वायर करली है, तो उसके लिए ऐतराज है ...

श्री मोतीलाल (डीडीवाना): ऐतराज है ?

श्री अनोपसिंह : इसमें कहां है ।
इसके आगे मेरा ऐतराज है :–

'Delete sub-section 2...

The Government may by notification in the Official Gazette, exempt from the operation of Section 30 Eany person, land or...

किसी आदमी को, किसी तबके को, किसी होल्डिंग, किसी एरिया को छोड़ सकते हैं. ऑन वाट बेसिस, ऑन वाट करेक्टर, क्या डेफिनेशन होगी, क्या शर्त है, किन-किन के ऊपर छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, इसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि यह बहुत एम्बीगुअस है, ऐसी पॉवर्स हैं गवर्नमेंट के हाथ में, मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट पर मुझे विश्वास है, लेकिन इसके नीचे जो काम करने वाले हैं, एक्जीक्यूटिव है, इतनी करप्ट है कि वह किसी चीज को सही तरह नहीं कर सकती, जिनको एग्जेम्पशन मिलना चाहिये, उनको एग्जेम्पशन नहीं देगी और जिनको नहीं मिलना चाहिये उनको मिलेगा । मैं अर्ज करूंगा। माननीय सदस्यों से कि Sub-Section (2) must be deleted.

इसके आगे मैं सदन का ज्यादा वक्त न लेते हुए अर्ज करूंगा कि अगर हमें किसान को अपने पैरों पर खड़ा करना है........

श्री मोतीलाल : आप बैठ जाइये, किसान खड़े हो जायेंगे ।

श्री अनोपसिंह : हालांकि मुझे अर्ज बहुत करना था लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि अगर उसकी पर्चेजिंग पॉवर बढ़ानी है, उसका स्टेन्डर्ड बढ़ाना है तो जो

(श्री अनोपसिंह)

फार्म पहले के बने हुए हैं उनको न तोड़ें। जो अभी तक जमे नहीं हैं, उनको जमायें। मैं मानता हूँ कि एक चीज को तोड़ कर दूसरी को बढ़ावा दें तो यह अच्छा नहीं होगा। सूरतगढ़ का फार्म हनुमानगढ़ में और सरदार समन्द का फार्म जोधपुर में हैं, वे देखने के लायक हैं। मैं मानता हूँ कि इतने बड़े-बड़े आगे किसी के हो नहीं सकते। यह बात तय है कि ऐसे फार्म आगे हो नहीं सकते। जो हो गये सो हो गये। जिन्होंने वेल मैनेज्ड करके उन्हें रखा है, वे बढ़ने वाले हैं। उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है मैकेनाइजेशन करके........

श्री उपाध्यक्ष : You have again come to the beginning.

श्री अनोपसिंह : No Sir. I am just concluding. इसलिए मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा........

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री अनोपसिंह : जिन्होंने संशोधन रखे हैं, वे सोच कर देखें, सही नजर से देखें और दूरदर्शित से देखें कि क्या करने वाले हैं और क्या करने जा रहे हैं? एक तरफ यह व्यू है कि हिन्दुस्तान और राजस्थान का भला हो जाय, लेकिन यह बात नहीं है। इसको प्रत्यक्ष देखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि इस सीलिंग के बाद प्रोडक्शन का लेवल नीचे आयेगा। और एक दिन याद आयेगा कि हमने फलां दिन फलानी जगह पर गलती की, उस दिन मानेंगे कि हमने एक गलत काम करके उसे जस्टीफाई किया। मेरा इतना ही निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सदन में दो घंटे लगेंगे अमेंडमेंट के वास्ते तो कुछ मिनट में कैसे बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था आपने ही की है।

एक माननीय सदस्य : मैं भी इसका समर्थन करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था आपने ही दी है।

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, धारा ३० आई की धारा (ई) के लिए मेरा संशोधन है कि इसको लोपित किया जाय [Delete clause (e) of Sub-section (1)] और दूसरा संशोधन है कि गौशालाओं की जमीन को सीलिंग से मुक्त किया जाय [add a new clause (f) as follows:-"Land belonging to Goshalas.") उपाध्यक्ष महोदय, राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश में आर्थिक और सामाजिक गुलामी शेष रहती है, अतः हमारा कर्त्तव्य है कि दो प्रकार की गुलामी से मुक्त होवें। जब तक हम इन दो प्रकार की गुलामी से मुक्त नहीं हो जाते तब तक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते। प्रस्तुत विधेयक में हम ज़मीन की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं और जो आर्थिक कार्यक्रम है, उसके द्वारा हम उन लाखों लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं, कई क्षेत्र के अन्दर जो विषमता है, उसको उस क्षेत्र से मिटाने जा रहे हैं। लेकिन जब इस धारा पर विचार करते हैं तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, जिसके द्वारा हम सीलिंग ला रहे

Page No.67

(श्री रामनारायण वर्मा)

हैं, जिन लाखों लोगों की भूख मिटाना चाहते हैं, वह उद्देश्य हमारा चेन्ज हो जाता है, वह बदल जाता है और जिस दिशा में हम गमन कर रहे थे, जो हमारी मंजिल थी, जो हमारा गंतव्य स्थान था, उससे विमुख दिशा में चलते हुए नजर आते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक के पीछे हमारी भावना थी कि जिन लोगों के पास कुछ कारणों को लेकर अधिक जमीन इकट्ठी हो गई, उनसे लेकर लाखों लोगों को देनी है। यह मूल उद्देश्य था लेकिन इसकी भावना ऐसी लगती है कि हम शीर्षासन की अवस्था में पड़ गये हैं, बिल्कुल उल्टी दशा हो गई है। इस विधेयक के द्वारा जिनके पास बड़े-बड़े बगीचे हैं, उनको छूट देते हैं, गन्ने की खेती को छूट देते हैं, बड़े-बड़े फार्म जिनके पास हैं, उनको सीलिंग से मुक्त कर देते हैं। इसके पीछे एक तर्क दिया जाता है। हम एक तरफ सीमा जमीन की निर्धारित कर देते हैं, ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन एक परिवार के पास रहेगी, दूसरी तरफ इन बड़े-बड़े पूंजीपति और मालदार......

श्री उपाध्यक्ष : एक बात निवेदन करूंगा, आपका संशोधन है : Delete clause 30 (e). It has already been moved by Mr. Vijay. भाषण वैसा का वैसा है, जैसा श्री विजय ने दिया। मैं समझता हूँ कि आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं इस सम्बन्ध में।

श्री रामनारायण वर्मा : जी हां। बड़े बड़े फार्म्स जो हैं, उनके सम्बन्ध में निवेदन करना था कि सरकार एक तरफ सीमा निर्धारित करने जा रही है और दूसरी तरफ बड़े बड़े फार्म्स को छूट देती जा रही है। इसे अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो एक विषमता नजर आती है और मिडिल क्लास के जो किसान हैं, उनसे जमीन ले लेते हैं और दूसरी ओर जो पूंजीपति हैं, जो मालदार हैं, उनको अधिक मालदार करने की बात करते हैं। और इसमें तर्क यह उपस्थित किया जाता है कि बड़े बड़े फार्म्स हैं वे अधिक पैदावार करते हैं, उनके यदि टुकड़े कर दिये जायेंगे तो देश की पैदावार पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हर एक किसान जानता है, मैं स्वयं एक किसान हूं इसलिये कह सकता हूं कि इसके लिये यदि यह तर्क उपस्थित किया जाता है तो वह बिलकुल थोथा और निराधार है। इसके लिये किसी विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता नहीं, चौधरी चरणसिंह से पूछने की आवश्यकता नहीं, गांव के एक किसी अनपढ़ किसान से पूछ लीजिये कि जिसके पास १००० बीघा जमीन का फार्म हैं वह ज्यादा पैदा करता है या जिसके पास १०० बीघा जमीन है वह ज्यादा पैदा करता है। तो वह किसान आपको बता देगा कि बड़े बड़े फार्म वालों की बनिस्बत, बड़े-बड़े खेतों वालों की बनिस्बत थोड़ी भूमि वाला, छोटे खेतों वाला अधिक पैदा करता है। तो यह तर्क थोथा और निराधार है।

जिसके पास एक हजार बीघा का या दो हजार बीघा का फार्म है तो यह बिलकुल सत्य बात है कि वह केवल खेती पर ही निर्भर नहीं करता, उसके पास दूसरे भी आय के साधन हैं, या तो व्यापार करता होगा या लेन-देन करता होगा। और जब दूसरे आय के साधन हैं तो खेती उसकी दृष्टि में गौण धंधा है, इसलिए वह पूरी शक्ति, पूरी ताकत नहीं लगाता, पूरी तरह से मेहनत नहीं करता, इसी कारण उसके फार्म में उसके बड़े खेतों में

(श्री रामनारायण वर्मा)

पैदावार कम होती है। अगर उसी हजार बीघा के खेत को १० परिवारों में बांट देते हैं तो वे सारे के सारे परिवार स्वयं काम करेंगे, पति-पत्नी, बच्चे सब मिल कर रात-दिन मेहनत करेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि पैदावार ज्यादा होगी।

तो जो तर्क दिया गया कि जो बड़े फार्म हैं उनमें ज्यादा पैदावार होती है, उन बड़े फार्म के छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे तो कम पैदावार होगी, यह बिलकुल निराधार और थोथा तर्क है। इस तरह से तो यह कानून पास कर के जिन लोगों के पास हजारों बीघा जमीन है उनसे कुछ नहीं लेंगे और इसका असर मध्यम वर्ग के लोगों पर होगा जिनके पास पहले से ही थोड़ी जमीनें हैं उनके पास से दस-दस, बीस-बीस बीघा जमीनें ले लेंगे, जहां कम्पेन्सेशन का सवाल आता है तो इन मध्यम वर्ग के लोगों का कोई पक्ष नहीं लेता। एक तरफ तो छोटे किसानों से जमीन लेने जा रहे हैं, इससे इन लोगों की तो हालत गिरेगी ही, जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, भूमिहीन, जिनको आप ये जमीनें उन लोगों से ले कर देना चाहते हैं, इन भूमिहीनों के लिये भी पर्याप्त नहीं होगी। कोटा जिले में जागीरदारों का कुछ नहीं है।

ठेकों से पांच-पांच, छः-छः, बीघों में खेती करवाते हैं, टिनेन्सी एक्ट से वे लोग उन जमीनों के मालिक बन जाने चाहिये थे पर उन्हें हर साल हेर फेर कर देते हैं। सेठों के पास जमीनें हैं। जब से स्वतन्त्रता मिली वे लोग उम्मीद लगाये बैठे थे कि हमें जमीनें मिलेंगी ...

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आपके नेता नहीं मिलने देते।

श्री रामनारायण वर्मा : कौन कहता है कि नहीं देना चाहिये, हम तो लेना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों बीच में बात करते हैं, भाषण चलने दीजिये।

(हंसी)

श्री रामनारायण वर्मा : तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को जमीनें मिलने का प्रश्न आया है तो आप जो बड़े बड़े फार्म हैं उनके लिये कहते हैं कि उन बड़े बड़े फार्म्स को सीलिंग से मुक्त रखा जायेगा। मेरा निवेदन है कि जो बड़े बड़े फार्म्स को मुक्त रखा जा रहा है, सीलिंग से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है वह नहीं किया जाना चाहिये और जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का रखा है वही सबके लिये रखना चाहिये, उससे ज्यादा रखने की किसी को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जानी चाहिये। आपने कहा है कि इस सीलिंग से जो भूमि मिलेगी वह सहकारी समितियों को अलॉट की जायेगी। मैं फिर कहता हूँ कि छोटे छोटे फार्म्स में ज्यादा पैदावार होती है।

श्री उपाध्यक्ष : वह अभी आपने फर्माया था....It should not be a repetition.

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा संशोधन था कि गौशालाओं को सीलिंग से मुक्त रखना चाहिये। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि मशीनों से और आधुनिक नये नये औजारों, उपकरणों से अच्छे खेती की जा सकती है, अधिक पैदावार की जा सकती है, टूटे हल और बैलों से अच्छी खेती

Page No.69

(श्री रामनारायण वर्मा)

नहीं हो सकती। मैं यह नहीं मानता। बैलों से अच्छी खेती हो सकती है। गौशाला का अर्थ होगा कि गौ पशुधन को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि गौशालाओं के पीछे जो जमीनें हैं उनको सीलिंग से मुक्त रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, ३० आई सेक्शन पर मेरे दो संशोधन हैं। मेरा पहला संशोधन है :

Add the following new Clauses after clause (e) :—

" (f) land held by a local authority or a University established by law within the State,

(g) land which is the property of a Public Trust for educational or charitable institution provided the entire income of such land is appropriated for the purpose of such trust.

Explanation:-- For the purpose of clause (g) a certificate granted by the Collector after holding such enquiry as he may deem fit, to the effect that the conditions mentioned in the clause are satisfied by a Public Trust, shall be a conclusive evidence in that behalf."

दूसरा मेरा संशोधन है :

Sub-Section (1) :

The following new proviso be added after the second proviso :—

"Provided also that nothing under clause (b) of sub-section (1) shall apply to any land comprised in such sugar cane farm, if sugar—cane has not been grown in it continuously for five years immediately preceding the commencement of Rajasthan Tenancy (Sixth Amendment) Act, 1958."

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक वाजिब बात है कि हमारी ऐसी संस्थाएं या ऐसी स्वायत्त शासन संस्थाएं हैं, जिनके पास फार्म्स हैं, या जिनके पास ऐसी दूसरी जमीनें हैं, जिनमें खेती करवाई जाती है, एक्सपेरिमेंट्स करवाये जाते हैं, अथवा विश्व-विद्यालय के पास जमीन है या ऐसे ट्रस्ट जिनका उद्देश्य समाज की सेवा करना है, जो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होती हैं, अथवा इस प्रकार की धार्मिक संस्थाएं हैं, जिनके पास जमीनें हैं जिनसे धर्म के कार्य चलते हैं, उन जमीनों के लिए इस सीलिंग बिल द्वारा छूट देना चाहते हैं क्योंकि ऐसी संस्थायें जो कि हमारे समाज के लिए बड़ी उपयोगी हैं, इसलिए ऐसी संस्थाओं के पास जमीनें हैं तो उनको सीलिंग लिमिट से छूट मिलनी चाहिये।

दूसरा मेरा संशोधन शुगर केन फार्म के बारे में था। यदि शुगर केन फार्म किसी के पास है, ऐसी मिल के पास हैं जो शुगर प्रोड्यूस करती है, मगर उस शुगर फैक्ट्री ने पिछले ५ वर्षों में शुगर केन ग्रो नहीं किया है तो यह वाजिब होगा कि जो छूट हम इस बिल के द्वारा देने जा रहे हैं वह नहीं दी जानी चाहिये। इस तरह की फैक्टरी शुगर

(श्री भीमसेन)

केन के बजाय वीट या इसी तरह का और अनाज बोती है, शुगर केन ग्रो नहीं करती तो ऐसी फैक्टरी को किसी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिये। इसी तरह से मेरे दो संशोधन हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार इनको मन्जूर करेगी।

इसके अलावा इसका सब-सैक्शन (२) है उसके बारे में कुछ निवेदन करना है। अगर यह यों का यों पास हो जाता है तो मैं यह कहूँगा कि हम फिर सीलिंग बिल पास करें, या न करें बराबर हो जाता है क्योंकि इससे सीलिंग बिल नगण्य हो जाता है। इसमें इतने वाइड पॉवर्स हैं। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि यह सब-क्लॉज (२) जो रखा गया है उसको डिलीट कर दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा सा संशोधन है [The words " within" be substituted by the words "continuously for"] और वह अभी बांटा गया है। मैं इसमें सिर्फ word 'within' की जगह 'continuously for' रख दिया जावे, यह चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Which word ?

श्री मूलचन्द डागा : Word 'within' के स्थान पर 'continuously for' कर दिये जाने चाहिये। बस यही मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रसिंह यादव।

(अनुपस्थित)

राजा श्री मानसिंह।

राजा श्री मानसिंह (बैर) : Sir I will not take more time of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Thank you.

राजा श्री मानसिंह : [(1) In sub-section (1) omit the words "efficiently managed" wherever they occur.

(2) Delete the "Explanation."]

I entirely agree with the expression for one phrase 'efficiently managed.' But this one phrase 'efficiently managed' is not clearly defined any where in this Act. This Explanation reads as :—

"The expression "efficiently managed" used in this sub-section with reference to a farm, shall mean such farm managed in the prescribed manner. "

There is such a loop-hole here that the Government may make rules which may go against the wishes of the House and the Government may follow the policy of victimising the farmers. The Government has a budget at its disposal of over and above 30 crores and whether it is efficiently managed. This is evident from the Audit Reports, Public Accounts Committees' report and the progress reports of the various departments and they expect an individual farmar to run an efficiently managed farm. Neither the Veterinary Department nor others are in

(राजा श्री मानसिंह)

a position to give a farmer some help either technically or otherwise with regard to seeds, fertilisers, agricultural implements or sheep breeding etc. and they are not available to meet the necessities of the farmers. The Government no doubt, Sir, realises its own difficulties even with its vast resources to meet their programmes in various five Year Plans. Therefore, I don't understand how can they expect a farmer with limited resources to run efficiently managed farm. As I was explaining last time, there is enough corruption in the Government and this term is so vague that this will increase corruption. On the other hand we believe that the Government's policy is to do farming in future on co-operative lines but even in the section with regard to the co-operative farming the word 'efficiently managed farm' occurs. If we accept to run on co-operative basis then they will be co-operative farms of landless labour handled by urban educated people. I, therefore, appeal Sir that either the Government should accept my amendment or they should give us an assurance that while framing the rules, there would be a provision in those rules which will give an opportunity to a farmer to bring his farm to the standard which the Government desires. It is possible that the farmer may have invested a large amount on cattle and to build up the farm of a specialised nature which may not come to the standard which the Government may visualise. But if the Government is willing to help them, there should be no difficulty and they should either accept my amendment or they should give an assurance to this House.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज ३० डी है वह ट्रान्सफर के मुतल्लिक है। इस क्लॉज ३० डी की मंशा यह है कि हम जब सीलिंग मुकर्रर करने जा रहे हैं तो हमें ऐसे प्रोविजन नहीं रखने चाहिये कि जिससे जिस दिन हमारा यह कानून बने उस दिन इस कानून का भी मकसद है वह डिफीट हो जाए। हम जिस मकसद से सीलिंग इम्पोज़ करने जा रहे हैं, हमें जमीन ही नहीं मिले और आपस में इतने बोगस और मैलाफाइड ट्रान्सफर हो जावे जिससे इस बिल का पर्पज ही मारा जावे और डिफीट हो जावे। आपने प्लानिंग कमिशन के प्लान को देखा होगा। उन्होंने यह बताया है कि मैलाफाइड ट्रान्सफरों पर रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है। यह सैकिन्ड प्लान में है और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये चन्द लाइन पढ़ कर बता देता हूँ :

"Whichever course is adopted, it is important that suitable action should be taken in respect of malafide transfers of land. If individual holdings are taken as the basis for the enforcement of ceilings, there would be greater scope for malafide transfers and special measures would need to be devised to deal with the problem. It is

(श्री दामोदरलाल व्यास)

necessary that each State should give urgent attention to the effect of mala-fide transfers made during the past two or three years with the intention of circumventing ceilings on holdings and should consider action needed to prevent such transfers in the immediate future."

प्लानिंग कमीशन की यह मंशा है और अपनी सैकिण्ड प्लान में उन्होंने यह मंशा बताई है। सीलिंग का बिल पास करें उससे दो-तीन वर्ष पहले से हुई ट्रान्सफरों को बान करना चाहिये। इस पर काफी बहस हुई और काफी अमेन्डमेंट पेश किये गये हैं।

हमको सबसे पहले उसूलन इस बात को देखना है कि आया हमें ट्रान्सफर पर बान लगाना है या नहीं। हमको इस बात को देखना है कि सीलिंग जिस पर्पज से कायम किया जा रहा है उसका पर्पज तो कहीं समाप्त नहीं हो रहा है या सोशियल जस्टिस से सीलिंग लगा रहे हैं आज वह हमारा सोशियल जस्टिस का पर्पज तो खत्म नहीं हो जाता है। जब लोगों को गवर्नमेंट का मकसद मालूम हुआ कि गवर्नमेंट सीलिंग लगाना चाहती है तो राजस्थान में नहीं अन्य जगह ऐसे ट्रान्सफर हुए हैं कि जो व्यक्ति आपस में जोइन्ट फेमिली में जो पार्टनरशिप का हकदार नहीं है और जिनका कोई शेयर नहीं है उनको जमीन ट्रान्सफर कर दी है। या ऐसे लोगों को जिनके पास जमीनें थीं या ऐसे लोगों को जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं और जिनको ट्रान्सफर नहीं होना चाहिये था कर दिया गया। उसको ट्रान्सफर करने का मतलब केवल यह ही था कि सीलिंग का लॉ आ रहा है उसका मटिया-मेट कर दें। सीलिंग के लिये गवर्नमेंट जमीन एक्वायर नहीं कर सकती। ऐसा न हो कि जिस पर्पज के लिये यह कानून बनाया जा रहा है वह समाप्त हो जाए। इसलिये इसके लिये कोई न कोई प्रोविजन लाना होगा। यों तो कई अलग-अलग सुझाव आये हैं लेकिन एक सुझाव यह आया है कि जिस दिन यह बिल पास हो जावे या लॉ बन जावे उसके बाद के ट्रान्सफर मना कर दिये जावें। अगर इस सुझाव को मान लिया जाता है तो मैं यह कहूँगा कि हमें इसके साथ-साथ यह भी मान लेना चाहिये कि सीलिंग के बिल को बनाने की फिर कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? जिस दिन यह बिल पास होकर लॉ बनेगा उस दिन यह समझ लेना चाहिये-पिछले दो साल में, डेढ़ साल में लार्ज स्केल पर ट्रान्सफर्स हुए हैं उनका अन्दाज़ लगा सकते हैं कि किस तरह के ट्रान्सफर्स हुये हैं। मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश की है और मैं कह सकता हूँ कि सन् ५८ के बाद काफी ट्रान्सफर्स हुए हैं और उसका मतलब....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : क्या ५८ के पहले ट्रान्सफर्स नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लार्ज स्केल पर ट्रान्सफर्स ५८ के बाद ही हुए हैं।

श्री चन्दनमल वैद : ५७-५८ के बाद हुए हैं, क्या इससे पहले भी नहीं हुए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको कह रहा हूँ कि ५८ में लार्ज स्केल ट्रान्सफर्स हुए हैं और बाद में भी।

श्री चन्दनमल वैद : Is the Hon'ble Minister in a position to say what is the percentage of 57-58 ?

श्री दामोदरलाल व्यास : If the Hon'ble Member wants any explanation from me, he will please wait and let me have my say first and then he may put any question he likes, and I will try to satisfy.

जैसा मैंने आपसे कहा कि १९५८ के बाद में बहुत लार्ज स्केल में ट्रान्सफर्स हुए हैं ५६, ५७, ५८ में आप जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऑर्डीनरी कोर्स में ट्रान्सफर्स होते हैं और लॉज के तहत उनको रिकग्नाइज किये हैं किन्तु ऐसी मंशा नहीं है कि उनको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाय लेकिन यदि कोई मेलाफाइडी ट्रान्सफर्स हुए हैं तो उनको रिकाग्नाइज़ नहीं करेंगे लेकिन उसके लिये कोई क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा कि किसको मेलाफाइडो ट्रान्सफर्स मानें और किसको मेलाफाइडी ट्रान्सफर्स न मानें। हमको सीलिंग का लॉ इम्पोज़ करना है, जो जमीन इसके बाद बचे उसको लेना है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है लैंडलैस को तो इस प्रकार के ट्रान्सफर्स पर हमको रेस्ट्रिक्शन्स लगाना पड़ेगा। यदि यह कहा जाय कि जिस दिन से लॉ बने उसी दिन से रेस्ट्रिक्शन लगाया जाय तो फिर मैं कहूँगा कि सीलिंग का लॉ पास करने की ही कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट को स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य उसको समझायें और स्वयम् इस बात को समझें और जो अमेन्डमेंन्टस वाजिब नहीं हैं वे उनको विड्रो करें।

दूसरा एक्स्ट्रीम पर सुझाव है कि सीलिंग से ट्रान्सफर्स पर रेस्ट्रिक्शन्स लगायें तो रिट्रास्पेक्टिव ट्रान्सफर्स पर बन्धन लगाना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि वह डेट कौन सी हो? किसी माननीय सदस्य ने ५४ से बताया और किसी माननीय सदस्य ने ५७ से बताया और perhapes there are amendmants कि ५४ से, ५७ से और ५६ से किया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : लास्ट डेट की हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अब उसी पर आ रहा हूँ।

It has not come so for. So you dont't get impatient about it.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : ५७,५८ इसको कोई मानने का सवाल नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मानने का सवाल तो बाद में आयेगा। मैं अपना अमेन्डमेन्ट पेश करूंगा तब बताऊंगा। जो अमेन्डमेन्ट्स आये हैं और वे किस प्रकार के हैं, मैं केवल यही बता रहा हूँ अभी तो।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि ५७ के बजाय ५५ को लगायें। मैं पहले इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि इस पर सलेक्ट कमेटी में काफी विचार हुआ था और १ जनवरी सन् १९५७ की डेट रखी थी। जहां तक रेस्ट्रिक्शन्स ट्रान्सफर्स पर लगाना चाहते हैं और यदि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना चाहते हैं तो उनके लिये हमको कोई आधार कायम करना पड़ेगा। आरबीट्रेरी कोई आधार इस प्रकार से कायम नहीं कर सकते हैं। बहुत से ट्रान्सफर्स ऑर्डीनरी कोर्समें हुए हैं, वे बोनाफाइडी ट्रान्सफर्स भी हो सकते हैं और बहुत से ऐसे ट्रान्सफर्स भी हो सकते हैं जो कि इन एन्टीसिपेशन ऑफ सीलिंग लॉ के हुए हों। दरअसल इसके लिए हमको कोई न

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कोई आधार अवश्य ही कायम करना पड़ेगा। केवल ५४,५५ कह देने से ही काम नहीं चलेगा। एक सुझाव यह आया है कि ५५ कर दिया जाय और दूसरा सुझाव यह आया है कि जनवरी ५७ के बजाय दिसम्बर ५७ कर दिया जाय, तीसरा सुझाव यह आया है कि ५४ कर दिया जाय और इस तरह से बहुत से ऐसे सुझाव आये हैं। एक सुझाव यह भी आया है कि ५६ कर दिया जाय, यह भी है।

एक सुझाव है उसका बेसिस यह रखा गया है कि जिस दिन से गवर्नमेन्ट ने सलेक्ट कमेटी मुकर्रर की उसी दिन से यह समझ लेना चाहिये कि सलेक्ट कमेटी का गजट नोटिफिकेशन हो गया और जब गजट नोटिफिकेशन हो गया तो पब्लिक एट लार्ज को यह मालूम होगा कि सरकार लैंड पर सीलिंग लगाना चाहती है। उसके बाद ५४, ५७ का सुझाव आता है। यह ऐसी डेट है जिसके लिए बताया नहीं जा सकता है कि जिसके लिए कहा जाय कि ५५, ५७ रख दिया जाय। ५४ के लिए कहा जाय तो यह हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ५४ में सीलिंग कमेटी मुकर्रर की। इसलिए इस नतीजे पर पहुंचने के लिए कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने के लिए कौन सी डेट मुकर्रर की जाय, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ५४ में सलेक्ट कमेटी मुकर्रर की और फरवरी ५८ में एक बिल सरकार ने लेजिस्लेचर में इन्ट्रोडयूस किया और वह बिल है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रान्सफर्स ऑफ लैंड। वह बिल २५ फरवरी, ५८ को हाउस में इन्ट्रोड्यूस हुआ है और उसको हाउस में इन्ट्रोड्यूस किया है तो उसके जो स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एंण्ड रीजन्स हैं उनसे पता लगा सकते हैं कि इससे गवर्नमेंट की क्या मन्शा थी। मैं यह अर्ज करूंगा कि स्टेटमेंट ऑफ ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा हुआ था ...

"With a view to secure equitable distribution of land in Rajasthan, it is proposed shortly to provide legislation for the imposition of ceiling on holdings of agricultural land.

In order to circumvent such legislation, people are understood to have started transferring the whole or part of their holdings, or leasing out land in excess of the proposed ceiling, and it is considered expedient to prohibit such transfers. Hence this Bill."

२५ फरवरी, १६५८ को इस बिल को सदन में इन्ट्रोड्यूस किया और केटेगोरिकल टर्म्स में यह बता दिया था कि सीलिंग का लॉ ला रहे हैं और उसको सरकमवेन्ट करने के लिए लोग ट्रान्सफर्स ऑफ लैंड करें और उससे पहले प्रोहिबिशन ऑफ सर्टन ट्रान्सफर्स करना .. and this was Gazetted. यह बिल इन्ट्रोड्यूस भी हो गया। एक पोजीशन तो यह है और उससे कुछ समय पहले प्रेस कम्युनिक्स निकाली है इस प्रकार की कि जिससे जनता को यह सूचित किया गया है कि सीलिंग का लॉ गवर्नमेंट ला रही है और कोई ट्रान्सफर्स करेगा तो it will be entirely at his risk.

हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे exactly on the same lines on which this Bill was introduced in the Assembly. गवर्नमेन्ट ने इस बिल के जरिये से और प्रेस कम्युनिक्स के जरिये से पब्लिक को सूचना दी कि ऐसे ट्रान्सफर्स पर रेस्ट्रिक्शन्स होना

Page No.75

(श्री दामोदरलाल व्यास)

चाहिये । उसके बाद, मैं आपको बताऊंगा कि सलेक्ट कमेटी को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स था। माननीय सदस्यों ने उसको देखा है और मैं उसमें नहीं जाना चाहता। क्वेश्चनायर जारी किया और एवीडेन्सेज लिए गये और सलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अब सवाल यह है कि ५४, जो कि सलेक्ट कमेटी के अपोइन्टमेंट की तारीख है, उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का बेसिस बना सकते हैं या उसको बेसिस बना सकते हैं केटेगरीकली कि जिस दिन इस लेजिस्लेचर में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रान्सफर्स ऑफ लैंड का बिल इन्ट्रोड्यूस कर दिया। यह बेसिस क्या हमारे लिए बन सकता है कि जिस दिन प्रेस कम्युनिकेशन्स द्वारा अखबारों में शाया करके सूचना पब्लिक को दे दी गई। केवल ५४, ५५, ५७, रख देने से काम नहीं चलेगा । एक तरफ हम कहते हैं कि सोशियल जस्टिस देना चाहते हैं और उसी नीति के आधार पर हम सीलिंग जमीन पर लगाना चाहते हैं जिससे कि इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन हो जाय और जो लैंडलैस पर्सन्स हैं उनको जमीन मिल जाय। जिन्होंने बोनाफाइडी ट्रान्सफर्स किये हैं और सीलिंग से जिसका कोई सम्बन्ध नहीं है उनको अलग हार्डशिप भी नहीं पहुंचाना चाहते और पहुंचाना नहीं चाहिये । जब कानून बनता है तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि उससे जनता को मिनिमम हार्डशिप पहुंचनी चाहिये ....

श्री मुरलीधर व्यास : आपने राजस्थान के भूखंडों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये नवम्बर १९५३ में समिति नियुक्त की थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इससे मैं इन्कार नहीं करता, नवम्बर १९५३ में समिति नियुक्त करने की बात हुई होगी लेकिन गजट में १९५४ में शाया हुआ था। मैं इसको मना नहीं करता, I take it November, 1953.

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां भी ट्रान्सफर्स हुए हैं वहां हमें इस बात को देखना पड़ेगा कि जो भी ट्रान्सफर्स किये हैं वे रूटीन में किये हैं या किस तरह से ? कानून के बनने से ऐसे ट्रान्सफर्स में हार्डशिप नहीं होनी चाहिये। आखिर हम किसी ट्रान्सफर को अलट्रावायरस करार देते हैं तो उसका मकसद केवल इतना ही है कि लैन्डलैस-टिनेंट्स को जमीन मिल जाय। कुछ लोगों ने ट्रान्सफर किये, ऑर्डिनरी कोर्स में किये और वे ऐसे लोगों को किये जो लैन्डलैन्स हैं तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट का पर्पज हल हो जाता है और लैन्ड लैस वही होगा, वही माना जायेगा जैसे कि हमने इस बिल में डिफाइन किया है। इसके अलावा लैंडलैस में ट्रान्सफर न करके किसी ने फेमिली सेटिलमेंट कर लिया हो जो बोगस हो, जिसके लिये हम कह सकें कि यह सीलिंग से बचने के लिये किया गया है, या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को किया गया हो जिनका एग्रीकल्चर का प्रोफेशन नहीं, ऐसे किसी को ट्रान्सफर कर दिया हो जिसका मेन सोर्स ऑफ लिविंग एग्रीकल्चर नहीं हो उनको यह माना जाना चाहिये कि वह सीलिंग पर्पज को सरकम्वेन्ट करने के लिये किया गया है ।

अब सवाल यह आता है कि इसको मानने की रेट्रोस्पेक्टिव डेट कौन सी मानी जाय। क्या

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सीलिंग कमेटी को अपॉइन्ट करने के दिन से यानि १९५३ से इसको माना जाये या जब सीलिंग के बारे में पब्लिक को मालूम हो गया लार्ज स्केल पर मालूम हो गया उसके बाद में जो ट्रान्सफर्स हुये हैं उनको नल एन्ड वोइड करार दिये जांय। १९५३ से लेकर १९५६ तक का ६ साल का पीरियड है। अगर हम ५३ के ट्रान्सफर्स को नल एन्डवोइड करार देते हैं तो यह बहुत ज्यादा हार्डशिप होगी। यह हो सकता है कि उस समय भी किन्हीं लोगों ने सिलिंग आने की संभावना को लेकर ट्रान्सफर्स की हो लेकिन जहां तक मेरा खयाल है पब्लिक में यह एन्टीसिपेट नहीं हुआ होगा। सीलिंग कमेटी की नियुक्ति से यह नहीं माना जा सकता कि सीलिंग को सरकार इम्पोज़ ही करेगी। जिस प्रकार सीलिंग कमेटी ने लैन्ड लैस टिनेन्ट्स के, अन् ऑक्यूपाइड लैन्ड, लार्ज और स्माल होल्डिंग्ज के आंकड़े दिये हैं, सीलिंग कमेटी के इन आंकड़ों से यह भी हो सकता था कि गवर्नमेंट उचित नहीं समझती कि यहां सीलिंग इम्पोज किया जाय। सीलिंग कमेटी के रिकमन्डेशन के बाद भी गवर्नमेंट यह समझती है कि सीलिंग की आवश्यकता नहीं है, यह भी हो सकता था इसलिए यह कहना कि सीलिंग कमेटी की तकरूरी के कयास से पब्लिक ने यह समझ लिया कि यहां सीलिंग लागू होगा यह समझना मेरे खयाल से वाजिब नहीं होगा। यदि हम इस डेट को रखते हैं तो इसमें बहुत से लोगों को हार्डशिप होगी। इसलिए जब से गवर्नमेंट ने पब्लिक में इस बात को क्लीयर कर दिया और पब्लिक को मालूम हो गया कि अब सरकार सीलिंग इम्पोज करने वाली है वह तारीख २५ फरवरी १९५८ है। उस समय हमने इस प्रकार का एक बिल भी सदन में पेश किया था और गजट में भी इस प्रकार की घोषणा कर दी थी। उस समय से गवर्नमेंट का इन्टेन्शन साफ तौर से नजर आया था। इसके बावजूद सीलिंग कमेटी की तकरूरी की तारीख या उसने जब रिपोर्ट पेश की उस तारीख को रखना नावाजिब होगा। इसलिए सब से ठीक तरीका है वह यह कि गवर्नमेंट का इन्टेन्शन लेजिस्लेचर के सामने और गजट में नोटिफिकेशन के जरिये २५ फरवरी, १९५८ को बिल पेश करके किया था वही तारीख रखना ज्यादा उचित रहेगा और उसी तारीख को हमें मानना चाहिये। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर्स के लिए यही डेट मुनासिब रहेगी। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मेरा एक अमेन्डमेन्ट सरकुलेट हुआ है। उस अमेन्डमेंट को मैं मूव करूं उससे पहले किन-किन ट्रान्सफर्स को हमें रिकॉग्नाइज्ड मानना चाहिये उसके बारे में निवेदन करूंगा। सिलेक्ट कमेटी ने अपने इस बिल के अन्दर उन ट्रान्सफर्स को रिकॉग्नाइज करने की सिफारिश की है जो लैंडलैस टिनेन्ट्स को किये गये हों। आप उस रिकमन्डेशन को मुलाहिजा फरमाइये, वह इस प्रकार है :—

"(1) For the purposes of determining the ceiling area in relation to a person under section 30C, no transfer of the whole or part of the holding of such person which is proved to have been made by him on or after the first day of January, 1957, in anticipation of the passing of the Rajasthan Tenancy

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(2nd Amendment) Act, 1959—

(a) in favour of a member of the family of such person or in favour of his other relations or friends, or

(b) in favour of a person who immediately before the date of such transfer was not agriculturist, or..."

That means if he was an agriculturist, the transfer in favour of that person has been recognised by the Select Committee.

" (c) in favour of a person who on such date was possessed of land which together with the land so transferred exceeded the maximum area specified in section 42, shall be recognised and taken into consideration."

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए सिफारिश की है कि इन तीन केटेगरीज में जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं उनको ट्रान्सफर की गई है तो उसको चैलेन्ज करने के लिये नहीं कहा हो यह बात नहीं है। उन्होंने तीन केटेगरीज रखी हैं। एक तो जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है यदि उसको अलॉट कर दी गई हो। दूसरा In favour of.......तीसरी बात जो रखी है वह सेक्शन ४२ में लिमिटेशन इम्पोज की गई है।

जहां तक डेट्स का सवाल है इसमें १ जनवरी, १६५७ को आरबीट्रेरी नहीं कह सकते। जैसा कि अभी कहा गया कि नवम्बर, ५३ को जिस समय सीलिंग कमेटी की नियुक्ति की घोषणा हुई वह डेट मानी जाय। या यह हो सकता है कि जिस दिन इस हाउस में अपनी इन्टेन्शन जाहिर कर दी कि हम सीलिंग इम्पोज कर रहे हैं इन दो के अलावा और तीसरी तारीख हो नहीं सकती। १ जनवरी, १६५७ को किसी स्पेसिफिक चीज से कोरिलेट नहीं कर सकते। मैं खास तौर से इस राय का था कि जहां तक मेरी जानकारी है, सन् ५७ में काफी ट्रान्सफर्स हुए हैं वे महज इन एन्टीसिपेशन सीलिंग के हुए हैं। आखिर गवर्नमेंट की मन्शा सन् ५८ से पहले जाहिर नहीं हुई थी। ऐसी हालत में उससे पहले के ट्रान्सफर्स को रेस्ट्रिक्ट करना उचित नहीं होगा। इसलिए १६५८ की जो तारीख रखी है-सीलिंग कमेटी ने १६५७ की जो बात कही थी—लेकिन सीलिंग से दिलचस्पी रखने वालों से मेरी यहां पर और बाहर भी जो बातचीत हुई है उससे मैं यही ठीक समझता हूँ, १६५७ की तारीख को ठीक माना जाय।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : मालूम पड़ता है आप पर काफी दबाव पड़ा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सदन के माननीय सदस्य जो इधर-उधर सुनने को तैयार नहीं....

श्री चन्दनमल वैद : गंगानगर वालों का काफी बोझ पड़ा मालूम होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पर तो आपका वजन ज्यादा है बशर्ते कि आप उसको हल्का करें। बहरहाल हमें कुछ न कुछ बेसिस मानना पड़ेगा। सीलिंग कमेटी ने जो रखा है

Page No.78

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"In favour of other relations and friends,"

मेरे खयाल से यहां पर जो बहस हुई उसको सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, यह क्लॉज जस्टिफाइड नहीं है। एक फेमिली में एक फ्रेन्ड और उसके रिलेटिव भी लैंडलैस हो सकते हैं। अगर ऐसी हालत में ट्रान्सफर होता है तो उसको जस्टिफाई नहीं मानते हैं तो यह उचित नहीं होगा। इसलिए अभी मैंने एक अमेंडमेंट मूव किया है। दो बातों को मद्देनजर रखते हुए और सलेक्ट कमेटी के इन्टेन्शन को खास तौर से ध्यान में रखते हुए मैंने एक अमेन्डमेन्ट पेश किया है। वह सरकुलेट हो चुका है, उससे माननीय सदस्य सहमत होंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यह ठीक रहेगा।

३ म० प०

So my amendment will be like this :—

For sub-section (1) of the proposed new section 30D, substitute the following :–

" (1) For the purpose of determining the ceiling area in relation to a person under section 30C, any voluntary transfer effected by him on or after the 25th day of February, 1958, otherwise than :—

(i) by way of partition; or

(ii) in favour of a person who was a landless person before the said date and continued to be so till the date of transfer,

of the whole or a part of his holding shall be deemed to be a transfer calculated to defeat the provisions of this Chapter and shall not be recognised and taken into consideration; and the burden of proving whether any such transfer falls under clause (i) or clause (ii) shall lie on the transfer or:

Provided that if by any such transfer as is mentioned in clause (ii) land in excess of the ceiling area applicable to the transferee has been transferred to him, such transfer to the extent of such excess shall not be recognised or taken into consideration for the purpose of this sub-section;

Provided further that no such transfer as is mentioned in clause (ii) shall also be so taken into consideration or recognised if it has been made after the 9th, (10th) ×× day of December, 1959."

(हीयर हीयर)

मैं आपको यह अर्ज कर रहा था कि इन तमाम बातों को रख कर जो प्रॉपोज्ड अमेन्डमेंट है उसमें १ जनवरी ५७ के बजाय

×× राजस्व मंत्री के मौखिक संशोधन से दिनांक १० दिसम्बर १६५६ के स्थान पर ६ दिसम्बर, १६५६ किया गया।

Page No.79

(श्री दामोदरलाल व्यास)

२५ फरवरी, ५६ रखा है। इसका कारण मैंने बताया। यह इसलिये कि आपको जाहिर हो जाय कि गवर्नमेंट का इन्टेन्शन' क्लीयर है।

दूसरी बात है—जहां तक इस क्लॉज के सब-क्लॉज 'ए' के अन्दर "in favour of a member of family and other relations or friends." का प्रश्न है, जैसा मैंने अर्ज किया, यह जस्टिफाइड नहीं था इसलिये इसको निकाल दिया क्योंकि पार्टीशन को हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वह अनडिवाइडेड फेमिली है। Even according to law applicable to Muslims and Christians, we cannot prohibit them to have partition.

पार्टीज के पार्टीशन को चैक नहीं कर सकते इसलिये इसको क्लीयर कर दिया है।

श्री चन्दनमल वैद : परसों जो पार्टीशन हो जावेगा उसको चैक कर सकेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह भी अर्ज करूंगा।

I know you are very enthusiastic about Ganganager. Why are you so impatient ?

श्री चन्दनमल वैद : The objection is very grave. That is why I am impatient.

श्रीमती सतवन्तकौर (करणपुर) : गंगानगर बड़ी जल्दी याद आता है। बड़ी-बड़ी कोठियां बना रक्खी हैं वे नहीं देखते।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद : I don't know why the Hon'ble Minister has turned so much in favour of Ganganagar

श्री उपाध्यक्ष : You better speak in Hindi so that the Hon'ble lady Member may be able to understand.

श्री दामोदरलाल व्यास : पिछले साल में पार्टीशन हुए हैं। अगर उनको रिकॉग्नाइज़ न किया जावे तो यह उचित नहीं था। दूसरी स्टेटों के क्लॉज में जहां रेस्ट्रिक्शन प्लानिंग कमीशन ने रिकमन्ड किया है तो उनके केस में किस बेसिस पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाया है। दूसरी स्टेटों का भी बताऊंगा। किसी ने किसी तरह से बेसिस रक्खा है, जिस तरह से ट्रान्सफर जस्टिफाई किया, पार्टीशन के लिये किया। इसलिये यहां रेस्ट्रिक्शन लगाना गैरवाजिब था।

अब परसों की तारीख में करेंगे तो जरूरी है। जब लॉ बन चुका है तब पार्टीशन ट्रान्सफर करेंगे तो Everything is to be stopped ताकि गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर हो सके। अगर पार्टीशन करने में भी फेमिली को, कॉन्स्टिट्यूट पार्टी है और सबका हिस्सा मिला कर ज्यादा है तो that land has to be surrendered. रिमेनिंग लैंड का पार्टीशन कर सकते हैं। पर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बन्द करना It is certainly not proper. partition is not a transfer. यह तो आइन्दा के लिये लगाया है। पार्टीशन के लिये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है परसों के बाद भी।

श्री चन्दनमल वैद : कल तक की माफ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पार्टीशन ऑल टाइम के लिये माफ है। मैं भी आपके भावों में बह गया। Partition is for all the time to come.

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Minister has not followed the implications of the amendment that he is moving. He is giving contrary versions.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have followed it as much as you have followed, if not more.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : He has followed zero, and you have also followed zero.

श्री दामोदरलाल व्यास : We have restricted only sub-clause (ii) by the proviso, "Provided that if by any such transfer as is mentioned in clause (ii)..." and partition is included in clause (i). I was under a mistake that partition is included in clause (ii).

I have already submitted that so far as clause (a) of sub-section (1) in the Bill is concerned, it was not just, because a member of the family, a friend or other relation may also be a landless person.

दिल्ली का लॉ पास हुआ है उसमें देख लीजिये। रेस्ट्रिक्शन ट्रान्सफर पर लगाया है। पर उस डेट पर लगाया है जिस दिन इन्ट्रोड्यूस किया है। इसका कारण यह है कि इसके पहले उन्होंने अपना इन्टेन्शन पता नहीं लगने दिया। केरल में दिसम्बर ५७ लगाया है कि जिस दिन उन्होंने बिल को इन्ट्रोड्यूस किया। There are only हैदराबाद और राजस्थान दो स्टेटें हैं जिन्होंने सीलिंग कमेटियां मुकर्रर की थीं। तो हैदराबाद का लॉ देख लीजिये। ये दो स्टेटें हैं जिन्होंने कमेटियां मुकर्रर कीं और इसके आधार पर डिसीजन लिये। इसलिये ५८ रखने का आधार बताया है और अमेन्डमेंट का कारण बताया कि लैंडलैस एग्रीकल्चरिस्ट और पार्टीशन के अलावा और किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करने वाले हैं। ५८ के फरवरी के बाद में पार्टीशन नहीं रिकॉनाइज किया जाना चाहिये। दिसम्बर १० रक्खा है। लैंडलैस टिनेन्ट का ट्रान्सफर हो गया है इसलिये रिकाग्नाइज कर लिया है। आखिर हमारा पर्पज भी तो इनको रिहेबिलिटेट करना है। पर सीलिंग से ज्यादा ट्रान्सफर कर दिया है तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। तो जिस मकसद से सीलिंग लगा रहे हैं इन दो बातों से वह पूरा हो जाता है। अब खाली कोलोजल ट्रान्सफर हो जाता है तो वह पोजीशन आ जावेगी कि गवर्नमेंट के पास कोई लैंड सरेन्डर या एक्वायर के लिये नहीं रहेगी। १० दिसम्बर पर्टीकुलर इसलिए लगाया है because according to our programme, we are passing this Bill tomorrow.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I want some information from the Hon'ble Minister. He says in the amendment about 'landless'. Does 'landless' also include 'non-agriculturists' ?

श्री पी० के० चौधरी : What is the Hon'ble Member asking ? We have

Page No.81

(श्री पी० के० चौधरी)

a right of debate first and then he can ask questions.

श्री उपाध्यक्ष : The question is whether you would like to have a debate on the amendment moved by the Hon'ble Minister.

कुछ माननीय सदस्य : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I understand there is a mutual understanding between the Hon'ble Members and the Hon'ble Minister that there will be no debate on this amendment.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as I am concerned, I have consulted all sections of the House and there was opinion of the House that this amendment is alright. It is a different matter if one or two members don't agree, but the House as a whole has agreed that......

श्री चन्दनमल वैद : He has not consulted the better side of the House.

श्री उपाध्यक्ष : Which is that better side ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I would not like to object, if the Hon'ble Members want to have a debate on it.

श्री उपाध्यक्ष : Can I have a list of those members who want to speak on this amendment ? That would be feasible.

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने हेतु खड़े होने पर)

I don't want the list now.

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir......

श्री उपाध्यक्ष : I may correct you Sir, that I am Deputy Speaker.

श्री श्रीभानसिंह : I am sorry, Sir. Mr. Deputy Speaker Sir...

श्री उपाध्यक्ष : Excuse me for the interruption, but can I impose some limitation over the time which each member may take ?

कुछ माननीय सदस्य : Yes Sir.

श्री उपाध्यक्ष : I think the maximum time for every member should be five minutes.

श्री दामोदरलाल व्यास : Even less, Sir. They have to speak only on my amendment. Therefore, five munites are quite sufficient.

श्री उपाध्यक्ष : So it is the pleasure of the House that I fix it as five minutes for every speaker ?

कुछ माननीय सदस्य : Yes Sir.

श्री दामोदरलाल व्यास : With your pernission, Sir, certain members wanted to have some clarification on this amendment from me. I am prepared to give that information. I think that will cut short the debate also.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, so that the members who want to have a clarification may not speak. It will reduce the number of speakers.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : The Hon'ble Minister has exempted certain transfers by way

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of partition. I would like to know from him as to where this word 'partition' occurs in the Rajasthan Tenancy Act ? It no where occurs in it. It is a word of the Rajasthan Land. Revenue Act and applies where there is a question of proprietary partition. So the suitable word should have been 'division' instead of 'partition' because partition is of assets and division is of holdings. So it may lead to adverse comments by the courts about the language of the Bill.

He has also used the language "(1) For the purpose of determining the ceiling area in relation to a person under section 30C......" There is no ceiling area in relation to a person. The ceiling area is in relation to a family and not in relation to any person. So we should use the word 'family' here instead of 'person'.

Secondly, the clause (ii) of the amendment now brought by the Hon'ble Minister reads :— "otherwise than in favour of a person who was a landless person before the said date and continued to be so till the date of transfer......" The intention of this clause is also not clear. It says that a person should be landless before 25 2.58. How long before that date ? Supposing a person is landless on 26.2.58 and continues to be landless till the date of transfer of land to him. Then what will happen to the transfer made to him ? I think your intention is that he should be landless on the date of transfer, so it should be "......who was a landless person on the date of transfer......".

Next, we have validated the transfers only in respect of landless persons, but 'landless person' has been defind only in this particular Act and before that there is no definition of "landless person' in any other enactment. So what about those transfers which were quite valid under Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act, which section has been kept intact under this Bill also ? We shall be invalidating all the transfers which were valid under Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act under section 42 of the Rajasthan TenancyAct, every one has got the right to transfer land subject to a limit of 90 acres of un-irrigated or 30 acres of irrigated land. So what would happen to these transfers ?

And then what would happen to mortgages under Section 43, sale or gift under section 42 which provisions are there in the Rajasthan Tenancy Act and which are still good. That law stands. Because in these provisions, the maximum limit was 90 acres of un-irrigated land and 30 acres of irrigated land, those transfers were valid after 25th February, 1958. If somebody transferred his land after that date accor-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ding to these provisions of the Act, what would happen to them ?

Lastly, Sir, there may be controversy with regard to the transfers by tenants and transfers by proprietors. This Bill is an amendment of the Rajasthan Tenancy Act and not a separate Ceilings Bill. So there may be controversy or confusion as to what would happen to transfers by tenants and transfers by proprietors, because the Rajasthan Tenancy Act covers transfers by tenants also.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : Who are the proprietors now ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : There may be certain 'muafi' lands. Certain religious grants which have not been resumed. Why do you overlook them? There may be 'muafi' lands or religious grants of hundreds of thousands of bighas which have not been resumed. What would happen to this group of transfers and sales. The sum and substance is that what would happen to transfers made after 25th February 1958, which were valid in law according to the Rajasthan Tenancy Act but which you are invalidating now under this Bill. And then what about lawful letting and sub-letting ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): So far as my amendment is concerned, I will draw the attention of the Hon'ble Member that I have never said that the transfers will be invalid. I never said that they will be void. All that I have said is that they will not be recognised for the purposes of ceiling. This should be clearly understood.

The language of the amendment is:—

> "For the purpose of determining the ceiling area......
> ......any voluntary transfer, effected by him on or after the 25th day of February, 1958, otherwise than.........
> shall not be recognised and taken into consideration."

I never said that it will be invalid or void. Only it will not be recognised and taken into consideration for the purposes of ceiling. Therefore, so far as this apprehension is concerned, it is incorrect.

Secondly, so far as the last point raised by the Hon'ble Member about transfers by proprietors is concerned, I may inform him that in Rajasthan he will not be able to point out to me a single unit of Rajasthan in which transfer by a proprietor of his land, muafidar or any body, was permitted under the law without the sanction of the State Government. Therefore, even if such transfers were permitted by the State Government, they are not illegal or void, but they will not be recognised for the purpose of

Page No.84

(श्री दामोदरलाल व्यास)

imposition of ceilings. It should be clearly understood that I have never said in my amendment that transfers will be void or any thing else. Only I have refused to recognise them.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : What would be the net effect of not recognising these transfers ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The net effect would be that so far as ceiling area is concerned, it will be acquired by the State Government on payment of compensation.

श्री होतीलाल : From the transfeeror or transferee ?

श्री दामोदरलाल व्यास: Whoever holds the land and whoever is in possession of it.

Another point is that the Hon'ble Member wants that the provision of a person being landless prior to 25.2.58 should not be there and he should be landless only on the date of transfer. This is not possible. I don't want that transfers should be made in favour of persons who become landless overnight. We must ensure that the persons to whom land has been transferred were agriculturists and their main and whole source of living was agriculture prior to 25.2.58 and he continued to be so till the date of transfer. Therefore, it is necessary for us to impose that restriction.

So far as the restriction under section 42 of the Tenancy Act is concerned, I will draw the attention of the Hon'ble Member that in this very Bill there is an amendment of Section 42 which provides that instead of the words and figures "90 acres of un-irrigated or 30 acres of irrigated land" the words " the ceiling area applicable to him" shall be substituted. Besides that we are not going to hold the transfers void or ineffective. All that is intended is that we shall not recognise them for the purpose of imposition of ceiling.

Then in Section 30 D we have already said that "(2) Every such transfer......... shall, not withstanding any thing contained in this Act or in any other law for the time being in force......... be not enforceable as against the State Government in respect of any land forming the subject matter of such transfer......" ....Not withstanding any thing contained in this or any other enactment. Therefore, we are quite competent to legislate on that account.

Then about the words 'partition' and 'division'. I would submit that partition is a technical word and legal term and the result of partition is division of holding. So the word 'partition' must stand there. Division is the result of partition.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

First there is a partition and then there is a division.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : In the Tenancy Act, we have nowhere used the word partition'.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Tenancy Act has to be read along with other laws. We have to read the Law of Partition also, the Law of Succession also and then we will see that 'partition' is the only word which is recognised by law, and division is the result of partition.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : What about lawful letting and sub-letting ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is permitted under the law and that is not a permanent transfer. When we take into consideration the total area in possession of a tenant, then the area in possession of the sub-tenants will also be taken into consideration.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने अपना अमेंडमेंट मूव करते हुए सन् ५७ की जगह सन् ५८ को क्यों ले आये उसका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने पहले सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के अन्दर सबसेक्शन (ए) के बारे में राय दी जब कि पार्टीशन के द्वारा कोई भी जमीन किसी को मिल जानी चाहिये, वह ठीक है। लेकिन (डी) के संबंध में कोई राय ज़ाहिर नहीं की। 30D के अन्दर यह है:-

(b) in favour of a person, who immediately before the date of such transfer was not agriculturrist, or" नॉन एग्रीकल्चरिस्ट' के बारे में सिलेक्ट कमेटी में यह निर्णय हुआ था कि कोई ट्रान्सफर ऐसे आदमी को हुआ हो जो कि खेती नहीं करते हैं और खेती करने वाले आदमी नहीं हैं तो बहुत से ट्रान्सफर्स उनके नाम से हुए हैं। बहुत से आदमी हो सकते हैं। मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं लेकिन इस तरह से ट्रान्सफर हुए हैं, बहुत से लोगों के नाम से हुए हैं। उनके बारे में ऐसा एक्शन लिया था, व्यू, रिपोर्ट ली थी कमेटी ने कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होंगे तो उनके नाम के ट्रान्सफर्स को नहीं मानेंगे। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा... ....

३. २८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

कि लैंडलैस पर्सन्स का नाम आता है तो लैंडलैस परसन्स के अन्दर खेती करने वाले भी हो सकते हैं और एक बड़ा ऑफिसर भी हो सकता है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्टर भी हो सकता है, यहां का मिनिस्टर भी हो सकता है। तो लैंडलैस के सुझाव के साथ में अगर लैंडलैस एग्रीक्लचरिस्ट कर दें यानी जो खेती पर जीवन निर्वाह करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो लैंडलैस एग्रीकल्चरिस्ट होगा। पहले की धारा (बी) में ऐसे बहुत से ट्रान्जेक्शन्स हुए हैं नॉन एग्रीक्लरिस्ट्स के नाम से हुए हैं, जो कि पहले खेती नहीं करते थे और आज भी नहीं करते हैं तो उस दृष्टि कोण से उस ट्रान्सफ़र को मान लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कैसे मान लिया गया है ?

श्री मोतीलाल : आपका जो सुझाव है तो अब नॉन एग्रीकल्चरिस्ट के नाम ट्रान्सफर हुआ है और लैंडलैस टिनेन्ट्स के नाम से होगा तो landless person does not necessarily mean 'agriculturist' लैंड लैस पर्सन्स में दोनों आयेंगे agriculturists as well as nonagriculturists.

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I would request that the points which I have already explained should not be raised again. Partition I have already explained and I cannot say anything beyond that.

श्री मोतीलाल : Please listen to me first.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the point regarding the confusion which the Hon'ble Member has about the term 'landless person', I will draw his attention to the definition of 'landless person' in this very Bill and in the Tenancy Act. Then I think it will be very clear to him.

श्री मोतीलाल : पार्टीशन के बारे में कहा है कि लॉ आने के बाद में जब भी है तब का रखा है लेकिन लैंडलैस लोगों के लिये दिसम्बर ५६ तक का रखा है। यदि आप पार्टनरशिप के द्वारा किसी भी परिवार के सदस्य को ज़मीन दे सकते हैं। तो लैंडलैस को यदि कम्पन्सेशन लेकर दें तो इसमें आपत्ति क्या हो सकती है। इसका ऑब्जेक्ट यह है कि ज़मीन आदमी को मिलनी चाहिये। यदि ज़मीन हीन आदमी के उससे कम्पेन्सेशन लेकर कभी भी देते हैं तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लैंड लैस आदमी के लिये भी खुला रक्खें कि किसी भी समय ले सकता है।

तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि सन् ५७ की जनवरी से ५८ की फरवरी तक जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं उनमें से लैंड लैस लोगों को कितनी जमीन मिली है और इसमें नॉन लैंडलैस भी शामिल हैं या नहीं, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : About partition, I can only say that partition is not a transfer. It is a process in co-parcernery and partnership and I have explained it only to remove all doubts. Otherwise, it was not necessary for me to put in this clause.

श्री होतीलाल (भरतपुर) : On a point of clarification. मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो पहले ३० डी सेक्शन था वह सिलेक्ट कमेटी के सामने इस तरह से था....

"(c) in favour of a person who, on such date was possessed of land which together with the land so transferred exceeded the maximum area specified in Section 42," और इस वक्त जो अमेन्डमेन्ट आया है....

श्री दामोदरलाल व्यास : That point I have already explained.

श्री होतीलाल : एक मिनिट सुन लीजिये कि मैं क्या चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Then please come straight to the point.

श्री होतीलाल : इसमें लिखा है : "(ii) in favour of a person who was a landless person before the said date and continued to be so till the date of transfer,"

निवेदन करना यह है कि आया इस क्लॉज की तहत यदि कोई ट्रान्सफर ऐसे शख्स को हुआ है जिसके पास जमीन है, less then ceiling but not held by fragment, वह रिकॉग्नाइज होगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not explanation. That is only an interpretation of certain clause which the Hon'ble Member himself can do here or outside.

श्री शंकरलाल (रायपुर) : सभापति महोदय, यह धारा जो ३० डी के रूप में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में आई उसके सब-क्लॉज (३) में रखा था कि जो कोई ऐसी जमीन किसी व्यक्ति को ट्रान्सफर की गई है और यदि वह सीलिंग के तहत आती है तो उस व्यक्ति को जिसने पैसा देकर ज़मीन ली है उसको पैसा वापिस रिफंड किया जायेगा और जिस वक्त गवर्नमेन्ट कम्पेन्सेशन देगी उस वक्त उस आदमी को रिफन्ड देते वक्त ध्यान रखेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ धारा ३० (डी) में जो नया रिप्लेसमेंट क्लॉज का रखा है राजस्व मंत्रीजी का, उसमें इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं है। आखिर जिस व्यक्ति ने ज़मीन खरीदी उस समय उसको यह पता नहीं था कि सीलिंग आने वाला है, उसने रकम देकर ज़मीन खरीदी और सिलिंग आता है तब उससे ज़मीन ली जाती है तो उससे ज़मीन तो लेली जायेगी लेकिन जो पैसा खरीदने में उसने दिया है वह पैसा उसको वापिस दिया जायेगा। सिलेक्ट कमेटी ने यह प्रोविज़न ३० (डी), सब-क्लॉज (३) में रखा था:

"(3) Notwithstanding the provisious contained in sub-section (2) the transferee of the land referred to there in shall be entitled to claim from the transferer there of a refund of the consideration money, if any, paid by him for such land and the amount thereof shall be a charge on the compensation money payable by the State Government in respect of such land under section 30 G."

लेकिन इस ३० (डी) की जगह माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एक नया क्लॉज रखा है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। तो मैं समझता हूँ यह उन लोगों के साथ बड़ा भारी अन्याय होगा जिनके सामने सीलिंग नहीं था, उस समय पैसा देकर खरीदा तो वह पैसा उनको वापिस मिलना चाहिये। या तो इसमें नया प्रोविज़ो एड किया जाय या री-वर्डिंग करके इसका प्रावधान रखा जाय जिससे उनको न्याय मिले।

श्री सभापति : You are opposing this amendment to that extent ?

श्री शंकरलाल : Yes, to that extent. इसमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है इसलिये इसे जोड़ा जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यों-ज्यों सीलिंग पर बहस चलती गई

(श्री शंकरलाल)

अपना मकसद पूरा हुआ लेकिन अपन वापिस रिट्रीट होते गये। जहां पहले यह कहा था कि ५७ के बाद में जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं वे अवैधानिक होंगे लेकिन अब ५७ के बजाय ५८ रखा जा रहा है। यदि बहस एक दो दिन और चली तो मुझे डर है ५९ तक आ जायेंगे....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आ ही गये।

श्री शंकरलाल : फिर हमारे पास कहां से ज़मीन आयेगी। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बड़े–बड़े मेकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, जो कोऑपरेटिव बेसिस पर चल रहे हैं उनको भी नहीं छेड़ेंगे या स्टेट गवर्नमेन्ट और कोई रीज़न देखले उसको नहीं छेड़ेंगे। उनको तो आप छेड़ेंगे नहीं और ५७ से पहले जिन्होंने ट्रान्सफर की है उनको भी छेड़ेंगे नहीं तो आप जमीन लायेंगे कहां से ? यदि हमें खाली दिखाने के लिये ही कानून पास करना है तो और भी अमेंडमेंट करने चाहिये। और यदि मकसद यह है कि जिनके पास जमीन नहीं है उनको ज़मीन मिले और उनसे जमीन लेनी हो जिनके पास ज्यादा है तो....

श्री होतीलाल (भरतपुर): क्या माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं या क्लेरिफिकेशन चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : मैं सन् ५८ जो रखा है उसका विरोध करता हूँ। इसके द्वारा जो हमारा मकसद सीलिंग करने का है वह टूट जाता है। रखना यह चाहिये था कि जो ५४ की बात कही गई थी और जिसके बारे में मैंने संशोधन रखा था वह उपयुक्त था। सीलिंग कमेटी ने जब सन् ५४ में यह प्रकाशित कर दिया कि भूमि की सीमा निर्धारित की जायेगी, वही तारीख होनी चाहिये थी। यदि पता लगाया जाय तो उस तारीख के बाद धड़ाधड़ ट्रान्सफर्स होने लगे हैं। एक तो ५८ की तारीख रखना गलत है, इसके बजाय ५४ होना चाहिये। और यदि बहुत ज्यादा लिबरल होना है तो ५७ होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि सब-क्लॉज (३) है–३० (डी) में उसका कोई प्रावधान नहीं है जो होना चाहिये।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, जो नया अमेन्डमेंट माननीय राजस्व मंत्री जी ने रखा है और उसमें जो तारीख और समय रखा है उस पर मुझे एतराज है। उन्होंने जो ट्रान्सफर के बारे में तारीख लगाई है और उनकी दलील है कि सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई २१ फरवरी, ५८ को उसी दिन की तारीख लगादी। सवाल यह था कि जिस वक्त विचार दिमाग में आया कि हमें सीलिंग करना है तो यह मानी हुई बात है कि जिसके पास अधिक भूमि है वह योग्य भी है और वह सारे कानून कायदों को जानता भी है। उसको यह विश्वास हो गया कि अब सरकार हमारे पास जमीन नहीं रहने देगी इसलिए उन लोगों ने जमीन बेचनी शुरू कर दी। यह तारीख ४ दिसम्बर ५३ होनी चाहिये थी जब कि सीलिंग कमेटी की प्रथम मीटिंग शुरू हुई उस दिन से मानना चाहिये। उस दिन के बाद जिन्होंने ट्रान्सफर किया वह गैरकानूनी होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज भी ट्रान्सफर कर रहे हैं, कोई कहे तो आज भी मैं जमीन

(डॉ० बहादुरसिंह)

दिला सकता हूँ। यहां तक, ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास केवल दो-दो बीघा जमीन मिलेगी जिससे उनका गुजर नहीं होता। ऐसी स्थिति में आप उनको जमीन कैसे देंगे? जिन लोगों के पास १०० बीघा, २०० बीघा जमीन है, वे लोग उस जमीन को बेचते रहे, अब उनके बेचने पर मोहर आप लगा रहे हैं। इससे जो आपके कानून की मन्शा है, वह खत्म हो जाती है। यह ठीक है कि आपका कानून बन जायेगा, आप दावा कर सकेंगे कि हमारे यहां भी सीलिंग का कानून है लेकिन यह प्रभावहीन कानून बन जायेगा। ऐसी स्थिति में जो तारीख है, ठीक है आप कह सकते हैं कि ४ दिसम्बर, १९५३ को, जिस दिन फर्स्ट मीटिंग हुई सीलिंग कमेटी की, उस दिन तक जिन्होंने ट्रान्सफर कर दिये, वे वेलिड रहेंगे और उसके बाद जो ट्रान्सफर्स किये गये, वे अन्वेलिड रहेंगे। अगर उनको वेलिड मानते हैं तो लैंडलैस, जिनके पास भूमि नहीं थी, उनके फेवर में लैंड ट्रान्सफर कर दिया है तो वह भी वेलिड माना जायेगा, ४ दिसम्बर १९५३ तक। उसके बाद आप चाहते हैं कि आज तक बेचना जायज माना जाय, मान लीजिये कि किसी तरह आज यह कानून पास नहीं होता है, तो आप दूसरी डेट लगा देंगे, इस तरह आगे तारीख लगाते जायेंगे तो जो कानून की मन्शा है, वह खत्म हो जाती है। मैं, इसलिये, चाहता हूँ कि सीलिंग कमेटी की फर्स्ट मीटिंग, ४ दिसम्बर, १९५३, के बाद जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं, वे गैरकानूनी होने चाहिये।

श्री सभापति : श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय सभापति महोदय, मुझे यह अर्ज करना था कि हमने कुछ तारीखें रखी हैं, उनके बारे में कई सदस्यों का खयाल है कि १९५३ से लगाना चाहिये था और कइयों का खयाल है कि १९५४ से लगाना चाहिये था। मुझे एतराज यह करना है कि अगर आप वाकई में काश्तकार को राहत देना चाहते हैं तो यह क्या जरूरी नहीं है कि जब हम फरवरी १९५८ में उस तारीख को रख रहे हैं और उसके बाद वह एक्सटेन्ड कर रहे हैं, वह १० दिसम्बर तक एक्सटेन्ड हो सकता है इन केस ऑफ सेक्शन (१)। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लैंडलैस के वास्ते किसी दिन कोई जमीन मिल जायेगी, तो फिर एतराज किस बात का है, सिर्फ यही बात रही कि गवर्नमेंट की एजेन्सी के थ्रू नहीं जायेगी, प्राइवेट एजेन्सी के थ्रू जायेगी। जो गवर्नमेंट मुआवजा देने के बारे में टंटा करती, उसके बजाय दो पार्टी एक जगह बैठ कर लेना देना कर लेती हैं, आपस में दे लेते हैं, तो उसमें ऐतराज करेंगे। इसका क्या मतलब है कि कल तक लैंडलैस के वास्ते जमीन का लेना देना जायज था और परसों नहीं होगा, या मान लीजिये कि परले रोज नहीं होगा। ऐसी कौन सी बात हो गई जब कि लैंडलैस पर्सन को ही जमीन दे रहे हैं। हमारा मकसद सीलिंग बिल को लाने का है कि लैंडलैस पर्सन को हम ज़मीन देना चाहते हैं। उसके पास जमीन किसी तरह जाती हो। अगर गवर्नमेंट ज़मीन देती है तो उसके लिए कागज चलायेगी, इतना लम्बा-चौड़ा चक्कर होगा। उससे बचने के लिए कौन सी चीज रह जाती है? मैं अर्ज करूंगा कि बहुतसों ने जो पैसा दे दिया होगा, ले लिया होगा, सब कुछ हो गया

(श्री अनोपसिंह)

होगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हुआ होगा, जो कार्यवाही होनी चाहिये थी कागजी, वह नहीं हुई होगी। तो मैं अर्ज करूंगा कि जब तक लैंडलैस को जमीन चली जाती है, तब तक हमको ऐतराज करने की बात नहीं सोचनी चाहिये। आखिर जो हमारा मकसद है और जिस मकसद से सीलिंग बिल लाना चाहते हैं वह यह है कि लैंडलैस को जमीन मिले और एक जगह कन्सेन्ट्रेशन जमीन पर नहीं रहे, वह बट जाय, एक जगह से दूसरी जगह जमीन चली जाय, यह मकसद है। अगर इसे पूरा कर सकते हैं तो आज के बाद भी लैंडलैस को जमीन देने पर रेस्ट्रिक्शन क्यों हो। १–१० दिसम्बर, १६६०, १६६१, जब तक गवर्नमेंट की एजेन्सी वर्क करना शुरू नहीं कर देती जमीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, तब तक क्यों आपत्ति हो ? अगर दो पार्टीज बैठ कर तय करती है, तो उसके अन्दर क्या एतराज है ? माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि १० दिसम्बर की लिमिटेशन लगायें, कि इसके बाद कोई चीज नहीं होगी, चाहे लैंडलैस को हो ट्रान्सफर हो, मैं अर्ज करूंगा कि एक चीज कल जायज थी, लेकिन परसों जायज नहीं होगी, परसों कोई लैंडलैस से तय नहीं कर सकता यह कौन सी बात है। आज तक किया सो ठीक है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से इस बात पर जोर देकर अर्ज करूंगा कि जब तक लैंडलैस के पास जमीन चली जाती है, तब तक एतराज नहीं होना चाहिये। सवाल यह है कि गवर्नमेंट बाद में अपनी एजेन्सी के थ्रू बंटवारा करेगी और वह जिस तरह से होगा, उसके लिए निवेदन करूं कि आपकी कोऑपरेटिव सोसायटीज बनेगी, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो कुछ कोऑपरेटिव के रूल्स बने हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि २५ वर्ष तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर रहे और जमीन को खड़ें तो भी आपकी मिल्कियत पैदा नहीं हो सकती, आधी साल तक खड़ें, तीन बटे चार साल तक खड़ें, दूसरी साल खड़े तो भी यह कहा जा सकता है कि जमीन आपने नहीं खड़ी, इसलिए छुड़ाई जा सकती है, आप कोऑपरेटिव के मेम्बर के पद से हटाये जा सकते हैं और दूसरे को वह जमीन दी जा सकती है। फिर किस कोऑपरेटिव, कैसी कोऑपरेटिव की दुहाई देने के लिए बैठे हैं। आप समझते हैं कि अगर जमीन बच जाती है तो कोऑपरेटिव के थ्रू मिल जायेगी, मैं अर्ज करूंगा कि कोऑपरेटिव को अभी तक आप समझ न पाये हैं, यह एक उड़ता हुआ कागज है आसमान में, जिसको पकड़ना मुश्किल है यह सारी चीज हवा में है। मैं अर्ज करूंगा कि यह सोचना कि कोऑपरेटिव के थ्रू जमीन मिल जायेगी, यह एक खामखां में गलतफहमी में पड़ना होगा। मैं अर्ज करूंगा कि जो कुछ भी जमीन आपको लेनी है, उसे आप आपस में बैठ कर तय कर लीजिए, उससे फायदा होगा (घंटी) आप चाहते हैं कि लैंडलैस को जमीन मिल जाय, तो यह जो तारीख है १० दिसम्बर तक की जो लिमिटेशन है, उसे लैंडलैस के वास्ते हटा दिया जाय।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : माननीय सभापति, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने २५

(श्री रामचन्द्र)

फरवरी, १९५८ की तारीख निश्चित की है, उसको क्लेरीफाई करते समय आपने फर्माया कि इस तारीख को ऐसे ट्रान्सफर को अवैध घोषित करने का बिल लाये थे। मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपनी शंका का निवारण भी करना चाहता हूँ कि जब २५ फरवरी, १९५८ को आपको मालूम हुआ कि पिछली साल ट्रान्सफर बहुत ज्यादा हो गये, उसको रोकने के लिए आप यह बिल लाये, इसलिए २५ फरवरी, १९५८ के बाद तो अपने आप ट्रान्सफर कम होने लग गये होंगे। इसके पहले १९५७ में इसकी अपेक्षा ट्रान्सफर बहुत ज्यादा हुए होंगे। तो इस तरह से इस खराबी को दूर करने के वास्ते जो सलेक्ट कमेटी ने पहली जनवरी की तारीख निश्चित की है, वह रखने में आपको क्या आपत्ति है ? कोई कानूनी बाधा है, जिसकी वजह से इसको रखने से आगे चल कर कोई दिक्कत आ सकती है, यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रखने में कोई कानूनी दिक्कत है क्या ? अगर नहीं है, तो सलेक्ट कमेटी ने जो तारीख निश्चित की है, फर्स्ट जनवरी, १९५७ वह ट्रान्सफर को अवैध घोषित करने की तारीख निश्चित करें तो उचित होगा।

श्री सभापति : No more repetitions.

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह जो तारीख यहां पर लगाई गई है, २२ फरवरी, १९५८ ....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : २५ है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि यहां पर लैंडलैस पर्सन्स को दिये जाने की बात नहीं है। लैंडलैस को १९५७ से दी है, सलेक्ट कमेटी ने जो कह दिया है, वह ठीक है। यहां यह विषय उपस्थित होता है कि जो ट्रान्सफर पहले हो गये हैं, उनको इल्लीगल करार देने के लिये, सीलिंग के लिए माना जाय या नहीं। यह सवाल उपस्थित होता है। इसलिये यहां लैंडलैस का सवाल नहीं है। लैंडलैस को १९५७ से दिया है। यह यहां लाया गया है, यह इस बेसिस पर लाया गया है कि १९५७ से पहले ट्रान्सफर हुये थे, उस वक्त सीलिंग की बात डिसाइड नहीं थी और अब १९५८ से लिया है, यह गलत है। जब यह कहा जाता है कि १९५५ में हमने टिनेन्सी एक्ट में एक शिड्यूल लगाया, उसमें एरिया भी मुकर्रर कर दिया फलां-फला, फलां जगह ऐसा होगा। उसके बाद उस बात को इगनोर करके सलेक्ट कमेटी ने १९५७ रखा। अब न मालूम किस वजह से १९५८ रख दिया, यह समझ में नहीं आता। एक तरफ सरकार कहती है कि १९५३ में घोषणा हमने समिति बनाकर कर दी थी, फिर १९५५ में रिपोर्ट आ गई और १९५५ में टिनेन्सी एक्ट में शिड्यूल पास कर दिया। उसके बाद स्टेट ने एक विज्ञप्ति जारी कर दी थी। उसके बाद मुनासिब नहीं समझते कि जो ट्रान्सफर हुए वे उपयुक्त हुये। लेकिन फिर कहना चाहिये था कि आज से जो ट्रान्सफर होंगे वे नाजायज होंगे। पहले हुए वे ठीक हैं, यह सवाल है। जो नीति थी, उसका पालन कर सकेंगे या नहीं, इस बेसिस पर सलेक्ट कमेटी ने तय किया था और पीछे के समय को छोड़ कर फरवरी, १९५७ रखा

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

था। ऐसी हालत में जो १६५८ का रखा है, यह गलत है और यह नहीं होना चाहिये।

श्री सभापति : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने बहुत लम्बे समय के बाद एक संशोधन रखा और उससे मालूम पड़ता है, मंत्री महोदय के भाषण से तो ऐसा पता चलता है बातें तो प्रगति की करते हैं और उन बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रगति की ओर जा रहे हैं और जब कानून बनाने की बात आती है तो बहुत पीछे चले जाते हैं और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो और पीछे से पीछे जाने को ही प्रगति समझते हैं और ५७ की जगह ५८ और ५८ की जगह ५६ कर दें, यही प्रोग्रेस समझते हैं।

मैं तो समझता हूँ मन्त्री महोदय ने खुद ने कहा था कि जहां मैलाफाइड इन्टेन्शन से, बुरे इरादे से ट्रान्सफर किया गया है, जो सीलिंग के पर्पज को डिफीट करने वाला है, उसको अवैध करार देंगे। सीलिंग से हमारा उद्देश्य है जमीन निकाल कर लैंडलैस को देना, उसके लिए यह कानून बना रहे हैं तो या तो यह कर देते कि जितने ट्रान्सफर्स ५३ के बाद में किये गये हैं, वे सब अवैध कर दिये जाते। कोई बात नहीं कि वे कचहरियों में जाते, वे लोग अपनी बात रखते तो किसान भी अपनी बात रखते, तो इससे इन्टेन्शन तो साफ मालूम हो जाता और इसका लाभ मिल जाता। पर आप कहते हैं कि इन्टेन्शन साफ है और तारीख लगाना चाहते हैं तो आपको एक बात का खयाल रखना चाहिये कि सीलिंग के पर्पज को डिफीट करने के लिये ट्रान्सफर किये गये हैं वे सब अवैध होंगे ५३ के बाद के, तो सब मामला साफ हो जाता। आप चाहे ५७ रख दें, ५८ रख दें, मतलब तो वही होगा, मामले तो आयेंगे, बहस होगी इसलिये सही तरीका यदि आप सोचते हैं तो ५३ से रखना चाहिये जब से कि सीलिंग कमेटी बैठाई।

प्लानिंग कमीशन ने भी यही कहा था और सीलिंग कमेटी ने भी यही कहा था कि सीलिंग के पर्पज को डिफीट करने के लिये ट्रान्सफर्स हो रहे हैं, उनको रोकना चाहिये। तो सीलिंग की बात ५३ से प्रारम्भ हो गई थी, ऐसी दशा में सीलिंग के उद्देश्य को पूरा करने लिए तभी से ट्रान्सफर्स को अवैध करना चाहिये। सीलिंग के आंकड़े इसमें मौजूद हैं, उन आंकड़ों के आधार पर आप देख लीजिए कि २०० एकड़ से ऊपर वाले लोग कितने थे और उनके पास कितनी जमीन थी और उनकी संख्या उस समय कितनी थी और अब कितनी है। आप कहते हैं कि जो जमीनें ट्रान्सफर हुई हैं वे लैंडलैस को मिली हैं तो इसके आंकड़े भी देख लीजिये, जमीनें लैंडलैस टिनेन्ट्स को नहीं मिली हैं। जमीनें उनको मिली हैं जिनके पास पैसा था, साधन थे। पैसे वाला साधन वाला आदमी चाहे वह कहीं पर था उसने जमीन खरीदी। तो आप यह कहते हैं कि लैंडलैस को जमीनें मिलीं तो इसके भी आंकड़े देख लीजिये। दस बारह लाख के करीब परिवार आते हैं, उनमें एक से ५ एकड़ तक के कितने परिवार आते हैं, उनको आप देख लीजिए तो आपको पता चल जायेगा कि जमीनें किसके पास गई हैं। बेचारों के पास साधन ही नहीं थे, पैसा ही नहीं था तो वे जमीनें कहां से खरीदते। तो यह कहना कि जमीनें जो लैंडलैस टिनेन्ट्स

Page No.93

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं उन्हीं के पास गई हैं, यह गलत है। जिन लोगों के पास पहले से ही जमीनें थीं उन्होंने ही जमीनें खरीदी हैं। आपने तो लैंडलैस के नाम से ५८ तक का कर दिया तो कोई बात नहीं रही। आपको ऐसी हालत में सीधे यही कह देना चाहिये कि आज से पहले ट्रान्सफर हुए उन पर कोई असर नहीं होगा, उसमें हम कुछ नहीं करना चाहते, अब से यह लागू होगा कि कोई ट्रान्सफर नहीं कर सकता। तो कम से कम यह साफ तो होता। पर आप लोगों को, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमने बड़ा प्रोग्रेसिव कदम उठाया है, हमने प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को भी माना है, यह तरीका गलत है।

मार्क्स ने और लेनिन ने कहा है कि मिडिल क्लास कोई चेंज नहीं ला सकती, उसके द्वारा किये गये परिवर्तन वहीं तक सीमित होंगे जहां तक कि मिडिल क्लास का स्वार्थ है। मिडिल क्लास के द्वारा बनी हुई कोई सरकार है वहां मिडिल क्लास और अपर क्लास के परस्पर स्वार्थ टकराते हैं, वहां कोई सुधार नहीं ला सकती, वहां कोई परिवर्तन नहीं ला सकती। इसी कारण बार बार चेंज आती हैं वे ऐसी आती हैं जो हमें पीछे की ओर ले जाने वाली हैं, आगे ले जाने वाली नहीं हैं। तो मन्त्री महोदय ने जैसा कि अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि सीलिंग के पर्पज को डिफीट करने के लिए मैलाफाइड ट्रान्सफर हुये हैं तो वे अवैध होने चाहियें तो इस मुद्दे को रखना चाहिये और ५३ के बाद जितने ट्रान्सफर्स हुए हैं उनको अवैध करार देना चाहिये। फिर चाहे उससे मुकदमेबाजी ही क्यों न हो, कम से कम मामला तो साफ हो जायेगा, इन्टेन्शन तो मालूम हो जायेगा।

इसलिए मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय इसको गम्भीरता के साथ सोचेंगे। यह मत सोचिये कि जितनी जमीनें गई हैं वे लैंडलैस टिनेन्ट्स के पास गई हैं। मैंने देखा है अपने जिले में कि लैंडलैस को ये जमीनें नहीं मिली हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु.): माननीय सभापति महोदय....

श्री सभापति : अब आपके लिये क्या बचा है ?

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के भाषण के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इस प्रकार के सीलिंग बिल को पास करना और नहीं करना बराबर सा है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर थोड़ी चर्चा की तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो जमीनें आज तक ट्रान्सफर की गई हैं वे उन व्यक्तियों को ट्रान्सफर की गई हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं। आपने अपने भाषण में बताया कि प्लानिंग कमीशन ने ऐसा कहा मेरे अजीज दोस्त प्लानिंग कमीशन के भी सदस्य हैं और केन्द्रीय सरकार के भी सदस्य हैं, यहां की सरकार के भी सदस्य हैं, उन्होंने भी अपने नाम जमीनें ट्रान्सफर करवाई हैं। ५७ से ५८ और ५६ तक ट्रान्सफर कराने का उनको मौका मिले, तो हमारे माननीय राजस्व मंत्री साहब उन अजीज दोस्तों की वकालत कर रहे हैं...

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : केन्द्रीय मन्त्रियों और राजस्थान के मन्त्रियों का नाम लिया, यह किस तरह ?

श्री हरिप्रसाद यादव : नेहरू जी का भाई भी इस तरह ट्रान्सफर करवाता है तो उसका नाम भी लेना पड़ेगा ।

(विरोधी पक्ष की ओर से करतलध्वनि)

माननीय सभापति महोदय, तो मैं निवेदन करूं कि जो जमीनों के ट्रान्सफर का मसला था, २५ फरवरी ५८ की तारीख मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में बताई....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ट्रान्सफर जमीनों के मन्त्रियों ने और सेन्टर के मिनिस्टरों ने कराये हैं, यह बिलकुल गलत है । इस तरह की भाषा उन्हें कहनी नहीं चाहिये । यह गलत है कि यहां के मिनिस्टरों ने और सेंटर के मिनिस्टरों ने अपने नाम जमीनें ट्रान्सफर करवाई हैं, उन्हें अपने विचारों को ठीक कर लेना चाहिये और इस तरह की गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलना चाहिये ।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने फर्माया तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, उनके भाई भतीजों के नाम पर खाते हैं, जिलों में और राजधानी के प्रांगण में, बता दूँ तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कानून हम बनाने जा रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण कानून है, हम सीलिंग का महत्वपूर्ण बिल पास करने जा रहे हैं । एक अमेंडमेंट भीमसेन जी ने पढ़ा और हमने पार्टनर होकर रखा । राजस्थान में शुगर फैक्ट्री भोपालसागर और दूसरी गंगानगर की है ।

४ म० प०

एक माननीय सदस्य : यह 'डी' में नहीं आता है ।

श्री सभापति : हम 'डी' पर विचार कर रहे हैं वह इसमें नहीं आता है ।

श्री हरिप्रसाद यादव : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने भाषण में बताया, वे किसी सदस्यों के भाषण के उत्तर में बता रहे थे लेकिन आज से ५ वर्ष पहले मुझे अनभिज्ञ रखा गया । मैं उस समय सेक्रेटेरियेट किसी गरीब के काम गया था और मुझे चान्स नहीं मिला । तो मैं यह निवेदन करूं कि शुगर फैक्ट्री भोपालसागर के पास सलूम्बर तहसील में उसका फार्म है । उसमें ३ हजार बीघा जमीन है और भोपाल सागर में....

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, we had enough of relaxation. We should now come to the point.

श्री सभापति : आपको इसके लिये समय नहीं दिया जा सकता और समय आपको बाद में जब क्लॉज आवेगा दिया जावेगा ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इनको सन्तोष दिलाने के लिये विचार किया जावे । माननीय सदस्य धीरज रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । क्लॉज आने वाला है ।

श्री सभापति : जब क्लॉज आवेगा तब आप बोल लें ।

श्री हरिप्रसाद यादव : शुगर मिल ने अपने स्टाफ और क्लर्कों के नाम, और जो कम्पनी वालों की औरतें हैं उनके नाम, पर

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जमीन ट्रान्सफर किया है मैं इस विषय पर आ रहा हूँ। वहां जमीन ट्रान्सफर हुई है और उस जमीन को हमारी सरकार ने उनको गन्ना बोने के लिए हजारों बीघा दी। मगर उस जमीन में जिसको सरकार ने गन्ना बोने के लिए दी थी वहां पर उन्होंने चावल की खेती की और उस चावल को अपने देश से दूसरे प्रदेश में सप्लाई करते रहे। मेवाड़ सरकार की मन्शा थी कि वे सरकार को इतना गन्ने के बीज देंगे वह गन्ना कभी उन्होंने नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के इरायतनामे को, एग्रीमेंट को उन्होंने नहीं माना। आपने फर्माया कि हमने गजट में २५–२–५८ को कानून बनाया और असेम्बली में मूव किया था। गजट में शाया हो जाता है तो कम्पनी के मैनेजमेंट में पढ़े लिखे लोग हैं। माननीय राजस्व मंत्री भी एडवोकेट हैं....

श्री सभापति : वे उसके सदस्य नहीं हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : वे हमारी सरकार की आज्ञाओं का उलंघन करते थे। सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जब वे आज्ञा का पालन नहीं करते थे।

दूसरी बात यह रहती है कि फोरेस्ट ऑफिसर भाई चरणदासजी के पास भी दो हजार बीघा जमीन है और वे भी उस जमीन को ट्रान्सफर कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir we should come to the point now.

श्री सभापति : आपका समय हो गया है।

श्री हरिप्रसाद यादव: उन्होंने उस जमीन में से ट्रान्सफर करके २५, ३० हजार रुपये वसूल कर लिये हैं और वह ज़मीन किसानों को नहीं मिली है। तो जो ज़मीन ट्रान्सफर हो और वह किसानों को न हो और किसी व्यक्तिगत तौर पर किसी क्लर्क को या अपने रिश्तेदार या औरतों को हो या ऐसे लोगों को जिनको वेतन-मिल रहा है और जिनके रोज़ी का जरिया रोजगार है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको नहीं मिलनी चाहिये और उन लोगों को मिलनी चाहिये जिनके पास ज़मीन नहीं है और न जिनके पास किसी प्रकार से रोटी कमाने और रोजगार करने का ज़मीन के सिवाय साधन ही है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि ज़मीन का उन क्लर्क के नाम या उन औरतों के नाम ट्रान्सफर होना ठीक नहीं हैं।

(श्री मूलचन्द डागा के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री सभापति : We have sufficient debate on this, Mr. Daga.

श्री मूलचन्द डागा : Only five minutes, Sir.

श्री सभापति : Alright, let it be the last speech.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जो आज हमारे सामने है इसके लिये सबसे पहले राजस्थान में इसके लिये एक कमेटी बैठी और सारे लोगों में उसके लिये इस बात की चर्चा चली कि कांग्रेस पैगाम देने जारही है और एक क्रान्तिकारी कदम भूमि के सम्बन्ध में उठा रही है। उसमें हमने ३०० गवाहियें दी। उसने सारे राज-

(श्री मूलचन्द डागा)

स्थान का दौरा किया और कई लोगों से मिल कर काश्तकारों के बयान भी लिये और उनसे पूछताछ की गई और जब बातें फैली कि राजस्थान में सीलिंग आने वाला है जिसके आधार पर भूमि का ठीक तरह से बंटवारा कर सकेंगे और उन भूमिहीन लोगों को जमीन मिल सकेगी जो खेती का काम करते हैं। यह कमेटी नवम्बर १६५३ में चली और इसके बाद हमने उसके पास एक बहुत बड़ा लम्बा-चौड़ा पाली जिसे में मेमोरेन्डम पेश किया और हमने बताया कि किस प्रकार की ज़मीन लोगों के पास बहुत ज्यादा है और सीमा के उपरान्त ज़मीन है और अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। और इतना होने के बाद भी आज हम इस असेम्बली में सुन रहे हैं कि हमें इसकी तारीख बढ़ा देनी चाहिये और १६५७ के बाद १६५८ फरवरी २५ करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया। राजस्व मंत्री ने जिस ढंग और कुशलता से बताया कि चूंकि हमने एक्ट पेश कर दिया है इसलिये हम संबन्धित तारीख घोषित करते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप लोगों की भावना पर कानून बनावें। मगर जिस दिन सीलिंग कमेटी का आपने निर्माण किया उसी दिन लोगों को मालूम हो गया था कि सीलिंग आने वाला है और कमेटी के सदस्यों ने घोषणा कर दी थी। क्या उस तारीख को १६५३ में लोगों को मालूम नहीं था। लोग इसके पहले से सतर्क थे और जब उनको मालूम हुआ कि सीलिंग आने वाला है तो उन्होंने पहले से ही मार्जदारी कर ली। किसी ने ज़मीन अपने रिश्तेदारों को दे दी किसी ने जमीन को बेच कर लाखों रुपये पैदा कर लिये। आज आप उस तारीख को लाना चाहते हैं और इस प्रकार के क्रान्तिकारी कदम में और उसके लिये आप कहते हैं कि हम समाज में नीतिवाद पैदा करना चाहते हैं। आज १६५८ तक पहुँच चुके हैं। सोचिये कि कई लोगों को जब यह पता लगा कि जिनके पास ज़मीन नहीं है उन लोगों को ज़मीन मिलेगी, वे खुश हुए। जो लोग मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, जब उन्होंने सीलिंग का नाम सुना होगा तो उन्होंने यह सोचा होगा कि हमें ज़मीन मिलेगी लेकिन इसके बाद हमने ऐसा रखा है कि जिन लोगों ने ज़मीन ट्रान्सफर कर दी है उसके लिये समय की सीमा रखते हैं। आपने २५ फरवरी १६५८ का कहा। मैं यह कहूंगा कि आपको २५ फरवरी १६५८ से मालूम होगा कि सारी जमीन लोगों ने पहले ही ट्रान्सफर कर दी है। आप इसका तरीका नहीं जानते। इन्कम टैक्स सरकार लगाती है और उससे बचने के क्या तरीके होते हैं आप नहीं जानते—हम लोग इसको जानते हैं। कानून की बारीकियों में जब आप जावेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितने ट्रान्सफर इससे पहले ही हो चुके हैं। तो ट्रान्सफर का मतलब क्या होगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि आप उस डेट को न लेकर १६५३ की तारीख मुकर्रर करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप कोई क्रान्तिकारी कदम उठा सकेंगे और आपको कुछ जमीन मिल भी सकेगी जो लैंड लैस टिनेन्ट्स को दे सकेंगे। लेकिन अगर आप २८ फरवरी १६५८ की तारीख घोषित करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि जिस जमीन के लिये हम आशा लगाये बैठे हैं वह जमीन हमको नहीं मिल सकेगी और सीलिग का जो पर्पज है वह सब जाता रहेगा।

Page No.97

(श्री मूलचन्द डागा)

मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूं कि इस प्रकार आप ५८ की तारीख को ठीक समझते हैं कि हमने एक बिल बनाया लेकिन सारी जनता को मालूम था कि कांग्रेस की सल्तनत के ज़माने में हमने एलान किया था कि हम ज़मीन का बंटवारा करेंगे। ज़मीन जिनके पास थी वह जागरूक था वह जानता था कि ज़मीन का बंटवारा होगा। जिस डेट को आप बता रहे हैं और इस बिल के साथ जो सम्बन्धित है आप उस पर गौर करें। यदि ५३, ५४ रखेंगे जा कि सलेक्ट कमेटी बैठी थी तो कुछ जमीन लोग प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि वह तारीख ऐसी थी कि जब हमने एलान किया कि सीलिंग लागू होगा। कमेटी मुकर्रर हो चुकी थी और जगह जगह जाकर उसने दौरा किया। वही इसकी अब भी भावना होनी चाहिये जो कि ५४ में थी। कांग्रेस ने अपने आवड़ी अधिवेशन में और नागर के अधिवेशन में भी रिज्योल्युशन लिए और वे रिज्योल्यूशन पास हुए उनमें यह साफ था की हम समाजवाद लाना चाहते हैं। अब उस तरीख के बाद सन् ५३, ५४ की डेट को भूल कर सन् ५८ पर आ पहुँचे हैं। पांच साल में हजारों और लाखों बीघा ज़मीन मिल सकती थी। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि जो बेज़मीन हैं उनके नाम पर, क्रांतिकारी कदम के नाम पर और ईमानदारी का जो आज तकाजा है उसके नाम पर इसको उसी डेट से लागू करें जिससे कि कुछ लोगों को ज़मीन मिल सकेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय चैयरमैन महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने अभी जो अमेन्डमेंन्ट पेश किया है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ।

माननीय चैयरमैन महोदय, माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जो अमेन्डमेन्ट पेश किया है "बाई वे ऑफ पार्टीशन" इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीलिंग बिल में फेमिली की डेफिनेशन मान ली है, उस डेफिनेंशन के होते हुए पार्टीशन किया जा सकता है इसलिये इसमें ये शब्द "बाई वे ऑफ पार्टीशन' लिखना सुपरफ्लुअस है।

लैंडलैंस के फेवर में जो ट्रान्सफर्स हुए हैं १६ फरवरी १० दिसम्बर को उनको रिकॉग्नाइज़ करने जा रहे हैं। लैंडलैंस पर्सन्स की डेफिनेशन हमने इसमें दी है और टिनेन्सी एक्ट में भी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : टिनेन्सी एक्ट में कहां है ?

श्री भीमसेन : अब जो लैंडलैंस पर्सन्स की डेफिनेशन की है उससे कोई भी आदमी लैंड लैस बन सकता है। मान लीजिये कि अगर एक आदमी शहर का रहने वाला है वह जाकर यदि ज़मीन खरीद लेता है, वह उसकी तारीफ में आता है। कोई आदमी "रीजनेबली एक्सपेक्टेड" खेती करने योग्य है तो उसको ज़मीन मिल सकती है। इससे कोई भी आदमी जो अच्छे शरीर वाला है, हृष्ट पुष्ट है, He can be expected to cultivate the land. ऐसा आदमी ज़मीन पर खेती करने के लिए जा सकता है और वह लैंडलैस की डेफिनेशन में आ सकता है। इसके लिये सरकार ने छूट दे दी है। एग्रीकल्चरिस्ट शब्द की डेफिनेशन को देखिये और लैंडलैस की डेफिनेशन को देखिये दोनों में काफी फर्क है। एग्रीकल्चरिस्ट को टिनेन्सी एक्ट में साफ बताया गया है,

Page No.98

(श्री भीमसेन)

लैंड लैस उस डेफिनेशन में नहीं आ सकता। इसलिए इस प्रकार के ट्रान्सफर्स–लैंडलैस की परिभाषा करके छूट दे रहे हैं उनको, यह वाजिब नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो ३० डी जिस प्रकार से सलेक्ट कमेटी ने रखा है वह वाजिब है और वैसा ही रहना चाहिये।

एक प्रावधान और आता है। मान लीजिये की एक एग्रीकल्चरिस्ट है और उसके पास दस बीघा जमीन है और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जो अमेन्डमेंट लाये हैं उस दृष्टि से वह जमीन खरीदने से महरूम रह सकता है। इसलिए ऐसे आदमी के प्रति अनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। सलेक्ट कमेटी ने जो प्रोविजन रखा है वह वाजिब है और रेवेन्यू मिनिस्टर अब जो अमेंडमेंट लाये हैं वह सुपरफ्ल्युअस है और अनजस्टिफायेबल है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, मैं समझता हूँ कि तीन साल तक अच्छी मूर्ति बनाने का टाइम दिया और उसको घड़ना पड़ा और आखिर जाकर उसका सिर ही काट दिया गया।

श्री सभापति : किस धारा पर बोलना चाहते हैं ?

श्री हीराभाई : अमेंडमेंट रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने रखा है उस पर।

श्री सभापति : कौन सी धारा पर ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वह हवा में बह गई।

श्री हीराभाई : जो तिथि निश्चित की थी, ५८ के पहले जो कुछ हुआ वह अच्छा नहीं हुआ इस अमेंडमेंट के जरिये गवर्नमेंट ने यह मान लिया। इतने साल तक मेहनत की वह बेकार गई और दूसरी कठिनाई यह आकर खड़ी रहेगी कि जिन लैंडलैस को ज़मीन दे दी गई उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है कि मान लीजिये कि मैंने किसी जमींदार से ज़मीन कीमत न ली, उस जमीन को दूसरा आदमी तीन साल से काश्त कर रहा है, उसने उस पर कब्जा कर रखा है वह उसको छोड़ना नहीं चाहता, मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया और वह काश्तकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार की कठिनाई आकर आपके सामने खड़ी रहेगी। यदि वही ज़मीन सीलिंग से छुड़ाई जाती तो यह जवाबदारी सरकार पर थी लेकिन दोनों को दाना डाल कर मुर्गी की लड़ाई जैसी सरकार ने काश्तकारों में करा दी है। इससे सरकार के अधिकारी हैं, पटवारी वगैरह हैं वे फायदा उठावेंगे, उनको रिश्वत लेने का मौका मिलेगा। सीलिंग के द्वारा जो कुछ कार्यवाही होनी चाहिये थी वह नहीं होती है तो यह मामला हल नहीं हो सकता है। यदि रेवेन्यू मिनिस्टर इसका प्रूफ भी मांगे तो मैं पेश कर सकता हूँ, कई जगह ऐसे हालात हुए हैं और हो रहे हैं। सीलिंग के विषय में जो कमेटी ने कार्यवाही की और गवर्नमेन्ट ने जो बिल पेश किया है उस आधार पर, उस तिथि के आधार पर सीलिंग होना चाहिये वर्ना मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ और वह पास नहीं होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : The Hon'ble Members have taken objections to the date in my amendment, 25th Feb., and some have suggested that it should be a date on which the Ceiling Committee was appointed. By appointment of a Ceiling Committee, the intention of the Government to empose ceiling cannot be inferred. The terms of appointment of Ceiling Committee and the terms of reference are to study the laws proposed or enacted in other States for fixing a ceiling on agricultural holdings and to recommend how far it would be advisable to adopt simlar provision in Rajasthan. Secondly to study the agrarian conditions and the extent of unemployment prevailing in different parts of Rajasthan in relation to the fixation of ceilings on holdings; सलेक्ट कमेटी का अपोइन्टमेंट किया गया तो उसका मतलब यह नहीं था कि हम सीलिंग इम्पोज़ करने ही जा रहे हैं बल्कि यह था कि वह कमेटी देखभाल कर गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि सीलिंग का लॉ बनायें या नहीं। Secondly, they were to study the agrarian conditions and the extent of unemployment prevailing in different parts of Rajasthan in relation to the fixation of ceilings on holdings. इन बातों को स्टेडी करके they have to recommend to the Government and then they had to make recommendations whether the method of Ceiling will be necessary in our State or not. टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स सलेक्ट कमेटी के हैं उससे यह अन्दाज लगा लेना कि पब्लिक को यह समझ लेना चाहिये कि गवर्नमेंट सीलिंग लगाने जा रही है, यह मानना गलत होगा और यह मानना कि इससे सीलिंग का उद्देश्य साफ था, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप इसके टर्म्स ऑफ रेफ़रेन्स को देख लीजिये। लॉज ऑफ होल्डिंग्स को स्टडी करके और सारी चीजों को स्टडी करके गवर्नमेंट को रिकमन्ड करना था। That whether it will be advisable for the State Government or not. यह बिलकुल साफ था इसलिए उस डेट को किसी हालत में रखा नहीं जा सकता।

दूसरी क्लीअर डेट वही मिलेगी जिसमें कैटेगोरिकली हमने यह तय किया था कि हम सीलिंग कायम करने वाले हैं और वह तारीख २५ फरवरी १६५८ है। इसके सिवाय और कोई डेट हो नहीं सकती।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऐतराज किया था। वह यह कि २५ फरवरी नहीं रहनी चाहिये। इसके अलावा उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन पर भी ऐतराज किया। हम लैंड लैस टिनेन्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं और एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा टिनेन्सी एक्ट में दे चुके हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इसमें क्या डिफाइन किया जाय 'We don't want to put restriction on those people who are unemployed and who are capable of personal cultivation. पर्सनल कल्टीवेशन के काबिल होना चाहिये।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : लैंड-लैस की परिभाषा में पर्सनल कल्टीवेशन है नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : You please better look to the definition of

(श्री दामोदरलाल व्यास)

agriculturists. Don't try to read a portion only but read the whole law. There is no lecuna in this. Therefore, I think my amendment is quite just and I hope the Hon'ble Members will accept my amendment.

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव था उसका जवाब माननीय मंत्री महोदय ने नहीं दिया । १० दिसम्बर के बाद में यदि जमीन किसी लैन्ड लैस टिनेन्ट को अलॉट कर दी जाती है तो उसको क्या माना जायेगा–उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो यहां हमने जो १० दिसम्बर रखा है उसकी जगह ६ कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : आप तो ८।। कर दें ६ की बजाय ।

श्री अनोपसिंह : मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वह १० के बजाय ६ करने के लिये नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको तो कभी सन्तोष होने वाला नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि आप १ जनवरी १६६० इसकी तारीख तय कर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि यह सुझाव आप पहले देते तो शायद इस पर विचार हो सकता था और उसको एक माननीय सदस्य का सुझाव माना जाता और अब तो यह कायदे के अन्दर भी नहीं है । वैसी हालत में मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, किसी बेकायदा चीज़ को कायदे में किस प्रकार लाया जा सकता यह माननीय राजस्व मंत्री ज्यादा जानते हैं । मेरा उनसे निवेदन है कि इस मेरे प्रस्ताव को अपनी तरफ से कायदे में रख दें, उसके बाद वह स्वीकार किया जाय ।

श्री अनोपसिंह : सभापति महोदय, वैसे भी यह अमेन्डमेन्ट हमारे पास दो तीन बजे आया है, उस पर हम कोई अमेंडमेंट नहीं दे सकते थे ।

I want that the whole proviso should be deleted.

श्री सभापति : I cannot go to that technicality.

श्री दामोदरलाल व्यास : Which technicality ?

श्री सभापति : That they have not moved any amendments.

श्री दामोदरलाल व्यास : Ofcourse any amendment that is coming now, I will refuse to accept.

श्री दलपतसिंह (आबू) : सभापति महोदय श्री अनोपसिंहजी के कहने का ध्येय यह है कि ...

श्री सभापति : उनका ध्येय वे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं । He is intelligent enough, to ex-plain it.

श्री अनोपसिंह : मैं इस प्रोवीजो का डिलीशन चाहता हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपका ध्येय समझ गया और मैंने इसको मानने से इन्कार कर दिया है।

श्री अनोपसिंह : श्री भैरोंसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसे तो स्वीकार किया जाय।

श्री सभापति : There is no formal amendment to that.

प्रश्न यह है कि धारा ३० डी॰ में जो संशोधन माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

All the rest of the amendments are negatived. I don't put before the House and now we come to 30 G.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधित धारा ३० डी॰ को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधित धारा ३० डी को स्वीकार किया गया।

Now we come to 30 G.

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय यह धारा ३० जी कम्पेन्सेशन के मुतल्लिक है . .

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : इसमें आपकी अपीचमेंट की पॉलिसी नहीं होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तसल्ली रखिये मैं बिल्कुल पॉलिसी ठीक पेश कर रहा हूँ। सेक्शन ३० जी है वह कम्पेन्सेशन के मुतल्लिक है। जो लैंड सीलिंग के बाद एक्वायर की जायेगी उन होल्डींग्ज का क्या कम्पेन्सेशन दिया जायगा, यह इसमें है। यह भी कहा गया कि टिनेन्सी एक्ट में एक्वीज़िशन ऑफ खातेदारी राइट्स सब–टिनेन्ट्स एण्ड खुदकाश्त के लिये ऑलरेडी प्रोविज़न है जिसमें किस हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जायेगा, यह भी उसमें प्रोविज़न है। मगर सिलेक्ट कमेटी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि जो कम्पेन्सेशन के तरीके प्रेसक्राइब्ड हैं वे इसमें नहीं होने चाहिये और लैंड एक्वीज़िशन एक्ट के मुताबिक कम्पेन्सेशन का प्रोविजन होना चाहिये। इस प्रकार की जो रिकमन्डेशन सिलेक्ट कमेटी ने की है वह सदन को भेजी गई। उस पर कुछ माननीय सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट भी दिया है। इस कम्पेन्सेशन के बारे में कुछ संशोधन भी सदन के सामने आये। उनमें से कुछ अमेन्डमेंट्स ऐसे थे जैसे कि ओरीजनल बिल में जो क्लॉजेज थी उसीको रिटेन करने के बारे में भी अमेन्डमेन्ट थे। सभी माननीय सदस्यों की बहस सुनने के बाद और उस पर विचार करने के बाद मैंने यह महसूस किया कि बहरहाल कम्पेन्सेशन देने के लिये इक्वीटेबल बेसिस अख्तियार करना चाहिये। इसलिये हमको देखना पड़ेगा कि राजस्थान में जो अपने यहां अलग अलग इलाके हैं आया हमें उनमें एक स्केल से कम्पेन्सेशन देना है

(श्री दामोदरलाल व्यास)

या उसका अलग अलग बेसिस रखना है। जहां तक गंग नहर के इलाके, भाखरा और नहरी इलाके का सवाल है, आम तौर पर वहां पर लोगों ने ज़मीन खरीदी है। अब हमने टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन रखा है कि किसी भी तहसील में ज़मीन अलॉट करने के लिये प्रीमियम चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन आज भी हम उस इलाके में लैन्ड लैस पर्सन्स को जो अलॉट करते हैं तो उसकी कीमत लेते हैं पांच हजार, साढ़े सात हजार और दस हजार रुपया तक प्रति मुरब्बा ज़मीन का सरकार लेती है। गंगानगर इलाके में जो पर्मनेन्ट ज़मीन का अलॉटमेन्ट किया उसके मुकाबले अन्य जगहों पर जो सरकार की ज़मीन है उसके अलॉटमेन्ट की कीमत नहीं ली जाती। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कम्पेन्सेशन का डिफ्रेन्ट स्केल रखना पड़ेगा।

गंग नहर के इलाके के जो किसान है उन्होंने ज़मीन खरीदी है, बीकानेर स्टेट से खरीदी है और इसके बाद राजस्थान सरकार से भी खरीदी है। उनसे प्रीमियम चार्ज किया गया है और बैटरमेंट लेवी चार्ज की जा रही है। तो जब ऐसी सूरत में प्रीमियम और बैटरमेंट लेवी ली जा रही है तो उनके मुकाबले में जो फ्री अलॉटमेंट होता है तो इन दोनों के स्केल ऑफ कम्पेन्सेशन का एक होना बिल्कुल न्यायोचित नहीं होगा।

अगर साथ साथ मार्केट वैल्यू पर, जैसा सीलिंग कमेटी ने रक्खा है, लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत करते हैं तो इसमें एक तो प्रोसीजर लम्बा होता है और जब हमें सीलिंग के कानून को जल्दी इम्प्लीमेंट करना है तो इसके लिये शोर्ट और स्विफ्ट फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। हम किसी की जमीन लें और उसको कम से कम कम्पेन्सेशन दें, यह उचित नहीं होगा। इसमें फिर ऐसा भी होता है कि जैसा मैंने अर्ज किया मार्केट प्राइस को वर्क आउट करते हैं तो इसमें कीमतें काफी इनफ्लेटेड होती हैं, लैंड पर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से तो उसे वर्क आउट करना ठीक नहीं होगा।

एक बात और है। अभी मौजूदा जो प्रोविजन है टिनेन्सी एक्ट में खुदकाश्त टिनेन्ट या सब-टिनेन्ट के लिये कि उसका कम्पेन्सेशन १५ टाइम्स ऑफ रेंट होगा तो इसको भी लागू करना वाजिब नहीं होगा। यह तो उन लोगों के लिये था जो बहुत अर्से से उसी जमीन पर काश्त करते आ रहे थे और जिन्होंने उस जमीन को सुन्दर और उपजाऊ बनाया और उस पर अपना खून पसीना बहाया तो उनसे ज्यादा कम्पेन्सेशन लेना उचित नहीं था इसलिये १५ गुना से ज्यादा नहीं लगाया। मगर चूंकि यहां ले रहे हैं और जब उनका प्रोप्राइटरी राइट डिफाइन कर रहे हैं तो उनको यहां कम्पेन्सेशन देना ठीक होगा। इसलिये इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें दो तरह का स्केल मुकर्रर करना पड़ेगा। एक तो प्रोजेक्टेड एरिया के लिये जिसके लिये मैंने पहले कहा अलग रेट मुकर्रर करनी पड़ेगी और एक रेट इस तरह के लिये करनी पड़ेगी और उसको हम २० गुना करना ठीक समझते हैं। इस तरह इन दोनों तरह की जमीनों को हमें डिफरेन्शियेट करना पड़ेगा। इसलिये मैंने दोनों चीजें सोचकर अर्ज किया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दूसरा अमेन्डमेंट जो सक्युलेट किया जा चुका है उसको पेश कर रहा हूँ। It is adequate compensation for agricultural land...इस बात को ध्यान में रखते हुए भी इसको पेश किया है। अमेंडमेंट इस प्रकार से है :-

(३. ३२ म. प.)

(श्री बरकतुल्ला खां, सभापति, पदासीन)

For sub-Section (3) of the proposed new Section 30 G, substitute the following:—

"(3) The amount of compensation shall be determind by the Sub- Divisional Officer in the manner indicated below, namely: —

"(i) in respect of lands situated in the Gang Canal and Bhakra Irrigation project areas, the compensation shall be calculated as follows, namely:-

"On the first five thousand rupees of the market value of the lands vesting in the State Government under sub-section (1)—40 percent of such value.

On the next five thousand rupees of such market value...—35 percent of such value.

On the next five thousand rupees of such market value—30 percent of such value.

On the balance of such market value 25 percent thereof.

(ii) In respect of other lands, the compensation shall be determined in the manner and in accordance with the principles laid down in sections 23, 24, 25 and 26, provided that the scale of such compensation shall, notwithstanding anything contained in sub-section (1) of Section 23, be twenty times the rent rate sanctioned for such lands or where rent in respect of such lands has not been settled, twenty times the rent rate sanctioned during the last settlement for similar lands in the neighbourhood.

Explanation: For the purpose of clause (i) of this sub-section, the market value of any land vesting in the State Government under sub-section (1) shall be calculated at the same rate as is being charged by the State Government by way of premium of price for lands situated in the irrigation project areas mentioned in that clause."

जिन कारणों से मैंने अमेंडमेंट पेश किया वह बतला दिया। भाखरा, गंगा नहर के बारे में मैंने अर्ज किया। इसके अलावा इसमें जो प्राइस का पर्सेन्टेज दिया है यह बहुत वाजिब बात है। दूसरी स्टेटों के लॉज को भी देखें। आखिर जिन जमीनों से काफी फायदा उठाया है उनसे मार्केट वेल्यू से रिड्यूस करके देना पड़ेगा। हम इतना तो करें कि हमारी स्टेट एक्सचैकर पर ज्यादा वजन न पड़े और उन लोगों को भी ऐडीक्वेट कम्पेन्सेशन मिल जावे इसलिये मार्केट वेल्यू के २५ पर्सेन्ट तक रक्खा है। इसलिये मार्केट वेल्यू को डिफाइन करना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ लैंड की वजह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

से और दूसरे कई कारणों से इनफ्लेटेड वैल्यू है। इसलिये मार्केट वैल्यू जो गवर्नमेंट चार्ज करती है उससे अधिक है। I think that can reasonably be taken to be the market value of the land. और उसकी मार्केट वैल्यू लेकर ४५ पर्सेन्ट ऑफ देट मार्केट वैल्यू पेमेंट किया जावेगा।

दूसरी बात लैंड इक्वीजिशन की २० टाइम वैल्यू एडीक्वेट मानी गई है। इसलिये जहां १५ पर्सेन्ट है उसको २० पर्सेन्ट इसलिये इन्क्रीज किया है कि उनमें फर्क है। यह २० टाइम रीजनेबल था। इस लिहाज से पेश किया।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a Point of Clarification, Sir......

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of order Sir.

(श्री दयाकृष्ण विजय के खड़े होने पर)

श्री श्रीभानसिंह : मेरा पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। जो अमेन्डमेन्ट मूव किया सभापति महोदय, उस पर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन है। संविधान की धारा के मुताबिक दो तरह के कम्पेन्सेशन अपना तय नहीं कर सकते। प्रिन्सिपल कम्पेन्सेशन का प्रिन्सिपल डिसाइड किया जा सकता है—वह सिद्धान्त मंत्री महोदय ने डिसाइड कर दिया। मगर उस धारा में यह नहीं है कि एक स्टेट में एक एक्ट बना और स्टेट के उन्हीं सिटीजन के लिये बना वह एक ही है। दो तरह के प्रिन्सिपल तय किये हैं एक प्रिन्सिपल ऑफ कम्पेन्सेशन उसी चीज़ को एक्वायर करने के लिये भरतपुर में तो कोई दूसरा है और गंगा नगर में दूसरा है। यानी जो आदमी भरतपुर, अलवर या और किसी जगह का सिवाय गंगानगर भाखरा प्रोजेक्ट एरिया के जहां भी पैदा हुआ करे उनके अगेन्स्ट मन्त्री महोदय स्लाइडिंग स्केल रक्खा करें। तो इस पर पहले तो फान्डामेन्टल राइट का कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन है। इसको जो क्लेवरली अवॉइड किया। जिस वर्ड को डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कहना चाहिये उसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कह कर डिफरेन्शिएशन कहा। पर यह तो साफ तौर से डिस्क्रिमिनेटरी है।

दूसरी किस्म का ऑब्जेक्शन है वह यह है कि जिस स्केल को भाखरा प्रोजेक्ट एरिया, गंगानहर एरिया के लिये मंत्री महोदय ने माना है कि यह स्लाइडिंग स्केल कर देंगे वही चम्बल एरिया प्रोजेक्ट में नहीं माना, राजस्थान कैनाल एरिया में भी नहीं माना। ये दो जगहें हैं, चम्बल और राजस्थान कैनाल। अगर वे कैनाल एरिया के लिये मानते हैं तो इन दो को क्यों छोड़ दिया। इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेटरी बर्ताव किया सिमिलर सरकम्स्टान्सेज के होते हुए। तो सदन में इस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं पेश हो सकता। सिमिलर सरकम्स्टान्सेज में रहने वालों के लिये, एक स्टेट के अन्दर रहने वालों के लिये एक ही सिद्धान्त कम्पेन्सेशन का निर्धारित कर सकते हैं। दो दो सिद्धान्तों पर कम्पेन्सेशन नहीं दे सकते। इसलिये पहला मेरा कॉन्स्टिट्युशनल ऑब्जेक्शन है और जब तक इसको हाउस डिसाइड नहीं कर दे तबतक इस अमेन्डमेन्ट को मूव करने की इजाजत न दी जावे।

Page No.105

श्री दामोदरलाल व्यास : I think Sir, the Hon'ble Speaker has clearly ruled it out day before yesterday that this objection shall also be taken at the time of voting on the whole amendment. There can be no objection now. If the Hon'ble Member has any objection to it—what he has stated, that may also be taken and therefore, his version that this amendment should not be put unless this constitutional objection is decided, I think should not be taken in view of the previous ruling of the Hon'ble Speaker.

Secondly, I would like to give a clarification about the Rajasthan Canal. So far as the Rajasthan Canal is concerned, irrigation will start, I think in 1961 and it will take many more years to have full irrigation. The Hon'ble Members should know that so far as Rajasthan Canal is concerned, we have done and we have applied Colonisation Act; and so far as the question of charging any premium is concerned, that is a wrong information if any Hon'ble Member has got. We have not so far charged any premium and so question of giving any more premium does not arise. Moreover in Rajasthan canal area it is that type of area which is desert and it will be only brought when irrigation starts. So the question of compensation does not arise. There is a difference between the area of Chambal and Bhakhra and that people are not purchasing land today. People had actually paid betterment levy to the State of Bikaner. Therefore, that is quite different from the lands which are lying in Chambal. Moreover people have not paid any premium.

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानकारी चाहूँगा कि भाखरा के एरिया में क्या हैरीडिटरी जमीन नहीं है ? अगर है तो खरीदी हुई जमीन और हैरीडिटरी जमीन का कोई रेश्यो आप एक्ली बता सकते हैं ?

श्री सभापति : We are deviating from the point raised by the Hon'ble Member Shri Shri Bhan Singh. The Ruling of the Speaker is very clear and I was present in the House when the Ruling was given and when the Constitutional point was raised. He has submitted to the good sense of the majority of the House. The whole thing will come at the time of Voting. If the House visualise that they are doing something ultravirus, they will throw the amendment. As such I am bound by the Ruling of the Speaker. I However rule the point of order.

श्री श्रीभानसिंह : The circumstances in which the Speaker gave the ruling were different. That constitutional point was raised in the middle of the debate. When the discussion of the Clause commenced, the Hon'ble Member raised the objection. My objection is in the beginning. Since I have only these Draft Rules of Procedure and I have not yet received

(श्री श्रीभानसिंह)

any new copy and according to these Rules of Procedure, this is to be decided before any matter is taken up and unless the House by a specific majority waives this rule, next question on debate cannot be taken up.

श्री सभापति : Can you tell me to which rule you are referring?

श्री श्रीभानसिंह : My Draft Rules of Procedure contain note of dissent also.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): It means no difference whether it is done in the beginning or in the end. The Ruling of the Speaker stands.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of clarification Sir. मैं पूछ रहा था कि जो आपने बताया कि चम्बल के अन्दर जो पानी की सिंचाई........

श्री सभापति : That is besides the discussion. My Ruling on the point stands and I stand by the Ruling of the Speaker and the constitutional propriety of the amendment will be gone into at the time of voting. We will now proceed on.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): सभापति महोदय ....

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : इसमें एक संशोधन है हमारा ।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह जी को बोलने दीजिए ।

डा० बहादुरसिंह : यह जो अमेन्डमेन्ट अभी मूव करते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : They are not in time.

श्री चन्दनमल वैद : समय का कोई सवाल नहीं है । २ बजे तो आपने अमेन्डमेन्ट मूव किया और २ बजकर ५ मिनट पर हमने अमेन्डमेन्ट दिया ।

श्री दामोदरलाल व्यास : My amendment has been admitted as a special case by the House. I take objection to introducing any amendments now without proper notice under the Rules.

श्री चन्दनमल वैद : आपके अमेन्डमेन्ट से हमारा अमेन्डमेन्ट कैसे पहले आ जाता । आपका अमेन्डमेन्ट २ बजे आया और उस पर हमने अमेन्डमेन्ट २ बजकर ५ मिनट पर दिया ।

श्री सभापति : There can be an amendment to the amendment. But I find there is no amendment which has been admitted by the Speaker before me and as such question of my admitting any amendment does not arise.

श्री चन्दनमल वैद : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरी अर्ज यह है कि मैं जरा माननीय राजस्व मन्त्री महोदय की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ ....

श्री दामोदरलाल व्यास : There should be no discussion after the Ruling is there.

श्री सभापति: I have told that amendment to the amendment can be moved and thereby I agree with Shri Chandanmalji Vaid.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने अपना यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया उस भाषण से यह अनुमान लगता है कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री महोदय समय-समय पर बदलते रहते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर सलूम्बर : प्रजातंत्र में यही होता है। ।

श्री भैरोंसिंह : राजस्व मंत्री जी के विचार बदलते रहते हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि राजस्व मंत्री जी के बदलने के नाम पर आपको दुःख हुआ।.

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वैसे राजस्व मंत्री भी बदलते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन सन् १९५३ में जो सलेक्ट कमेटी अपॉइन्ट हुई और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसके अध्यक्ष माननीय राजस्व मंत्री महोदय थे, उसमें कम्पेन्सेशन का जो तरीका निर्धारित किया था वह तरीका, जो बिल के अन्दर उन्होंने अपनी राय दी, उससे कुछ भिन्न था। जिस समय बिल विचारार्थ प्रस्तुत हुआ उस समय बिल को सलेक्ट कमेटी को मूव किया गया और सलेक्ट कमेटी ने कम्पेन्सेशन के बारे में जो अपनी ओपीनियन दी वह ओपीनियन भी माननीय राजस्व मंत्री महोदय की अध्यक्षता में रिपोर्ट के द्वारा इस सदन में आई। सदन में तीन-चार दिन उसके ऊपर बहस हुई और बहस के बाद में फिर माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने यह संशोधन पेश कर दिया। तो सभापति महोदय, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि यदि इसके ऊपर कहीं बहस हुई तो माननीय राजस्व मंत्री महोदय कल कोई दूसरा संशोधन हाउस में पेश कर दें।

मुझे इस बात की खुशी है कि हाउस की विचारधारा का हमारे माननीय राजस्व मंत्रीजी के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, और उसी प्रभाव के अनुसार वे अपने संशोधन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस संशोधन को देखकर मुझे खेद हुआ।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रभाव तो माननीय सदस्य का ज्यादा पड़ता है।

श्री सभापति : यह आपके आपस के ताल्लुकात हैं उनको हाउस में क्यों ड्रेग करते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : लेकिन इस संशोधन को देखकर मुझे इतना खेद हुआ कि कल जिस प्रकार की बहस कम्पेन्सेशन के प्रश्न पर हुई उसमें शायद किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लिए दूसरा कम्पेन्सेशन का प्रावधान रखा जाय और बाकी के राजस्थान के हिस्सों के अन्दर कम्पेन्सेशन का दूसरा प्रावधान रखा जाय।

श्री चन्दनमल वैद : वह हुआ है। बाहर का प्रभाव रखा था।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं समझता कि हाउस में बाहर का प्रभाव किस प्रकार से आया।

श्री सभापति : किस को क्या खबर रहती है इसके लिए हाउस के अन्दर सी. आई० डी० नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूँ कि सदन का प्रभाव नहीं, और सदन के बाहर का प्रभाव है जिसके कारण से यह संशोधन सदन में प्रस्तुत हुआ है। सभापति महोदय, अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइन्ट के नाते बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव प्रस्तुत किया था। माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया और उस उत्तर पर मैं समझता हूँ, गम्भीरता से विचार किया जाय तो किसी भी विचारशील व्यक्ति को उससे संतोष नहीं हो सकता । उनकी दलील से मैं कुछ ऐसा समझा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी को उन लोगों की चिन्ता है जिन लोगों ने पैसा देकर जमीन खरीदी है। अब प्रश्न यह आता है....

श्री श्रीभानसिंह : (श्री राजस्व मंत्री के सदन के बाहर जाने के बाद सरकारी बैंचों पर मंत्रि मण्डल का कोई भी सदस्य नहीं होने पर) To whom is the Hon'ble member addressing. The Treasury Benches are represented by our Whip only, Sir.

श्री चन्दनमल वैद : I think the Treasury Benches are not interested in our debate and we may, therefore, adjourn conveniently.

श्री सभापति : Your pressure is so great that they cannot go even for a minute.

श्री चन्दनमल वैद : There is none.........

श्री भैरोंसिंह : (माननीय गृह मंत्री के आने पर) मैं माननीय गृह मन्त्रीजी के सामने कुछ नहीं कहता हूँ....

श्री सभापति : क्यों डर लगता है क्या ?

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : नहीं डर तो नहीं लगता है लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कौन से क्लॉज पर वाद-विवाद हो रहा है ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्रीजी को इस बात की चिन्ता है कि जिन लोगों ने कीमत देकर जमीन खरीदी है उनके साथ में सोशियल जस्टिस होना चाहिये। मैं समझता हूँ कि संविधान ने जो हमें अपने मौलिक अधिकार दिये हैं उन मौलिक अधिकारों से सरकार की नीति बनती है कि जिन लोगों ने पैसा देकर जमीन को खरीदा है तो वहां इस प्रकार का डिफरेंसि-येशन नहीं करना पड़ेगा कि राजस्थान के गंग केनाल एरिया में या भाखरा प्रोजेक्ट में किसी ने पैसा देकर जमीन को खरीदा है तो उसको मार्केट वेल्यू पर कम्पेन्सेशन दिया जायेगा, और जयपुर डिस्ट्रिक्ट में यदि किसी ने पैसा देकर जमीन खरीदी है तो उसको मार्केट वेल्यू पर कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायेगा, बल्कि उसको दिया जायेगा 20 times of the rental value.

श्री चन्दनमल वैद : उनका पैसा खोटा था।

श्री भैरोंसिंह : पैसा खोटा था या पैसा अच्छा था, वह खरीदने वाला जाने । लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि खरीददार ने खोटा पैसा नहीं लिया है ।

(श्री भैरोंसिंह)

अब प्रश्न यह आता है यहां वही कॉन्स्टि-ट्यूशनल पॉइन्ट का कि केवल गंग केनाल के लोगों ने ही जमीन खरीदी है और बाकी के लोगों ने नहीं खरीदी तो खरीददार के साथ न्याय करना पड़ेगा। चाहे वह कहीं का खरीददार हो, उसको मार्केट वेल्यू पर कम्पेन्से-शन देना है। जिसने खरीदी नहीं है और हैरीडिटरी उसके पजेशन में है तो हैरीडिटरी पजेशन की पॉलिसी के ऊपर २० टाइम्स का कम्पेन्सेशन दे सकते हैं। लेकिन जो आदमी खरीदता है, उस खरीदने वाले के साथ एक प्रकार का कानून बनाना पड़ेगा। यदि उसके साथ एक प्रकार का कानून नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सदन का यह लॉ डिस्क्रिमिनेटरी होगा, और उन लोगों के साथ ज्यादती होगी जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के बाहर के लोग हैं और जिन्होंने कीमत देकर जमीन को खरीदा है। माननीय राजस्व मंत्रीजी ने उसके बाबत बताया कि चम्बल की तरफ जमीन नहीं खरीदी जाती है तो मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करूंगा कि ५८ के बाद के ट्रान्सफर्स को सारे के सारों को कुछ कन्डीशन्स लगाकर उनको इन्वेलिडेट करने की व्यवस्था कर दी है, लेकिन ५८ की फरवरी के पहले किसी ने जमीन खरीद ली है और उस जमीन की कीमत मार्केट वेल्यू से कैलकुलेट करने के बाद कोई कम होती है यानी जितने रुपये में जमीन खरीदी है उतने रुपये से यदि कीमत कम होती है तो बेचारे ने एक साल में कौन सा अन्याय किया है? जयपुर शहर के पास में आप सांगानेर की तरफ चले जांय, बस्सी की तरफ चले जांय या आमेर और जमुवा रामगढ़ की तरफ चले जांय और कोई जमीन की कीमत मार्केट वेल्यू लेना चाहें तो अच्छी जमीन १५०)रु० बीघा, कोई २००)रु० बीघा और कोई २५०)रु० बीघा के हिसाब से सन् ५८ से पहले कई लोगों ने जमीनें खरीदी हैं जो एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और जिनके पास में अन्इकोनोमिक होल्डिंग्स थे। तो उन लोगों ने कौन सा अन्याय कर दिया कि २००)रु० फी बीघे की जगह रेन्टल वेल्यू के बेसिस पर यदि ५) रु० बीघे की वह जमीन है तो उसको १००)रु० देंगे, और गंगानगर वाले में जमीन कीमत पर खरीदी है तो उसकी कीमत मार्केट वेल्यू पर एसेस करके दी जयेगी। मैं समझता हूँ कि उस पॉइन्ट पर यह निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनेगा।

अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि जिस तरह से सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि सांगानेर के डिस्ट्रिक्ट में ऐसे काश्तकार नहीं हैं कि जिन्होंने जमीन नहीं खरीदी हो। हमारी सरकार वहां उन उन लोगों को रियायत देना चाहती है, जिन्होंने जमीन खरीदी नहीं है। उसका जवाब माननीय राजस्व मंत्रीजी ने बहुत बढ़िया दिया कि गंग केनाल से सिंचाई होने से पहले जिन्होंने खरीदी है तो कितना अर्सा निकल गया तो मैं उनको याद दिलाऊं कि पिछले सेशन के अन्दर जिस समय जमींदारी एबो-लिशन बिल आ रहा था और यह प्रश्न उसमें आ रहा था, उनके इम्प्रूवमेंट्स का प्रश्न आ रहा था, जब टिनेन्सी एक्ट में इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन आया था उस समय माननीय राजस्व मंत्री की एक दलील बाकी सारे प्रश्नों को समाप्त कर रही थी कि जिन्होंने कुए खुदवाये हैं उन्होंने कुए खुदवाने के बाद में पांच साल तक सिंचाई कर ली है, इस-लिए कुओं का पैसा नहीं मिलेगा। उस सारी

Page No.110

(श्री भैरोंसिंह)

स्थिति में इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर कम्पेन्सेशन के पॉइन्ट पर मार्केट वेल्यू दिलाने का बेसिस मानकर चलते हैं तो वह समाप्त होना चाहिये। उस तरह से इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट की पॉलेसी के ऊपर जिन लोगों ने जमीन को डवेलप किया है प्रोडक्शन के लिए उन सब को मार्केट वेल्यू से कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यदि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस बेसिस पर कि गंग केनाल में जमीन खरीदने के लिए पैसा दिया है, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो जयपुर में भी जमीन खरीदने में लोगों ने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को कम्पेन्सेट करना पड़ेगा। न कि केवल गंगानगर वालों को कम्पेन्शेट कर दें और बाकी को नहीं करें। गंगानगर का चुपके से प्रश्न रखा है तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछता हूँ कि कौन से इकोनोमिक लॉजिक से उन्होंने ४० पर्सेन्ट का सवाल रखा है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया है। ६० पर्सेन्ट उनको नहीं देना चाहिये और ५० पर्सेन्ट देना चाहिये। मैं यदि उनसे कहूँ कि ५० पर्सेन्ट नहीं १० पर्सेन्ट देना चाहिये तो उसका उज्र क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि कानून बनाना सरकार की स्वीट विल पर डिपेन्ड करता है। सरकार किसी आॅग्युमेंट को, किसी कैलकुलेशन को, किसी प्रकार के बेसिस को ध्यान में रखकर नहीं चलती है। गंगानगर से डेपुटेशन आया और डेपुटेशन के लोग माननीय राजस्व मंत्रीजी से मिले उन्होंने मार्केट वेल्यू से ८० पर्सेन्ट मांगा। वे ६० पर्सेन्ट पर आये। शाम को ५० पर्सेन्ट पर हुआ और सुबह ४० पर्सेन्ट पर हुआ। मैं समझता हूं कि अगर वे ज्यादा पीछे पड़ते तो बीच में समझौता करा लेते। यह समझौते का क्वेश्चन नहीं है। यह इक्विटी का क्वेश्चन है। इक्विटी के नाते जो प्रिन्सिपल, उद्देश्य कि यदि मार्केट वेल्यू या लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के मातहत कम्पेन्सेशन देना है तो उन लोगों को भी कम्पेन्सेशन दिया जाय वही जो कि गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दिया जाय, यानी जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है उनके लिए इम्प्रूवमेंट बेसिस पर कम्पेन्सेशन डिसाइड करते हैं तो जहां कहीं भी किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वह गंगानगर में हो या बूंदी, कोटा या झालावाड़ में हो, उनको भी उसी बेसिस पर कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। यदि हम इनको कम्पेन्सेशन नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादती करते हैं। जिन लोगों को विश्वास देकर कम्पेन्सेशन के पॉइन्ट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का मौका दिया था.......

एक माननीय सदस्य : टाइम होगया।

श्री सभापति : मेरे सामने एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है और प्रश्न यह है कि बिज़िनेस एडवाइज़री कमेटी ने यह तय किया था कि आज क्लॉज़ बाइ क्लॉज़ इसका रीडिंग कम्प्लीट हो जायेगा। इसके अन्दर दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि स्पीचेज़ छोटी हों और दूसरा तरीका यह है कि स्पीचेज़ जो कुछ भी हों और जितने समय भी चलें सदन के मेम्बर्स हिम्मत करके बैठ जायं और यह पूरा हो जाय। मैं तो जब तक आप बैठेंगे तब तक बैठने को तैयार हूं।

एक माननीय सदस्य : Sir I move that

श्री सभापति : यानी सदन यदि यह चाहे कि पूरा समय दें और पूरे तरीके से डिस्कस करें और उसके बाद में किसी फैसले पर पहुंचे तो मैं सदन का साथ देने को तैयार हूं, और जब तक बैठना चाहें, रात के ९ या १० या ११ ही बजें तक मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। या कि मेम्बर्स अपनी स्पीचेज पर लिमिट लगायेंगे स्वयं ही, मेरा रोकना उचित नहीं है। अगर लिमिट नहीं लगायेगें तो मैं समझता हूँ या कि यहां कार्यवाही जब तक जारी रहे, जब तक डिस्कशन चलते रहें तब तक सदन के माननीय सदस्य बैठे रहें और सब लोग मिलकर कोरम पूरा करें।

श्री पी० के० चौधरी : How can we Sit for......

श्री सभापति : Please, I am on the leg

५ म. प.

Whatever decision the Business Advisory Committee may have taken, the House may decide itself whether to continue the discussion tomorrow. That alternative is there-either to sit upto 8, 9 or 10 as you suggest or tomorrow this clause may be taken.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): I am not in favour of sitting upto 10.

श्री सभापति : The alternative is there. Whatever may be the recommendations of the Business Advisory Committee, the House can continue and sit. But due regard isto he paid to the recommendations of the Business Advisory Committee. You are taking this matter in a business like manner. Discussion has been going on for the couple of days and we have to say enough still.

I think the House should not object to sit more.

श्री पी० के० चौधरी : But Sir, the Business Advisory Committee never visualised this 11th hour amendment.

श्री चन्दनमल वैद : आज मिले उसकी रिपोर्ट हमारे सामने है नहीं।

श्री सोहनलाल भटनागर : Business Advisory Committee had met today.

श्री पी० के० चौधरी : That is not with us.

श्री सभापति : The report is there. It is in the interest of every one. Not only us but the people outside the House should feel that the House is interested and does not fear sitting extra hours to complete its debate.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, एक बात यह भी जान लेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल को ५ बजे बाद भी लिया गया और जल्दी जल्दी पारित किया गया।

श्री सभापति : जल्दी जल्दी तो तब होता जब कि गुलेटिन लगाते।

श्री श्रीभानसिंह : Mr. Chairman Sir. I was in the Business Advisory

(श्री श्रीमानसिंह)

Committee. But probably to my knowledge the Business Advisory Committee never decided to sit for two or three hours more. I think I am bound to abide by the Business Advisory Committee but...

श्री सभापति : But I am only trying to accommodate the Speakers who are going to participate in this debate and my desire should not be construed as a pressure or weakness or disrespect by going beyond the scope of the Business Advisory Committee. The question is whether we want to finish the Bill within the time allotted in the recommendation of the Business Advisory Committee. And if you want to complete within the specified time, then either you cut down the duration of speech or we should not mind sitting extra hours and complete the second reading today.

श्री पी० के० चौधरी : The Business Advisory Committee recommended two clauses per day. We have gone beyond that, and as such the House can take decision.

श्री सभापति : That I have already stated Mr. Chaudhary. So far as the programme of the House is concerned, this House is supreme. This is not a new point.

So we shall continue with the debate and if I find that the Hon'ble Member are not interested, we can adjust a little later.

Yes. Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने यह कहा था कि गंगानगर में बहुत पहले लोगों ने ज़मीन खरीदी थी–आज उन लोगों के साथ वे किस प्रकार का ट्रीटमेंट करने वाले हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी नहीं बल्कि जिनका ज़मीन पर पुश्तेनी कब्जा है। अब जिन लोगों का पुश्तेनी तरीके से जमीन पर अधिकार था उन लोगों को भी मार्केट वेल्यू पर कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखा है तो उनको राजस्थान के लिये भी उसी प्रकार का प्रावधान रखना पड़ेगा। राजस्थान के बाकी हिस्सों में भी कई माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। वहां पर भी लोगों ने सरकार से खरीद कर ज़मीन ली है या कई खातेदारों से जमीन खरीदी है। उनकी ज़मीन की कीमत या रेन्टल वेल्यू भी चार गुना से लेकर दस गुना तक बढ़ गई है। अगर प्रोजेक्ट बेसिस पर कम्पेन्सेशन देने का प्रावधान रखेंगे तो हमें कम से कम उस ज़मीन का भी कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा जिसकी मार्केट वेल्यू सिंचाई या माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स के कारण बढ़ गई है और उन्होंने बढ़ी हुई कीमत पर खरीदी है और जिनको सीलिंग लागू होने के कारण ज़मीन देनी पड़ेगी। राजस्व मंत्री जी ने कहा कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट में २० टाइम्स का प्रावधान है और जुडिशियल कोर्टस् के द्वारा कुछ रूलिंग्स भी इस कदर हो गई हैं। अब गंगानगर में लैंड एक्वीजिशन एक्ट के माफिक कम्पेन्सेशन न देकर मार्केट वेल्यू के हिसाब से देना चाहते हैं तो बाकी जगह ही लैंड एक्वीजिशन की तहत

(श्री भैरोंसिंह)

क्यों देना चाहते हैं ? उनकी दृष्टि में २० गुना में और मार्केट वेल्यू में अन्तर नहीं है तो राजस्व मंत्री जी उसे दूसरी जगह के लिये चेन्ज क्यों करते हैं, उसे बदलने की क्या आवश्यकता है ? वे यह कह दें कि गंगानगर में जो कीमत मिलेगी बाकी जगह भी वही कीमत मिलेगी तो समझ में आ सकता है। मैं समझता हूँ लैंड एक्वीजिशन का प्रावधान समूचे राजस्थान में लागू करदें तो ज्यादा अच्छा होगा। गंगानगर के लोगों को फायदा होता तो चेन्ज करने में आपत्ति नहीं है लेकिन गंगानगर के लोगों को फायदा हो और बाकी स्थान के लोगों फायदा नहीं हो तो यह नहीं समझें कि केवल गंगानगर में ही किसान हैं और उन्होंने ही कीमत लगाई है। यदि उनको कम्पेन्सेशन देना और एडिक्वेटली करना है तो बाकी राजस्थान के लोगों को भी कम्पेन्सेशन देना है केवल गंगानगर के लोगों के लिये लैंड एक्वीजिशन के प्रावधान से दूर जाते हैं तो इस दृष्टिकोण को छोड़ना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट में जो प्रावधान हैं उनको स्वीकार किया जाय और राजस्व मन्त्री जी के अमेंडमेंट का विरोध किया जाय।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : सभापति महोदय, यह जो धारा ३० जी जिसमें मुआवजा देने की बात है उसके संबन्ध में मेरे कुछ एतराजात हैं। मैंने संशोधन भी रखा है कि गंग केनाल और भाखरा प्रोजेक्ट में जो मुआवजा दिया जायेगा वह डिलीट कर दिया जाय और साथ ही (२) में प्रथम को भी डिलीट कर दिया जाय।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि भाखरा में और गंग केनाल में जो लोग हैं उनके साथ राज्य सरकार तुष्टीकरण की नीति बरत रही है, उनको खुश करना चाहती है और कहती है कि आपके लिए अमुक दर कर रहे हैं। या तो किसी आन्दोलन की वजह से ऐसा मालूम हो रहा है कि माननीय मंत्री जी पिचक गये हैं ...

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह 'पिचक गये' शब्द अनपार्लियामेन्टरी है।

श्री सभापति : I don't think so.

श्री भैरोंसिंह : पिचक गये शब्द अच्छा नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : पिचके हुए दिखते नहीं हैं।

श्री सभापति : वे नहीं तो उनके भाई दिख रहे हैं, जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है।

डा० बहादुरसिंह : जो कि पांच हजार तक का मुआवजा देने के लिए ४० पर्सेन्ट, ३५ पर्सेन्ट ३० पर्सेन्ट और २५ पर्सेन्ट तक गये, यह भी उपयुक्त नहीं होगा। बात यह है कि हम सारे राजस्थान के लिए मुआवजा देने का कानून बनाते हैं तो चाहे गंग केनाल में एरिया हो, चाहे राजस्थान का कोई डेजर्ट एरिया हो, हमें एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, एक नीति बनानी पड़ेगी। जब हम राजस्थान के अन्दर कोई टैक्स लगाते हैं, उस वक्त हम नहीं देखते कि गंगानगर में ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया है, दूसरे एरिया में कम टैक्स इम्पोज किया है, सारी जगह एक सा कानून लागू करते हैं। यह कर सकते हैं, जब रियायत ही

(डॉ० बहादुरसिंह)

देनी थी, तो वहां पर सीलिंग देरी से लागू होगा। यह रियायत नहीं दी जा सकती कि उन लोगों ने, जिन्होंने वहां पर ज़मीन खरीद ली है, उनको ४० पर्सेन्ट देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा पिछले माननीय सदस्य ने एतराज किया था, जिन लोगों के पास ज़मीन है, जिनके पास पूर्वजों से ज़मीन चली आ रही है, उनको भी ४० पर्सेन्ट मुआवजे का ४० पर्सेन्ट देना चाहिये। उसने ज़मीन खरीदी वह ठीक है, मार्केट वेल्यू के ४० पर्सेन्ट के हिसाब से दे दें, लेकिन जिन लोगों के पास पूर्वजों के वक्त से ज़मीन चली आ रही है, उनको भी उसी प्रकार देना चाहिए था। जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी, उनको यह एडवान्टेज यों भी हुआ। जिन लोगों के पास पूर्वजों की थी, उनको एडवान्टेज यह था-जब प्रोजेक्ट एरिया शुरू हुआ, केनाल आई तो उसका लाभ उन्होंने उठाया। ऐसी स्थिति में फिर उनको ४० पर्सेन्ट देना कहां तक उचित है। इसके साथ ही साथ अलॉटमेंट के बारे में यह बतलाया जाता है कि हम रुपया लेकर अलॉट कर रहे हैं। यह बात है तो आप अगर राजस्थान के दूसरे एरिया में, जहां ऐसी ज़मीन नहीं है, जैसी कि गंगा केनाल, भाखरा के प्रोजेक्ट एरिया में है, वहां अगर चार हजार मार्केट वेल्यू से ज़मीन दी जा रही है, तो मैं निश्चित तौर पर बताऊं कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, वे चार हजार रुपये के अलावा भी ज्यादा रुपया दे देंगे क्योंकि ज़मीन वहां की उपजाऊ है, ज्यादा उपयुक्त है, फर्टाइल है। ऐसी स्थिति में वे चार हजार की जगह पांच हजार दे देंगे, ज्यादा भी दे देंगे। मान लीजिये कि वहां के लोगों ने सोचा कि कम्पेन्सेशन मिलने वाला है, तो वे रेट बढ़ा देंगे और फिर सरकार को एप्रोच करेंगे कि चार हजार की जगह हम ६ हजार देते हैं, उसी हिसाब से हमें कम्पेन्सेशन पे करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यह ज्यादा उपयुक्त नज़र नहीं आता। इसके बाद में न्याय की मांग करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि जो २० गुना राजस्थान के अन्य हिस्सों में करने जा रहे हैं, उसी प्रकार सारे राजस्थान में एकसा व्यवहार कीजिये, आप सीलिंग कानून के ज़रिये इस प्रकार का दोहरा व्यवहार न करें, न इस प्रकार की परम्परा डालें, जिससे कि जो कानून भविष्य में पेश होने वाले हैं, आप कोई कानून बनायें, तो जयपुर के लोग अलग मांगे और दूसरे लोग अलग मांगे। जब किसी शहर में व्यवस्था करने जांय तो जयपुर शहर के लोग एक प्रकार की मांगे करेंगे और दूसरे शहर के लोग दूसरी प्रकार की मांग करेंगे। इसलिये मैं उपयुक्त समझता हूँ कि जैसा कि आपका सैकिन्ड है, in respect of other land जो यह निर्धारित है, यह तरीका ठीक है। इसके साथ ही साथ एक्स्प्लेनेशन को डिलीट करना चाहता हूँ। मैंने जो सदन में संशोधन प्रस्तुत किये हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान के अन्दर जो दोहरा व्यवहार करने जा रहे हैं, वह न हो एक सा व्यवहार हो और एकसी रेट रखें, मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): माननीय चेयरमेन, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि इस क्लॉज पर जो अमेंडमेंट रखा है माननीय मंत्री महोदय ने, उसका अगर इन शब्दों में, जिनके लिये कहा जाय, जोरदार शब्द, विरोध किया नहीं तो शायद मैं अपनी कौशस और जिन

(श्री श्रीभानसिंह)

आदमियों ने मुझे वोट देकर भेजा है, उन व्यक्तियों के प्रति मेरा जितना कर्तव्य है, उसको न निभा सकूंगा। यह बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान के अन्दर कहीं से अगर कोई व्यक्ति तार देकर ८०, १०० आदमियों को इकट्ठा कर ले और उनके माफिक बिल के अन्दर संशोधन आ जाय और राजस्व मन्त्री जी यह कहें कि हाउस की कौंशस ऑफ ओपिनियन यह थी जिसकी वजह से अमेंडमेंट लाये। मैंने, जिस रोज, कम्पेन्सेशन का क्लॉज इस हाउस में डिस्कस हो रहा था, उस रोज सारी डिबेट गौर से सुनी, मगर किसी ने यह नहीं कहा था कि राजस्थान में गंगानगर में स्लाइडिंग स्केल या स्लेब सिस्टम रखिये और सारे राजस्थान के पार्ट हैं, उनमें फ्लेट रेट पर रख दी जाय। हो सकता है, मेरी समझ में कमी हो, मगर सदन में शायद १७६ में से कोई नहीं कह सकेगा कि किसी ने यह वोइस करी थी, यह प्रिन्सिपल हाउस के सामने रखा हो, यह सिद्धान्त माननीय मन्त्री जी के सामने रखा हो। तो फिर आखिर सर्कम्सटान्सेज देखी जाय कि यह अमेंडमेंट क्यों अनिवार्य हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि माननीय मन्त्री जी के लिए, सिवाय प्रेशर के, और कोई अमेंडमेंट लाने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिर आप जस्टिस करते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं, हाउस के अन्दर जो कौंशस ऑफ ओपिनियन थी, वह यह थी कि सारे राजस्थान के अन्दर एक सिद्धान्त किया जाय, एक स्लाइडिंग स्केल के अनुसार किया जाय, दूसरे हाउस के सामने जो विचार था वह था, नोकम्पेन्सेशन और तीसरा हाउस के सामने जो विचार था वह था फ्लेट रेट का, २० टाइम्स का, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। नो कम्पेन्सेशन, जिस किसी की ज़मीन ली जाय, उसको कम्पेन्सेशन न मिले, दूसरा स्लाइडिंग स्केल और तीसरा फ्लेट रेट। इन तीनों के अलावा और कोई चौथी विचार धारा नहीं थी। चौथी विचार धारा आई है माननीय मन्त्री जी की तरफ से। मैंने माननीय मन्त्री जी को याद दिलाई थी कि जो अगर कोई मोडल बिल हो सकता है, तो वह मोडल बिल दिल्ली का है, उसके बेसिस पर कोई अमेंडमेंट आता तो माना जाता कि मोडल लॉ की कापी की है। मगर मोडल लॉ को एक तरफ रख दिया और जो कोई अच्छा सिद्धान्त हो सकता है, उसको एक तरफ रख दिया, मगर यह अमेंडमेंट रखा गया, जिसको प्रतिक्रियावादी सिद्धान्त कहते हैं और प्रति क्रियावादी क्यों, कि एक एरिया, एक इलाके के लोग हैं, उनको पिकेट कर लिया जाय और राजस्थान की सरकार और माननीय मन्त्री जी इस तरह का अमेंडमेंट ला सकते हैं तो मैं तार देकर हजारों आदमियों को बुला सकता हूँ। क्योंकि यह पेजेन्ट का प्रश्न, कम्पेन्सेशन का प्रश्न है, यह न जगीरदार को देना है, न जमींदार को देना है, एक टिनेन्ट को कम्पेन्सेशन देना है। अगर टिनेन्ट्स को मालूम होता कि उन्हें कितना कम्पेन्सेशन लेना है और उसे प्रेशर से बढ़ाया जा सकता है, तो हर एक एम० एल० ए० अपनी तहसील से बुला सकता था। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसका घोर विरोध करना चाहिये और कहीं से भी प्रेशर से यह अमेंडमेंट आया, इसको रद्द कर देना चाहिये। इसे कौंशस अलाऊ नहीं करती। आखिर गंगानगर वालों ने ज़मीन खरीदी है, यह सिद्धान्त है तो ज़मीन औरों ने भी खरीदी

(श्री श्रीभानसिंह)

है, कोई गंगानगर में स्पेशिलिटी लैंड पर्चेज करके हुई है और सारे राजस्थान में अलॉट कर दी है, मुफ्त दे दी है, तो बात मानी जाय। ज़मीन और लोगों ने भी खरीदी है, उन्होंने भी खरीदी है, उनको ४० गुना क्यों नहीं दिया, ३५ गुना क्यों नहीं दिया जाय, एवरी फाइव थाउज़ैन्ड, रिड्यूस स्केल से क्यों नहीं दिया जाय, फिर गंगानगर में जरूर देना चाहिये और जगह २० टाइम्स है, जब गंगानगर में २५ हज़ार के ऊपर ८ हजार १० रुपये मुआवज़ा मिलेगा, लेकिन जहां पर रेंट रेट से दिया जायेगा, भरतपुर में या और कहीं पर १०० बीघा पर मुश्किल से २० रुपया, ३० रुपया एक आदमी को कम्पेन्सेशन मिलने वाला है। रेंट रेट कहीं चार आना है, कहीं आठ आना है, कहीं एक रुपया है, उन रेन्ट रेट के लिये कहिये और जोधपुर के किसी इलाके में ले लीजिये तो वहां पर ढाई रुपया या तीन रुपया है तो वहां पर १००, २०० रुपया मिल जायेगा और जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं, चूरू में चार आने, छः आने मिलेगा। आप देखिये कि ६० रुपये को लेने के लिए एक काश्तकार डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर पर आये तो कम से कम १० रुपये, २० रुपये का खर्चा लग जायेगा और ४० रुपये के लिए मैं समझता हूँ कि काश्तकार को रेवेन्यू मिनिस्टर्स फंड में जमा कर देना चाहिये, लेना नहीं चाहिये, एक फंड क्रियेट कर दें रेवेन्यू मिनिस्टर्स फन्ड उसमें जमा कर देना चाहिये क्योंकि ६० रुपये के लिये १०० बीघा जमीन को सेक्रिफाइस किया, उसके लिए ४० रुपये....

श्री सभापति : A very tempting offer.

श्री श्रीभानसिंह : कम्पेन्सेशन के सिद्धान्त, प्रिन्सिपल में यह नहीं है। मैं समझता हूँ कि संविधान बनाने वालों ने गलती की कि इस कम्पेन्सेशन में एक और रखा है प्रिन्सिपल और दूसरा जस्ट और इक्वीटेबल रखा है। कम्पेन्सेशन का प्रिन्सिपल आपने निर्धारित कर दिया कि २० टाइम्स ऑफ दी रेट होगा मगर क्या कम्पेन्सेशन जस्ट और इक्वीटेबल है ? इक्वीटेबल यह नहीं है इक्वीटेबल बिटविन पर्सन्स, बिटविन स्टेट्स सेम स्टेट्स होना चाहिये। वह भी इक्वेट नहीं रहा। तो इक्वीटेबल उन आदमियों के लिये नहीं रहा, जस्ट नहीं रहा, जिनसे जमीन ली और फिर इन इक्वीटेबल गंगानगर के लिये स्लाइडिंग तरीका, उनके लिये फ्लेट स्केल तो आखिर कहां पर न्याय कर रहे हैं, किसके साथ आप न्याय करने जा रहे हैं, क्या न्याय का, जस्टिस का इन्टरप्रिटेशन है, क्या इक्विटी का इन्टरप्रिटेशन है। यह आप लायें तो जब आपने कम्पेन्सेशन का प्रिन्सिपल ले डाउन किया तो जस्ट और इक्वीटेबल ले-डाउन करते। जस्ट और इक्वीटेबल तो हुआ नहीं प्रिन्सिपल, बल्कि आपने उसे नोवल्टी कह दिया, नोवल्टी के साथ में एक सिद्धान्त रख दिया। चम्बल के अन्दर रीजन्स दिये जा सकते हैं, आॅर्ग्युमेंट्स दिये जा सकते हैं कि चम्बल में सिमिलर सर्कमस्टान्सेज नहीं हैं, वहां इस तरह जमीनें नहीं दी हैं। भाखरा प्रोजेक्ट का नाम आपने लिया है.... I must extend my congratulations how cleverly the Hon'ble Revenue Minister has misguided the House.

क्योंकि भाखरा प्रोजेक्ट में आपने खुद ने, गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किये हैं। गवर्नमेंट ने इकॉनोमिक यूनिट से ज्यादा अलॉट कर

Page No.117

(श्री श्रीभानसिंह)

दिया तो फेवरेटिज्म किया है। वहां शायद १५ एकड़, एक दो मुरब्बे से अलॉट नहीं किया है। गंग केनाल के प्रश्न को गवर्नमेंट छोड़ दे और भाखरा के प्रश्न को ले तो ऑलरेडी आपने सीलिंग एरिया से ज्यादा वहां दिया ही नहीं, वहां ऑलरेडी कम्पेन्सेशन देना है ही नहीं, वहां एक मुरब्बा से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं।

तो साइड ट्रेक करने के लिये मन्त्री महोदय ने भाखरा भी रख दिया है, इसीलिए स्पेशली मैंने भाखरा को पॉइन्ट आउट किया है कि भाखरा को डिलीट कर दीजिये तो एक सिंगल गंग कैनाल रह जाती है। तो एक फैक्ट को एडमिट कर लीजिये कि गंगानगर एरिया को फेवर करना है। मैं अभी भी कहता हूँ कि जस्ट एन्ड इक्वीटेबल तरीके पर जस्टिस करना है तो स्लाइड स्केल पर करिये। जितना आपने किया, मैं फिर कहूँगा कि राजस्थान का जितना करना है स्लाइडिंग स्केल होना चाहिये। स्लाइडिंग स्केल को गंगानगर के लिए मानते हैं कि जस्ट एन्ड इक्विटेबल है तो सारे राजस्थान के लिये जस्ट एन्ड इक्वीटेबल है। राजस्थान के एक पार्ट के लिए फ्लेट रेट का और दूसरी जगह के लिये स्लाइड स्केल पर करना यह जस्ट एन्ड इक्वीटेबल नहीं कहा जा सकता। रेंट रेट्स में डिस्क्रिमिनेट किये जाने का एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिन लोगों ने लैंड पर्चेज की है उन पर लागू होगा, जिनने परचेज की है उनके ऊपर स्लाइडिंग स्केल से लागू होगा तो मान जाते कि उन आदमियों को सिमिलरली ट्रीट नहीं किया गया। जिन्होंने खरीदा है उनको सिमिलरली ट्रीट नहीं किया। गंगानगर, भरतपुर, अलवर और झूंझुनूं के एरिया में आपको जमींदार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने जमींदारियां खरीदी हैं, उन पर यह प्रिन्सिपल लागू क्यों नहीं किया। तो सिमिलर स्टेट्स के लोगों पर सिमिलर प्रिन्सिपल लागू करना है, वह आपने नहीं किया है।

तो मेरा यह निवेदन है मन्त्री महोदय से, कोई माननीय सदस्य उनके संशोधन को सपोर्ट देता है तो ऐसा लगता है कि वह सारे राजस्थान के लिए जस्टिस नहीं करना चाहता। सारे राजस्थान के लिए जो जस्ट एन्ड इक्वीटेबल हो ऐसा मोडर्न लॉ बनाइये।

अन्त में मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन पर आता हूँ। मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन रखा है वह डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर रखा है। शोर्ट में बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन कहां होता है? एक आदमी को तकलीफ करें और दूसरे को आराम, एक के लिए वायस हो और दूसरे के लिये प्रिफरेंस, राजस्थान के हिस्से के लिए वायस कर दें और दूसरे हिस्से को प्रिफरेंस दें—गंग केनाल एरिया के लिए—तो क्या यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? आप कह सकते हैं कि यह तो हमने डिफरेंशियेट किया है पर यह क्लियरली डिस्क्रिमिनेशन है between the citizens of the State, between the persons of one and the same State.

तो वह लॉ संविधान के खिलाफ है, अल्ट्रावायरस है। झूंझुनूं, भरतपुर, अलवर एरिया में रहने वाला आदमी आपको वही जमीन दे रहा है उसी स्टेन्डर्ड से, वहां आप और रख रहे हैं और गंग कैनाल के लिए और रखते हैं, यह डिस्क्रिमिनेशन है। मुझे

(श्री श्रीभानसिंह)

याद पड़ता है शायद रेंट कन्ट्रोल का कानून हमने बनाया था, जिसमें कैश एन्ड काइन्ड रेट में डिफरेंशियेट किया था। इसके लिये लोग हाई कोर्ट में गये थे तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो कैश एन्ड काइन्ड में से शायद कैश वाले लॉ को अल्ट्रावायरस किया था। तो वही डिस्क्रिमिनेशन यहां है। फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट को बहुमत के आधार पर डिसाइड नहीं किया जाता ...

श्री सभापति (श्री बरकतुल्ला खां) : Mr. Shri ShribhanSingh, the Ruling was already given by the Speaker and I think it will not be desirable to enter into it and reopen the question once again,

श्री श्रीभानसिंह : I am not entering into the controversy or challenging the Ruling of the Speaker. I was saying that if my constitutional objection is there, it will not be put to vote. This is the basic law......

श्री सभापति : Your point is that the majority cannot decide the law. Having accepted that procedure, Well, we cannot enter into that once again. But all the same we cannot go again and again on that very point. Because the Speaker has given a Ruling, let us not challenge that.

श्री श्रीभान सिंह : I am not challenging. I am not saying even if the majority votes against my point...

श्री सभापति : The law makers have by majority to do that. Let us accept one thing that this House is a body of law makers and the majority will not do any thing illegal.

श्री श्रीभानसिंह : The Majority cannot.........

श्री सभापति : The majority will have its own way. The majority cannot be overridden.

श्री श्रीभानसिंह : But the reformers have never been.........

(थपथपाहट)

श्री सभापति : Let us come to debate please.

श्री श्रीभानसिंह . तो मैं अन्त में यह कह रहा था कि यदि मेजोरिटी से मेरे कॉन्टिट्यूशनल पॉइन्ट को डिफीट कर दें........

Your principle behind this compensation is discriminatory and it will remain discriminatory and it will protect them only to some extent Therefore, I will appeal to the Hon'ble Members from Ganganagar to turn down this favour in the interest of Rajasthan.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री) : The Hon'ble Member has suggested a sliding scale for compensation. What is his actual suggestion about sliding scale, I would like to know.

श्री सभापति : The Hon'ble Minister is very kind to ask for a suggestion which he is not going to accept.

श्री श्रीमानसिंह : No Sir. I am quite willing. The Hon'ble Minister has already got the Delhi Bill with him, but he will not accept it.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not just for me to say that I will not accept. Any suggestion which is just and equitable, I will be prepared to accept. I am definitely open to reason or a just suggestion which any Hon'ble Member can give. Therefore, what sliding scale of compensation does he suggest ?

श्री श्री मानसिंह : मैं तो जब कम्पेन्सेशन के क्लॉज पर बोल रहा था उस समय अव्वल तो दिल्ली बिल का हवाला दिया था। दूसरा मेरा सजेशन यह था कि सोशियल जस्टिस होनी चाहिये और उसको इक्वीटेबल बनाना चाहिये जिससे लोगों को ज्यादा जमीन मिले और जिनके पास से ज्यादा जमीन ली जावे उनको कम कम्पेन्सेशन दिया जावे और जिनसे कम जमीन ली जावे उनको ज्यादा कम्पेन्सेशन दिया जावे। इस संबन्ध में डीग से आने वाले सदस्य ने भी कहा है और इसका समर्थन किया था।

This is my idea and then Delhi Bill is with you.

But treat all the tenants in Rajasthan on one line and on one principle.

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : सभापति महोदय,

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबन्ध में (स्केल के संबन्ध में) बात चीत कर ली जावे तो मैं समझता हूँ कि बातचीत आपस में कर ली जावे तो अच्छा होगा। जब माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि जो सजेशन वे दें...

श्री सभापति : उन्होंने सजेशन दिया और उस पर कोई गौर नहीं किया गया। इसलिए माननीय सदस्य श्री चन्दनमल जी अपना भाषण जारी करें।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय राजस्व मंत्री ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके संबन्ध में बहस हो रही है, मैं भी अपने विचार इस संबन्ध में प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

सबसे पहले मुझे आपत्ति है वह यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने सदन को यह बतलाया कि सारे सदन की इच्छा और विचार जान कर यह संशोधन प्रस्तुत किया है। माननीय चेयरमैन....

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय चेअरमेन, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे को गलत समझा गया है। मैंने यह कहा था कि सारे सदन में माननीय सदस्यों ने जो भाषण दिये उनको ध्यान में रखते हुए और सदन के बाहर माननीय सदस्यों से कम्पेन्सेशन के संबन्ध में बात की उससे, ऐसा कहा था। मैंने यह भी कहा था कि कुछ माननीय सदस्य इससे सहमत नहीं हुए और माननीय सदस्य का नाम उनमें से था जो सहमत नहीं थे।

Page No.120

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस संबन्ध में मेरी माननीय मंत्री महोदय से कोई बात नहीं हुई थी।

(५. ३४. म. प)

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति (श्री मुरलीधर व्यास) : बाहर कोई बात हुई उससे कोई मतलब यहां नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे जरूर इस बात में आपत्ति है कि जब कम्पेन्सेशन का क्लॉज़ इस सदन में विचाराधीन था उस पर काफी समय तक मैं सदन में हाजिर था और मेरा भी संशोधन था और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी माननीय सदस्य ने ऐसी राय जाहिर नहीं की कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर और झुंझुनूं में डिफरेन्ट रेट्स ऑफ कम्पेन्सेशन रखनी चाहिये। इसलिये यह कहना कि हाउस की राय जानकर मैंने यह संशोधन पेश किया है, मैं समझता हूँ कि यह हाउस के साथ अन्याय होगा और यह कहना, कि हाउस में जो काम नहीं हुआ है उसका बहाना लेकर यह कहना मैं यह कहूँगा कि कतई न्यायपूर्ण नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अभी भी माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जैसा उन्होंने बताया कि सदन के बाहर भी वे सदन के कुछ सदस्यों से मिले हैं, मुझे मालूम नहीं कितने सदस्यों से मिले। लेकिन अभी भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया कि गंगानगर के कुछ किसानों का डेप्यूटेशन मिला और ऐसा मालूम होता है कि उनके प्रेशर से यह संशोधन आया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, बार बार यह कहा जाता है कि गंगानगर के प्रेशर से ऐसा किया गया। मैं यह कहूँगा कि यह कहना बिल्कुल गलत है। मैं गंगानगर या किसी दूसरे जगह के लोगों के प्रेशर में आने वाला नहीं हूँ। मुझे चूरू या सरदार शहर या गंगानगर के प्रेशर अपने रास्ते से नहीं डिगा सकते हैं और न मैं किसी के प्रेशर से डिगने वाला हूँ।

श्री सभापति : मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि बाहर की बातों का कोई हवाला यहां न दिया जावे और संशोधन है उसके बारे में ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सभापति महोदय, जब सदन का हवाला दिया जाता है तब बोलने की आवश्यकता होती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने बिल्कुल साफ कहा है कि सदन में माननीय सदस्यों की बहस सुनने के बाद और बाहर माननीय सदस्यों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मैं यह कहता हूँ कि आपको इस प्रकार नहीं कहना चाहिये-आप एक जिम्मेदार सदस्य हैं। आप इस बात को बार-बार कहते हैं जब कि मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ।

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार भी किसी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि डिफरेन्ट रेट्स होनी चाहिये। आपके यहां प्रोसीडिंग्ज़ मौजूद हैं। आप उसको देख सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कब कहा कि रेट डिफरेन्ट के लिये कहा।

श्री चन्दनमल वैद : तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि कौन से सदस्य से आपको यह प्रेरणा मिली। हम भी उनसे मिलें। यहां पर बहुत से सदस्य बोले उनसे आपने प्रेरणा नहीं ली।

श्री सभापति : आपने तो बाहर और भीतरी बातों से प्रेरणा ली है।

श्री चन्दनमल वैद : यह मैं कहता हूँ कि यह प्रेरणा बाहर से आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने दो दिन तक इस पर बहस की है। अगर आप अन्दर से जो बहस हुई है उससे प्रेरणा प्राप्त करते तो ज्यादा अच्छा रहता, यह मैं कहना चाहता हूँ। हमने दो दिन तक बहस करके अपने विचार माननीय मन्त्री महोदय के सामने रखे मगर इसके बजाय बाहरी सुझाव से करते हैं। माननीय सभापति महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सुझाव जो रखा गया है वह केवल यही नहीं कि एक राज्य के दो जिलों में डिस्क्रिमिनेशन होता है, इससे तो एक जिले में डिस्क्रिमिनेशन होगा। एक जगह के किसान को तो रेन्टल वेल्यू के हिसाब से मुआवजा दिया जावेगा और दूसरे को मार्केट वेल्यू से। एक जगह एक बड़े किसान से जिससे हम हजारों बीघा जमीन ले रहे हैं स्लाइडिंग रेट से और दूसरे को फ्लेट रेट से देंगे। मान लें कि भरतपुर में किसी किसान से १००० बीघा जमीन ले रहे हैं तो हम उसको फ्लेट रेट से मुआवजा देंगे और गंगानगर को स्लाइडिंग रेट से। इसके पीछे कौन सी सोशियल जस्टिस है। एक ही राज्य में अलग-अलग जिलों में रहने वालों के लिये एक जगह तो फ्लेट रेट और दूसरी जगह स्लाइडिंग रेट। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई सोशियल जस्टिस नहीं है। यह सोशियल जस्टिस कौन सी किताब में लिखा है। यह बड़ा भारी डिस्क्रिमिनेशन है। भाखरा नहर जो गंगानगर की तहसील के कुछ हिस्सों में आती है और ऐसा भी है कि एक गांव के हिस्से में आई है और दूसरे हिस्से में नहीं आई। मेरी ज़मीन मान लें भाखरा नहर के एरिया में आती है और मेरे दोस्त की दूसरे एरिया में आती है तो, मुझे तो, एक को तो फ्लेट रेट से और दूसरे को मार्केट रेट पर मुआवजा मिलेगा। यह क्यों? मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाखरा नहर आई है तो वह किसानों की ताकत से आई है क्या? जिससे किसानों की ज़मीन की कीमत बढ़ गई है। वह तो सारे देश की जनता की गाढ़ी कमाई से इकठा किया गया रुपया है और जो कि वहाँ खर्च किया गया है। और आज यदि उस जमीन की मार्केट वेल्यू बढ़ जाती है तो उनको मुआवजा लेने का हक प्राप्त नहीं हो जाता है मार्केट वेल्यू के ऊपर। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि मैं अभी बाहर गया। मेरी गंगानगर के किसानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ७५ पर्सेन्ट जमीन हैरीडिटरी है। अगर मैं गलत होऊं तो माननीय मंत्री महोदय सदन को फिगर्स बतावें कि कितनी जमीन हैरीडिटरी है और कितनी जमीन खरीदी हुई है। जहां तक मेरी सूचना है, माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपको बताऊं कि ७५ पर्सेन्ट जमीन हैरीडिटरी है और २५ पर्सेन्ट जमीन खरीदी हुई है। जबकि ७५ पर्सेन्ट जमीन हैरीडिटरी है और जिन लोगों के पास केवल २५ पर्सेन्ट जमीन खरीदी हुई

(श्री चन्दनमल वैद)

है तो क्या उन्होंने ऐसी उस ज़मीन पर मेहनत की है अथवा क्या उनके सुरखाब के पर लग गये हैं कि उनको २५ पर्सेन्ट जिन्होंने जमीन खरीदी है उनको मार्केट वेल्यू के हिसाब से मुआवजा मिलेगा और जिनके पास ७५ पर्सेन्ट हैरीडिटरी जमीन है उनको केवल रेन्टल वेल्यू के हिसाब से ही मुआवजा मिलेगा। सिवाय इसके कि देश की योजना के अनुसार वहां भाखरा नहर आ गई है, उसमें करोड़ों रुपया देश का लगा है, उसमें पंजाब का भी हिस्सा, उसमें बम्बई, केरल और बंगाल की जनता का भी हिस्सा है, वहां के लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दिया है और इस कारण भाखरा नहर बन गई है और उस नहर के कारण यदि २५ पर्सेन्ट जमीन की कीमत बढ़ जाती है। इस जमीन के लिए हम यह कह रहे हैं कि यदि इस जगह की जमीन लेंगे तो मुआवजा वही दिया जाय जो कि मार्केट वेल्यू हो। यह न्याय नहीं होगा। किसी ने भाखरा एरिया, कमान्डिंग एरिया में जमीन खरीदी है इसलिए उनको तो दिया जायेगा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या टोंक के किसानों ने जमीन नहीं खरीदी है, क्या भरतपुर के एरिया में जमीन नहीं खरीदी है, क्या दूसरी जगह पर लोगों ने जमीन नहीं खरीदी है। दूसरे एरिया में जमीन खरीदने वालों के साथ और गंगानगर के नीचे भाखरा कमान्डिंग एरिया के नीचे जमीन खरीदने वालों के साथ एक डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। उसी एरिया में हैरेडिटरी जमीन जिनके पास में हैं और जिन्होंने उस कमान्डिंग एरिया में जमीन खरीदी है उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं। आपका कन्सोलिडेटेड फन्ड इतना बर्दाश्त कर सकता है तो आप खूब मुआवजा दीजिये, करोड़ों रुपया दीजिये, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। आपको आखिर राज्य चलाना है, आपको गरीबों को भी जमीन बांटना है। यदि आपके पास ज्यादा मुआवजा देने के लिए खूब पैसा है तो खूब दीजिए और लैंडलैस को जमीन मुफ्त में दीजिये यदि दे सकते हैं तो। यदि आपका धन जनता में बंटेगा तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री महोदय से कि आप एक किसान और दूसरे किसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये, एक जिले और दूसरे जिले के साथ डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये और यही नहीं एक गांव में बसे हुये एक किसान के साथ और दूसरे किसान के साथ इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि नोहर तहसील में एक गांव है, वहां का एक हिस्सा तो भाखरा के एरिया के नीचे आता है और दूसरा हिस्सा नहीं आता है। उस कमांडिंग एरिया में तो एक किसान मार्केट वेल्यू के हिसाब से मुआवजा प्राप्त करे और दूसरा किसान जिसकी जमीन कमांडिंग एरिया में नहीं आती है वह रेन्टल वेल्यू के हिसाब से प्राप्त करे। जिसको आप रेन्टल वेल्यू देंगे उस किसान का क्या कसूर है? क्या उसका यही कसूर है कि उसकी जमीन कमांडिंग एरिया में नहीं आई? दूसरा उस किसान ने कौन सी ऐसी मेहनत कर ली है कि उसको मार्केट वेल्यू से मुआवजा मिला जो कि उसके श्रम से उसके पैसे से यहां भाखरा नहर नहीं आई है और महज उसने उस एरिया में वह जमीन प्राप्त कर ली है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगने आपको प्रेरित किया है कि आप

(श्री चन्दनमल वैद)

इस प्रकार का अमेन्डमेंट लायें तो उन्होंने सही बातें आपके सम्मुख नहीं रखी हैं। यदि जो बात मैं आपको कह रहा हूँ गलत है तो आप मेहरबानी करके गंगानगर के कलेक्टर से फोन करके पूछ लीजिये। लेकिन यह बात सही है। इस तरह से लोगों को मुआवजा दिया गया तो राज्य का करोड़ों रुपया बर्बाद होगा। हर एक विधान सभा का माननीय सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति है और उसी जिम्मे-दारी के नाते मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस प्रकार से गाढ़ी कमाई से प्राप्त रुपया, करोड़ों रुपया इस प्रकार न जावे और उन लोगों के पास यह न जावे चूंकि मार्केट वेल्यू उस जमीन की बढ़ गई है इसलिये उनको ज्यादा रुपया प्राप्त करना चाहिये। मार्केट वेल्यू के बढ़ जाने से उनका कोई श्रेय नहीं है। यह सारे हिन्दुस्तान की जनता की कमाई है जिसका कि सब को श्रेय है।

माननीय चैयरमैन महोदय, इसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ बातें कहने को नहीं रह जाती हैं और मैं समझता हूँ कि केवल यही एक मुद्दा है कि आप इस प्रकार से एक जिले के किसान और दूसरे जिले के किसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये, एक जिले के बीच में और दूसरे जिले के बीच में इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये, एक गांव के किसान और दूसरे गांव के किसान के बीच में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिये। यह सही है तो आप इस अमेन्ड-मेंट को रद्द कर दें।

बयाना से आये माननीय सदस्य ने पूछा कि फिर आप क्या करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि रेन्टल वेल्यू के मल्टीपल के हिसाब से मुआवजा दें। जिनकी कम जमीन ली है, उनको आप रेन्टल वेल्यू का पचास गुना, साठ गुना और चाहे सौ गुना मुआवजा दीजिये और जिनसे ज्यादा जमीन ली है उनको स्लाइडिंग रूप से कम करते हुए मुआवजा दीजिये। मान लीजिये कि किसी को दस एकड़ जमीन ली है तो आप उसको मुआवजा पचास गुना या सौ गुना दे दीजिये, जिनसे हजार एकड़ ली है उनको दस गुना मुआवजा दीजिये और जिनसे हजार से ऊपर दस हजार एकड़ ली है उनको पांच गुना मुआवजा दीजिये। जिनसे ज्यादा जमीन ली है उनको रेन्टल वेल्यू का स्लाइडिंग स्केल पर कम देना चाहिये और जिनसे कम ली है उनको ज्यादा देना चाहिये। यही हम समान न्याय दे सकते हैं, सोशियल जस्टिस दे सकते हैं, इक्विटी दे सकते हैं और यह भी इससे देख सकते हैं कि हमारे खजाने पर इससे ज्यादा बोझा भी नहीं पड़ता है और जो लैंडलैस टिनेन्ट्स हैं उनको इस दृष्टि से फायदा भी दे सकते हैं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने केस को प्लीड करने के लिए लैंड-लोर्ड्स तो बहुत दूर-दूर से भी आ सकते हैं, उनके पास पैसा है, होटलों में ठहर कर पैसा भी खूब खर्च कर सकते हैं, पेम्फ्लेट, बुकलेट्स और किताबें भी वे छपवा सकते हैं लेकिन जो लैंडलैस किसान हैं, गरीब किसान हैं न तो उनके पास इतना पैसा ही है और न ही उनके पास इतनी ताकत ही है कि वे अपने आपको ऑर्गेनाइज करके अपनी तकलीफों को आपके सामने रख सकें। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा और अर्ज करूंगा कि वे गंगानगर जिले में जाकर देखें। लैंड-

(श्री चन्दनमल वैद)

लोड्'स का आपके पास डेपुटेशन आया है, ठीक है लेकिन उनके अलावा भी तो दूसरे लोग हैं, उनके क्या फैक्ट्स हैं ? माननीय चेयरमैन महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब राजस्थान केनाल का उद्घाटन हुआ तो वहां पर इस विधान सभा के बहुत से माननीय सदस्य गये। सलुम्बर से आये माननीय सदस्य भी वहां गये थे और उन्होंने मुझे बातचीत में बताया कि वे संयोग से एक खेत पर चले गये और वहां के किसान से बातचीत की तो कइयों ने उनको बताया और उनको एक आवाज से सुनाई दिया कि उनको जमीन चाहिये, जमीन चाहिये। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि उन लोगों की तरफ ही नहीं देखना है जो कि यहां जयपुर आ सकते हैं, अपनी पुकार रिप्रेजेन्टेशन, पेम्फलेट्स और बुकलेट्स के द्वारा उनको सुना सकते हैं, किन्तु उनको उन लाखों लोगों की तरफ देखना है जिनके पास आवाज नहीं है, जिनका रिप्रेजेन्टेशन यहां नहीं आया है, जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब किसान हैं। यदि वे नब्जे पहचानना चाहते हैं तो उनको सारे लोगों की नब्ज को पहचानना चाहिये। यदि आप जल्दी में एकतरफा फैसला करते हैं तो यह न केवल अन्याय ही होगा किन्तु साथ ही करोड़ों रुपया भी बर्बाद होगा। हमारी आपस की एक्सचैन्जेज को भुला कर आप रीजनेबल बात को स्वीकार करें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय चेयरमैन महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो संशोधन रखा है उससे न केवल मुझे ही किन्तु सदन को भी आश्चर्य है कि जब राजस्थान की जनता को कल पता लगेगा तो ईश्वर करे रेवेन्यू मिनिस्टर की नीयत पर सन्देह प्रकट न करें। उनको बड़ा आश्चर्य होगा। कारण यह है कि इस संशोधन में जिस प्रकार का विभेद रखा गया है, एक किसान और दूसरे किसान के बीच में, एक तहसील और दूसरी तहसील के बीच में, एक जगह की स्थिति और दूसरी जगह की स्थिति के बीच में जिसके लिये कोई रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से यह अपेक्षा नहीं करता था। वास्तव में सदन में जितने भी भाषण हुए कम्पेन्सेशन के क्लॉज को लेकर उनमें से किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा कि गंगानगर जिले के साथ विभेद बरता जाय। यह देख कर आश्चर्य होता है कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब अपनी ही तरफ से एक सूझ निकालते हैं जिसमें भेदवृत्ति काम करती है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों को तुष्ट करने की भावना नजर आती है। यह भावना उनके लिए जो राजस्थान को एक नजर से देखते हैं कतई शोभा की बात नहीं कही जा सकती। जिस व्यक्ति की नजर में राजस्थान का किसान एक है, जिन लोगों की जमीन ली जाने वाली है वे सब एक हैं, वैसी हालत में उनमें किसी प्रकार का विभेद किया जाय तो यह न्यायोचित नहीं हो सकता। मैं यह बताना चाहता हूँ कोटा जिले के अन्दर भी सीलिंग एरिया मुकर्रर किया जायेगा क्योंकि फरवरी मास से चम्बल केनाल में पानी दिया जाने वाला है और इससे बून्दी जिले का काफी इलाका सरसब्ज होगा, वहां काफी पानी मिलेगा। उसका नाम भी इस संशोधन में नहीं दिखाई दिया। वहां से भी बैटरमेंट लेवी वसूल की जाने वाली है, जो जमीन अब तक बारानी थी अब उसका लगान चाही के रूप में वसूल किया जाने वाला है।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

कोटा बून्दी जिले के लोगों ने क्या बिगाड़ा कि उनका नाम इसके अन्दर नहीं लिया जा रहा है। सीलिंग एरिया मुकर्रर होने में निश्चित रूप से महीना दो महीना लग जायेगा। उससे जो प्रोडक्शन का अन्दाज निकाला जायेगा वह इर्रिगेटेड लैंड का होगा। अगर आप किसी जगह को डिस्क्रिमिनेट करते हैं–बून्दी जिले की जमीन को भी न भूल जाइये जहां से आप बैटरमेंट लेवी लेने वाले हैं। लोगों ने इस आशा से कि यहां पर चम्बल का पानी जायेगा और शुगर फेक्ट्रीज लगेगी कॉटन मिल्स लगेगी–हमारे राजस्थान के उप-मन्त्री महोदय ने अभी चम्बल कमेटी की बैठक बुलाई और उसमें तय किया गया कि दो शुगर फैक्ट्रीज यहां खोली जा रही हैं, एक बून्दी और एक कोटा जिले में–और इसलिये वहां लोगों ने काफी महंगे भाव से जमीन खरीदी है और कोटा और बून्दी जिले में नहर आजाने से लोग वहां की धरती से सोना उगलने की आशा लगाये बैठे हैं। इसलिए वहां चाहे मंहगे भाव से जमीन मिले, लोगों ने जमीन खरीदी है। कुछ लोगों का सीलिंग का अन्दाज गलत हो सकता है। उन लोगों को क्या मुआवजा दिया जायेगा जिन लोगों ने रियासती समय में १० आ०, १२ आ०, १ रुपया पर बीघा से जमीन खरीदी है। जिस जमीन की कीमत ढाई सौ तीन सौ रुपया थी उनको आप क्या पकड़ायेंगे। केवल २० रुपया देंगे। अब वहां की जमीन महंगी इसलिए है कि वहां चम्बल का पानी आने वाला है इसलिये महंगे भाव से लोग जमीन खरीद रहे हैं और वह भी बीस रुपया बीघा के हिसाब से। वैसी हालत में मान लीजिये किसी के पास सीलिंग से कुछ ही बीघा अधिक जमीन है या जिसके पास सौ, पचास बीघा ज्यादा जमीन है जैसा कि राजस्व मन्त्री महोदय ने कई बार इस सदन में कहा है कि राजस्थान के अन्दर रेन्ट एक से नहीं हैं, यहां पर बड़ी विषमता है इसलिए रेन्ट बेसिस पर कम्पेन्सेशन कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की बातें आपने कई बार कही हैं, आप प्रोसीडिंग्स उठाकर देख लीजिये और आपने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें आप रेन्ट को आधार मान रहे हैं। आपकी प्रोसीडिंग कहती है, यहां पर ४ आने से लगाकर ४० रुपये तक रेट्स हैं। इस बारे में हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि राजस्थान के रेन्ट रेट्स का आप एकीकरण कीजिये। जब तक आप सबका एकीकरण नहीं कर देते जमीन के आधार पर वहां तक रेन्ट को आधार मानकर कम्पेन्सेशन देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। एक जगह जमीन बहुत अच्छी है और पुराने रियासती जमाने में सेटलमेंट होने के कारण कई जगह न्याय नहीं हुआ है। अगर वहां पर भी रेन्ट्स का आधार मानकर कम्पेन्सेशन देंगे तो यह उचित नहीं होगा। अगर आप सबके साथ न्याय करना चाहते हैं, सारी जमीन के रेट्स की कैलकुलेशन न हो जाय तब तक उसको आधार मानकर कम्पेन्सेशन देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे क्या होगा कि जिनके यहां पुरानी सैटलमेंट रेट्स चली आ रही हैं उनको तो कम कम्पेन्सेशनस मिलेगा और जहां नये सिरे से सैटलमेंट हुआ है और वहां जो लगान की दरें हैं उससे जिनको कम्पेन्सेशन मिलेगा वह ज्यादा मिलने वाला है। इस तरह से लगान का आधार मानने पर राजस्थान में भिन्न भिन्न जगहों में काफी डिस्क्रिमिनेशन होगा। गंग नहर से जहां पानी आ

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रहा है, भाखरा से पानी आ रहा है इसलिए कि वहां बैटरमेंट लेवी ली जा रही है इसलिए उस एरिया के साथ और दूसरे एरिया के साथ विभिन्नता करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। इस तरह से राजस्थान के एक पोर्शन और दूसरे पोर्शन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। जब तक रेन्ट रेट्स वाजिब तौर पर कैलकुलेट नहीं हो जाते तब तक मैं समझता हूं रेन्ट को आधार मानकर किसी भी प्रकार से कम्पेन्सेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिस प्रकार का हाउस का सेन्स था वह सेन्स यह था कि जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन है उनसे वापिस आती है तब उनको कम कम्पेन्सेशन दिया जाय और जिन लोगों के पास बहुत थोड़ी सी जमीन है, २५ से १०० बीघा तक उन लोगों को हमें इमीजियेटली अच्छे पैसे देने चाहिये ताकि जो कुछ जमीन उनके पास बची रहे उसका वे बेटरमेन्ट कर सकें और दूसरे साधन उसमें प्रयोग में ला सकें। जब तक हम इस प्रकार की बात तय नहीं करते, सामाजिक न्याय नहीं कह सकते।

(५.५५ म. प.)

(श्री बरकतुल्ला खां, सभापति, पदासीन)

गरीब काश्तकार जिसके पास थोड़ी सी अधिक जमीन है उसको ले लेते हैं। उसको लेने के बाद उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो जितना प्रोडक्शन होता है उससे वह अपना स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग जो पहले से रहा है उसको मेन्टेन नहीं कर सकता। जहां १० आना बीघा लगान है वहां उसका पचास रुपया भी बीघा का नहीं बनता वैसे भी काश्तकारों का जीवन पहले से दबा हुआ है। सीलिंग से यदि किसी के पास थोड़ी सी जमीन अधिक है तो उसका गुजारा हो सकता था लेकिन जब अधिक जमीन को ले रहे हैं तो जो स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग उनका रहता आया है उसमें तो वे एकाएक कमी नहीं कर सकते। वह अपना स्तर धीरे-धीरे उस सीमा तक ला सकता है। आप यदि यह नहीं चाहते कि उनका जीवन स्तर बढ़े तो कम से कम जो वर्तमान में उनका जीवन स्तर है उसे तो रहने दीजिये। रेन्ट रेट्स का आधार मानते हुए आप चार आने का चालीस रुपया मुआवजा देना चाहते हैं। जहां आपने गंगानगर के लिए डिस्क्रिमिनेशन किया है वहां आपको यह भूलना नहीं चाहिये कि कोटा और बून्दी जिले में भी नहर आने वाली है। वहां भी चम्बल नहर से पानी मिलने वाला है उसमें किसी प्रकार से भी डिस्क्रिमिनेशन करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। वहां भी ७५ रुपया फी एकड़ के हिसाब से बैटरमेंट लेवी देना है और उन लोगों को जो पानी दिया जायेगा वह भी १५ रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। जैसा कि आपके चीफ इन्जीनियर ने और उप-मन्त्री महोदय ने जैसा घोषित किया उसके अनुसार हमें यह मानकर चलना चाहिये कि फरवरी या मार्च मे वहां पानी मिलने वाला है। उसके बाद भी यदि उस एरिया का नाम नहीं आता है तो जब तीन-चार महीने बाद सीलिंग एक्ट लागू होगा वैसी हालत में डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं होगा।

हम कम्पेन्सेशन रेन्ट रेट के आधार पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि राजस्थान में रेन्ट रेट्स एकसी नहीं हैं, भिन्नता है। उसके एकीकरण की कोशिश भी नहीं की गई।

(श्री दयाकृष्ण विजय)

जब तक एकीकरण न हो जाय तब तक उस आधार पर कम्पेन्सेशन देना न्यायोचित नहीं होगा। इस संशोधन को मैं अनुरोध करता हूँ, कि राजस्व मंत्री वापिस लें और जिनमे कम जमीन मिले उनको ज्यादा मुआवजा और जिनसे अधिक जमीन मिले उन्हें कम मुआवजा दिया जाय और वह भी मार्केट वेल्यू के आधार पर दिया जाय यही मेरा सुझाव है।

श्री रामचन्द्र (हनुमानगढ़) : माननीय चेयरमैन महोदय, मेरा इस अमेन्डमेंट पर बोलने का कोई इरादा नहीं था लेकिन जब कुछ माननीय सदस्यों द्वारा भावना में बहकर, मैं तो यह मानता हूं विचार करने का संतुलन खोकर, जो छींटाकशी की गई उसका जवाब मैं देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों को यह पता नहीं कि गंगानगर की क्या हालत है और जब तक सारी हालात हमारे सामने न हो, किसी भी निर्णय पर पहुंच जाना आसान नहीं है। यह ठीक बात है कि बहुत से माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि गंगानगर के लोगों को जो मुआवजा दिया जा रहा है वह ज्यादा है लेकिन मैं आपको बतलाऊंगा, आज जो यह अमेन्डमेंट पेश किया गया है उसके अनुसार जो मुआवजा मिलने वाला है वह दूसरी जगहों के मुकाबले कम पड़ता है। तब तो आप फरमायेंगे कि इसमें कोई अन्याय या अनुचित बात नहीं है ?

हमारे यहां जैसा कि आपको मालूम है नहर आने से पहले रेगिस्तान था और वहां वर्षा की औसत सात और आठ इंच सालाना है। वर्षा से यदि खेती की जाय तो पांच साल में एक साल खेती कर सकते हैं और चार साल वहां कहतसाली रहती है।

(६ म. प.)

इसलिए नहर आने से पहले वहां दस या पन्द्रह मील पर कहीं कोई गांव मिलता था। बाकी गैर आबाद पड़ा था। नहर आने के बाद वहां पानी मिला। जमीन भी लोगों ने धीरे-धीरे उपजाऊ बनाई और इसके साथ-साथ आबादी भी बढ़ी। इन हालतों को अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां के किसान की हालत और दूसरी जगह के किसान की हालत बहुत भिन्न है।

हमारे यहां जो असेसमेंट होती थी २० साल के बाद लगान कायम करने के लिए....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Had the Revenue Minister consulted you ?

श्री रामचन्द्र : I am speaking for myself.

श्री सभापति : Let the Hon'ble Member continue with his speech. Yes, Mr. Ramchander.

श्री रामचन्द्र : तो बीस साल के बाद कायम होती थी। लगान जमीन की आमदनी का छठा हिस्सा होता था। यानी यह अन्दाज लगाया जाता था कि औसतन आमदनी इतनी होती है और उसका छठा हिस्सा गवर्नमेंट लेने की हकदार है। उस हिसाब से असेसमेंट रेट कायम की जाती थी। इसमें हमारे यहां करीब पचास गांव तो ऐसे हैं जो पंजाब से मिले हैं। उनमें

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

एक आना से डेढ़ आना तक लैंड रेवेन्यू दी जाती थी। बाकी जगह पांच आने, छः आने से ज्यादा बारानी जमीन का कहीं लगान लैंड रेवेन्यू नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : पर जमीन का पैसा दे दिया जाता हैं।

श्री रामचन्द्र : तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि वहां पर उस जमीन का कम्पेन्सेशन आपको देना है। कम्पेन्सेशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी एडीक्वेट हो, जस्ट हो या इक्वीटेबल हो; इस सिद्धान्त को तो माननीय सदस्यों ने भी मांना है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : सब्स्टेन्शियल भी होना चाहिये।

श्री रामचन्द्र : एडीक्वेट का मतलब इसमें आ जाता है।

श्री सभापति : You continue please.

श्री रामचन्द्र : मैं वह नहीं बता रहा हूं। जैसे अभी बतलाया हमारे यहां जमीन की इस वक्त कीमत एक बीघा की ६००) से १०००) तक रेंज करती है। और इसकी लैंड रेवेन्यू पर अगर कम्पेन्सेशन बेस करें, अगर बीस गुना करें तो सवा रुपया हो जावेगी और उसको अगर ४० गुना करें तो २॥) हो जावेगी।

अब आप सोचें कि जिसकी कीमत छः सौ रुपया से हजार रुपये तक है और रोजाना जिसकी ३०० से चार सौ रजिस्ट्रियां होती हों उसके लिए आप कहें कि ढाई रुपया एडीक्वेट है तो आप सोचें कि उनके साथ आप कितना इन्साफ करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि डिफरेन्शियेट किया जावे....

श्री श्रीभानसिंह : यह प्रश्न किस एरिया का है? गंगानगर का या सारे राजस्थान का? And don't forget other parts of Rajasthan.

श्री सभापति : He is only referring to Ganganager. Please have patience.

श्री रामचन्द्र : क्योंकि आप, बयाना से आने वाले और सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत आग-बबूला थे गंगानगर के सवाल पर। आप कहते थे कि प्रेशर टैकटिक्स से राजस्व मन्त्री साहब ..

श्री श्रीभानसिंह : आपने डेलीगेशन नहीं बुलवाया क्या?

श्री सभापति : That is not pressure tactics. That is a democratic way of putting your point of view.

श्री श्रीभानसिंह : Delegation of landless only was called and only from Ganganagar.

श्री सभापति : It was the fault of other members belonging to other constituencies who did not call their delegations. Why should he suffer for others fault. It is a question of having a brainwave.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह पहले नहीं बताया, नहीं तो हम भी बुलवा लेते ।

श्री रामचन्द्र : एक और भी आया, तीन आये थे ।

श्री श्रीभानसिंह : मनी लैंडर्स का बूंदी से भी आया था ।

श्री रामचन्द्र : यह मैं अर्ज कर रहा था कि आपके जयपुर डिवीजन में करीब-करीब जो बारानी रेट है वह दो रुपये से पांच रुपये तक है । और जो चाही रेट है वह ५) रुपये से चालीस रुपये तक है । तो यहां आपके....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जयपुर में २) से कम भी है ।

श्री रामचन्द्र : पर एक आना नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : He is only citing the higher side, not the lower side

श्री रामचन्द्र : यही मैं बताना चाहता था आपको । इसका बीस गुना करें तो ५००) बीघा ही हो जावेगा जो देने वाले नहीं होंगे । कहां एक हजार की चीज का २॥) रुपया देना चाहते हैं और कहां सौ का पांच सौ देना चाहते हैं । फिर भी आप कहते हैं कि बड़ा इनइक्विटेबल, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बना रहे हैं ।

अब सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत गुस्से में थे और कहने लगे कि भाखरा नहर में जिसकी जमीन आ गई उसको तो कितना ही दे दें और उसी प्रकार उसी गांव में बारानी जमीन वाले रह गये उसको आप पैरेनियल बेसिस पर देना चाहते हैं । यह हर चीज की सिचुएशन पर डिपेन्ड करता हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : सिचुएशन इम्प्रूव किसने की ? नहर किसान लाया या जनता लाई ?

श्री रामचन्द्र : मैं यही अर्ज कर रहा था ।

श्री सभापति : Let there be no cross-examiuation. Let the Hon'ble Member continue with his speech.

श्री रामचन्द्र : आप जौहरी बाजार में मकान की कीमत शायद २००) ३००) और ४००) रुपया गज हो सकती है, अगर माननीय सदस्य यह कहें कि मेरा बंगला जो सी स्कीम में है तो मुझे भी वही क्यों नहीं रेट मिलती तो यह तो चीज की सिचुएशन पर डिपेन्ड करती है । चार फर्लाङ्ग पर दूर रहने वाला किसान खेती करता है जयपुर के पास वह अगर यह कहे कि माननीय सदस्य के बंगले की जमीन की जो कीमत है वह मुझे क्यों नहीं मिले । तो यह सब चीज की सिचुएशन पर डिपेन्ड करता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपका मतलब यह है कि हर स्थान की सिचुएशन के हिसाब से कम्पेन्सेशन दिया जावे ।

श्री रामचन्द्र : यही तो बता रहा था । हर एक चीज की कीमत सिचुएशन पर डिपेन्ड करती है ।

श्री श्रीभानसिंह : You are placed nearest the Revenue minister and that is why you have got more compensation. Others are farther off.

श्री रामचन्द्र : माननीय सदस्य थोड़ी देर सब्र करें। आप बोल रहे थे तब मैंने कोई डिस्टर्बेन्स नहीं किया। मैं भी जब बोल रहा हूँ तो आप शान्ति से सुनें और मुझे बोलने दें।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने तो सिचुएशन पॉइन्ट आउट की। बाकी और कुछ नहीं किया।

श्री रामचन्द्र : मैं समझ रहा हूँ। इतनी स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि दूसरे के व्यू पॉइन्ट को भी सुनें।

आपने दोनों ने बताया कि भाखरा में तो ७५ फीसदी ऐसे आदमी हैं जिनको हैरीडिटरी जमीनें मिली हैं। ठीक है। पहले वहां पर जमीनें हैरीडिटरी थी। लेकिन पिछले दस सालों में जब से नहर आई है तब से सैंकड़ों रजिस्ट्रियां रोजाना होती हैं और लोग बड़ी एग्जोर्बिटेन्ट कीमतें देकर जमीनें खरीद रहे हैं और खरीदी हैं। आप अभी जाकर मुलाहिजा करें तो मालूम होगा कि ७५ पर्सेन्ट जमीनें दूसरी तरह की हो गई हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे से जमीनें खरीदी हैं। तो आज हमको उन लोगों की तकदीरों का फैसला करना है। उनके पास कोई बड़ी जायदादें नहीं हैं। अपनी कमाई से पांच हजार इकट्ठे किये तो फौरन जमीन खरीद लो, किसी ने दस हजार कमाये तो उसने उसी पैसे से जमीन खरीद ली क्योंकि जैसे साहूकार अपना पैसा व्यापार में लगाना चाहता है उसी तरह किसान अपना पैसा जमीन में लगाना चाहता है जिससे वह अपनी कमाई कर सके इसलिए वहां पर मैं आपको बताऊं कि इन पिछले बीस सालों में हालत बदल गई और भाखरा में या तो गवर्नमेंट की जमीन थी या लोगों की थी। जैसे मेरे पास सौ बीघा जमीन है और मैंने सोचा कि इतनी अधिक भूमि का क्या करूंगा, मैंने उसमें से पचास बीघा बेच दी और सोचा कि बाकी पचास बीघा से गुजर हो जायेगी। गवर्नमेंट की वहां पर चार लाख एकड़ भूमि थी क्योंकि यह इलाका पहले रेगिस्तानी था इसलिए वहां पर जमीन बिना कब्जे के गवर्नमेंट की पड़ी थी और उस जमीन को गवर्नमेंट ने बेचा है और आज भी भूमिहीन किसान को वहां पर भूमि मिल रही है। इट रेन्जेज फ्राम ७॥ हजार टू १० हजार और अब नहर की जमीन को १०॥ से १२ हजार तक की प्राइस है। अब आप कहेंगे कि बहुत ज्यादा कम्पेन्सेशन गंगानगर के इलाके में दे दिया। मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर Inflated price की वजह से वहां की जमीन की कीमत २०–२५ हजार रुपया हो रही है और उस पर जो आपने रॉयल्टी लगाई है उसके मुताबिक गवर्नमेंट ने जो प्राइस मुकर्रर की है उसका १० पर्सेन्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट की प्राइस मान लीजिए कि किसी की १० हजार रुपया है और उसके ४० पर्सेन्ट चार हजार रुपये होते हैं और २॥ या ३ कराने यानी २० हजार का ४ हजार मिलेगा ही। असली कीमत का पांचवां या छठा हिस्सा और उसमें आप कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुआवजा दे दिया। मेरी समझ में नहीं आता। मैं इसलिए बहुत खुश नहीं था। मैं कभी जवाब देना नहीं चाहता लेकिन

(श्री रामचन्द्र)

बहुत से माननीय सदस्यों को वहां की हालत नहीं मालूम होने की वजह से जो गलतफहमी है उसको दूर करना मेरा कर्तव्य समझता हूँ और इसीलिए आपके सामने भी खड़ा हुआ।

श्री चन्दनमल वैद : चलो एक गलतफहमी भी दूर हो गई और वह यह कि २५ हजार की जमीन का लैण्ड रेवेन्यू केवल १० रुपया दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र : जो आप लोगों ने भावना में बहुत सी बातें एक दूसरे के खिलाफ कहीं वे सही नहीं हैं। हमने कभी माननीय मंत्री महोदय से यह नहीं कहा कि हमें ४० पर्सेन्ट मुआवजा दे दें। माननीय सदस्यों ने यह सजेस्ट किया कि स्लाइडिंग स्केल से कम्पेन्सेशन दे दें, पर स्लाइडिंग स्केल किस चीज का दे दें। स्लाइडिंग स्केल तो यह होता है कि किसी को ७५ फी सदी तो किसी को ७० और किसी को ६० फी सदी दे दें। जिनके पास कम जमीन है और जो सीलिंग एरिया से ज्यादा है उस पर मुआवजा ज्यादा दे दें और जिनके पास ज्यादा हैं उनको आप कम स्केल पर मुआवजा दें। लेकिन किस बेसिस पर दें। यह स्लाइडिंग स्केल है किस चीज का ? मैं मानता हूँ कि किसान से आप १० बीघा जमीन लेते हैं उसको ज्यादा देना चाहिये और जिस किसान से ज्यादा जमीन लेते हैं उसक कम मुआवजा मिलना चाहिये। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, जिनका गुजारा उसी जमीन से होता है और क्योंकि उसकी जमीन सरप्लस में आ गई तो उससे आप छीनना चाहते हैं, उसको मुआवजा एडीक्वेट मिलना चाहिए। स्लाइडिंग स्केल हम भी चाहते हैं लेकिन मैंने जैसा पहले अर्ज किया, लैंड रेवेन्यू राजस्थान में एक सी नहीं हैं। सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनके यहां लगान ६ आना बीघा है और हमारे यहां २ आना है। तो इस तरह से ६ आने का २० गुना करें तो ७॥ रुपया हो जायेगा। वाह, आपका अच्छा इन्साफ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इक्वीटेबल जस्टिस हो और कम्पेन्सेशन एडीक्वेट मिले। जो हमारा विधान प्रोवाइड करता है उसी के अनुसार होना चाहिये। जितना भी आप समझें कोई फार्मूला निकाल लीजिए। मुझे मालूम नहीं है कि क्या फार्मूला हो लेकिन जो कम्पेन्सेशन आप दें वह एडीक्वेट हो और जस्टीफीएबल हो। मैंने उस दिन भी अर्ज किया था, मैं समझता हूँ कि या तो मार्केट वेल्यू पर उसका पर्सेन्टेज दिया जाये या फिर नैट इन्कम एक साल की हो उसके पर्सेन्टेज से देना चाहिये। कोई भी मल्टीपल जैसी एनुअल नैट इन्कम हो उसका १० गुना, ८ गुना या ६ गुना जैसा भी हो स्लाइडिंग स्केल में रखलें, मुझे ऐतराज नहीं है। पर वह इक्वीटेबल और एडीक्वेट होना चाहिए। आप यह गलतफहमी निकाल लीजिये कि हमने प्रेशर टैकटिक्स से कराया हैं। यह उससे तो करने वाले हैं नहीं और न यह हमसे होने वाला है।

श्री श्रीभानसिंह : What is your opinion about 20 times in other parts of Rajasthan ?

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डोग) : सभापति महोदय, सेक्शन ३० जी में जो नया संशोधन आया है, उसके संबंध में मैंने दोनों ओर के विचार सुन लिए हैं। एक तो उनके जिनको इसके लिए आपत्ति थी, और दूसरे उनके जिनके ऊपर इसका असर पड़ता था उनके विचार सुन लिए हैं। मैं इन दोनों तरफ के विचार सुनने के बाद, इस परिणाम पर पहुंचा हूं, कि जिस रूप में यह संशोधन रखा गया है, वह उचित नहीं है । यह नीति भी निर्धारित की जा सकती थी, भूमि को देखकर और उसकी दूसरी विशेषताओं को देखकर, यदि इस प्रकार की नीति निर्धारित की जाती है, तो वह कुछ न्यायोचित मानी जाती है, लेकिन जिन शब्दों में यह संशोधन रखा है, मैं समझता हूं कि उससे उसी भावना का उदय होता है जैसा कि सदन में दिख रहा है। इसमें जो संशोधन रखा है, उसमें एक जिले विशेष को इसमें खास तौर से उल्लेखित किया है, और एक जिले को एक तरफ और मैं समझता हूं कि बाकी के २५-२६ जिले रहते हैं, उनको दूसरी तरफ रखा है। ऐसी इससे भावना प्रगट होती है, और मैं समझता हूं, कि यही बहुत बड़ा कारण है कि सदन इसको इस रूप में स्वीकार करने में अधिकांश अपने आपको असमर्थ पा रहा है। इस पर माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने जो दलील दी, उसको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना था। अब इसके बीच का सा रास्ता जो मैं समझता हूं कि बहुत उपयुक्त हो सकता है, वह यह है कि जहां आपने ये शब्द रखे हैं "lands situated in Ganganagar and Bhakhra irrigation Project areas" इनको स्पेसीफाई नहीं किया जाये, बल्कि आप समझते हैं कि उस भूमि में कोई विशेषता है, तो जहां भी इस प्रकार की भूमि है, उस सारी भूमि को एक ही केटेगरी में रखा जाये। उदाहरण के तौर पर यदि आप समझते हैं, कि वह वहां पर नहर की सिंचित जमीन है, वहां अच्छी विकसित भूमि है, तो राजस्थान में गंग कैनाल के एरिया का भी ऐसा स्थान है, कि जहां नहर से सिंचित भूमि हो सकती है और विकसित भूमि हो सकती है, और लोगों ने जहां परिश्रम किया है और पैसे भी लगाये हैं। तो इस दृष्टि से यह शब्द रखते हुए कि गंग कैनाल या भाखरा इर्रिगेटेड के बजाय, यदि इसको इस प्रकार रखते कि जहां कहीं भी इस तरह नहर से सिंचित भूमि है उनकी करीब करीब पैदावार एक सी है। मैं कह सकता हूं कि भरतपुर का इलाका ऐसा है कि गंगानगर की जैसी मंडी है, चना, गेहूं और कैश क्रोप इन तीनों में ऐसी ही पैदावार है, वहां की भूमि भी ऐसी ही बहुमूल्य है, यदि वहां पर एक दूसरा तरीका रखें, मैं कहता हूं कि खरीददार वहां भी हैं, और इन दो तीन साल में वहां भी भूमि खरीदी गई है और इतनी ही भारी कीमत दी गई है। आप कहते हैं कि ६००) रु० का तो हमारे यहां स्वाल आ जाता है कि भरतपुर में बिजलीघर के लिए ज़मीन ली तो ८० बीघा ज़मीन और ६०,०००) रु० में गवर्नमेंट ने खरीदी है यह आपने यहां सुना होगा। तो ३००, ४०० रु० प्रति बीघा-मैं बीघे की बात करता हूं-वहां पर छोटा बीघा होता है और ढाई या सवा दो बीघा का एकड़ होता है। तो इस तरह से वहां भी बहुमूल्य ज़मीन है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि जो बड़े-बड़े जमीदार हैं, बड़े-बड़े भूमिपति हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जाय और खासकर मैं मार्केट वेल्यू के बिल्कुल विरुद्ध हूं। यदि इस रूप में भी इसको लेते हैं, तो कम से कम यह भेदभाव नहीं करें कि गंग कैनाल या

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

भाखरा केनाल जहां होकर निकली है सौभाग्य से वहां ज़मीन का दूसरा सिद्धान्त रखें, और उन सिद्धान्तों के लिए दूसरा स्थान रखें जो सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उस श्रेणी में नहीं आते हैं। मैं एक बात बतलाऊंगा, कि गंग केनाल एरिया में ही क्या विशेषता देखी है उसी प्रकार की भूमि, उसी प्रकार के साधन जहां-जहां भी होते हैं तो उसी प्रकार से लोगों ने उसको विकसित किया है। जहां-जहां भी हो उसको उस रूप में रख दें, यदि वह भेदभाव रखते हैं तो।

दूसरा, आपने अपने भाषण में यह कहा था, कि उन लोगों ने ज़मीन ख़रीदी है। वह पैतृक या हैरीडिटरी नहीं होकर ख़रीदी गई है। मैं कहता हूं कि यदि यही सिद्धान्त निश्चित करते हैं, तो जहां जहां भी लोगों ने इस तरह से भूमि ख़रीदी है, और ख़ास तौर से जो इन १०, १५ सालों के अन्दर जो ज़मीन की कीमत बढ़ी है। जो कीमत भरतपुर में आज जमीन की है, ३००, ४०० रु० बीघा एक वक्त था, कि ज़मीन के मालिक ज़मीन से स्तीफा दे देते थे, क्योंकि वे लगान नहीं चुका पाते थे, और लगान वहां पर कम है। यहां जो बतलाते हैं कि ४) रु० है और बहुत थोड़ा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से मेरा यह सुझाव है कि यदि इस प्रकार से भेदभाव रखते हैं, तो इसी रूप में रखें, कि जहां पर इस प्रकार की भूमि है, जैसी कि गंग केनाल की मानते हैं और जहां जहां ऐसी है, चाहे बूंदी में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे भरतपुर में हो या अलवर में हो, चाहे जयपुर के किसी इलाके मे हो, इस प्रकार की जहां-जहां भूमि है, उसके लिए एक सिद्धान्त निश्चित किया जाय। यदि आप कहते हैं कि खरीदी है, पैतृक नहीं है, परम्परागत नहीं है, तो वैसा करें कि जहां जहां इस प्रकार से खरीदी है, तो वहां के लिए एक सिद्धान्त के ऊपर कम्पेन्सेशन आधारित करें। यदि आप इस रूप में रखेगें तो मैं समझता हूं कि कुछ अंश तक आपने जिस सिद्धान्त की बात की है उसको रख सकेंगें क्योंकि न्याय का यह सिद्धान्त है कि ऐसा न्याय नहीं करें जो केवल किया जाय बल्कि ऐसा मालूम भी हो कि न्याय किया जा रहा है। तो जिस रूप में आप यह बात लेते हैं और आप समझ रहे हैं, कि शायद न्याय हो रहा है, लेकिन बाहर वालों को मालूम नहीं होगा, कि इस तरह से न्याय हो रहा है। इसलिए मैं राजस्व मंत्री महोदय से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा, कि अगर उसको इसी रूप में लाना उचित समझते हैं तो इस रूप में लायें, कि गंग केनाल जैसी भूमि, भाखरा से इर्रिगेट होने वाली जैसी भूमि जहां-जहां भी हो, और यदि पर्चेज़ करने पर आधारित हो, तो जहां जहां भी पर्चेज़ की गई हो, उस भूमि को इस प्रकार की श्रेणी में ले आयें। जैसा इसमें लिखते हैं, वैसे किसी ज़िला विशेष का नाम नहीं दें, बल्कि जनरली उसमें सब जगह के लिए एक बात ले आयें, तो मैं समझता हूं कि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं और संशोधन लाते हैं, तो उसका उद्देश्य भी पूरा होगा और जो भावना सदन की रही है उसकी भी पूर्ति उस रूप में हो सकेगी।

श्री मोती लाल (डीडवाना) : माननीय चेयरमैन महोदय, यह धारा कम्पेन्सेशन के बारे में है, मैं इस पर पहले भी चर्चा कर चुका था, लेकिन सौभाग्यवश एक दूसरा अमेंडमेंट राजस्व मंत्री की तरफ से पेश होने के

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

कारण दूसरी दफा इस संबंध में चर्चा करने का समय मिला। मैं पहले भी चर्चा कर रहा था उस समय कह चुका हूं कि जब हम कम्पेन्सेशन देने जा रहे हैं और ज़मीन का कम्पेन्सेशन देने जा रहे हैं, उस समय सब से पहला आधार यह होना चाहिए कि किसलिए हम देने जा रहे हैं। ज़मीन की कीमत और ज़मीन के ऊपर जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, दोनों चीजों का कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, और वह इसलिए दे रहे हैं कि उसके मालिकाना हक, उसके ऑनरशिप राइट्स किसी के अन्दर वेस्टेड हैं। इसलिए मेरा भी उस समय सुझाव था कि जब हम देने जा रहे हैं, तो राजस्थान भर के अन्दर चाहे वह अर्बन एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो, वहां किसी भी तरह की ज़मीन की कीमत निर्धारित करते हैं तो एक तरह की व्यवस्था रहनी चाहिए। उस समय मैंने उदाहरण दिया था कि जयपुर शहर के आसपास या किसी भी म्युनिसिपैलिटी के आसपास जो भी ज़मीन सरकार लेती है लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के अनुसार उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए उस सिस्टम से कीमत हो जाती है। उसमें ज़मीन की स्थिति, उस पर किये गये इम्प्रूवमेंट्स पर उस ज़मीन की मार्केट वेल्यू होती है, और उस ज़मीन पर, आगे आने वाले समय में क्या इम्प्रूवमेंट्स होंगे उस दृष्टिकोण से भी कीमत निर्धारित होती है। मैं तब सुन रहा था जब कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह विधान के खिलाफ होता है तो मेरी सिर्फ इतनी ही राय है कि जो गंगानगर में और दूसरे एरिया में ज़मीन की कीमत नहीं होने के कारण से ऐसा होता है। मैं चेयरमैन महोदय, माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि कम्पेन्सेशन दिया जा रहा है ज़मीन के मालिक को तो चाहे गंगानगर में हो, कोटा में हो या जयपुर शहर के पास में हो, लैण्ड एक्वीज़िशन एक्ट के दृष्टिकोण से ज़मीन की स्थिति, उसके इम्प्रूवमेंट, उसमें होने वाली प्रोडक्शन को देखते हुए ज़मीन की मार्केट वेल्यू उसके मालिक को मिलनी चाहिए। मैं फिर भी इस राय का हूं कि आज ५ साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर काफी डवेलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं। पिछले ५ सालों में जितने कुए बने और ज़मीन में डवेलपमेंट हुआ है मेढ़ बन्दी से स्वाइल कन्ज़रवेशन से तथा और भी दूसरी व्यवस्थाएं हुई हैं उनकी वजह से, केनाल एरिया को लिया जाय या नॉन केनाल एरिया को लिया जाय, उसकी कीमत बढ़ी है। जब हम ज़मीन का कम्पेन्सेशन देने जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में यह रहना चाहिए कि ५ साल के अन्दर राजस्थान में कितनी उन्नति हुई है। हमने खातेदारी राइट्स को देते हुए टिनेन्सी एक्ट की धारा २३, २४, २५ और २६, ये कम्पेन्सेशन की धाराएं रखी थीं तो राजस्थान के अन्दर ज़मीन संबंधी कीमत के बारे में कोई अनुमान नहीं था। राजस्थान के अन्दर कोई कानून नहीं, कोई ज़मीन की उन्नति नहीं थी। उस समय डवेलपमेंट के बारे में कोई स्कीम नहीं थी। राजस्थान में डवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं था। इन पिछले ५ सालों में ज़मीन में काफी डवेलपमेंट किया गया है। सरकार ने लाखों नहीं करोड़ों रुपये डवेलपमेंट के नाम से ब्लॉक की मार्फत काश्तकारों को दिये हैं, और काश्तकारों ने ज़मीन में डवेलपमेंट किया है। जो ज़मीन कल बारानी थी उसमें आज सरसों पैदा हो रही है। जो रेगिस्तान में थी उसमें स्वाइल कन्ज़रवेशन और मेढ़बन्दी के कारण सरसों पैदा होती है। इसमें यह कहा जा सकता है कि यह पर्मानेन्ट इम्प्रूवमेंट

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं है लेकिन जमीन की क्वालिटी चेन्ज हुई है। वहां पर रेगिस्तान था लेकिन मेड़ बन्दी और स्वाइल कन्ज़रवेशन के कारण ज़मीन की कीमत बढ़ी है। काश्तकार ने पर्मानेन्ट इम्प्रूवमेंट नहीं किया है मगर उसकी क्वालिटी बढ़ी है। जब काश्तकार जमीन में इम्प्रूवमेंट करता है और अपना पैसा लगाता है तो वह दिखाई नहीं देता है। जयपुर से फुलेरा जाते समय आप बड़े बड़े मिट्टी के ढेले देखेंगे तो वह कोई पर्मानेन्ट इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन उसके अन्दर भी काश्तकार का पैसा लगता है और कम से कम सारे खेत के चारों तरफ ढेला करने में हज़ार रुपये लग जाते हैं। वे हजार रुपये इम्प्रूवमेंट में नहीं आते हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ। पानी के फिसलने के लिए, पानी के बहाव को रोकने के लिए उसके ऊपर मेड़ लगाते हैं, इस तरह के इम्प्रूवमेंट्स में काश्तकार का बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जागीरदारी खत्म हुई और राइट दिये हैं खुद काश्त के उन लोगों को कानून के अन्दर अधिकार दिये हैं जो उनके राइट्स हैं ....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य से मैं जानना चाहता हूँ कि जो अमेंडमेंट पेश किया गया है गंगानगर में डिफरेन्ट स्केल का उसका वे विरोध करते हैं या क्या ?

दूसरी बात यह है कि जो ओरिजिनल क्लॉज है और जो सलेक्ट कमेटी द्वारा रिकमन्ड किया गया है उस पर बहस हो चुकी है। आया आप उस अमेन्डमेंट के स्कोप से बाहर जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया आया आप लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार कराना चाहते हैं, या अमेन्डमेंट को सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। Debate should be confind to the point

श्री सोहनलाल भटनागर : एक निवेदन और है। ५ मिनट का समय निर्धारित किया गया था लेकिन उससे भी अधिक १० या १५ मिनिट तक लिए जा रहे हैं।

श्री सभापति : ५ मिनट का समय तो इसलिए तय किया गया था कि वक्त पर हाउस को समाप्त किया जायेगा। लेकिन जब अधिक बैठने का तय किया गया तो यह समझ कर किया गया कि जो लोग डिबेट करना चाहते हैं उनको पूरा अवसर दिया जायेगा और जरूरत पड़ने पर ज्यादा समय तक बैठेंगे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : मैं आपके संशोधन का कम्पलीटली विरोध करता हूँ, सम्पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार वैल्युएशन निर्धारित थी वह होनी चाहिये, यह नहीं होना चाहिये कि गंगानगर में अलग होनी चाहिये। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो वैल्यू निर्धारित करते हैं वही होनी चाहिये। मंत्री जी के ध्यान में पूरी बातें नहीं होंगी–भूल भी सकते हैं। हमने करोड़ों रुपये ५ साल पहले खर्च किये हैं। मैं आपके सामने उदाहरण पेश करूंगा। गंगानगर में आज लैंड की वेल्यू बहुत है। वहां के लोगों ने क्या कसूर किया है अगर जमीन मोल ली है तो। एक किसान ने २५ मुरब्बे ज़मीन मोल ली है जब कि उसके सामने कानून नहीं था उस समय उसने जमीन मोल ली तो कोई गलती नहीं की। आज उसके पास तीन ही मुरब्बे रहेंगे तो जो मुरब्बे उसके

(श्री मोतीलाल)

पास से निकलेंगे उसकी उसे पूरी कीमत मिलनी चाहिये ...

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : २५ मुरब्बे जमीन लेने वाला कोई किसान नहीं होगा, पूंजीपति होंगे इसकी कीमत ५ या ७ लाख रुपये होती है।

श्री मोतीलाल : ग्रो मोर फूड स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने अपील की थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह समझा कि जो मुरब्बे की कीमत है उसका ४० पर्सेन्ट या २५ पर्सेन्ट नहीं मिलना चाहिये बल्कि पूरा मिलना चाहिये। गंगानगर की यों वकालत कर रहे हैं। मेरे संशोधन का विरोध है लेकिन गंगानगर के लिये कहते हैं कि ४० पर्सेन्ट या २५ पर्सेन्ट नहीं मिलना चाहिये बल्कि सेन्ट पर्सेन्ट मिलना चाहिये।

श्री मोतीलाल : I object to the words used by the Hon'ble Minister, Sir. I am not holding Vakalatnama of anyone and not paid for any case of Ganganagar or any other place. I am giving my views to the House. So the word 'Vakalatnama' should be expunged.

श्री सभापति : वकालत मीन्स प्लीडिंग।

श्री दामोदरलाल व्यास : I never said 'Vakalatnama'. I said 'Vakalat' only.

श्री मोतीलाल : I may again tell the Revenue Minister that I have no particular sympathy for Ganganagar or any other area. I have only informed you of my own view point.

श्री चन्दनमल वैद : But the Hon'ble Member was clearly pleading the case of Ganganagar because he said that instead of 40 percent the full value of the land should be given so that was Vakalat.

श्री पी० के० चौधरी : Point of order, Sir. Any member who casts an aspersion on the character of any Hon'ble Member, he should be asked to withdraw it.

श्री दामोदरलाल व्यास : If it is taken to be an aspersion, I am very sorry. I never meant that. Are yon satisfied, Mr. Chaudhary, now ?

श्री मोतीलाल : मेरा दृष्टकोण साफ है। राजस्थान भर की जमीन के कम्पेन्सेशन के बारे में मार्केट वैल्यू देखनी चाहिये और जो मार्केट वैल्यू अर्बन और रूरल एरिया में हो वह पूरी देनी चाहिये और साथ ही पिछले ५ साल में या ३ साल में जिन्होंने इम्प्रूवमेन्ट करके कीमत बढ़ाई है, वह भी देनी चाहिये ....

श्री चन्दनमल वैद : डिस्पजेस होने का भी मुआवजा देना चाहिये।

श्री मोतीलाल : कोटा में भी बहुत सी जमीन ऐसी मिलेगी। एक उदाहरण मुझे भी मालूम है। एक के पास ५०० बीघा ज़मीन थी और पिछले ५ सालों में किसी के पार्टनरशिप में कुंए बनवाये और इम्प्रूवमेन्ट किया। आज सीलिंग आने की वजह से वे कुंए भी जा रहे हैं। सेक्शन

(श्री मोतीलाल)

२३, २४, २५ और २६ के द्वारा जो इर्रिगेशन के द्वारा इम्प्रूवमेन्ट हुआ है उसके हिसाब से उनको कम्पेनसेशन नहीं मिलेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : लैंडलैस कितने लोग हैं ?

श्री मोतीलाल : They should be given free. It is Governments duty to give land free to the landless and pay full compensation. जब जागीरदारों को पूरा कम्पेन्सेशन दिया है तो अब क्यों गड़बड़ होती है। राजाओं और बड़े-बड़े जागीरदारों को करोड़ों रुपये दिये हैं, उस लैंड के भी दिये जिसके वे मालिक नहीं थे-राजस्थान में उसके लिये कोई लॉ नहीं था, the land vested in the State and not in the Jagirdars.

श्री चन्दनमल वैद : जागीरदारों और जमींदारों को मार्केट वैल्यू से दिया है क्या ?

श्री मोतीलाल : बिना ज़मीन के दिया है जिसका कोई मालिक नहीं था।

श्री दामोदरलाल व्यास : I think this is a digression, Sir, entirely a different subject.

श्री पुरुषोत्तम लाल (किशनगढ़) : उनसे लगान भी लिया है।

श्री सभापति : I think it will be in the interest of the House if the Hon'ble Members confine their criticism to the amendment of the Hon'ble Minister which has been moved. If we draw in other matter, there will be no end to the debate and we will deviate from the very object for which we are sitting, i. e. to discuss this clause very carefully.

श्री चन्दनमल वैद : The Hon'ble Member has come to his pet subject now.

श्री मोतीलाल : I hope I shall not be obstructed by other Hon'ble Members of the House, so that I can say my view point in a few minutes. माननीय चेयरमैन, मैं राजस्व मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो माननीय सदस्य आज बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उनको मालूम होना चाहिये कि हमने जोधपुर में क्या दिया था।

श्री सभापति : Let us forget Jagirdars for the time being and come to the clause.

श्री चन्दनमल वैद : That is why I said that he has come to his pet subject.

श्री मोतीलाल : जहां तक जागीरदारों का सवाल है....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : चेयरमैन महोदय, जागीरदारों के प्रश्न को लेकर....

श्री सभापति : Order, Order please.

श्री मोतीलाल : I am in possession of the House, Sir.

श्री सभापति : Order, order, please. Let us be more serious and come to the subject before us.

श्री मोतीलाल : मैं उदाहरण दूंगा कि अभी जिस समय सीलिंग के सिलसिले में यह पूछा गया था कि सैटलमेंट के आंकड़े सही हैं क्या तो उनका खुद का मानना यह था कि सेटलमेंट के आंकड़ों को सीलिंग के लिए बेस नहीं माना जा सकता क्योंकि अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह से सैटलमेंट हुआ है और अलग-अलग जगह अलग-अलग तरह से लैंड रेवेन्यू की दर कायम हुई है। किसी जगह १।३ है किसी जगह १।४ है और किसी जगह १।५ है। ऐसी स्थिति में कहीं पर लैंड रेवेन्यू बढ़ गया है तो कहीं पर कमती हो गया है। उदाहरण के तौर पर बीकानेर और नागोर को देखिये। बीकानेर में नोखा तहसील में एक बीघा पर दो आना या तीन आना लिया जाता है और नागोर में उसी तरह की जमीन पर १२ आने लिये जाते हैं। इसी तरह सुजानगढ़ और लाडनू की बात है। सुजानगढ़ तहसील में दो आने लिये जाते हैं और लाडनू तहसील में १२ आने लिये जाते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : दो आने, तीन आने कहीं भी नहीं है सुजानगढ़ में।

श्री मोतीलाल : यदि २ आना ३ आना नहीं है तो कितना है, आप स्पष्ट कह दीजिये। आपको खुद को भी मालूम नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : वहां पर ८ आने और १२ आने से कम नहीं है।

श्री सभापति : I am sure, both the Hon'ble Members are correct, because both of them are not sure of their facts.

श्री मोतीलाल : कोटा में जो जमीन है उस पर ८ आने, १२ आने और १४ आने तक है। उसी क्वालिटी की मेड़ता की जमीन पर ३ रु० हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग-अलग जगह पर अलग अलग तरह की लैंड रेवेन्यू मुकर्रर की गई है। कोटा में एक तरह की जमीन का १ रु० है तो अजमेर में उसी तरह की जमीन के ३ रु० हैं। उसी तरह से नागोर के अन्दर, मेड़ता के अन्दर ४ रुपया है। इस तरह से अलग-अलग जगह कई जागीरदारों ने, जिनके यहां अधिक लाग थी, सैटलमेंट में रेट बढ़वा ली। जो बड़े जागीरदार थे, उन्होंने रेट बढ़वा ली और जहां कमजोर जागीरदार थे, उनके यहां कम रह गई....

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : जागीरदारों के वास्ते कहा जा रहा है।

(तालियां)

मैं कहता हूँ कि उन्होंने जितना रुपया भूमि के वास्ते खर्च किया है....

श्री मोतीलाल : Mr. Chairman, I don't know....

मैंने वैसे ही जागीरदारों का नाम नहीं लिया। मैं इसलिये कह रहा हूँ कि बीकानेर में लाग नहीं थी, जोधपुर में लाग थी, जब सैटलमेंट हुआ, तो लाग को कन्सीडर किया गया....

श्री चन्दनमल बैद : आप लाग बता सकते हैं ?

श्री मोतीलाल : मैं बता सकता हूँ लेकिन इतिहास देखना पड़ेगा। इसलिए

(श्री मोतीलाल)

मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लैंड एक्वीजिशन एक्ट के अनुसार मार्केट रेट पर जिस तरह जमीन लेनी है, उसी तरह ले लेवें। उस तरह न लेवें तो मेरा एक और सुझाव है, जिस तरह गंगानगर में गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट कर दिया है, वह गवर्नमेंट का लैंड है, खुद का लैंड है, इसलिए मैं गंगानगर के लिये कह सकता हूँ कि जिस रेट पर वहां लैंड अलॉट किया है, उसके अनुसार ही मुआवजा मिलना चाहिये, (करतल ध्वनि) । यह सही हो सकता है। जिस रेट के ऊपर, गवर्नमेंट रेट के ऊपर लैंड देती है, उसी रेट के अनुसार मिलना चाहिये। इसलिए मैं मार्केट रेट को नहीं मानता (करतल ध्वनि) । उसको मानता हूँ जिस रेट पर गवर्नमेंट लैंड दे रही है। आज सांगानेर के पास जो लैंड का अलॉटमेंट हुआ है, जयपुर के पास, वहां जमीन की कीमत तो ली गई है, उसके साथ ही पेड़ आदि की कीमत ले ली गई है, २५, ३०, रुपये पर बीघा में जमीन बिकी है और पेड़ की कीमत भी ली गई है। उसका जो लैंड रेवेन्यू है वह १२ आने या डेढ़ रुपया है। जिसने ४० रुपया पेमेंट किया है, उसको २० रुपया मिलेगा (करतल ध्वनि) मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब का महकमा है, उनकी रेट उनको मालूम नहीं है। अफ-सोस है, वे किस आधार पर चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि जिन महानुभावों का गवर्नमेंट के द्वारा लैंड का फ्री अलॉटमेंट हुआ है, राजस्थान गवर्न-मेंट से फ्री अलॉटमेंट हो सकता है, और स्टेट से फ्री अलॉटमेंट हो सकता है, उनको किसी कारण से फ्री मिली हो, उसका उन्होंने फायदा उठाया है। अगर उसमें उन्होंने परमनेन्ट इम्प्रूवमेंट किया है, उसका मुआवजा मिलना चाहिये, जमीन की कीमत नहीं मिलनी चाहिये। अगर उसे फ्री अलॉटमेंट हुआ है, और जमीन की कीमत पे नहीं की है, he has not paid a single pie for the land. पेमेंट नहीं किया और किसी कारण से उसे जमीन मिली है, तो उसे कोई अधिकार नहीं है कि लैंड की कीमत मिले क्योंकि उसको जमीन मुफ्त मिली हुई है। राजाओं के टाइम में वह किसी कारण से उसे मिली हो........

श्री चन्दनमल वैद : जमींदारों के टाइम में।

श्री मोतीलाल : उस पर पैसा लगाकर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं किया है तो अधिकार नहीं कि वह कोई पैसा ले। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से, माननीय राजस्व मन्त्री जी तो हैं नहीं, उनकी अनुपस्थिति में माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि हम भी केबिनेट के मिनिस्टर हैं, हम सुन रहे हैं, लेकिन मैं यह स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि न तो कोई केबिनेट की राय ली गई है और न किसी की राय ली गई है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : केबिनेट की राय का क्यों उल्लेख कर रहे हैं?

श्री पी० के० चौधरी : क्या केबिनट की राय जाहिर कर सकते हैं?

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर ने बताया कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कर रहे हैं वह केबिनेट की राय से कर रहे हैं, इसलिए आपका एलीगेशन कि केबिनेट की राय के बगैर किया, यह नामुनासिब है।

श्री पी० के चौधरी : He should be asked to withdraw it.

श्री मोतीलाल : जहां तक मेरी जानकारी है, उसके अनुसार कह रहा हूँ। मेरी सही जानकारी है कि यह केबिनेट में डिस्कस नहीं हुआ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : आप केबिनेट के मेम्बर नहीं, इसलिए आपको जानकारी नहीं हो सकती।

श्री चन्दनमल वैद : क्या आप केबिनेट के मेम्बर हैं, इसलिए यह जानकारी है ?

श्री पी० के० चौधरी : This point should be decided. On the one hand a member of the Cabinet says that it was decided in the Cabinet and the Hon'ble Member says that it was never decided in the Cabinet. The issue should first be decided and then we proceed on.

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मंत्री) : मैंने यह कहा कि जो मिनिस्टर पाइलट करते हैं, उनको पूरी पॉवर्स हैं केबिनेट की।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : उनको केबिनेट की पूरी पॉवर्स है ?

श्री मोतीलाल : डेमोक्रेसी के अन्दर मिनिस्टर को अधिकार है कि वह रेस्पोन्सिबिलिटी फुल्ली बिअर करे। मेरी जानकारी है कि इस क्लॉज की कोई जानकारी नहीं है।....

श्री पुरूषोत्तम लाल शर्मा : केबिनेट ने पॉवर्स दे दी, फिर क्या है ?

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble Member is right in saying that the Cabinet was not consulted.

श्री सभापति : ऑनरेबल मेम्बर्स से मैं दर्ख्वास्त करूंगा कि इस कन्ट्रोवर्सी में न पड़ें कि केबिनेट की राय ली गई या नहीं ली गई, क्योंकि केबिनेट के बारे में प्राइवेट मेम्बर को ज्यादा जानकारी होना अच्छा मालूम नहीं होता। केबिनेट के अन्दर क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी किसी प्राइवेट मेम्बर को जानकारी हो तो अच्छा मालूम नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि कन्फाइन रखें सब्जेक्ट के ऊपर। मंत्री महोदय ने कह दिया है कि जो मिनिस्टर पाइलट करते हैं, उनको केबिनेट की पूरी स्वीकृति होती है, अमेंडमेंट को स्वीकार करने की, रिजेक्ट करने की। इसलिए यह पॉइन्ट इम्पोर्टेन्ट नहीं रहा।

श्री पी० के० चौधरी : मेरी यह कन्टेन्शन है that the Hon'ble Member is right. It was never discussed in the Cabinet.

श्री मोतीलाल : मेरा प्रश्न यह था कि जो सुझाव मैं दूंगा तो उसे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब तो सुनेंगे नहीं और....

श्री सभापति : जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है, किसी मिनिस्टर को सुना दीजिये।

श्री मोतीलाल : दूसरे मिनिस्टर को जानकारी नहीं है। मेरे जो सुझाव हैं उनको रेवेन्यू मिनिस्टर सुनेंगे नहीं तो उनकी कोई कीमत होगी नहीं। वे कहेंगे....

श्री चन्दनमल वैद : किसान नेता बोल रहे हैं और किसान नेता सुन रहे हैं।

Page No.141

श्री सभापति : I will request the Hon'ble Members to maintain a little decorum and let us not go out of our way to creat a situation which may not appear pleasant either in the House or outside the House.

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, मैंने एक सुझाव इस तरीके से रखा था- यह जो क्लॉज है कम्पेन्सेशन का, इसको डेफर कर दिया जाय, दूसरे क्लॉजेज इस प्रकार के हैं, उनको आज ले लिया जाय। मैं समझता हूँ....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : यह कैसे हो सकता है ?

श्री मुरलीधर व्यास : इसको कल से लिया जाय और दूसरे क्लॉजेज को आज पास कर दिया जाय।

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : इसको आज पास करना है।

श्री सभापति : देखिये, यह सुझाव आया है डेफर करने का, डेफर करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह होगा कि जो स्पीचेज आज हुई हैं, वे प्रारम्भ से कल शुरू हो जावेंगी। मंत्री महोदय इसके अन्दर बिल्कुल तैयार नहीं है कि इसको डेफर किया जाय, जब तक कोई नया सुझाव लाने को तैयार न हों। हम इसको डेफर कर देना चाहें, तो सिवाय इसके कि अपना काम डबल हो जाय और कोई फायदा निकलने वाला नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरा सुझाव कहां से आ रहा है।

श्री सभापति : दूसरा सुझाव आया नहीं, नया सुझाव आ नहीं रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : Point of suggestion, sir. the House is sitting from 11 0' Clock and I suggest that there should be a 15 minutes' recess so that with new energy the Hon'ble Members should come and have the discussion.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): You have had enough rest already.

श्री सभापति : Yes, Shri Moti Lal to continue.

श्री मोतीलाल : मुझे खुशी ही है। मैं इस बारे में राय देना चाहता था,-मेरी यह राय है कि यदि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की यही राय है कि जो अमेंडमेंट लाये हैं वही हो तो मैं चाहूँगा कि लैंड एक्विजीशन एक्ट के माफिक नहीं जाना चाहें तो गवर्नमेंट जिस रेट पर काश्तकारों को अलॉट करती है, वही मुआवजा काश्तकारों को मिलना चाहिये। सेक्शन २३, २४, २५ टिनेन्सी एक्ट में दिया है। इर्रिगेशन के बारे में कोई बात नहीं। कम्पेन्सेशन दिया जाता है तो जमीन की कीमत की दृष्टि से नहीं दिया जाता राइट एक्वायर करने की दृष्टि से कम्पेन्सेशन दिया गया है। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि जहां दूसरी जगह २० गुना देते हैं, वहां भी पर्मानेन्ट इम्प्रूवमेंट, कुए खुदवाये हैं, बांध बंधवाये हैं। चारों ओर दीवार बनवाई है, मकान बनाये हैं, किसी भी तरह मेड़बन्दी से या और किसी भी तरह से इम्प्रूवमेंट किया है, उसकी कीमत उनको पूरी मिलनी चाहिये।

(श्री मोतीलाल)

माननीय सभापति महोदय, एक सुझाव इस पर और है कि जमीन के चारों तरफ पेड़ लगाये हैं, उन पेड़ों की बड़ी कीमत होती है। इसके लिये सिरसी गांव का उदाहरण दूं....

माननीय चेयरमैन, महोदय हाउस में आपस में बातें हो रही हैं।

एक माननीय सदस्य : No body is interested in your speech.

श्री मोतीलाल : I think no body is interested. माननीय चेयरमैन महोदय, सिरसी गांव में मेड़ के आसपास आम के साल के पेड़ लगाते हैं। लैंड रेवेन्यू बेसिस पर जो मुआवजा मिलेगा तो उन पेड़ों का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, उन पेड़ों की कोई कीमत नहीं मिलेगी, यह उचित नहीं। इसलिये न्याय तो यह होगा कि, उनको उचित मूल्य, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मन्त्री मेरे सुझाव को मान लेंगे जो मैं पेश करना चाहता हूँ, वह यह है कि जिनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिफोर इन्टीग्रेशन बिना पैसे जमीन मिली है, उसका उनको कम्पेन्सेशन नहीं मिलना चाहिये, उसमें यदि इम्प्रूवमेंट किया हो तो उसका कम्पेन्सेशन मिलना चाहिये। मैं समझता हूँ राजस्व मन्त्री इस पर विचार करेंगे और स्मूथली, पेशेंटली, क्वाइटली, कूल्ली निर्णय लेंगे।

श्री सभापति : ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): माननीय सभापति महोदय, सदन में इतने माननीय सदस्यों की बातें सुनने के बाद मेरे खयाल से काफी है उनकी राय जानने के लिये कि यह जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, वह उनको पसन्द नहीं आया है।

(करतल ध्वनि)

उनको पसन्द नहीं आया है और खास तौर से मुझे जो प्रेरणा मिली है, माननीय सदस्य जो............

श्री चन्दनमल बैद : किसी से मिली हो, मिली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो बात कही है उससे मुझे प्रेरणा मिली है, यों तो उन्होंने बहुत सी बातें कहीं और यह कहा कि केबिनेट में इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। How he knows all these secrets ?

लेकिन मैं नहीं समझा कि यह सीक्रेट उन्हें कहां से मिली, गवर्नमेंट का तरीका उन्हें मालूम है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता। पर उनको कम से कम यह बात नहीं कहनी चाहिये थी कि केबिनेट में डिस्कशन नहीं हुआ था।

This is with full concurrence of the Chief Minister and other colleagues of mine and I will be right in saying so.

इसलिये यह कहना कि केबिनेट में डिस्कशन नहीं किया, वह कहने का तरीका गलत था। उनको न केबिनेट के सीक्रेट्स मालूम हो सकते हैं और न मालूम करने की कोशिश करनी चाहिये। और जहां तक इस बात का प्रश्न है, उन्होंने गलत सूचना दी है कि हमने आपस में डिस्कशन नहीं किया।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जहां तक इस गंग नहर वाले अमेंडमेंट का सम्बन्ध है, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स और उधर बैठे हुए लॉ डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बातचीत की तो यह मालूम हुआ कि यह डिस्क्रीमिनेटरी क्लॉज हो सकता है।

(करतल-ध्वनि)

और किसी वक्त यह चैलेंज किया जाकर डिस्क्रीमिनेटरी क्लॉज करार दिया जा सकता है। अगर यह क्लॉज डिस्क्रीमिनेटरी करार दे दिया जाता है तो the whole Bill falls. यह नहीं कि इस क्लॉज पर ही असर पड़ेगा, बल्कि सारा बिल है उस पर असर पड़ेगा the whole Bill will fall.

वह खतरा मैं मोल लेना पसन्द नहीं करूंगा, कि जिसमें थोड़ा बहुत भी शुबा हो। खास तौर से मैंने अर्ज किया था कि यहां सदन में माननीय सदस्यों की राय के खिलाफ विप के जोर से किसी बिल को पास कराना मैं पसन्द नहीं करता, न कभी किया है और न कभी करूंगा, इसलिये गंगानगर का अमेंडमेंट मैंने पेश किया है, उसको बिल्कुल प्रेस नहीं करना चाहता और I seek permission of the House to withdraw that amendment.

श्री सभापति : Is it the pleasure of the House that permission be granted to Hon'ble Minister to withdraw the amendment ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

एक माननीय सदस्य : सर्वसम्मति से।

श्री सभापति : You have to withdraw it now.

श्री दामोदरलाल व्यास : I withdraw my amendment.

(करतलध्वनि)

अब मैं यह अर्ज करूंगा कि जहां तक कि ओरिजिनल क्लॉज है, सलेक्ट कमेटी से रिकमन्डेड क्लॉज है उस पर बहुत सारे अमेंडमेंट आये हैं तो उसको मैं आपके सामने डील करूंगा कि कौनसा अमेंडमेन्ट मंजूर होना चाहिये। I will just make up my mind, which amendment I am going to accept.

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : मेरे वाला कर लें।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : हां, मैं सोच सकता हूँ एक्स्ट्रीम पर। नैक्स्ट क्लॉज को ले लें। इसका वोटिंग डेफर कर दीजिये।

श्री सभापति : 30 G is deferred. 30 I.

No one seems to be interested in speaking on this clause.

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : I will speak, Sir.

श्री सभापति : I understand that full debate on this clause has already taken place and it is pending only for the reply of the Hon'ble Minister.

श्री मोतीलाल : No Sir, it is not so. Only the movers of amendments have taken part in the discussion. However, I have only one simple suggestion to make.

डा० बहादुरसिंह : डिबेट पूरी हो चुकी।

श्री सभापति : I think it was deferred for the Minister's reply only, and members should not press their point of View at this stage because the Hon'ble Minister is ready to reply to the debate.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am going to reply, Sir.

So far as 30-I is concerned, there are certain amendments to this clause. यह क्लॉज ऐसा है कि एक्सेप्शन्स का क्लॉज है, जिस पर कि सीलिंग लागू नहीं होगा। इस एक्सेप्शन्स से क्लॉज के अन्दर जहां तक कुछ माननीय सदस्यों ने इसमें कुछ डिलिशन का अमेंडमेंट दिये हैं, पर्टिकुलरली सुगर केन फार्म। एफिशियेंटली मैनेज्ड फार्म पर एतराज किया है कि इनको एग्जेम्प्ट नहीं नहीं करना चाहिये। मैंने पहले भी जिस समय यह बिल पेश किया गया और सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई उस वक्त यह पॉइन्ट एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी कि वेल मैनेज्ड फार्म्स हैं वे क्यों एग्जेम्प्ट किये जाने चाहिये। सीधी सी बात यह है कि आज कन्ट्री के सब लॉज को ले लीजिये उन सब में एफिशियेंटली मैनेज्ड फार्म्स को एग्जेम्प्ट किया है। प्लानिंग कमीशन ने भी सेकिण्ड प्लान में रिकमंड किया है कि एफिशियेंटली मैनेज्ड फार्म्स एग्जेम्प्ट करना चाहिये।

"While determining the general ceiling on agricultural holdings in a State, it will also be necessary to consider the categories of farms to which the ceiling need not apply. Three main factors could be taken into account in deciding upon exemptions from the purview of the ceiling, namely:—

(1) integrated nature of operations specially where industrial and agricultural work are undertaken as a composite enterprise,

(2) specialised character of operations, and

(3) from the aspect of agricultural production, the need to ensure that efficiently managed farms which fulfil certain conditions are not broken up.

If these considerations are kept in view, there would appear to be an advantage in exempting the following categories of farms from the operation of ceilings which may be proposed;

(1) tea, coffee and rubber plantations.

(2) orchards where they constitute reasonably compact areas.

(3) specialised farms engaged in cattle breeding, dairying, wool raising, etc;

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(4) sugarcane farms operated by sugar factories; and

(5) efficiently managed farms which consist of compact blocks on which heavy investment or permanent structural improvements have been made and whose break-up is likely to lead to a fall in production."

(७ म. प.)

तो यह सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में है कि इनको एग्जेम्प्ट करना चाहिये। कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण के दौरान में एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म और मैकेनाइज्ड फार्म को मिलाने की कोशिश की है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म चाहे मैकेनाइज्ड हो चाहे नॉन मैकेनाइज्ड हो, एफिशियेन्टली मैनेज्ड फार्म होने चाहिये। इसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह मैकेनाइज्ड ही हो। उनकी इससे यह मंशा हो कि किसी ने कोई ट्रेक्टर खरीद लिया है और वह १० हजार बीघा इस तरह से रख सकता है कि उसके पास ट्रेक्टर है मगर यह किसी हालत में रखने लायक नहीं है। इसमें 'एफिशियेन्टली मैनेज्ड' खास बात है। अगर वह कितना ही बड़ा हो मगर एफिशियेन्टली मैनेज्ड है तो उसके लिये रिकमन्ड करेंगे।

अब रहा प्रश्न कि 'एफिशियेन्टली मैनेज्ड' की डेफिनेशन क्या है, वह नहीं दी गई है। मैंने पहले सदन में अर्ज किया था, जिस समय सलेक्ट कमेटी से रिपोर्ट आई थी, कहा था कि प्लानिंग कमीशन ने इस पॉइन्ट को 'Study group of experts' ने स्टडी करके रखा है उसको हमें अपने रूल्स में प्रेस्काइब्ड करना होगा जिसको सबके लिये रिकमन्ड किया है। आप कहेंगे कि आपने इसको डिफाइन क्यों नहीं किया। मगर यह डिफिकल्टी होगी कि यह स्टेज स्टेट टू स्टेट डिफर होगी। मैं आपको आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन की जो रिकमन्डेशन है, वह क्या है ? इन्होंने सब-कमेटी बनाई थी और उसकी रिकमन्डेशनस को सरकार ने स्वीकार कर लिया है : The recommendations of the Sub-Committee of the Planning Commission, Government of India, on land reforms to suggest a standard of efficiency of cultivation and management...... यह टर्म ऑफ रेफरेन्स था। इसमें उसकी रिकमन्डेशन है :

"Having given careful consideration to the various possible tests of good...... the Sub-Committee is of the view that efficiency of cultivation and management should be judged with regard to the following factors :—

(1) Land :

(a) Levelling, bunding, terracing (where necessary and economically practicable) and other measures needed for maintaining the fertility of the soil.

(b) Development and use of cultivable waste land such as reclamation of cultivable waste land by drainage of water-logged area,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

removal of alkali or kallar by anti-erosion or soil conservation measures, eradication of pernicious weeds, clearing bushes.

(ii) Use of pure seeds of approved variety.

(iii) Manures and fertilisers :

(a) conservation of farm yard manure;

(b) composting of all kinds of farm refuse;

(c) adoption of green manure as a regular practice;

(d) use of chemical fertilisers where necessary and economical.

(iv) Irrigation :

(a) where canal irrigation is not available, construction of wells, tube-wells, pumps, tanks and dams wherever possible either independently or in co-operation with the neighbouring cultivators;

(b) economic use of water by proper maintenance of irrigation channels, i. e. plastering, keeping them, as far as practicable, in straight lines and not zig-zag, keeping them free from weeds and making the irrigation channels pucca, wherever economical, in order to prevent leakage of water.

(v) Agricultural implements :

Use of agricultural implements of improved variety as recomineded by the Agriculture Department for particular tracts.

(vi) Control of insect pests and diseases and eradication of pernicious weeds, independently as well as in co-operation with local cultivators, in accordance with methods generally recommended by the Agriculture Department.

(vii) Improved agricultural practices in respect of :

(a) preparation of seed beds;

(b) methods of sowing;

(c) inter-culture of crops;

(d) weeding;

(e) rogueing;

(f) harvesting practices.

(viii) Suitable rotation of crops.

(ix) Planning and care of trees (especially along water courses, near wells and on uncultivated lands)."

Then there are so many other points. All these points will have to be borne in mind for determining what is an efficiently managed farm, and no farm will be exempted from the ceiling unless it is covered by all these recommendations which the Planning Commission has accepted as a principle for determining an efficiently managed farm. Every

(श्री दामोदरलाल-व्यास)

such farm will be exempted from the operation of the ceiling law, otherwise everybody will have to surrender his land irrespective of the fact whether he claims to have an efficiently managed farm; unless he fulfils all these conditions and his farm is covered by all these provisions, that will not be exempted from ceiling.

(७. ५. म. प.)

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

श्री पी० के० चौधरी : If these conditions are fulfilled by a farm, then what will happen ?

श्री दामोदरलाल व्यास : If any farm fulfils these conditions, then that farm should be exempted from ceiling, because we should be led by the over-enthusiasm of introducing ceiling in the country and we have to give adequate protection in deserving cases. In fact, all the farms will be considered on merits by the Agriculture Department and it will examine each farm on the basis of this criteria whether that farm fulfils these conditions and whether it is so, naturally exemptions will follow.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): On a point of clarification. जब सब बातें अच्छी हो तो।

श्री दामोदरलाल व्यास (श्री अनोपसिंह के खड़े होने पर): This is not a healthy practice. Let me finish my statement.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : इस बात का कैसे पता लगेगा कि कौन सा फार्म ठीक है और कौन सा फार्म ठीक नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : All these conditions are laid down.

श्री अनोप सिंह (बालोतरा) : On a point of clarification......

श्री दामोदरलाल व्यास : But I do not want to be interrupted like this. I refuse to be interrupted.

श्री अनोपसिंह : आप बाद में जवाब नहीं देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : If you force me to adopt that attitude, I will be forced to do it.

श्री अनोपसिंह : आप हमेशा यह कह कर टाल देते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए कि मैं सबसे ज्यादा क्लेरीफिकेशन देता हूँ।

श्री अनोपसिंह : आपकी मर्जी।

श्री दामोदरलाल व्यास : Then, Sir there is another amendment from the Hon'ble Member from Lunkaransar regarding sugar cane farms, owners of sugar cane farms. I am inclined to accept it, subject to the condition that there is an amendment to

(श्री दामोदरलाल व्यास)

that amendment that, 'any land comprised within..." Here in place of "within continuously for five years" should be inserted and the last one and a half line, and the remainin sentence in this amendment will be deleted. that means the amendment will read like this : "Provided that nothing in this clause (b) shall apply in such sugar cane farms if sugar cane has not been grown within..." "within" के बजाय "continuously for five years" should be inserted. That is all.

श्री पी० के० चौधरी : Which member's amendment is this ?

श्री दामोदरलाल व्यास : This is from Lunkaransar, Shri Bhimsen.

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : मैं सफाई चाहूँगा कि भोपालसागर शुगर फैक्टरी को गन्ना बोने के लिए २० वर्ष पहले ज़मीन दी थी और आप यहां पर पांच वर्ष का कह रहे हैं । वे आज २० वर्षों से वहां पर गन्ना नहीं बो रहे हैं ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह अमेंडमेंट आपने दिया है । आपके नाम पर होना चाहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त रिलेक्सेशन की जरूरत हो आप खड़े हों तो अच्छी बात है । आप जो चाहते हैं वह बात इसमें आ गई है । जो ५ वर्षों से काश्त नहीं कर रहे हैं तो वह ज़मीन उनसे ले ली जायेगी ।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, Sir......

श्री दामोदरलाल व्यास : I will like that the Hon'ble Member should be asked to table the amendment, and the amendment which has been moved.

एक माननीय सदस्य : He has not moved.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I have already moved it.

(७.६ म० प०)

(श्री बरकतुल्लाखां सभापति, पदासीन)

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the other amendments are concerned, I do not accept them, except the amendment which I have accepted and the clause as it is may be passed.

श्री सोहनलाल भटनागर : I want to withdraw the amendment.

श्री सभापति : The question is that the amendment moved by Shri Sohan Lal Bhatnagar may be permitted to be withdrawn.

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw the amendment.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I beg leave to withdraw my amendment.

(श्री श्रीभानसिंह)

श्री सभापति : Is it the pleasure of the House to allow Shri Shribhan Singh to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw the amendment.

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : Sir, if my amendment is not accepted by the Hon'ble Minister, I beg leave of the House to withdraw my amendment.

श्री सभापति : Is it the pleasure of the House to allow Shri Chandan Mal Baid to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वैद : I do withdraw the amendment.

श्री पी० के० चौधरी : I may be permitted to withdraw my amendment.

श्री सभापति : Is it the pleasure of the House to allow Shri P. K. Chaudhry to withdraw his amendment ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw the amendment.

श्री सभापति : Shri Laxmi Chand. Is not present ?

The question is that the amendment moved by Shri Laxmi Chand be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा जो अमेंडमेंट है वह है एफीशियेंटली मैनेज्ड फार्म कोऑपरेटिव बेसिस पर हों, उस पर कुछ नहीं कहा, इसलिये मैं इसको विड्रॉ नहीं करना चाहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : I cannot agree to it. You connot convert an existing farm into a co-operative farm without acquiring land. That is a suggestion which is impracticable.

श्री मुरलीधर व्यास : सीलिंग से वह एक्वायर की जा सकती थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : That I do not accept it. If it is covered by an efficiently managed farm, it is alright.

श्री सभापति : The question is that the amendment moved by Shri Murlidhar Vyas be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Shri Jugal Kishore.

श्री चन्दनमल वैद : He does not intend to withdraw.

Page No.150

श्री सभापति : There is no question of intention. He is not present. I take it. The question is that the amendment of Shri Jugal Kishore be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

The question is that the amendment of Shri Rao Raja Sardar Singh be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

Shri Daya Krishna Vijay.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मैंने जो संशोधन रखा है कि जितने एग्जम्शन हैं उनमें से कोई एक ही व्यक्ति रखे और सारे का उपयोग न करें ।

श्री सभापति : No debate at this stage.

श्री दयाकृष्ण विजय : कम्पेक्ट ब्लॉक से बांट भी दिया है तो उत्पादन नहीं घटता इसलिये इसको प्रेस करना चाहता हूँ । कम्पेक्ट आधार पर रखा जावेगा तो उनको फायदा होगा । मैं इसको विड्रॉ नहीं करना चाहता ।

श्री सभापति : The question is that the amendment moved by Shri Daya Krishna Vijay be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री चन्दनमल बैद : The leader of the Jan Sangh said 'Yes.'

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I said 'no'.

श्री सभापति : It is a family controversy and you cannot bring it on the surface.

Shri Anop Singh.

श्री अनोपसिंह : माननीय चेयरमैन, सिर्फ मेरा निवेदन था नॉन रजिस्टर्ड के लिये और रजिस्टर्ड शीपब्रीडिंग ... .

श्री दामोदरलाल व्यास : I wanted to explain to the Hon'ble Member that he said that the registration of a cattle breeding farm is not done by the Animal Husbandry Department. That information is wrong. I consulted the Director of Animal Husbandry and certain other officers sitting here. That registration is being done every day without any restriction.

श्री अनोपसिंह : होता भी होगा फिर भी करवाने की स्थिति में नहीं हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : They do not do it because by registration they will have to fulfil certain standards, they will have to keep certain standard animals in these farms.

श्री सभापति : Do you press your amendment ?

श्री अनोपसिंह : I do not withdraw.

श्री सभापति : The question is that the amendment moved by Shri Anop Singh be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Shri Ram Narayan Varma.

श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु.) : मैं अपने संशोधन को प्रेस करता हूं।

श्री सभापति : The question is that the amendment of Shri Ram Narain Varma be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Shri Mool Chand Daga.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरे अमेन्डमेन्ट में अमेन्डमेन्ट था जिसको वे मान चुके हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes, I have acceptted it.

"Continuous" वाला था।

श्री सभापति : Raja Shri Man Singh.

(अनुपस्थित)

The question is that the amendment moved by Shri Raja Man Singh be passed.

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

Now the amendment of Shri Bhim Sen-the amendment to the amendment was moved.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : I think his amendment should also be put to vote.

श्री सभापति : They will be put to vote.

The amendment to the amendment will be taken up first and then the amendment.

The question is that the amendment moved by Shri Moolchand Daga be passed.

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०) : माननीय चेयरमेन महोदय, मैंने भी संशोधन रखा है

(हंसी)

श्री सभापति : Now the question is that the amendment moved by Shri Bhim-Sen- his amendment to the amendment by Shri Moolchand Daga-be passed.

(स्वीकृति)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Now the question is that this section 30-I do stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

धारा १० आई संशोधन रूप में स्वीकार की गई।

In Clauses 4,5 and 6 there are no amendments. Now I put all these clauses to, vote.

The question is that clauses 4, 5 and 6 do stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

खण्ड ४, ५, व ६ स्वीकार किये गये।

Clause 8.

No amendment.

The question is that clause 8 stand part of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. This clause cannot be passed until and unless the whole Bill is passed.

श्री सभापति : We have not taken clause 1. We have taken clause 8. There is a world of difference between clause 1 and clause 8.

The question is, as I put before interruption, that clause 8 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

खण्ड ८ स्वीकार किया गया।

Clause 9. Shri Sribhan Singh. Do you want to move your amendment ?

श्री श्रीभानसिंह : No, Sir.

श्री सभापति : There is no need to withdraw. Now there is only a deferred clause.

श्री दामोदरलाल व्यास : The only alternative is that if we take this Bill tomorrow, any member might object that because the Bill has been amended—of course the Speaker shall have to use his powers but the amendments which are before the House, I will have to accept one of the amendments, to substitute the present clause for the clause as suggested by the Select Committee. Now it is for the Members whether they want to pass this compensation clause tomorrow and then take up clause.........

('आज' और 'कल' की आवाज)

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the sense of the House, Sir ?

श्री सभापति : Shoud we pass lit just now ?

('अभी, अभी' की आवाज)

That objection can be waived.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, हमें आवेश में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिये। इस पर अच्छी तरह से विचार किया जाकर निर्णय लिया जाना चाहिये। इसलिये इसे कल तक के लिये डेफर कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा है।

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir. The chair has already given a ruling on this subject that

(श्री पी० के० चौधरी)

according to the Business Advisory Commitee's suggestion we must pass this second reading today and we are not going to go back on the decision of the Chair, and we want to pass it today.

श्री सभापति : The House is supreme. I had already pointed out on a previous point of order raised by my dear friend, Shri P. K. Chaudhary, then, that this House is supreme so far as the business of the House is concerned, and it has a right to override the suggestion made by the Business Advisory Commitee itself, if the House deems fit. Therefore, while every great care should be given to the recommendations of the Business Advisory Commitee, so far as the business of the House is concerned, and no proper working will be possible if we chose to ignore the recom mendations of the Business Advisory Commitee, we cannot make it a standing rule that any recommendation of the Business Advisory Commitee will have precedence over the desires of this House. I hope my friend understands that this same very point is clear.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, the point was that the situation has not varied between 2.00 O'clock and 7.30. The situation remains exactly the same.

एक माननीय सदस्य : The situation has already changed.

श्री पी० के० चौधरी : Has not changed.

श्री सोहनलाल भटनागर : I think this is a very controversial clause and we may take it tomorrow with the condition that the third reading will also be completed.

श्री सभापति : So far as this Bill is concerned, this House has taken a very businesslike attitued for this Bill and I hope this will receive the co-operation of the Hon'ble Minister and the co-opration of every section of the House. The point for decision is quite different. There are two points of view which have been expressed and put up before the Government to be accepted. Now a situation arises where some members want to defer this Bill and to take this clause tomorrow. I understand the Minister is also interested in having this Bill deferred for tomorrow.

श्री पी० के० चौधरी : The Minister wants to pass it tomorrow

श्री सभापति : I understand that the Hon'ble Minister in charge of the Bill wants to get some more time to discuss with his colleagues and pass it tomorrow.

If the House so insists that this clause be passed today, I will have to put it to vote.

Page No.154

श्री पी० के० चौधरी : Let the Hon'ble Minister say that he wants time from this House. Let him stand and say so.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, यह क्लॉज एक बड़ा महत्वपूर्ण क्लॉज है। इस पर भावुकता या आवेश में आकर कोई निर्णय लेना उचित नहीं है। अतः फिर मेरा निवेदन है कि इसे कल तक के लिये डेफर कर दिया जाय।

श्री चन्दनमल वैद : सभापति महोदय, मेरी इसमें यह शिकायत है कि कल कहीं नया अमेंडमेन्ट न आ जाय और उसके लिये तीन घंटा बहस न करनी पड़े। इसलिये आज ही पास हो जाय तो उचित है।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मेरा तो इसमें यह निवेदन है कि अगर माननीय मंत्री महोदय भी यदि यह नहीं चाहते हों कि डेफर कर दिया जाय, वैसी हालत में भी हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिये कि यह महत्वपूर्ण क्लॉज है इसलिये इसको कल पर रखा जाय। दूसरा अमेंडमेन्ट आता भी है और वह किसानों के इन्टरेस्ट में हो तो हमें उसको लेना चाहिये।

श्री सभापति : What has the Hon'ble Minister to say?

श्री दामोरलाल व्यास : What is the sense of the House?

श्री सभापति : Well, if we must take the sense of the House, then probably. I will not have to request the Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have submitted that if the House so desires......

श्री पी० के० चौधरी : The House will have frank with it.

श्री सभापति : It will be very unfair to press him in a corner and to hit him there. We must not do it. It will be very unfair to press him further.

श्री दामोदरलाल व्यास : I have been hearing so many important suggestions.

एक माननीय सदस्य : The majority is in favour of taking it tomorrow.

श्री सभापति : So we defer this clause for voting......

श्री दामोदरलाल व्यास : Subject to the condition that it will be taken up for third reading definitely and we will pass it.

श्री सभापति : I am no body to give that assurance. I will leave it to the Speaker. The Speaker who has been very kind in caring to the business of the House will definitely accommodate all the points of view.

The House is adjourned for tomorrow at 11.00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ७ बजकर २७ मिनट पर गुरुवार, १० दिसम्बर, ५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार दिनांक ९ दिसम्बर, १९५९)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ
पीने के पानी की पूर्ति की योजना	१६०८
जैतारण के भूतपूर्व पुलिस थानेदार, श्री फतेहसिंह के विरुद्ध कार्यवाही	
नगरपालिका निवाई के चुनाव के विरुद्ध पेश याचिका में निर्णय के पूर्व चुनाव	
जयपुर में जागीरदारों को व्यक्तिगत भूमि बेचने व मकान बनाने से रोका जाना	
जवाहर अस्पताल जैसलमेर के स्टाफ व मोदियों के बिलों का पेमेंट समय पर न होना	
ट्रैक्टरों और कृषि के औजारों के हेतु स्वीकृत धनराशि में अनियमितता	
गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, उदयपुर की मान्यता (Recognition)	
कोटड़ा रेन्ज से ऊंट तथा गाय चराई की आय	
ग्राम पंचायतों के परिसीमन का कार्य	

	स्कम्भ
कस्बा लूणकरणसर में तहसील भवन एवं स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण कार्य पूरा किया जाना	
तहसील उणियारा का गलवानिया बांध	
बीकानेर-लूणकरणसर रोड एवं डाक बंगला व सीड स्टोर, लूणकरणसर का निर्माण कार्य	
डूंगला पंचायत का चुनाव एवं चार्ज दिया जाना	
जयपुर नगरपालिका के वर्तमान कमिश्नर	
झुन्झुनू नगर में आबादी के भीतर स्थित कब्रिस्तानों को हटाया जाना	
बीकानेर से उपसंचालक, भेड़ व ऊन विभाग को हटाये जाने का कारण	
भोपालसागर कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विद्युत् विकास कार्यों का पूरा होना	
जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर के कार्यालय में हुए गबन से	

स्कम्भ स्कम्भ

सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

पोस्ट-ग्रेजुएट डॉक्टरों को अलाउन्स नहीं दिया जाना

टौंक जिले में चम्बल प्रोजेक्ट से बिजली देने की योजना

भरतपुर म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्यों में बकाया रकमों की वसूली

पंचायत समिति, रानी के लिए स्वीकृत बजट

भोजाकोट, थाना देवगढ़ की चौकी पर मारा जाने वाला सिपाही

रायसिंह नगर, तहबाजारी के प्रतिनिधि मंडल के साथ अभद्र व्यवहार

कोटपुतली मार्ग पर चलने वाली आर. जे. एल. ५६८७ नम्बर की बस

हाई पावर वन जांच समिति को पेश किये गए मेमोरेन्डम पर कार्यवाही

सामूजा ग्राम में पीने के पानी की व्यवस्था करना

कोलायत में बेची गई भूमि

भारत सेवक समाज को लघु सिंचाई योजनाओं के निमित्त प्रदत्त धनराशि का ऑडिट

टौंक शहर में पानी के नल लगाने हेतु स्वीकृत धनराशि एवं इस कार्य में प्रगति

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८ १६७२

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा।

खंड ३–धारा ३० डी:—संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

खंड ३–धारा ३० आई:—संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

खंड ४, ५ व ६:—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये गये।

(खंड ७ प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था)

खंड ८:—बिना किसी संशोधन के स्वीकार किया गया।

(खंड ६ प्रवर समिति द्वारा विलोपित किया गया था)

खंड ३– धारा ३० जी:—आज भी आस्थगित रही।

गुरुवर १० दिसम्बर ५६ की कार्य सूची

१. औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद के समक्ष दिये गये मुख्य मंत्री के वक्तव्य सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव।

२. कार्य सलाहकार समिति का पाचवें प्रतिवेदन (उपस्थापन तथा स्वीकृति)

३. राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, ५६।

(खंडशः विचार-विमर्श एवं पारण)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२५ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF AMOUNT.

1957-58.

S. No.	District,	Tractor	Pumping set	Persian wheels.
1	2	3	4	5
1.	Jaipur	25,840/—	40,350/—	8,000/—
2.	Alwar	—	10,485/—	7,500/—
3.	Bharatpur	84,615/—	10,288/—	6,000/—
4.	Ajmer	—	52,900/—	—
5.	Sawai Madhopur	—	5,000/—	3,000/—
6.	Ganganagar	18,500/—	—	—
7.	Jhunjhunu	22,545/—	3,200/—	2,500/—
8.	Sikar	—	10,000/—	5,000/—
9.	Churu	—	4,000/—	—
10.	Kotah	—	8,500/—	4,000/—
11	Bundi	—	2,500/—	1,000/—
12.	Jhalawar	—	5,000/—	8,000/—
13.	Tonk	—	3,977/—	3,000/—
14.	Udaipur	11,000/—	10,000/—	3,000/—
15.	Bhilwara	22,300/—	3,500/—	4,000/—
16.	Dungarpur	—	—	4,000/—

1	2	3	4	5
17.	Banswara	—	8,050/—	11,000/—
18.	Chittorgarh	5,000/—	12,935/—	3,000/—
19.	Jodhpur	—	5,000/—	10,000/—
20.	Jalore	—	—	7,000/—
21.	Nagaur	10,000/—	16,200/—	3,000/—
22.	Pali	—	13,315/—	3,000/—
23.	Sirohi	—	6,550/—	3,000/—
		2,00,000/—	2,31,820/—	1,00,000/—

DISTRICTWISE DISTRIBUTION OF AMOUNT.

1958—59.

S. No.	Name of the District.	Tractor	Pumping set	Persian wheels	Implements.
1	2	3	4	5	6
1.	Jaipur (East)	23,500/-	1,56,800/-	213,000/-	7,400/-
2.	Jaipur [West]				
3.	Alwar	7,000/-	8,450/-	5,000/-	6,200/-
4.	Bharatpur	20,000/-	5,000/-	5,000/-	4,200/-
5.	Ajmer	12,000/-	36,550/-	—	10,000/-
6.	Sawai Madhopur	10,000/-	11,000/-	5,000/-	6,200/-
7.	Ganganagar	33,000/-	—	—	10,400/-
8.	Jhunjhunu	—	5,000/-	1,000/-	700/-
9.	Bikaner	5,000/-	—	—	700/-
10.	Sikar	—	6,000/-	4,000/-	2,500/-
11.	Churu	—	—	—	1,500/-
12.	Kotah	9,000/-	10,000/-	2,000/-	1,700/-
13.	Bundi	10,000/-	6,000/-	5,00/-	600/-
14.	Jhalawar	7,000/-	2,000/-	1,000/-	3,800/-
15.	Tonk	10,000/-	17,000/-	4,000/-	2,000/-
16.	Udaipur	10,000/-	16,000/-	2,000/-	6,600/-
17.	Bhilwara	14,000/-	8,000/-	500/-	3,800/-
18.	Dungarpur	—	2,000/-	8,000/-	2,500/-
19.	Banswara	—	10,000/-	18,500/-	10,600/-

1	2	3	4	5	6
20.	Chittorgarh	14000/-	18,000/-	18,500/-	4,400/-
21.	Jodhpur	7,500/-	6,000/-	7000/-	8,00/-
22.	Jalore	—	8,000/-	500/-	3,800/-
23.	Nagaur	8,000/-	7,200/-	2,000/-	2,500/-
24.	Pali	6,000/-	5,000/-	—	—
25,	Sirohi	—	7500/-	4000/-	2500/-
26.	Jaisalmer	—	—	2,000/-	400/-
27.	Hanumangarh	—	—	—	2,500/-
28.	Badmer	8,000/-	1,08,500/-	15,000/-	1,700/-
	TOTAL	2,00,000/-	4,60,000/-	1,00,000/-	1,00,000/-

NAME OF SCHEME : TRACTOR,

TONK DISTT.

S. No.	Name of cultivator to whom amount sanctioned	Amount given	Year.
1	2	3	4
1.	Shri Mohan Singh S/o Madho Singh of Dehru Teh : Malpura.	10,000/—	58-59

परिशिष्ट-D

NAME OF SCHEME : PUMPING SET,

TONK DISTT.

S. No.	Name of the Cultivators to whom amount sanctioned	Amount given	Year.
1	2	3	4
1.	Shri Raghuvar Dayal Sharma S/o Durga Sahai of Saroli. Tehsil Aligarh, Distt. Tonk.	3,977/-/-	57-58
2.	M/s Harin Bharat Industries, Malpura.	8,000/-/-	58-59
3.	Gokul Narain S/o Madho Lal Purohit Siras, Teh : Newai.	3,000/-/-	58-59
4.	Yakub Alikhan S/o Abhrahim Alikhan, Tonk.	1,500/-/-	58-59

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF CULTIVATORS TO WHOM THE AMOUNT HAS BEEN GIVEN TO PURCHASE PERSIAN WHEELS DURING YEAR,

1957-58 & 58-59

TONK DISTT.

S. No.	Name of cultivators.	Persian wheels	Amount given	Year	Remarks
1	2	3	4	5	
1.	Shri Nand Ram	Persian wheels	375/-	57-58	
2.	Shri Ram Deo	-do-	375/-	57-58	
3.	Shri Devi Singh	-do-	365/-	57-58	
4.	Shri Kalu S/o Ram Nath Ramali, Teh : Tonk	-do-	495/-	58-59	
5.	Shri Bhim S/o Baldev Bagrawa, Tehsil : Tonk.	-do-	495/-	58-59	
6.	Shri Nand Ram S/o Sukh Ram Ghas, Teh : Tonk.	-do-	495/-	58-59	
7.	Shri Baij Nath S/o Hadeva.	-do-	495/-	58-59	

STATEMENT SHOWING THE UTILISATION OF FUNDS FOR PURCHASE OF AGRICULTURAL IMPLEMENTS DURING

58-59.

Allotment	Utilisation	Remarks.
1	2	3
Rs. 2,000/- „ 3,000/-	1,020,87	The total amount was utilised in purchase of implements locally and were distributed to each Block Development Officer of this district.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३० का उत्तर देखिये)

नलवानियां बांध में आने वाले गांवों के नाम व अन्य विवरण

क्रम संख्या	नाम गांव	मकानों के मुआवजे की रकम	कुओं के मुआवजे की रकम
१	२	३	४
१.	मनोहरपुरा	१०४६५–८	४५६७–०
२.	नलवानियां	—	२६३५–०
३.	सोथ	—	६२६७–०
४.	फिरोजपुर	—	६२२–०
		योग १०४६५–८	योग १४४५१–०

कुओं के व मकानों की रकम का चुकारा उनके मालिकों को सन् १६५५–५६ में ही कर दिया गया है ।

डूब में आने वाली जमीनों के बदले में राजस्व विभाग द्वारा उन्हें अन्य जगहों पर जमीन कुछ दी गई हैं और बाकी देने की तजबीज जारी है । जिन्हें बदले में जमीनें नहीं दी जावेगी उन्हें कलेक्टर के एवार्ड के मुताबिक उचित मुआवजा एवार्ड प्राप्त होने पर चुका दिया जायेगा ।

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४८ का उत्तर देखिये)

दिनांक १-१२-५७ के बाद अब तक जो भूमि बेची गई उसकी सूची

क्रमांक	नाम व्यक्ति जिसको भूमि बेची गई	भूमि का नाप फुटों में जो बेची गई	भूमि विक्रय की शरह जिससे बेची गई
१	२	३	४
१.	श्री लक्ष्मीचन्द सरपंच पंचायत कोलायत	५०००	२ नया पैसा वर्ग फुट से
२.	श्री गोपाल आचार्य वकील निवासी बीकानेर	४६००	,,
३.	श्री कन्हैयालाल पुरोहित	२५००	,,
४.	श्री नमामीशंकर आचार्य वकील	४६००	,,
५.	श्री चैतनदास साध बीकानेर	२५००	,,
६.	श्री बालूराम व्यास बीकानेर	१५२०	[illegible] नया पैसा ३
७.	श्री गुरुद्वारा कमेटी कौमिसिल	६४००	१ नया पैसा
८.	श्री रतनलाल सचिव पंचायत कोलायत	१२००	,६ नया पैसा
९.	श्री गोविन्दराम निवासी कोलायत	१२००	,,
१०.	श्री पीराराम पंच पंचायत कोलायत	१२००	,,
११.	श्री भंवरलाल सेवक निवासी कोलायत	४०००	२ नये पैसे
१२.	श्री बदरीनारायण ब्राह्मण	५०००	,,
१३.	श्री ताराचन्द भाट बीकानेर	२०००	,,
१४.	श्री मूलासिंह थैलासर	२०००	,,
१४.	श्रीमती इचरादेवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मीचन्द सरपंच	४०००	,,

१	२	३	४	
१६.	श्री मोहनलाल कामड़िया कोलायत	१६२०	२ नये पैसे	
१७.	श्री शीतलानाथ आदि	४६००	,,	
१८.	श्री मुकन्दाराम व हरूराम	१४६१	,,	
१९.	श्री पु० सुन्दर वेवा गंगादास गांधी बीकानेर होटल कोलायत	१६१	२५ नये पैसे वर्ग फुट	
२०.	श्री लादूराम कुम्हार कार्यकर्ता धर्मशाला कुम्हाल	११८१७	६ नये पैसे	,,
२१.	श्री ,, ,,	५४००	,,	,,
२२.	श्री रावताराम सुथार बीकानेर	२४००	४ नये पैसे	,,
२३.	श्री मोडाराम मेघवाल निवासी कोलायत	४७८४	२ नये पैसे	,,
२४.	श्री रेवतराम मेघवाल निवासी कोलायत	५०७६	,,	,,
२५.	श्री किशनाराम मेघवाल निवासी कोलायत	२०००	,,	,,
२६.	श्री चौथूराम वहूपराम मेघवाल	६८००	,,	,,
२७.	श्री भैराराम पिता रीछराम मेघवाल	५७६०	,,	,,
२८.	श्री हीराराम पिता मघाराम मेघवाल	३२००	,,	,,
२९.	श्री ब्रजलाल पिता मोडाराम मेघवाल	३०००	,,	,,
३०.	श्री टीपूराम पिता कूपराम	३०००	,,	,,
३१.	श्री देवाराम पिता लूणाराम	३०००	,,	,,
३२.	श्री चूनाराम पिता गोरधनराम मेघवाल	३०००	,,	,,
३३.	श्री शंकरलाल पिता गैंडूराम	१६००	,,	,,
३४.	श्री सुगनाराम पिता गैंडूराम मेघवाल	१६००	,,	,,
३५.	श्री भैराराम पिता रामूराम	१६००	,,	,,
३६.	श्री गोरधनराम पिता पायाराम	३६००	,,	,,

Page No.169

१	२	२	३	४
३७.	श्री पेमाराम पिता मेराराम	३०००	,,	,,
३८.	श्री जाशुराम पिता मघाराम	३१००	,,	,,
३९.	श्री मौजाराम पिता हरूराम मेघवाल	३४८०	,,	,,
४०.	श्री परसाराम पिता पन्नाराम मेघवाल	४६८०	,,	,,
४१.	श्री इरखाराम पिता लूणाराम मेघवाल.	२६६४	२ नये पैसे प्रति फुट	
४२.	श्री बुद्धरराम पिता मौजाराम मेघवाल	३६००	,,	
४३.	श्री चूनाराम पिता लूणाराम मेघवाल	७२००	,,	
४४.	श्री लूणाराम पिता शिवजीराम मेघवाल	७२००	,,	
४५.	श्री हीराराम पिता लूणाराम मेघवाल	७२००	,,	
४६.	श्री जेठादास पिता देवादास साध	८०००	,,	
४७.	श्री जेठादास पिता देवादास साध पिता बालकदास	८०००	,,	
४८.	श्री नन्दराम पिता हीराराम मेघवाल	४०००	,,	
४९.	श्री पुत्र सोनी बेवा पुमाराम मेघवाल	२२८०	,,	
५०.	श्री उदाराम पिता नारायणदास मेघवाल	४०६७	,,	
५१.	श्री इरूराम पिता अरपराम	२७८४	,,	
५२.	श्री मोडाराम पिता हेमाराम मेघवाल	२५२०	,,	

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक ९ दिसम्बर, १९५९)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१६१०	अन्तिम से २	रावराजा : श्री सरदारसिंह	राजाराव श्री सरदारसिंह
१६१६	५	please	pleased
१६२७	१०	बद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
१६३१	१ व ३	संचालन	संचालक
१६३४	अन्तिम ८व७	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट
१६५५	१	पनी	पत्नी
१६५८	अन्तिम से २	सेक्शन	सेंक्शन
१६७०	१	Sta	State
१६८०	१२	xecutive	executive
१६८४	अन्तिम से ८	मिकेनाइज्ड	मेकेनाइज्ड
,,	अन्तिम	add	and
१६८९	अन्तिम से १०	श्रा अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१६९२	७	भूम	भूमि
१६९८	९	हिअर हिअर	(हिअर हिअर)
१७१०	प्रथमत:	(श्री दवाकृष्ण विजय	(श्री दयाकृष्ण विजय)
१७१५	अन्तिम से ५	सप्लाई	एप्लाई
१७१७	अन्तिमसे८-७	इन्टीग्रेटेट	इन्टीग्रेटेड
१७१९	१२	प्रावधान	प्रधान
१७२७	२२	बेसिस	बेसिक
१७२८	५	वही	वहां
१७२९	७	कैन्सेस	कॉन्शस
१७३९	१८	beloning	belonging
१७४५	अन्तिम से४	किय	किया
१७५८	प्रथमत:	(श्री दामेदरलाल व्यास)	(श्री दामोदरलाल व्यास)
१७६२	अन्तिमसे ६	reltion	relation
१७८१	९	trarsferce	transferee

१	२	३	४
१८०३	११	कीमंत न	कीमतन
१८१०	२	भावरा	भालरा
,,	अन्तिम से २	सर्लिग	सीलिंग
१८११	२१	उचित नह	उचित नहीं
१८३६	२४	हा कि	कहा कि
१८३६	६	खा है	रखा है
१८३६	१०	इन्वीटेब्रल	इक्वीटेब्रल
१८५५	८	लये	लिये
१८६५	१२	Cross-examiuation	cross-exmination
१८७०	४	श्रौर के	श्रोर के
१८७५	अन्तिम से ३	यी	थी
,,	,,	मेद की	मेड़बन्दी
१८७७	३	ConJind	confined
१६०२	५	remainin	remaining
१६१०	१	संशोधन	संशोधित